राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम्, सत्र, १९६९ का ३३ वां दिवस [संख्या २५

सोमवार, दिनांक २८ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पुनः–संस्थापन, पंचायत, राजस्व, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण, विकास, वित्त–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

बर्मा से आये विस्थापित

५२४ **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या पुनः संस्थापन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य सरकार ने बर्मा से आये हुए विस्थापितों के लिए सहायता देने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना क्या है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों की सूची तैयार की है और उन्हें सहायता में कोई धनराशि देने का निश्चय किया है अथवा अन्य सहायता देने का निश्चय किया है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने कुछ विस्थापितों को सहायता दे दी है और यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को और किस २ प्रकार ?

पुनः संस्थापन मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) जी हां, उन लोगों को पुनः निम्न प्रकार की सहायता व सुविधायें दिये जाने की योजना है :—

१ व्यापारिक ऋण की सीमा : ५०००)

२. उद्योग धंधों के ऋण की सीमा : १०,०००)

३. लघु व मध्यम सिंचाई क्षेत्र में भूमि का आवंटन—२५ बीघा

४. असिंचित भूमि का आवंटन—५० बीघा

५. मजदूरों व शिक्षितों को नौकरी दिलाने में प्राथमिकता दी जाएगी।

६. बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें दी जावेंगी।

Page No. 2

(श्री अमृतलाल यादव)

७. इन लोगों को तकाबी ऋण भी भिन्न भिन्न कार्यों के लिए दिया जायेगा।

८ मकान बनाने के लिए जमीन व प्लॉट का आवंटन करने में विशेष रियायत दी जावेगी।

६. लैण्ड रिक्लेमेशन स्कीम के अन्तर्गत बसाया जायगा।

(२) इस सम्बन्ध में जिलाधीशों को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। सहायता एवं सुविधाएं खण्ड १ के अनुसार दी जावेंगी।

(३) जिलों में प्रार्थना-पत्र लेने की कार्यवाही हो रही है। उसके बाद ही आगे कार्यवाही होगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : योजना के विषय में मैंने पूछा है कि कब बनाई, प्रकाशित भी कराई या नहीं जिससे कि विस्थापित लोग फायदा उठा सकें? कब बनाई, कब प्रकाशित कराई, इस पर आपने प्रकाश नहीं डाला ?

श्री अमृतलाल यादव : तारीख तो आपने पूछी नहीं। आपने योजना का पूछा है, वह मैंने डिटेल में बताया। यह सब आवेदन-पत्रों पर डिपेन्ड करता है कि कितने आवेदन-पत्र आते हैं, आवेदन-पत्र ही नहीं आयें तो योजना से क्या ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि योजना का मालूम नहीं तो आवेदन-पत्र कहां से आयेंगे, जब तक कि देना स्पष्ट नहीं हो, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो कि आपने योजना बनाई है या नहीं, अगर बनाई है तो क्या योजना बनाई है, जब तक आप प्रकाशित नहीं करवायेंगे तब तक क्या आवेदन-पत्र देंगे ? अब बता दीजिये कि योजना को आपने प्रकाशित करवाया है क्या और कितनी धनराशि इसके लिए रखी है ?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जितना पूछा है उतना बता दिया, तारीख पूछी नहीं, अब तारीख पूछें तो बता दूंगा। इस समय तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : योजना को कहां प्रकाशित करवाया है आपने ?

श्री अमृतलाल यादव : सब जिलाधीशों को भेज दिया है, वाइड पब्लिसिटी करवाना बाकी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपका जो गजट है उसमें निकल रही है? अगर हां, तो कौन से साल में ?

श्री अमृतलाल यादव : कलेक्टर्स को डेफीनिटली लिखा है। गजट में प्रकाशित करवाया या नहीं, मैं डेफिनिटली नहीं कह सकता, हमने कलेक्टर्स को लिखा है कि आवेदन-पत्र कॉल किए जायं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कलेक्टर्स को लिखना प्रकाशन की तारीफ में नहीं आता है, आपने प्रकाशन करवाया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ५२५।

पंचायतों के विरूद्ध शिकायतें, जिला पाली

५२५. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री तेजराम गहलोत)

(१) पाली जिले में किन किन पंचायतों के विरूद्ध गबन की कितनी कितनी शिकायतें जिलाधीश के पास १६६० से जून, १६६५ तक वास्ते जांच पेश की गई व प्राप्त हुई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों की जांच न तो साल भर से पूरी की गई है और न पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने तक और सन् १६६० में की गई शिकायतों की जांच जून, १६६५ तक नहीं की गई है ?

(३) क्या उक्त शिकायतों में से कोई शिकायतें गलत पायी गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गलत शिकायत करने वालों के विरूद्ध धारा १८२ आई० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब नहीं आ सका। नेक्स्ट मन्डे को दे सकूंगा। जिस तरह का सवाल है, इतना लम्बा है कि पाली जिले में ३५० पंचायतें हैं, कई तरह के गबन और अनियमतताएं हैं। माननीय सदस्य अगर किसी खास पंचायत का नाम बता दें जहां गलतियां हुई हैं, तो ज्यादा आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसी जानकारी आपके स्वयं के पास रहे तो अच्छा है।

प्रशासनिक दृष्टि से भी आपके पास यह जानकारी होना आवश्यक है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ३५० पंचायतें हैं, नेक्स्ट मन्डे को जवाब दे दूंगा।

श्री तेजराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी खास पंचायत में इन्टरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन कलेक्टोरेट में जो शिकायतें होती हैं, तो वहां पंचायत सेक्शन खुला हुआ है, उस सेक्शन में सारा रिकॉर्ड रहता है; चार-चार पांच-पांच साल के केसेज पेन्डिग हैं ? इनका जल्दी डिस्पोजल करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष: जानकारी आने दें।

श्री दिग्वजियसिंह (उनियारा) : आपके कुछ नियम हैं कि अमुक अवधि में जांच समाप्त हो जानी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को दुबारा लेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

कोटा नगर परिषद् क्षेत्र में जमीन का विक्रय

५२६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा नगर परिषद् क्षेत्र में मंडी कमेटी ने कितने प्लॉट्स अब तक बेचे ? बिक्री जमीन से कितनी रकम प्राप्त हुई और कितना रुपया इस क्षेत्र के विकास में मण्डी कमेटी ने खर्च किया ?

(२) कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मण्डी कमेटी को लिखकर दिया है कि वो मकान अपने खरीदशुदा प्लॉट्स पर बनाना चाहते हैं किन्तु मण्डी कमेटी ने उसका विकास नहां करके कार्यवाही को रोक रखा है ?

Page No. 4

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(३) इस क्षेत्र में गन्दे पानी के निकास के लिये क्या कोई नालियों की योजना बनाई गई है ? यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने फीट लम्बी नालियां बनाई जा सकी हैं ?

(४) मण्डी कमेटी कोटा के द्वारा बेची गई भूमिं की कीमत में से कितने रुपये व कितने प्रतिशत नगर परिषद्, कोटा को देने का सरकार ने निर्णय किया है और कितने वर्ष की आय नगरपरिषद्, कोटा को देना शेष है ?

(५) क्या यह सत्य है कि मण्डी कमेटी, कोटा ने कोटा नगर में स्थित बड़े तालाब के पेटे में ही प्लॉट्स बेच दिये हैं और वहां मकान बन जाने से तालाब के लेवल को ऊंचा नहीं किया जा सकता ?

(६) क्या नगरपरिषद्, कोटा ने मण्डी कमेटी, कोटा के गठन को अवैध बताकर इसे भंग करने की मांग की है ? यदि हाँ, तो सरकार नगरपरिषद् कोटा के इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) १२२० प्लॉट बेचे, बिक्री जमीन से करीब ४५ लाख रुपये की आमद हुई और जिसमें से ४४,७४,००० रुपये मंडी के विकास पर खर्च किये गये ।

(२) यह सही नहीं है । इस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(३) गुमानपुरा क्षेत्र में ५६२५ फुट नालियां बनाई गई हैं और ६६-६७ में नई नाज मंडी, गुमानपुरा, बल्लभबाड़ी एवं शॉपिंग सेन्टर में नाली बनाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

(४) मंडी कमेटी द्वारा बेची गई भूमि की कीमत कन्सोलीडेटेड फन्ड में जमा हो जाती है और सरकार नगर परिषद् को ७५ हजार रुपये सालाना मुआवजा देती है, यह रकम पांच साल तक देना तय किया है ।

(५) यह सही नहीं है ।

(६) नगरपरिषद्, कोटा ने मंडी कमेटी, कोटा के गठन को अवैध घोषित कराने का एक दावा मुन्सिफ कोर्ट में सन् १६६५ में किया था जो बाद में वापिस ले लिया गया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मास्टर प्लान किसके लिए ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मंडी कमेटी के लिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग-सा प्रश्न है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है जैसे मैंने प्रश्न नं० २ में पूछा है कि लोग मकान अपने खरीदशुदा प्लॉट्स पर बनाना चाहते हैं, किन्तु मंडी कमेटी मकान बनाने की इजाजत नहीं देती । ऐसे कितने मकान हैं जिनको इजाजत नहीं दी जाती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार ४०० मकानों की मंजूरियां दी गई हैं, कुछ मकानों की मंजूरियां बाद में दी गई हैं। इस तरह से करीब ४०० के ऊपर मकानों की दी गई हैं। जो मंजूरियां मांगते हैं, उनको दी जाती हैं। यह बात जरूर है कि कुछ समय बीच में मंजूरियां नहीं हुई थीं, उस समय ड्रेनेज की स्कीम्स के सिलसिले में सर्वे हो रहा था और इसलिए बीच में रुकावट हो गई थी, लेकिन वह रुकावट अब समाप्त कर दी गई है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा :१२२० प्लाट्स बेचे जिनमें से ४०० मकान बने हुए हैं बाकी के लोगों ने प्लाट्स खरीदे हैं, मकान नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कई मामले ऐसे हैं जिनमें रजिस्ट्रियां नहीं हुई, क्योंकि बिकते जाते हैं, रजिस्ट्री का समय होता है, रजिस्ट्री करते हैं, कई ऐसे हैं, जिनमें अवधि होती है कि इतने समय के अन्दर बनाएंगे तो उस अवधि के अंदर मकान बना नहीं सकते हैं, एक्सटेन्शन मांगते हैं तो एक्सटेशन दिया जाता है।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा-सु०):मकान अवधि के अंदर क्यों नहीं बनवाए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि मन्जूरियां दे दी हैं, कुछ मकान बने भी हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ मकानों के लिए एक्सटेन्शन की दरख्वास्तें आई हैं। बीच में ड्रेनेज की स्कीम्स के सर्वे के सिलसिले में और ढाल की जानकारी के सिलसिले में १५-१०-६३ से १०-८-६४ तक कोई मन्जूरियां नहीं दीं तो वह अवधि की परमिशन हमारी रोक की वजह से नहीं दी जासकी।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : बनानेकी इजाजत मंडी कमेटी देती है, नक्शे पास पी० डब्ल्यू० डी० करती है, लोगों के नक्शे पास नहीं होते हैं। नक्शे समय पर क्यों नहीं पास होते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर किसी व्यवस्था की वजह से दिक्कत है तो हम छानबीन करके अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस क्षेत्र में नालियां बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोई योजना बनाई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंडी कमेटी ने जो योजना बनाई है, उसकी जानकारी दे रहा हूँ। इम्प्रूमेंट ट्रस्ट का बिल्कुल अलग सा प्रश्न है, मेरा उससे संबंध भी नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि नगरपरिषद् कोटा ने मंडी कमेटी के गठन को अवैध बताकर उसे भंग करने की मांग की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया न कि सन् १९६५ में दावा मुन्सिफ कोर्ट में किया था जो बाद में वापिस ले लिया गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आपने गुमानपुरा में नालियां बनाने की बात कही। तो मकान और सड़क के बीच में सारा पानी भर जाता है, मकान के चारों तरफ पानी आ जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके मकान के सामने नालियां खराब हैं तो ठीक करवाएंगे।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : माथुर साहब चार साल पहले गए थे, उन्होंने कहा था कि जल्दी ठीक करवाएंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कह रहा हूँ कि जल्दी ठीक करवाएंगे।

श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी (दीगोद) : कुछ लोगों को मन्जूरियां नहीं दी हैं मकान बनाने की, उसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इजाजत नहीं दी है, ऐसा मैंने नहीं कहा। बीच में कुछ समय के लिए इजाजत रोक रखी थी, स्कीम के सर्वे और ढाल वगैरह की दृष्टि से तारीख जैसे मैंने बताया १५-१०-६३ से १०-८-६४ तक रोक रखा। उसके बाद में रोक हटा दी गई और अब रोक का सवाल नहीं है। जोदरख्वास्तें आती हैं, तो परमीशन देते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आपने रोड्स बनाई और लोगों को प्लॉट्स बेचे जिसके बीच में रोड और मकान की बाउंडरी के बीच खड्डे पड़े हुए हैं। कौन भरवाएगा, मकान मालिक या आप ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे क्या संबंध है ? किस जमीन पर खड्डे हैं, किसके हक में हैं ? यह हर खड्डे का प्रश्न थोड़ा ही है, बाकी आपके मकान की नाली का जवाब दे सकता हूँ, उसको ठीक करवाना हमारा कर्त्तव्य है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सरकारी जमीन है, हमने प्लॉट्स लिए, बाऊंडरी के अंदर मिट्टी भरवाई लेकिन बाउंडरी से बाहर सड़क और मकान के बीच में खड्डे हैं, उनको मकान मालिक भरवाए या आप भरवाएं, कोई नहीं भरवाएगा तो पानी जमा होगा, मच्छर पैदा होंगे।

प्रश्न संख्या ५२७

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार।

जहरीला तेल खाने से प्रभावित व्यक्ति चित्तौड़गढ़

५२८. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बहेड़ा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ४,५ नवम्बर, १९६५ को चित्तौड़गढ़ में जहरीला तेल खाने से कुछ परिवार बीमार पड़ गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि फूड इन्सपेक्टर चित्तौड़गढ़ ने उस तेल को देखा था ?

(३) वह तेल का व्यापारी कौन था ? उसके पास वह तेल कहां से आया तथा उस व्यापारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

(४) जहरीले तेल से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या क्या थी और उनमें से कितने मरे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) अधीक्षक आरक्षी मण्डल चित्तौड़गढ़ ने उनके पत्र संख्या ६५०४-५ दिनांक ६–११–६५ द्वारा फूड इन्सपेक्टर सर्किल चित्तौड़गढ़ को सूचित किया कि दिनांक ३, ४, ५ नवम्बर, १९६५ को श्री घीसूलाल नाहर ने तेल बेचा था। ३ व्यक्तियों ने तेल खरीदा था जिससे उन्हें दस्त, उल्टी की शिकायत हुई थी।

(२) फूड इन्सपेक्टर चित्तौड़गढ़ ने श्री घीसूलाल नाहर महाजन की दुकान के तेल का सैम्पल दिनांक ७–११–६५ को लेकर चीफ पब्लिक एनेलिस्ट, राजस्थान को आवश्यक जांच हेतु भेजा। जांच से तेल में कोई खराबी नहीं पाई गई।

(३) यह आरक्षी (पुलिस) विभाग से सम्बन्धित है। उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अब्दुल जब्बार : यह आपने बताया कि केमिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद खराबी नहीं आयी तो मैंने पूछा कि कितने आदमी इफ़ेक्टेड हुए और अस्पताल में गये या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री मांगीलाल नायी, उदयलाल ब्राह्मण आदि जिनको उल्टी हुई, अभी मैंने तीन नाम आपको बताये थे।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या उनकी दस्त और उल्टी का एग्ज़ामिनेशन कराया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फूड आर्टीकल्स को लेकर केमिबल एग्जामिनेशन करने का था। यह काम पुलिस का है कि पोइजनिंग केस रजिस्टर हो तो टट्टी और उल्टी का मुआयना कराये। यह काम फूड इन्सपेक्टर से ताल्लुक नहीं रखता है।

श्री अब्दुल जब्बार : अस्पताल में गये और लाजमी चीज है कि पोइजन केस है तो स्टूल और वोमिट केस का टेस्ट करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अस्पताल ने पोइज़निंग केस माना ही नहीं। यह तो शिकायत इस बात से हुई कि घीसूलाल से तेल खरीद कर ले गये उससे दस्त और उल्टी हुई। उस तेल को सील करके एनेलेसिस के लिये भेज दिया। उसने जवाब दे दिया कि इसमें कोई खराबी नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : वह पैरा बता सकते हैं जिसमें उसने यह बताया है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): इन्स्टान्स एक व्यक्ति के साथ हो सकता है। लेकिन दो-तीन के साथ इस प्रकार का केस कैसे हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तेल का सेम्पल भेज दिया, उसमें खराबी नहीं पायी गयी।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु) : सेम्पल लिया गया तो कितने दिन बाद लिया गया ?

श्री तेजाराम गेहलोत (सोजत) : तेल का एनेलेसिस कराया तो एडल्टरेटेड है या अनएडल्टरेटेड है या पोइजनस है, इन तीनों में से क्या बताया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि पुलिस ने इत्तला दी फूड इन्सपेक्टर को,

Page No. 8

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसने फौरन जाकर सीज़ कर लिया। हॉस्पिटल में कब हुई यह मेरे पास इत्तला नहीं है। फूड इन्सपेक्टर को इतला मिली, उसने सीज कर लिया और कैमिकल एनेलिस्ट के पास भेज दिया।

श्री अब्दुल जब्बार : तेल का सेम्पल लिया नहीं गया। मेरे पास उन आदमियों के नाम हैं। लोग बुरी तरह बेहोश हो गये। टट्टी, उल्टी हुई। फूड इन्सपेक्टर ने नाली में फैंक दिया उसको। केमिकल एग्जामिनेशन हुआ तो किस बात की रिपोर्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाईये ?

"Central Public Health Laboratory, Rajasthan, Jaipur.

Dated 26th March, '66.

I hereby certify that I, Y. C. Haneef, Public Analyst for Rajasthan, Jaipur, duly appointed under the provisions of the Prevention of Food Adultration Act, 1954, received on the 20th day of November, 1965 from Food Inspector, Bhensrorgarh a sample of ground-nut oil S. No. MLG-20/Urban Shri Mohanlal S/o Gheesulal, properly sealed and fastened and I found the seal unbroken. I further certify that I have caused to be analysed the aforementioned sample and declare the result of the analysis to be as folows : The oil is clear......"

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : हिन्दी में समझा दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास अंग्रेजी में है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें। माननीय सदस्य उसको देख लेंगे।

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्रवणलाल : चार-पांच को उल्टी हुई तो क्या ११ तारीख को सेम्पल लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कब उल्टी हुई, कब नहीं हुई, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य पुलिस से तलाश करें कि कब सूचना आयी। एस. पी. ने इन्सपेक्टर फूड को लिखा और तुरन्त पहुंचते ही उसने सेम्पल ले लिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सारे प्रश्न का सार यह है कि जिस तेल से उल्टी हुई उसका सेम्पल नहीं लिया गया।

श्री अब्दुल जब्बार : पेचीदगी इस तरह से है कि मार्च, ६६ में केमिकल एग्जामिनेशन में रिपोर्ट आती है। नवम्बर, १९६५ में केस होता है। न तो सेम्पल लिया गया है और न कुछ। क्वेश्चन की बात हुई तो भाग दौड़ की आप जिस विभाग को डील कर रहे हैं उस विभाग के डॉक्टर ने इस वोमिट के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास सूचना वही हो सकती है कि ६ तारीख को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चिट्ठी से एस. पी. ने फूड इन्सपेक्टर को लिखा। ७ को चिट्ठी पहुँची। उसने इमीजियेटली जाकर सील कर लिया। भैसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ की बात है जहां के हुई। उसी बात को जानना चाहते हैं कि चित्तौड़गढ़ अस्पताल में उल्टी हुई, तो पुलिस महकमे से पूछ लीजिये। फूड इन्सपेक्टर से इसका कोई ताल्लुक नहीं था।

श्री श्रवणलाल : कौनसी तारीख को रिपोर्ट दर्ज करायी ?

श्री अब्दुल जब्बार : बारिश का पानी ड्रम में घुसा, ड्रम खुले रखे हुए थे और पोइज़न हुआ। फूड इन्सपेक्टर इमीजियेटली जाता है और नाली में डाल देता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसी सूचना थी तो उसकी फौरन शिकायत करनी चाहिये, तेल नाली में डाल दिया जैसा सदन में कह रहे हैं। आपको चाहिये था आप मुझसे शिकायत करते, मैं फौरन जांच कराता।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या इस बात के लिये इश्योरेन्स देने के लिये तैयार हैं। फूड पोइज़निंग बहुत सीरियस नेचर का है, क्या विटनेस पहुँची तो उसको रिओपन कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सर्टेन्टी है कि तेल नाली में डाल दिया तो डिटेल्स लिख दीजिये, मैं फौरन इन्क्वायरी कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

टोंक में हरे वृक्षों की कटाई

५२९. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि श्री विकार अहमद उर्फ अखबर मियां व अजीज अहमद व सादत हुसेन ने आराजी ख० नं० ६५५, ६५६, ६८१, ७८२, ७८४, ७८५, ७८८, ७८९, २२९ कुल रकबा १३८ बीघा ११ बिस्वा ग्राम सादतनगर [त० उनियारा] जिला टोंक में से करीब १२७५ हरे पेड़ काटे थे ? यदि हां, तो किसकी स्वीकृति से ?

(२) क्या हरा पृक्ष काटना कानूनी अपराध नहीं है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार उनियारा ने असिस्टेंट कलेक्टर, टोंक के यहां इस सम्बन्ध में दिनांक १७-१-६५ को करीब ५१,००० रुपये की क्षति का चालान पेश कर उसकी वसूली के लिये व कार्यवाही के लिये लिखा था ? यदि हां, तो उस पर आज दिन तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं हुई ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। कुछ लोगों ने इन खसरा नम्बरान से लगभग १२७५ पेड़ अनधिकृत रूप से काटे थे।

(२) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा ८६ के तहत पेड़ काटना कानूनी अपराध है और इसी कारण इन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही चालू है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) जी हां, तहसीलदार उनियारा ने असिस्टेंट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, टोंक की अदालत में भेजा था और अब यह मामला सब—डिवीजनल ऑफिसर की अदालत में विचाराधीन है, चूंकि यह समस्त कार्यवाही सबजुडिस है, अत: विशेष विवरण दिया जाना संभव नहीं है ।

श्री दिग्विजयसिंह : यह मुकदमा कब दायर किया गया ?

श्री **रामप्रसाद** लड्ढा : सबसे पहले १७-१-६३ को यह इस्तगासा भेजा गया था टोंक को लेकिन बदकिस्मती से वह वहां पर मिला नहीं, इसलिये १४-४-६४ को दुबारा दर्ज कर लिया गया ।

श्री **दिग्विजयसिंह** : तीन साल तक नहीं मिला ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : १७.१.६३ को भेजा गया था । जब काफी समय तक कार्यवाही नहीं हुई तो दर्याफ्त किया गया कि क्या बात है, तो मालूम किया तो तलाश करने पर दस्तयाब नहीं हुआ तो १४-४-६४ को नायब-तहसीलदार, अलीगढ़, ने असिस्टेंट कलेक्टर व मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, टोंक की कोर्ट को दुबारा पेश किया ।

श्री **दिग्विजयसिंह** : क्या जिस वक्त ये पेड़ काटे गये उस वक्त वह जमीन खातेदारी की जमीन थी ?

श्री अध्यक्ष : चालान कब पेश किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १८-३-६६ को पेशी थी, मैंने इन्फोर्मेशन मंगाई थी ''''''

श्री अध्यक्ष : अभियुक्त कितने हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काफी हैं । उन्होंने दो नाम बताये हैं, दो नहीं हैं बल्कि काफी संख्या में हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

अध्यापक की बकाया रकम का भुगतान

५३०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले की तहसील पीपलदा की पंचायत समिति इटावा के अधीन प्राइमरी स्कूल ग्राम कवलेदा के अध्यापक सूरजमल की एरियर बिल की रकम का भुगतान सन् ५४ से बाकी है ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

(२) क्या यह सच है कि इस अध्यापक ने इस रकम के सम्बन्ध में डिप्टी डाइरेक्टर को और शिक्षा विभाग, कोटा को लिखा था ? यदि हां, तो कब ?

(३) एरियर का भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ ? और अब कब तक हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां । १३२ रुपये १—२—५४ से ३१—३—५६ तक के, २८५ रुपये अक्टूबर, १९५६ से १—११—५९ तक के । १-४-५६ से सितम्बर, १९५६ तक का क्लेम तैयार नहीं

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

किया गया है जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है ।

(२) जी हां ।

(३) अध्यापक २-१०-५६ से पंचायत समिति में हस्तांतरित हो गया इसके बाद उसने या पंचायत समिति ने कोई क्लेम तैयार करके शिक्षा निरीक्षालय, कोटा को नहीं भेजा । अक्टूबर, ५६ से ११-१-५६ तक का बिल रू० २८५ का निरीक्षक के कार्यालय में १६-४-६५ को प्राप्त हुआ । परन्तु उस बिल का चुकारा जब ही किया जा सकता है जब कि इससे पहले बिल का चुकारा कर दिया जावे ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, इस अध्यापक की रकम सन् ५४ से बकाया है; गत साल भी प्रश्न पूछा था उस पर आश्वासन दिया गया था कि जल्दी से दिलवा देंगे, लेकिन इसको १२ साल हो गये, रकम नहीं चुकायी गई है । बहुत से ऐसे अध्यापक है जिनका लाखों रुपया बकाया है वे रो रहे हैं इस सरकार को । यहां तो कह देते हैं जल्दी से जल्दी दे देंगे, लेकिन दिया नहीं जाता है । अब इसको कब तक दे देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वे अध्यापक रोये ही रोये जांय और क्लेम दाखिल नहीं करें तो उसका क्या इलाज हो सकता है । १६-४-६५ को क्लेम दाखिल किया । पहले क्यों नहीं किया । पंचायत समिति में अध्यापक ने क्लेम दाखिल नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री या पंचायत मंत्रीजी को यह मालूम है कि पंचायत समिति के बजट में पैसा नहीं होने, प्राइमरी स्कूलों के लिये प्रावधान नहीं होता इस कारण लाखों रुपया बकाया रह जाता है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी साल में दस हजार केसेज डिसाइड हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरा प्रश्न दूसरा है, तनख्वाह का जो खर्चा होता है उतना बजट में प्रावधान नहीं होता है, इसका नतीजा यह होता है कि साल के आखिर में कुछ रुपया हमेशा ही बाकी रह जाता है । पंचायत मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया पंचायत समिति के अध्यापकों के लिये फिक्सेशन आदि के एरियर्स हैं उसके लिये १४ लाख का प्रावधान किया है उसमें सब रकम शामिल कर दी गई है । जिस तरह से दस हजार केसेज डिसाइड हुए हैं बाकी भी हम जल्दी ही डिसाइड कर देंगे । कुछ केसेज ऐसे हैं जिनमें क्लेम दाखिल नहीं किया और ए०जी० द्वारा पोइन्ट आउट किया गया, वह बाकी है काफी अर्से से ।

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग ने जो कार्य किया वह सराहनीय है । लेकिन काफी केसेज पेन्डिग इसलिये रह जाते है कि बजट में उतना प्रोवीजन होता नहीं खर्चा उससे ज्यादा हो जाता है । पंचायत समिति उतना प्रावधान नहीं रखतीं जितनी तनख्वाह होती है ।

Page No. 12

श्री वृजसुन्दर शर्मा : पंचायत समिति के जितने टीचर्स है उनकी तनख्वाह की सेन्ट-परसेन्ट ग्रान्ट सरकार देती है। टीचर्स की तनख्वाह वह बकाया रहती है जो वे एक्स्ट्रा टीचर्स रख लेते हैं। लेकिन उनकी तनख्वाह का बजट में प्रोवीजन नहीं रखतीं।

श्री अध्यक्ष : पंचायत समिति उतना पैसा बजट में नहीं रखती, यही तो बात है।

पंचायत मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : यह बात ठीक है, कुछ पंचायत समितियों में यह सिच्युएशन पैदा हुई है जहां बजट में जो प्रोवीज़न है उससे ज्यादा स्कूल खोल देते हैं, ज्यादा टीचर्स रख देते हैं, इसलिये टीचर्स को तनख्वाह वक्त पर मिलने में दिक्कत होती है। अब इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि जहां ज्यादा टीचर्स रखने की आवश्यकता हो तो पंचायत समिति उसी हालत में रख सकती है जब कि उसके पास पैसे की बचत हो, वरना न स्कूल खोले न टीचर्स रखे।

श्री दयाचन्द सोन : अब इस अध्यापक को कब तक पैसा मिल जायगा ? बारां में चार-पांच महिने पहले शिक्षकों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रस्ताव पास हुआ। उसमें आप द्वारा धोंस दी गई कि आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको निकाल दिया जायगा।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : बारां में मैं किसी से नहीं मिला हूं और न बारां के टीचर्स ही मेरे से मिले हैं, न उनका कोई प्रश्न आया है।

श्री अध्यक्ष : ५३१, श्री हरलाल मीणा।

प्रतापगढ़ के आदिवासी छात्रावास में बिजली

५३१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि प्रतापगढ़ के आदिवासी छात्रावास में बिजली लगी हुई नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि छात्रावास के दरवाजे के पास होकर बिजली की मेन लाइन के खम्बे निकले हैं ? यदि हां, तो छात्रावास में बिजली कनेक्शन नहीं लेने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सही है कि छात्रावास में बिजली व कनेक्शन व फिटिंग का एस्टीमेट बनाकर समाज कल्याण विभाग को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई व अब भविष्य में बिजली कब तक दी जायेगी।

समाज कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) जी हां, अर्थाभाव के कारण।

(२) जी हां, कारण बताया जा चुका है।

(३) पी० डब्ल्यू० डी० से एस्टीमेट्स आने पर विचार संभव, है।

श्री हरलाल मीणा : भविष्य में यह कब तक दे दी जायगी ?

श्री अमृतलाल यादव : एस्टीमेट आते ही इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह दूदू।

स्कूल भवन पर लगी रकम की बसूली

५३२. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री अमरसिंह)

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, दूदू की पंचायत हबशपुरा के भूतपूर्व सरपंच श्री मूलचन्द द्वारा बिना जन सहयोग की रकम प्राप्त किये सरकारी रकम स्कूल भवन में खर्च कर दी गई ?

(२) क्या यह स्कूल भवन अधूरा है?

(३) अगर हां, तो यह सरकारी रकम भूतपूर्व सरपंच श्री मूलचन्द से वसूली के लिये आजतक क्या कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) श्री मूलचन्द को कोई रकम नहीं दी गई इसलिये वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय 'जी नहीं' कह रहे हैं। जब मैंने इसी सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था तो कहा था स्कूल भवन पूरा नहीं हुआ है अतः पहले वाला उत्तर सही मानूं या यह सही मानूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने इस प्रश्न में पूछा है कि पंचायत समिति दूदू की पंचायत हबशपुरा के भूतपूर्व सरपंच श्री मूलचन्द द्वारा बिना जन सहयोग की रकम प्राप्त किये सरकारी रकम स्कूल भवन में खर्च कर दी गई ? इसके लिये मैंने कहा, जी नहीं।

मैं वास्तविक स्थिति अर्ज कर देता हूं कि पंचायत समिति, दूदू को प्राथमिक पाठशाला के भवन निर्माण के लिये अनुदान की राशि १९५७–५८ के बजट में बन्शीलाल को दी गई न कि मूलचन्द को; पंचायतों के पुनर्निर्माण से पूर्व प्राथमिक पाठशाला भवन ग्राम हबशपुरा के लिये अनुदान की राशि सन् १९५७–५८ के तहसील फुलेरा के बजट से श्री बंशीलाल सरपंच, पंचालत, शार्दुलपुरा को दी गई थी। दिनांक २६-२-५८ को ८५० रुपये तथा ३१–३–५८ को १५० रुपये। इस कार्य में ५० प्रतिशत जन सहयोग होना था। श्री बंशीलाल ने २००३ रू० का हिसाब पेश कर दिया है परन्तु यह स्कूल भवन अब तक अधूरा ही पड़ा है क्योंकि इस कार्य को पूर्ण करने के लिये रकम की और आवश्यकता है। क्योंकि १००० रूपये अनुदान एवं १००३ रू० जन सहयोग कुल २००३ रू० में २ कमरों (जो कि लगभग १५ × १० फुट हैं) की दीवारें लगभग ५ या ६ फुट ऊंची तैयार हो पायी हैं। अब इसके अलावा पूरे भवन का निर्माण कार्य शेष पड़ा हुआ है, जिसमें लगभग ३००० रु० की और आवश्यकता है। स्कूल भवन का कार्य पूरा न होने के कारण और हबशपुरा में छात्रों की संख्या कम होती जाने से स्कूल ग्राम सूरसिंहपुरा में बदल दिया गया।

श्री अमरसिंह : रकम मिली वह तो खर्च कर दी गई। जन-सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर वापिस वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया, एक हजार का अनुदान दिया; १००३ रुपया जन सहयोग से प्राप्त हुआ, २००३ का हिसाब पेश कर दिया।

Page No. 14

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्दसिंह ।

पंचायत सरोद की भूमि का आवंटन

५३३. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम बाजपुरा पंचायत सरोद, जिला झालावाड़ की जमीन एलॉट करवाने के लिये बाजपुरा के बनजारों ने प्रर्थाना-पत्र पेश किये और उन बनजारों के प्रार्थना-पत्र पर एडवाइजरी कमेटी ने जमीन अलॉट करने की राय देते समय यह लिखा था कि विकास अधिकारी व सम्बन्धित सदस्य, विधान सभा मौके पर जमीन को देखकर एलॉट करें।

(२) क्या यह सही है कि उसी भूमि को ग्राम पंचायत, गुडा के गांव को चरनोट में अब दे दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि जो भूमि ग्राम पंचायत, गुडा के किसी गांव को दी गई है वह ग्राम पंचायत सरोद की भूमि है ?

(४) इस प्रकार एक पंचायत क्षेत्र की भूमि दूसरी पंचायत क्षेत्र में देने के पहले क्या ग्राम पंचायत सरोद के सरपंच की राय ली गई थी ?

(५) जब उपरोक्त भूमि पर ग्राम-पंचायत सरोद के ही काश्तकारों के एलॉट-मेंट के लिये प्रार्थना-पत्र थे और एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों द्वारा मौका देखकर निर्णय करना था तो तहसीलदार, पंच पहाड ने उक्त भूमि को बिना एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों से राय लिये दूसरी पंचायत क्षेत्र के किसी गांव को चरनोट के रूप में क्यों दी ?

(६) क्या राज्य सरकार इस प्रकार गलत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिससे एक पंचायत क्षेत्र की जनता दूसरी पंचायत क्षेत्र की जनता के लिये असन्तोष पैदा हो और आगे चलकर झगड़े भी हो सकते हों कोई कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ग्राम बाजपुरा के बन्जारों ने खसरा नम्बर ७५ को मकबूजा जंगलात थी उस को अलॉट कराने बाबत प्रार्थना-पत्र दिये थे । उन प्रार्थना-पत्रों पर राय कमेटी यह बनी थी कि विकास अधिकारी व सम्बन्धित सदस्य विधान सभा मौके पर जमीन देखकर अलॉट करेंगे ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) इस मामले में ग्राम बाजपुरा के निवासियों की रजामन्दी दि० १३-६-६४ को ली गई थी तथा एस० डी० ओ० कार्यालय से भी दि० ३०-५-६३ को उद्घोष जारी किया गया था । आपत्ति पेश न होने पर जिलाधीश द्वारा दि० ६-८-६५ को चरनोट कायम की गई, इसके बाद पंचायत को कब्जा चरागाह तहसील द्वारा दिया गया था ।

(५) तहसील द्वारा कोई गलत कार्यवाही नहीं की गई है तथा जिस ग्राम की भूमि चरनोट में दी गई है उन्होंने भी आज तक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आपत्ति प्रगट नहीं की अथवा सरपंच, ग्राम पंचायत, सरोद ने भी कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह : क्या सरपंच ने लिखित में पूछा था कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वालों गांव ने लिखित में दिया है। सरपंच ने आपत्ति नहीं होने के सम्बन्ध में कोई लिखत नहीं दी।

श्री गोविन्दसिंह : जो आपको इत्तला दी गई है वह अधूरी है या गलत है। मैं कमेटी में मौजूद था, जिस आदमी को अलॉट हो सकती थी वह अब भी मांग रहे है। पंचपहाड़ में गडबड़ी के तौर पर इन्क्वायरी कर रहे हैं; गलत काम किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एडवाइजरी कमेटी में आठ सदस्यों ने भाग लिया वह जमीन इस शर्त के साथ दी थी विधान सभा के सदस्य मौके पर जमीन देखकर अलॉट करेंगे सदस्य, विधान सभा उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके सामने रखा जावे उसके लिये १३-६-६६ और १८-३-६६ को इत्तला दी गई। सदस्यगण उपस्थित नहीं हुए उनसे कतई फैसला नहीं हो सकता।

चरनोट के लिए भेदभाव चल रहा है ओब्जेक्शन न होने की वजह से कलेक्टोरेट ने घोषित कर दी कब्जा दिलवा दिया जाय। दो जगह कार्यवाही चल रही है।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, तहसील पंचपहाड़ में एक महीने में चार दिन मीटिंग होती है। मीटिंग की या तो सूचना नहीं दी जाती और दी जाती है तो दो-चार दिन पहले दी जाती है। जिससे वहां पहुँचना कठिन हो जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I shall look into the matter.

समाज कल्याण विभाग में शिक्षा विभाग के अध्यापक

५३४. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के जो अध्यापक समाज कल्याण विभाग में स्थानान्तरित किये गये थे उन्हें शिक्षा विभाग के अध्यापकों से कम वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उन्हें भी शिक्षा विभाग के अध्यापकों के समान वेतन दिलाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : स्थानान्तरित नहीं किये गये। और जहां तक वेतन कम देने का प्रश्न है, यह सही नहीं है।

रेगर बस्ती का निर्माण

५३५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(१) मालपुरा रेल्वे स्टेशन के पांस वाली रेगर बस्ती का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और आज तक क्यों अधूरा पड़ा है ?

(२) अब तक इस बस्ती के निर्माण में कितनी सहायता विभाग द्वारा दी गई है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) मालपुरा रेलवे स्टेशन के पांस वाली रेगर बस्ती का निर्माण कार्य उन लोगों ने वर्ष ६२–६३ में शुरू किया था। परन्तु आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से कार्य पूर्ण नहीं कर सके, वह कार्य अधूरा पड़ा है।

(२) इस बस्ती के निर्माण के लिये विभाग द्वारा अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या उन्होंने विभाग से सहायता की मांग नहीं की थी ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां, की थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब की थी ?

श्री अमृतलाल यादव : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : जब उन्होंने मांग की थी तो नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव : कागज अधूरे थे ! इसमें एक नियम है कि सहायता के लिये लैण्ड ऑनरशिप साबित करने के लिये सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिये था। पट्टा नहीं था। पट्टा बताने के लिये कागजात लौटाये गये थें।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब क्या पट्टा भेज दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव : अब आ गया है। पर अब एक और सवाल है कि नगर-पालिका में हम महतरों को प्राथमिकता देते हैं। फिर भी जितने लोग थे उनमें से १३ को सहायता दी जा चुकी है और बाकी के लिये अगले बजट में रखने की कोशिश की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५३६

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५२७

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५३८

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्रीमती चूण्डावत।

वसूली योग्य बकाया रकम

५३६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No. 17

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(१) सरकार की वसूली योग्य कुल बकाया रकम वर्ष ५७–५८ में कितनी थी और वर्ष ६४–६५ में कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि वर्ष ५७–५८ से लगाकर ६४–६५ तक की अवधि में वसूली योग्य बकाया की रकम बढ़कर तिगुनी हो गई है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उप मन्त्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) यह विभाग केवल दस बड़े बड़े राजस्व विभागों की वसूली पर निगरानी रखता है, राज्य के सभी विभागों पर नहीं। उन दस बड़े बड़े राजस्व विभागों की वसूली योग्य बकाया के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

नाम विभाग	वसूली योग्य बकाया की रकम १९५७–५८	वसूली योग्य बकाया की रकम १९६४–६५
१. भू-राजस्व	३०,६,२८,९७७	४,४७,३७,३००
२. सिंचाई	१४,५६,०००	४४,५७,१९६
३. खान व भूगर्भ	२,११,२०,७२	६,९९,६३,२४
४. यातायात	४,०२,२०६	८,४७,२९५
५. भवन एवं पथ	२२,६५,१४१	४५,४०,६५०
६. वन	९,६६,६९२	२१,१३,३०९
७. उद्योग व सिविल सप्लाई	२४,७०,१३७	६,५,१५,७३
८. कर (वाणिज्य)	४५,६१०,००	१,६५,५५,०००
९. आबकारी	१८,४२,०००	५९,५१,१८१
१०. मुख्य अभियन्ता (स्वास्थ्य)	१,३७,२४,५८०	३,५०,७५,८९१
	६०,४,५८ ८०५	१२,२२,२५,८१६

निम्न लिखित विभागों में वसूली योग्य रकम बढ़कर तिगुनी हो गई है जिसके कारण नीचे लिखे अनुसार हैं :

(१) खान व भूगर्भ विभाग :

१. माइनिंग लीज़ एम० सी० आर० की संख्या ३४८ से ६२७ हो गई है व एम० एम० सी० आर० में ६६७ से ९५४ हो गई है।

२ आमदनी में वृद्धि ५८.६९ लाख से १११.८१ लाख हो गई है।

३. ११.८८ लाख ऐसोसियेट रामगंज मण्डी में बकाया है जिसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है।

४. ३.२० लाख के केसेज़ लॉ कोर्ट में चल रहे हैं।

५. २५.८० लाख के केसेज़ पी० डी० आर० के तहत चल रहे हैं।

६. ८.८५ लाख के बीकानेर जिप्सम कम्पनी के केस झगड़े में चल रहे हैं।

७. १ लाख के केसेज़ में किश्तों में वसूली हो रही है।

(श्री चन्दनमल वैद)

८. ३.८६ लाख के केसेज़ सरकार के विचाराधीन है।

९. १.६१ लाख के केसेज़ डिपार्टमेन्टल एडजस्टमेन्ट में पड़े हैं।

१०. २.०५ लाख की बकाया वसूली योग्य नहीं है।

११. ११.३८ लाख के केसेज़ डिपार्टमेंट कार्यवाही के लिए हैं।

(२) **सिंचाई** :

१. सिंचाई कार्य की बढ़ोत्तरी वास्तविक मांग जो कि वर्ष ५७-५८ में ६७ लाख की थी, वह ६४-६५ में ११२ लाख हो गई फिर भी कार्य की बढ़ोत्तरी के अनुपात में बकाया नहीं बढ़ी है।

२. वसूली का कार्य अन्य विभागों (राजस्व) द्वारा होना।

३. अकाल की स्थिति की बहुतायत एवं अन्य ऐसे ही दूसरे कारणों से राज्य सरकार द्वारा वसूली को स्थगित करने की वजह से वसूली किश्तों में की जाती रही है और ऐसी हालत में बकाया राशि का बढ़ना अवश्यम्भावी हो जाता है।

बकाया की विगत मोटे रूप में इस प्रकार है :

१. मामले जिनमें वसूली रोक दी गई है — ६.० लाख

२. मामले जिनमें वसूली स्थगित कर दी गई है — १०.५८ लाख

३. जागीरदारों से वसूली योग्य बकाया — ०.२२ लाख

४. कृषकों से वसूली योग्य बकाया — २०.८५ लाख

५. राज्य के विभागों से वसूली योग्य बकाया — २.५२ लाख

६. अपलेखन योग्य बकाया — १.२४ लाख

७. छूट देने योग्य बकाया — ०.१५ लाख

(३) **कर (वाणिज्य)** :

(१) कर चुकाने वालों की संख्या में कई गुणा वृद्धि। सन् १९५६-५७ में जो संख्या थी वह ६४-६५ में १०,४६८८ हो गई।

(२) कर निर्धारण की प्रवृत्ति में वृद्धि होना, बतौर उदाहरण जबकि ६१-६२ में असेसमेंट की संख्या ५४७८१ थी ६३-६४ में यह संख्या ७०६०० हो गई।

(३) सैल्स टैक्स में वृद्धि होना उदाहरणार्थ वर्ष ५६-५७ में जब कि आय २३६.१२ लाख थी वह ६४-६५ में ११६१.०६ लाख हो गई।

(४) **आबकारी** :

(१) बकाया दिखाई गई राशि में से ३६.४७ लाख की राशि तो गारन्टी की कमी से ही सम्बन्धित है क्योंकि गारन्टी निर्धारण उच्चतम विक्रय के आंकड़ों पर की गई एवं अनुज्ञाधारियों को उनकी मांग के अनुसार भारत सरकार द्वारा मदिरा के प्रदाय पर नियन्त्रण लगाने से पूर्ण मदिरा नहीं मिल सकी अतः राहत देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(श्री चन्दनमल बैद)

(२) बकाया २३ लाख की राशि में से ७ लाख रुपये की राशि राजस्थान निर्माण के पूर्व की है जिसमें से अधिकांश की वसूली प्रायः असम्भव है और अपलेखन की कार्यवाही चल रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, यह लम्बा चौड़ा जवाब दिया गया। बहुत कुछ राशि डिसप्यूट में पड़ी है। सरकार उसे वसूल नहीं कर पाती और फिर अदालतों में जाती है। यह करोड़ों की राशि है। इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल बैद : प्रायः शिकायत यह की जाती है कि पूरा जवाब नहीं दिया जाता अब आज मैंने पूरी मेहनत करके पूरा जवाब दिया तो उलाहना दिया जाता है कि लम्बा-चौड़ा हो गया। इसके लिये तो माफी चाहता हूं।

इसके अलावा जो राशि हाईकोर्ट में डिस्प्यूट में है उसके लिये मैं क्या कर सकता हूँ। न्याय पद्धति, कानून-कायदे है तो उसके लिये कुछ कहने में असमर्थ हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : वक्त पर वसूली की परवाह नहीं करने से ऐसा होता है। सरकार को पहले से सतर्क रहना चाहिये।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : एक्साइज़ की वसूली के....

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत से प्रश्न बाकी हैं। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५४०

श्री भीमसेन :

(अनुपस्थित—कृपयाआगे देखिये)

(श्रीमती गौरी पुनिया।)

बहुउद्देशीय उच्चतर विद्यालय की मांग

५४१. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति रीयां के क्षेत्र में बहु-उद्देशीय उच्चतर विद्यालय खोलने की मांग आई है ? यदि हां, तो मांग किस किस के द्वारा की गई ?

(२) इस पंचायत समिति क्षेत्र की सब से पुरानी माध्यमिक शाला कौनसी है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां, रीयां पंचायत समिति क्षेत्र में रीयां व आलनियावास की शालाओं को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रोन्नत करने के लिये रीयां सरपंच तथा आलनियावास के सेठ श्री रतनलाल कासलीवाल से मांग प्राप्त हुई है।

(२) राजकीय माध्यमिक शाला, थांवला।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले प्रश्न के जवाब में कहा है कि थांवला की तो मांग नहीं आई है ? पर मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहती हूं कि ५-७ साल से वे बराबर मांग-पत्र भेज रहे हैं और यह भी बता देना चाहती हूं कि जिला परिषद् और पंचायत समिति दोनों ने थांवला का नाम दिया है और उसका नाम

(श्रीमती गौरी पूनियां)

६१ से टोप प्रायोरिटी पर चल रहा है विभाग में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी जानकारी जहां तक है वहां तक तो रीयां और आलनियावास का ही नाम आ रहा है। अब जैसा आपने कहा है कि थांवला का भी है तो मैं कन्सीडर करूंगा और अगर उसका भी आ सका मामला तो।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इस ५४० का तो उतर दिला दिया जावे। बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय।

भीलवाड़ा में कुए खोदने के निमित्त अनुदान

५४३. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रामपुर पंचायत समिति क्षेत्र, भीलवाड़ा में समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने आदिवासियों को कुआ खोदने के लिये वर्ष १९५८ से १९६२ तक पांच पांच सौ रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उनमें से कई आदिवासियों को अनुदान की रकम पूरी नहीं दी गई यद्यपि उनके नाम पर रकम पूरी उठाली गई थी ? यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं और किस किस को अनुदान की राशि पूरी नहीं दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि इस कारण कई कुए अधूरे खुदे पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मन्त्री, समाज कल्याण विभाग (श्री अमृतलाल यादव) : (१) सन् ५८ से ६२ तक रामपुर पंचायत समिति को समाज कल्याण विभाग की ओर से ७००० रुपये सिंचाई के कुए खोदने हेतु हस्तान्तरित किये गये थे। इसमें से ३० व्यक्तियों को पंचायत समिति द्वारा ५९२५ रुपये स्वीकृत किये गये थे।

(२) जी नहीं।

(३) स्वीकृत ३० कुओं में से ४ कुए पूर्ण हुए, २५ अधूरे हैं और एक का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। अधूरे कुओं को पूरा कराने के लिए पंचायत समिति द्वारा तकाजा किया जा रहा है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन लोगों को पैसा दिया है उनमें किन किन पंचायतों को दिया है ?

श्री अमृतलाल यादव : ५०० रुपये की तो अधिकतम सीमा है। पूरे ५०० ही दिये जायें यह आवश्यक नहीं है और न ही उन्होंने इतना रुपया लिया। तो करीब ७ हजार रुपये दिये और ५९२५ रुपये खर्च किये और बाकी २ हजार के करीब हैं वह लैप्स नहीं हुए हैं। पंचायत समिति के अकाउन्ट में वह मौजूद हैं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : किन किन को क्या मिला ?

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा–सु०) : प्रश्न संख्या २ में आपने जी नहीं कहा है। तो जो रुपया दिया गया वह पूरा नहीं देकर १५० रुपये तक की राशि दी गई है और वेराना और मोरेन्दा के पटवारी और सर-पंच ने पूरी रकम नहीं दिलाई है और पूरा रुपया उनके नाम पर उठाया गया है, लेकिन १५० रुपया ही मिला है, तो क्या आप काश्तकारों से मिलकर जांच करवायेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : जो उनका पैसा बकाया था, पंचायत समिती के उनको नहीं देने का क्या कारण बताया ?

श्री अमृतलाल यादव : पंचायत समिति ने जितना रूपया मांगा उतना समाज कल्याण से हस्तान्तरित उनको कर दिया गया। अब उनका कहना यह है कि किसी पंचायत ने खर्च नहीं किया है, तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : यह रकम किस के वैरिफिकेशन से दी जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव : पंचायत समिति।

श्री हरलाल : इसके जानने वाले भी तो होंगे कि इसके नाम से ही रुपया मंजूर हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं पूरी जांच करवाऊंगा कि पूरा पैसा मिला या नहीं।

श्री देवीलाल : क्या माननीय सदस्य को भी साथ रखा जायेगा इस इन्क्वायरी में ?

श्री अमृतलाल यादव : मुझे एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

पटवार मण्डल पीलाधर में भूमि का एलॉटमेन्ट

५४४. श्री देवीलाल (सराड़ा–सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर–सलुम्बर सड़क के किनारे पटवार मण्डल पीलाधर में आराजी नं० ५६ में नीम के ३० पेड़, महुवे के पेड़, रेजड़े के पेड़ तथा पुराने खंडहर हैं और इस देपुरा मुकाम पर दिनांक १२–६–६५ को एलॉट कर दी गई है ? यदि हां, तो यह भूमि कितने बीघा है ?

(२) क्या एलॉटमेन्ट के वक्त सम्बन्धित पटवारी ने इस भूमि बाबत सारी रिपोर्ट एलॉटमेन्ट कमेटी को दी थी ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित पटवारी के विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई ?

उप–मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, इस खसरा नम्बर में से चार बीघा भूमि एलॉट की गई है।

(२) जी नहीं, सम्बन्धित पटवारी के विरुद्ध इस अनियमितता के बारे में विभागीय जांच की जा रही है।

श्री देवीलाल : क्या सरकारी बावड़ी खुदी हुई है उस जमीन में और सरकारी पुराने मकान खण्डहर हैं और नीम के और रेजड़े के पेड़ हैं उसको एलॉट किया गया है तो क्या सरकार विचार रखती है उसको खारिज कर दी जाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार ने पहले ही जो आरजी अलॉट की गई थी और जो नियमानुसार नहीं की जानी चाहिए थी उसको खारिज कर दी है।

श्री देवीलाल : क्या पटवारी ने एलॉटमेन्ट कमेटी को धोखा दिया है तो क्या सरकार पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करके उसको नौकरी से खारिज किया जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक भूमि के अनियमित तौर पर अलॉटमेन्ट का सवाल है वह कैंसिल कर दी है और जहां तक पटवारी द्वारा अनियमितता करने का प्रश्न है उसके खिलाफ हमने जांच शुरू कर दी है। और हम जरूर उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री देवीलाल : यह जांच कब तक हो जायेगी और कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्दी ही हो जायेगी।

प्रश्न संख्या ५४५

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री पोहूमल ईसरदास।

विद्यार्थियों से अधिक फीस की वसूली

५४६. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर सिटी-पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि अजमेर जिले के अन्तर्गत कुछ स्कूल व कॉलेज छात्रों से प्रवेश फीस ज्यादा लेते हैं और उनको रसीद डोनेशन की देते हैं ?

(२) अगर हां, तो उन स्कूलों, कॉलेजों की सूची दी जाये और यह भी बताने की कृपा करें कि उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(३) क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि ये जो स्कूल, कॉलेज छात्रों से अधिक फीस वसूल करते हैं उनका इन्दराज अपने एकाउन्ट बुक में करते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जो फीस ली जाती है वह नियमों के अन्तर्गत ली जाती है व प्रमाणित रजिस्टर में दर्ज की जाती है।

श्री पोहूमल ईसरदास : अध्यक्ष महोदय, कई स्कूलों में ऐसा पैसा लेते हैं; मेरे पास रसीद है और मैं मंत्री महोदय को दे सकता हूँ। क्या वह इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिल्कुल, अगर आप रसीद देंगे तो जांच जरूर करवायेंगे।

प्रश्न संख्या ५.२७

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

गन्ने के बीज का वितरण पंचायत समिति, इटावा

५३६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, इटावा (कोटा) द्वारा वर्ष ६४–६५ में गन्ने के बीज को कितने व्यक्तियों में वितरित किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि बीज के वितरण पर पंचायत समिति ने एक जांच समिति का निर्माण किया था ?

(३) क्या यह सही है कि जांच समिति ने बीज के खरीद व वितरण में ३० हजार रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

विकास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) २८२ व्यक्तियों को ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जांच समिति में सदस्य कौन कौन थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नाम, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस समय नहीं हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जांच समिति कब बनी और कब जांच की फिर इसके बारे में आपने कहा है कि समिति के सदस्यों के नाम नहीं मालूम तो फिर आपने कैसे कह दिया कि जांच समिति से कोई निर्णय नहीं निकला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच समिति की रिपोर्ट आ गई ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सदस्य कौन कौन हैं, यह जांच एक बी०डी०ओ० और प्रधान के खिलाफ है तो सरपंच उसकी जांच करेगा ? जिसमें ३० हजार का गबन का मामला है ।

कु० श्री महेन्द्रसिंह (गांवड़ी) (दीगोद) यह जांच समिति किसने बनाई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत ने बनाई है ।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : तो इस जांच समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कह दिया है कि नाम की सूचना अभी मेरे पास नहीं है ।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि वहां के बी०डी०ओ० का ट्रान्सफर इसीलिए किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या वह बी० डी० ओ०, जिसका ट्रांसफर कर दिया गया था पुनः, यहीं पर काम कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका ट्रांसफर कर दिया गया था लेकिन कैंसिल कर दिया गया । अब इसके लिए प्रशासनिक

(श्री दामोदरलाल व्यास)
कारण हो सकते हैं, दूसरे कारण हो सकते हैं। मगर मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि जांच समिति ने इस मामले में बिल्कुल साफ कह दिया है कि इसके अन्दर बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है। लेकिन पिछली बार जो हाउस में डिस्कशन हुआ था उससे मैंने खुद ने कलेक्टर को आदेश दे दिये हैं कि वे सारे कागजात अपने कब्जे में लेकर इन्क्वायरी करे और कलेक्टर की रिपोर्ट की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) (सदन में आते ही): रकम के गबन मामले में शिकायत है वह बी० डी० ओ० श्री रामनारायण के खिलाफ थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, उसी के खिलाफ है। इसलिए मैंने कलेक्टर को यह हिदायत दी है कि वह खुद इसकी जांच करे और जो जांच समिति है वह उसको बरी करती हुई आ गई है, तो भी मैंने कलेक्टर को कहा है कि वह सारे कागजों को कब्जे में लेकर खुद जांच करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या ऐसी स्थिति में जबकि शिकायत इस कन्सर्न्ड बी० डी० ओ० के खिलाफ है और जिस समय बी० डी० ओ० यहां नहीं था तो उस समय कार्यवाही हुई थी, और आप कह रहे हैं कि जांच समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि घोटाला नहीं है। और जब ऐसा गम्भीर आरोप है तो सरकार उचित नहीं समझती कि जब तक इन्कवायरी पूरी नहीं हो जाए उसको दूसरी जगह भेज दिया जाए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री दयाचंद सोन (बारां-सु०) : जिस समय बीज काश्तकारों को दिया था इसकी कीमत उसी समय फिक्स कर दी गई थी या मर्जी के माफिक कर दी थी।

श्री अध्यक्ष : जांच इसी की हो रही है।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : उस जांच समिति के सदस्यों की नामावली नहीं है तो आप कैसे मानते हैं कि जो रिपोर्ट आई है वह उस कमेटी की रिपोर्ट है और उससे सहमत हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उसी बी० डी० ओ० के खिलाफ केस है और उसी को आपने वहां पर रखा हुआ है...........

श्री अध्यक्ष : उससे उच्च अधिकारी जा कलेक्टर हैं जांच कर रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उसका ट्रांसफर कर दिया और फिर कैंसिल कर दिया गया और वह बरी हो जायेगा उसके बाद में उसका तबादला किया जायेगा, इससे क्या फायदा हुआ ?

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : जो जांच समिति ने रिपोर्ट दी है उसको क्या आप सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : जो बी० डी० ओ० है और जिसके खिलाफ शिकायत है उसके लिए तो जांच समिति ने लिख दिया है...........

श्री अध्यक्ष : वह तो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके बावजूद भी कलेक्टर से कहा है कि वह खुद जांच करें।

श्री लक्ष्मीचन्द : लेकिन वह काश्तकारों को दबा रहा है उसका ट्रांसफर क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : अगर आप ट्रांसफर पर जोर देंगे तो आपके प्रश्न का महत्व ही खत्म हो जायेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब वह वहां है तो फिर जांच कैसे हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : जांच तो बी० डी० ओ० से ही करनी है वह वहां रहेगा तो उसी समय उससे पूछ सकते हैं कि बोल भई तुझे क्या कहना है ?

(१२ मध्यान्ह)

कु० श्री महेन्द्रसिंह : कलेक्टर को जांच करने के आदेश कौनसी तारीख को हुए ?

प्रश्न संख्या ५३८

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५४०

श्री भीमसेन :

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५४२

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल !

(प्रश्न पूछने के लिए खड़े नहीं हुए)

प्रश्न संख्या ५४५ ।

श्री सांवलियाराम ;

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : अध्यक्ष महोदय । प्रश्न संख्या ५४२ लेलें ।

ग्राम पंचायत क्षेत्र सिकराय में आबादी भूमि

५४२. **श्रीलक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय के ग्राम पंचायत क्षेत्र सिकराय में आबादी भूमि की कमी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि कुछ कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय तहसील के सामने की भूमि की मांग की गई थी ?

(३) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य के लिए सरकार का क्या विचार है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, ।

(२) जी हां ।

(३) वांछित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी, दौसा के यहां चल रही है ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : ऐसा है कि आबादी भूमि की वहां कमी है । बरूंडी पंचायत को इस बारे में लिखा है और आप भी इस बात को मानते हैं कि आबादी भूमि की कमी है । वहां पर जो चाही भूमि है उसको आबादी में कन्वर्ट कर दी जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया है कि सिवाय चक की भूमि जो कुछ थी वह दे दी गई है । उसके अलावा सिवाय चक की जमीन नहीं है । दूसरे खातेदारों की जमीन है उसको कन्वर्ट करने के लिए जब तक लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत एक्वायर नहीं कर लें तब तक नहीं दे सकते हैं; तो उसकी वहां पर कार्यवाही चल रही है और कलेक्टर के पास सैंक्शन के लिए भेजा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है, और कुछ समय में सैन्क्शन होकर फाइनल हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : कब तक हो जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्दी से जल्दी इसका प्रयत्न करेंगे ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन—सु०) : माननीय अध्यक्ष, ५४५ को भी ले लें ।

श्री अध्यक्ष : ५४५ ।

आदर्श बस्ती, छबड़ा

५४५. श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) [श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले की छबड़ा पंचायत समिति में पचास मकानों की आदर्श बस्ती का निर्माण कब, कितने समय में और कितनी लागत में हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि इसके निर्माण में किसी अधिकारी व प्राइवेट पार्टियों ने ६६३२ रु० का हिसाब व २५७३ रु० के वाउचर पेश नहीं किए ?

(३) इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कितनी राशि का सामान खरीदा गया था और क्या यह सही है कि वह सामान गुम हो गया है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) कंजर कोलोनी के निर्माण हेतु कार्य अप्रेल, ५७ से ३०—६—६० तक हुआ है। जिसके निर्माण हेतु ४१०००) रु० मन्जूर हुआ था। जिसमें ३६४०५)२८ पैसे खर्च हुआ है।

(२) निर्माण कार्य हेतु ६७३१)७० एडवांस के रूप में दिए गए थे। जिसमें ४३२०)२५ के वाउचर नहीं मिले हैं। २५७३)४० के वाउचर पेश किए जा चुके हैं।

(३) इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ७६०३ रु० ३७ पैसे का सामान खरीदा गया था। कुछ सामान उसी समय कंजरों को बांटा गया था और कुछ सामान गुम है।

श्री श्रवणलाल : यह जो वाउचर नहीं मिले हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव : कारण क्या है ? कह दिया गया है कि नहीं दिये गये हैं तो वापिस दें। अधिकारी लगे हुए हैं। कंजर भाई हैं, कैसा क्या करते हैं, उनको बसाना है, उनके मकान बनाने के लिए कार्यवाही करने में दिक्कत होती है।

कुं. श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : वाउचर पार्टियों ने नहीं दिये हैं या आॅफिस में नहीं मिल रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : उनको दिये गये थे तो उनकी तरफ से हिसाब कम्प्लीट

Page No. 27

(श्री अमृतलाल यादव)

होकर नहीं आया तो तकाजा किया गया है जो वाउचर्स बाकी रह गये हों वह भिजवायें।

कुं० श्री महेन्द्रसिंह : आपने कहा कि नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब हैं कि गुम गये।

श्री अमृतलाल यादव : हमारे पास नहीं आये हैं, यह मतलब है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर जिले के शिक्षकों को बकाया

५२७. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले के शिक्षा विभाग के अधीन कितने अध्यापकों का कितना रुपया सरकार में बकाया निकलता है ?

(२) क्या उदयपुर जिले के सभी अध्यापकों का पे- फिक्सेशन कर दिया गया है ?

(३) बकाया रुपया कब तक अध्यापकों को दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) उदयपुर जिले के शिक्षा विभाग में अध्यापकों के बकाया रकम की स्थिति माह दिसम्बर, १९६३ तक निम्न प्रकार से थी:—

मामले बाकी थे २४४६	धनराशि	१,९४,५६४
मामले निपटाये २२६८	,,	१,७०,१०२
मामले शेष रहे १८१	,,	२४,४६२

(२) फिक्सेशन के मामलों की स्थिति माह जनवरी, १९६६ तक निम्न प्रकार से थी:—

कुल मामले थे आर. पी. एस. १९६१	२८००
कुल मामले निपटाये गये	२७८४
कुल मामले शेष रहे	१६

इन १६ मामलों में ५ मामले यू.पी.एस. ५० के, ५ मामले आर. पी. एस. ५६ के तथा ६ मामले आर. पी. एस. १९६१ के बाकी रहे हैं।

(३) बकाया रकम के भुगतान के लिये विभाग प्रयत्नशील है और शीघ्र ही इन मामलों को निपटाने की आशा है।

पंचायत समिति, छबड़ा के कार्यालय का निर्माण

५३७. श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, छबड़ा के कार्यालय भवन का निर्माण कब हुआ ? भवन हेतु कितनी धनराशि बजट में थी ?

(२) निर्माण विभागीय स्तर (डिपार्टमेन्टली) पर हुआ या ठेके पर ?

(३) भवन निर्माण कार्य शिड्यूल्ड रेट पर हुआ या कम अथवा अधिक में ?

(४) भवन निर्माण का काम कब पूरा हुआ व उसका पेमेन्ट कितना किया गया ?

Page No. 28

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(५) क्या यह सही है कि हाल ही में कार्यालय भवन की पुनः मरम्मत हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) कार्यालय भवन का निर्माण कार्य सन् १९६२ में शुरु होकर सन् १९६५ में पूरा हुआ। बजट में १८०००) रू० की रकम थी।

(२) निर्माण कार्य ठेके पर हुआ।

(३) शिड्यूल्ड रेट से अधिक में।

(४) सन् १९६५ में कुल भुगतान २४,००० रू० का हुआ।

(५) जी हां, छत में कहीं कहीं पानी टपकने व कहीं कहीं फर्श खराब होने के कारण।

ग्राम बावडी के अनुसूचित जाति के परिवारों को भूमि का आवंटन

५३८. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे:—

(१) क्या ग्राम बावडी, त० जयपुर के ६५ भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों ने जामडोली रावली बीड़ की भूमि के एलॉटमेंट हेतु कोई दरख्वास्तें दी हैं ? यदि हां, तो कब व उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बीड में किसी जागीरदार को खुदकाश्त के बतौर एलॉटमेन्ट किया गया, जहां अभी किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दो भट्टे (ईंट निर्माण) चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो एलॉटी व भट्टे चालक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त बीड में सन् ६१–६२ में जयपुर के किसी माफीदार को भी ५६ बीघा भूमि खुदकाश्त के लिये एलॉट की गई थी, जिसे उसने लेने से इन्कार कर दिया व हाल ही में उसने पुनः इसी भूमि के लिये फिर से उजरदारी पेश की है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत ने आपत्ति भी प्रस्तुत की एवं अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषकों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया व इन भूमिहीन परिवारों के लिए सरकार विशेष रूप से क्या सोच रही है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

वर्ष १९६६–६७ में स्कूलें

५४०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) सन् १९६६–६७ में कितनी प्राथमिक माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शालाएं नई खोली जा रही हैं तथा कितनी राजकीय उच्चतर स्कूलों में साइन्स, मैथेमेटिक्स अथवा कॉमर्स आदि अतिरिक्त विषयों में अध्यापन की व्यवस्था की जायेगी तथा कितने प्राइवेट स्कूलों में उपरोक्त अतिरिक्त

(श्री भीमसेन)

विषयों में अध्यापन की सुविधा प्रदान करने हेतु स्वीकृति देने का सरकार इरादा रखती है ?

(२) योजना एवं गैरयोजना दोनों तरह से उपरोक्त नई स्कूलें अथवा अतिरिक्त विषयों की अध्यापन की सुविधाएं किन किन शर्तों पर दी जा सकेंगी ?

(३) क्या जिन तहसील केन्द्रों पर स्थित राजकीय उच्चतर विद्यालयों में साइन्स, कॉमर्स आदि विषयों की सुविधाएं नहीं हैं, (मसलन लूणकरणसर, जिला बीकानेर) वहां पर अगले वर्ष से उक्त विषयों के अध्यापन की सुविधा देने में प्राथमिकता देने का सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) १९६६–६७ में २० प्राथमिक ५० माध्यमिक व १८ उच्च माध्यमिक शालाएं खोलने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त ५ उच्चत्तर माध्यमिक व ५ उच्च माध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय तथा कृषि विषय, ३ उच्चत्तर, २ उच्च माध्यमिक शालाओं में खोलने की व्यवस्था है ।

(२) राज्य सरकार की इकॉनोमी कमेटी ने नए विषय प्रारम्भ करने लिए निम्न माप दण्ड इस वर्ष निर्धारित किये है:—

विषय	कक्षा में न्यूनतम छात्र सं.
ह्युमेनिटीज़ में प्रत्येक वैकल्पिक विषय के लिए....	१०
विज्ञान ग्रुप	२०
वाणिज्य ग्रुप	२५
कृषि विज्ञान ग्रुप	२५
गृह विज्ञान ग्रुप	२५

माध्यमिक शाला से उच्च शाला के लिए माप दण्ड निम्न है—

शाला की कुल छात्र संख्या २०० होनी चाहिए, कक्षा ६ से ८ तक कम से कम ७४ छात्र हों तथा २० मील के क्षेत्र में ५ माध्यमिक शालाएं हों और २० मील की परिधि में कोई उच्च शाला न हो एवं कक्षा ९ की सम्भावित छात्र संख्या २५ हो ।

जिन तहसील केन्द्रों पर विज्ञान व वाणिज्य विषय नहीं हैं उनको प्राथमिकता देने का कोई नियम नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नोतर

स्वर्ण बॉण्डों की खरीद

१०९. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) अब तक की सूचना के अनुसार राजस्थान में कुल कितने रुपयों के स्वर्ण बॉण्ड जनता ने खरीदे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) राज्य सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है जिससे अधिक से अधिक स्वर्ण बांड खरीदे जायं ?

उत्तर

(१) चूंकि स्वर्ण बॉण्डों की बिक्री का कार्य केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है अतः

(श्री वित्त मंत्री)

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई विस्तृत सूचना नहीं है।

(२) इस स्कीम को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं:— १. भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रचलित की गई विज्ञप्ति संख्या एफ. ४ (२६) डब्ल्यू एण्ड ए। ६५ दिनांक १६–१०–६५ को राजस्थान राज्य पत्र के ११–११–६५ के अंक में जन साधारण की सूचना के लिए अंग्रेजी व हिन्दी में फिर से छपवाया गया।

२. सार्वजनिक सम्पर्क कार्यलय द्वारा इस स्कीम का आवश्यक प्रकाशन कराया गया।

३. प्रार्थना पत्र के दस हजार फॉर्म, जिन पर आवश्यक हिदायतें भी अंकित हैं, हिन्दी में छपवाये जाकर सम्बन्धित अधिकारियों को, जैसे जिला अधिकारी. जिला परिषदों के प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, अतिरिक्त विकास आयुक्त एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, वितरण व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये।

४. इस दृष्टि से कि गांवों में भी ज्यादा से ज्यादा सोना एकत्रित किया जा सके, बक ऑफ बीकानेर व जयपुर एवं स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया को हर जिले में उनकी आवश्यकतानुसार एक सप्ताह व इससे कम के लिए सरकारी गाड़ियां दी गईं और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मैन भी तैनात किये गये।

५. प्रकाशन के वास्ते भारत सरकार से प्राप्त १८ हजार रुपयों में से १००० रुपये इन गाड़ियों पर पैट्रोल खर्च वास्ते स्वीकृत किये गये व ८०००) के विज्ञापन प्रकाशित कराये गये।

ग्राम गीगला में नवीं कक्षा खोलने की व्यवस्था

११०. **श्री जौधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ग्राम गीगला, तहसील सलूम्बर में दस वर्षों से चल रहे मिडल स्कूल में ग्राम की आबादी और शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए नवीं कक्षा प्रारंभ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

इस विषय में निर्णय सारे राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जायेगा। यह चेष्टा की जा रही है कि हर पंचायत समिति में उचित मात्रा में एक एक शालाएं हों परन्तु आर्थाभाव के कारण अगले वर्ष केवल १८ उच्चत्तर माध्यमिक शालाएं खोली जा सकेंगी। निर्णय लेते समय ग्राम गीगला की प्रार्थना पर भी आवश्यक ध्यान दिया जावेगा।

पंचायत समिति, निवाई में स्कूल–भवन

१११. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, निवाई में कितनी पाठशालायें किस २ पंचायत क्षेत्र में चल

(श्री जयनारायण सालोदिया)

रही हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) कितने स्कूल भवन जनता द्वारा व समिति द्वारा बनाये गये हैं और उनमें से कितने भवन क्यों व कब से अधूरे पड़े हैं ?

उत्तर

(१) सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) ३० स्कूल भवन बनाये गये । १४ भवन १९६०–६१ से जन सहयोग के अभाव में अधूरे पड़े हुए हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एलॉट हुई भूमि, तहसील आमेट

११२. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा–सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला उदयपुर की आमेट तहसील में भूतपूर्व रेवेन्यू क्लर्क श्री रंगलाल के नाम व उनके ररिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम कुल कितनी भूमि है और उसमें से पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी भूमि वेची गई है ?

(२) क्या यह सही कि उक्त व्यक्ति के पुत्र के नाम कोई जमीन अलॉट हुई है ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

उत्तर

(१) श्री रंगलाल तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर ग्राम आमेट तथा भोपजी का खेड़ा में निम्न भूमि दर्ज है :

नाम व्यक्ति	रिश्तेदार	नाम	रकबा
१—श्री रंगलाल पिता फूलचन्द	खुद	गांव आमेट	५।।।)४
२—श्री फूलचन्द पिता केशरीमल	पिता	आमेट	२२।)२
३—श्री रंगलाल पिता फूलचन्द	खुद	भोपजी का खेड़ा	४६।)४
४—श्री रंगलाल पिता फूलचन्द	खुद	आमेट	।।।)२।।
५—श्री रंगलाल पिता फूलचन्द सर्वश्री चुन्नीलाल पिता चम्पालाल व हिस्सा बराबर	खुद	भोपजी का खेड़ा	३१।।)३।।
६—श्री रंगलाल, श्री कन्हैयालाल पिता फूलचंद और भाई फूलचन्द पिता केशरीमल	खुद	भोपजी का खेड़ा	१०)३ २ विस्वा कुवा
७—श्री कन्हैयालाल पिता आमेट फूलचन्द	भाई		५)
		कुल	१२५।।)१

३३।।) बीघा भूमि वेची गई ।

(श्री राजस्व मंत्री)

(२) जी, हां। १२॥।) बीघा भूमि गैर खातेदारी हक से एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा जुलाई, ६५ में आवंटन की गई। आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

बीकानेर से रामपुराबेरी तक अवरुद्ध सार्वजनिक मार्ग

११३. **श्री मोहरसिंह राठौड़** (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उत्तरी रेल्वे ने बीकानेर से लेकर रामपुराबेरी तक समस्त सार्वजनिक मार्ग, जो कि भू-राजस्व रिकार्ड में शुरू से दर्ज है और जनता के उपयोग में बराबर आते रहे हैं, जहां जहां रेल्वे लाइन को पार करते हैं, दोनों ओर लकड़ी और लोहे के टुकड़े रोप कर पशुओं, वाहनों और मनुष्यों के आवागमन को अवरुद्ध कर दिया है? इसके अलावा इन रुकावटों के दोनों ओर खाइयां भी खुदवा रखी हैं?

(२) सरकार ऐसे गैर-कानूनी रूप से सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब और क्या?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है कि बीकानेर तहसील के ग्राम गाढ़वाला, नापासर, सींथल, तेजरासर तथा बेलासर के ग्रामों के सार्वजनिक मार्ग जो रेल्वे लाइन को क्रॉस करते हैं, वे राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं—इनमें से रेल्वे द्वारा केवल ग्राम बेलासर व तेजरासर के रकबे में चलने वाले रेल्वे क्रॉसिंग के मार्गों पर खम्भे लगा कर रास्ते अवरुद्ध कर दिये हैं। और इनके पास खाइयां भी खुदवाई गई थीं, जो आंधी के कारण मिट चुकी हैं।

(२) यह रास्ता उत्तरी रेल्वे ने विभागीय आदेशों के अनुसार रोका है, जिसको खुलवा कर चौकीदारों वाले फाटक लगवाने के लिये रेल्वे अधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

(१२.०६ म. प.)

डीडवाने में घटित घटनाओं सम्बन्धी सरकारी वक्तव्य विषयक घोषणा

श्री अध्यक्ष : डीडवाने में हाल की घटित घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया जाने वाला था वह वक्तव्य आज जब सारी मांगों पर मतदान हो जायेगा उसके पश्चात् अपरान्ह में दिया जायेगा।

जनलेखा और प्राक्कलन समितियों की उम्मीदवारी से नामों की वापसी

जैसा की माननीय सदस्यों को विदित है कि जनलेखा समिति व प्राक्कलन समिति में जिन माननीय सदस्यों की नामजदगी हुई है अगर वे चाहें तो अपना नाम वापिस ले लें उसकी आखिरी मियाद आज रखी थी। अब जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि मतदान की तारीख ५ अप्रेल रखी गई है इसलिए यह सुझाव आया है कि नाम वापिस लेने की तिथि ४ अप्रेल को तीन बजे तक निर्धारित कर दी जाय। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य इससे सहमत हों तो समय बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया ।

(विराम)

पुरः स्थापित किये जाने वाला विधेयक ।

स्थगन प्रस्ताव विषयक

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन–प्रस्ताव था उसके बारे में आज मन्त्री महोदय वक्तव्य देने वाले थे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन कर चुका हूं कि मुझे पहले बता देते तो मैं मन्त्री महोदय से पूछ लेता ।

श्री अब्दुल जब्बार : मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था कि मन्डे को वक्तव्य देंगे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : मुझे आदेश मिला था कि जल्दी से जल्दी दे दें और आपने प्रश्न उठाया है सादड़ी का तो आदमी भेजा है । सादड़ी का मतलब प्रतापगढ़ और चित्तौड़ । वह सारे इलाके से है, वह आज शाम तक आ जायेगा सारी इन्क्वायरी करके तो कल या परसों तक दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) संशोधन, विधेयक, १९६६

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर अग्रेतर विचार ।

(१२.०८ म. प.)

मांग संख्या १५ व १३–
शिक्षा व विविध विभाग

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १९,२७,४५,००० तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

एक और विविध की मांग है, मांग संख्या १३।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६७,१०,००० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:––

मांग संख्या १५

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : १. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा व्यवस्था में राजनैतिकता पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहनराज (बाली) : २. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाये (ग्रामों में कार्य कर रहे अध्यापिकाओं के लिए विशेष भत्ता पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (महिला शिक्षण संस्थाओं को अधिक अनुदान देने पर चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान के इन्जीनियरिंग कॉलेजों में राजस्थान के विद्यार्थियों को भर्ती के समय प्राथमिकता न मिलने–यहां तक कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों व राज्य सरकार की छात्रवृत्ति से पढ़ने वाले छात्रों को भी भर्ती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १३

५. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन के कमरों में रोशनी की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

६. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तोल व माप की आयोजनाओं पर होने वाले अर्थहीन व्यय को रोकने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) :
७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १०० रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल द्वारा खेल कूद के लिए सहायता दिये जाने में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय

(श्री अब्दुल जब्बार)

(राजकीय गर्ल्स स्कूल, टोंक में फैली गड़-बड़ियां तथा अध्यापिकाओं के संघर्ष पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :
९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में होने वाली अनियमितता को रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

१०. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन जयपुर में नौकरों के साथ होने वाली ज्यादती को रोकने पर चर्चा के लिये)।

११. मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान भवन, दिल्ली पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने पर चर्चा के लिये)।

१२. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय निकायों में होने वाली अनियमितताओं को रोकने पर चर्चा के लिये)।

१३. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय बीमा योजना का पंचायत समिति के स्टाफ को लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य गैरेज में होने वाली अनियमितताओं को रोकने पर चर्चा के लिये)।

१६. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियां व जिला सेवा आयोग में होने वाली मनमानी को रोकने पर चर्चा के लिये)।

१७. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देवस्थान धर्मपुरा में होने वाली अनियमितताओं को रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :
१८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्त्री शिक्षा पर पूरा ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

१९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिये जाय (स्कूलों में राजस्थानी भाषा नहीं पढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

जाय (स्कूल लाइब्रेरियों में पुस्तकों की खरीद पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

२१. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्त्रियों के उपयोग के लिये बहुत कीमती गाड़ियों की खरीद पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल):

२२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर में कॉलेज खोलने पर चर्चा के लिये)।

२३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर तहसील के गांव रूण की मिडिल स्कूल को हायर सेकन्डरी में रेज करने पर चर्चा के लिये)।

२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले में कन्या सेकन्डरी स्कूलों के टीचर्स की योग्यता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिये जाय (जायल सेकन्डरी स्कूल में होस्टल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर हायर सेकन्डरी स्कूल में साइन्स की सीटें बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):

२७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा कॉलिज में वाणिज्य विभाग व रसायनिक विभाग की कार्य शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

२८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी पाठशालाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):

२९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द की उच्चतर माध्यमिक शाला में साइन्स क्लास खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

३०. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्दिरों को समय पर मुआवजा न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा):

३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

क्षेत्र में बरती जाने वाली उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च एवं उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं अविलम्ब खोले जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) :

३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, इस पर चर्चा के लिये) ।

३४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रत्येक हाई स्कूल में साधारण विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य करने हेतु, इस पर चर्चा के लिये) ।

३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा लागू करने की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) :

३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मिडिल व हायर सेकन्ड्री स्कूलें खोलते समय पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये) ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) :

३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (क्षेत्रीय भावना से माध्यमिक स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्कूलों की कमी पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर–पु०)

३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (S.T.C. स्कूल डूंगरपुर में प्रवेश दिलाने में विभाग द्वारा पक्षपात करने पर चर्चा के लिये) ।

४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माध्यमिक शाला कनवा को हायर सेकन्डरी में परिवर्तन पर चर्चा के लिये) ।

४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माड़ा प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक स्कूल में परिवर्तन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) :

४२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (सरकार की अलवर जिले के प्रति शिक्षा संबंधी उपेक्षा पर चर्चा के लिए) ।

४३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (अलवर जिले के स्कूलों में स्टाफ के अभाव पर चर्चा के लिए) ।

(कुमारी उमा माथुर)

मांग संख्या १३

४४. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६– विविध विभाग में से १००) कम कर दिया जाय (मन्दिरों के इन्तजाम की व्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

डा० पोहूमल ईसरदास (अजमेर–पश्चिम):

४५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलने पर चर्चा के लिए) ।

४६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त विद्यालयों को अपूर्ण अनुदान देने पर चर्चा के लिए) ।

४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (शिक्षा संचालक का ऑफिस बीकानेर में होने से जनता की असुविधाओं पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १३

४९. मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६– विविध विभाग में से १००) कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में गेंहू और चावल न देने पर चर्चा के लिए) ।

५०. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) कम कर दिया जाय (अनाज की सप्लाई पूरी न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री चौतरसिंह बाबेल (बेंगू) :

५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (शिक्षा का स्तर काफी खर्चा करने पर भी गिर रहा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

५२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में पक्षपात बढ़ रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

५३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (बेंगू में स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, इस पर चर्चा के लिए) ।

५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (बेंगू में कन्या शाला सराय में है जिससे मुसाफिर को ठहरने में काफी कठिनाई हो रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

५५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए) ।

Page No. 39

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (लाखेरी को पुनः व देई में हाई सेकन्डरी स्कूल बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

५७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (लाखेरी में आर. टी. आई. का सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

५८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (लाखेरी गर्ल्स हाई स्कूल व छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

५९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (समाज शिक्षा विभाग में पुस्तकों की खरीद में किये गये घोटाले पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १३

६०. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००)रु. कम कर दिया जाय (अल्प बचत योजना के अन्तर्गत प्रदर्शनियों व अल्प बचत के नाम पर मनमाना खर्चा करने से रोकने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए) ।

६१. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६ –विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभागीय गाड़ियों का साधारण और जीर्णोद्वार तथा उनके हिस्से के क्रय की रकम कम करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) :

६२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक२८–शिक्षा में से १०० रु० कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों व शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिए) ।

६३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति द्वारा चलाये गए पाठशालाओं की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रु० कम कर दिया जाय (माध्यमिक शाला की कमी के कारण ग्रामीण विद्यार्थियों की कठिनाई की चर्चा के लिए) ।

६५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पिड़ावा हायर सेकन्ड्री पाठशाला में फर्नीचर की कमी पर चर्चा के लिए) ।

६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झालावाड़ में कन्या हाई स्कूल को हायर सेकन्ड्री स्कूल बनाने हेतु चर्चा के लिए) ।

६७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दिवलखेड़ा, कड़ोदिया, सलोतिया, सांगरिया व धरोनिया पंचायत समिति पिड़ावा में प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला बनाये जाने पर चर्चा के लिए)।

(श्री गोविन्दसिंह)

६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कन्या माध्यमिक शाला झालरापाटन को हायर सेकन्डरी पाठशाला बनाये जाने पर चर्चा के लिए) ।

६९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय उच्चत्तर कन्या पाठशाला झालावाड़ में कन्याओं के लिए बस का प्रबन्ध किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माध्यमिक शाला (कन्या) भवानी मण्डी को उच्चत्तर शाला बनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

७१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के तमाम उच्चतर पाठशालाओं में विज्ञान विषय प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

७२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए रायपुर माध्यमिक शाला को उच्चत्तर शाला बनाया जाने पर चर्चा के लिये) ।

७३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाठशालाओं में अध्यापकों द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये) ।

७४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं के अनुपात में माध्यमिक शाला न होने पर चर्चा के लिये)।

७५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सन् ४८ के पूर्व के माध्यमिक शालाओं में विद्यार्थियों की अधिक संख्या हो जाने पर भी विभाग द्वारा अधिक शाला नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये) ।

७६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग से पंचायत समितियों में आये हुए अध्यापकों में शिक्षा विभाग में वापस न लिए जाने पर अध्यापकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १३

७७. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झालरापाटन के द्वारकाधीश एवं नवनीत प्रियाजी के मंदिर के पुजारियों को कम वेतन दिए जाने पर चर्चा लिये) ।

७८. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पूल की जीपों की उपयोगिता में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

७९. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—विविध विभाग में से १००)रु. कम कर दिया जाय (झालरापाटन में राज्य सरकार द्वारा अनाज लेने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(श्री गोविन्दसिंह)

८०. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अनाज को रिजेक्ट करने के कारण इस प्रकार के अनाज को बेचने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

८१. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनाज की खरीद के तहसील हैड क्वार्टर्स पर राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था न होने पर काश्तकारों की कठिनाइयां व नुक़सान पर चर्चा के लिये) ।

८२. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पूल की जीपों का अधिकारियों द्वारा मार्ग पर काम लेने से फिजूल खर्च, पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) :

८३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के स्तर में गिरावट पर चर्चा के लिये) ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.)

८४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा सिटी में बालिका विद्यालयों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

८५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के प्रति शिक्षकों की उदासीनता से छात्रों के चरित्र निर्माण व अनुशासनहीनता की कमी पर चर्चा के लिये) ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०)

८६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा संबंधी पुस्तकें हमेशा देर से मिलने से शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

८७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की नियुक्तियों में विभाग द्वारा मनमानी करने पर चर्चा के लिये) ।

८८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छात्रवृत्ति देने में विभाग की व्यवस्था में सुधार करने पर चर्चा के लिये) ।

८९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (S. T. C. ट्रेनिंग किये हुए अध्यापकों को नियुक्ति करने पर पक्षपात किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

९०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (१२।। प्रतिशत रिजर्वेशन की राज्य सरकार की आज्ञानुसार करौली शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

९१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों के ग्रेड इंक्रीमेंट व एरियर

(श्री श्रवणलाल)

चुकाने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रभूलाल सेंटर (खानपुर) :

९२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण और शहरी जनता के छात्रों के साथ भेदभाव बरतने से होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

९३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्कूलों में अनुशासन, कृषि, लड़कियों के लिये विशेष ध्यान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) :

९४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण और शहरी जनता के छात्रों के साथ भेद भाव का बरताव करने से होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :

९५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा लागू करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

९६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाठ्य–क्रम की पुस्तकें उपलब्ध करने में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

९७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हरेक हाई स्कूल में साधारण विज्ञान एवं कृषि विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य करने पर चर्चा के लिये)।

९८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००(रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों को माध्यमिक स्तर में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

९९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले में सैनिक स्कूल खुलवाये जाने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

१००. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षा के प्रसार करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

१०१. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नगरपालिका द्वारा कानून एवं सरकारी निर्देशनों की अवहेलना को रोकने में संचालक, स्थानीय निकाय की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) :

१०२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा ट्रेन्ड शिक्षकों को नौकरी न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.) :

१०३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिकराय में कॉलेज खोला जाने पर चर्चा के लिये) :

मांग संख्या १३

१०४. मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय निकायों के फालतू खर्चे पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्री तेजराम गहलोत (सोजत) :

१०५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की माध्यमिक शालाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये).।

१०६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की चंडावल माध्यमिक शाला भवन जो कि सरकारी सहायता व जन–सहयोग से बनाया गया, के कमरों पर चन्द व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार की आज्ञा नं० एफ १ (५७) (सी० ए०) ए ५७, दिनांक ५–११–५७ विरुद्ध लिख दिये जाने एवं उनको आज तक न हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

१०७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सोजत नगर में राजकीय बहुउद्देश्यी उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्रों के लिये राजकीय छात्रावास न होने से छात्रों की रहवास की तकलीफ पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १३

१०८. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में वर्ष १९६५–६६ में इकट्ठे किये हुए देशी गेहूं की सोजत रोड गोदाम में खराबी व उसे समय पर न बांटने से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये) ।

१०९. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में नागरिक रसद विभाग द्वारा नियुक्त दुकानदारों को १९६३ तक का लेवी कमीशन व राशनिंग की रकम का भुगतान न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

११०. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सोजत नगरपालिका द्वारा नगरपालिका की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने पर प्रशासनिक ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्री जुझारसिंह (चेचट) :

१११. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कमियों पर चर्चा के लिये) ।

११२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिये जाय (गुरुकुल बकानी, जिला झालावाड़ को उचित सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

Page No. 44

कंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) :

११३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़):

११४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक कन्याशाला बस्सी को माध्यमिक कन्या शाला बनाने पर चर्चा के लिए) ।

११५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूल बस्सी, जिला चितौड़-गढ़ की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) :

११६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के संबंध में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर पुर्णतया ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मानसिंह महार (आमेर):

११७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग की अत्याधिक निष्क्रि-यता पर चर्चा के लिये) ।

११८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर)

११९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों का माकूल इन्तजाम न होने से शिक्षा के प्रसार में कमी रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री अमरसिंह (दूदू) :

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर):

१२०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नादिरजी के मन्दिर में अन्धे व्यक्तियों को सहायक अध्यापक के स्थान पर नियुक्ति करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

१२१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापकों को मिडिल पास होने पर हाई स्कूल की ग्रेड देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री अमरसिंह (दूदू):

१२२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १०२) रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा–प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

१२३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली):

१२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया

Page No. 45

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

जाय (स्कूलों के खोले जाने में किये जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

१२५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विद्यालयों के शिक्षा स्तर की गिरावट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

१२६. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नई गाड़ियों की खरीद के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

१२७. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Urban Community Development Project शुरू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

१२८. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान हाउस, दिल्ली के सदुपयोग पर (by opening a Liasion office) चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

१२९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्कूल खोले जाने में किये जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

१३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हिन्दी के विकास के लिये कम धन-राशि रखने पर चर्चा के लिये)।

१३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं को मिलने वाले अंशदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

१३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विद्यालयों के शिक्षा स्तर की गिरावट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

१३३. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नई गाड़ियों की खरीद के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

१३४. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Urban Community Development Project शुरू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

१३५. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान हाउस दिल्ली के सदुपयोग पर (by opening a Liasion Office there) चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा):

१३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री जोरसिंह चौहान)

जाय (हिन्दी के विकास के लिये कम धन राशि रखने पर चर्चा के लिये) ।

१३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं को मिलने वाली सरकारी एड के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

१३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी विद्यालयों में शिक्षा स्तर गिर रहा है उसको ठीक करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १३

१३९. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (Urban Community Development Project शुरू नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्री नाथूराम (बागीड़ोरा) :—

१४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाडा जिले में पंचायत समिति भूखिया में हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल मीणा (सराडा–सु.)

१४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के गांव झाड़ोल में हायर सैकन्ड्री स्कूल खुलाने पर चर्चा के लिये)।

१४२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा टोकर गांव में माध्यमिक शाला खुलाने के लिये अनुदान हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली) :

१४३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (फौजी भाइयों के बालकों की समुचित शिक्षा का प्रबन्ध कराने हेतु विभाग का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री जयलाल (डग) :

१४४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रू० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के अध्यापकों के फिक्शेसन में की जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

१४५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रू० कम कर दिया जाय (उनियारा हाई स्कूल में कार्य-शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री दयानन्द सोन (बारां–सु.) :—

१४६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रू० कम कर दिया जाय (बारां में कॉलेज न होने से गरीब छात्रों की शिक्षा की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) :

१४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर

(श्रीमती सुमित्रा)

दिया जाय (गाँवों के हाई स्कूलों में साइन्स की कक्षायें खोलने पर चर्चा के लिये)।

१४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के निरन्तर गिरते हुए स्तर पर चर्चा के लिये)।

१४९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रूपया कम कर दिया जाय (महिला शिक्षा के क्षेत्र में आनेवाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

१५०. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६– विविध विभाग में से १००) रू० कम कर दिया जाय (बगड़ म्यूनिसिपेलिटी के वाइस-चेयरमेन द्वारा की गई अनियमितताओं पर संचालक, स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (विलाड़ा) :

१५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले की पाठशालाओं में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

१५२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के निरन्तर गिरते हुये स्तर पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

१५३. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६– विविध विभाग में से १००) रू० कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय बचत संगठन संबंधी फिजूल खर्च पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

१५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग की कार्य शिथिलता के कारण अध्यापकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

१५५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

श्री जीवराजसिंह (गुढा) :

१५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला झुंझुनू में बड़ागांव, उदयपुर में माध्यमिक कन्या पाठशाला खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) :

१५७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में शिक्षा की ओर राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरवड़ (परताबसर) :

१५८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री जेठमल बरवड़)

दिया जाय (मकराना प्राइमरी कन्या पाठशाला को मिडिल स्कूल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (सादूलपुर) :

१५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिन चूरू जिले के गांवों में भवन तैयार हैं वहां माध्यमिक शाला तथा उच्चतर माध्यमिक शाला खोलने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

१६०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं सेकन्डरी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) :

१६१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर यिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १३

१६२. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निकायों के प्रशासन में शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) :

१६३. मांग संख्या १५, मुख्यशीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के स्थानान्तरण में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़)

१६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा स्तर के गिरावट पर चर्चा के लिये)।

श्री दलपतसिंह (आबू) :

१६५. मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री मोहरसिंह (चूरू) :

१६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू में छात्रावास स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१६७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू में कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बागला उच्चतर स्कूल चूरू की कक्षाओं के पंखों पर चर्चा के लिए)।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) :

१६९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

जाय (शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति तथा नियुक्तियों में की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा–मु०) :

१७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डिवीजन उदयपुर में आदिवासियों के पढ़ने वालों छात्रों को शिक्षा अध्ययन के लिये समय पर मदद नहीं, पर चर्चा के लिए) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

१७१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय हाईस्कूल, नापासर में साइंस, बायलोजी लेबोरेट्री के लिए जन सहयोग की राशि २५००) रु० सन् १९६१–६२ में जमा कराने पर भी व्यवस्था नहीं की गई है, पर चर्चा के लिए) ।

१७२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय हाईस्कूल, भादरा, जिला गंगानगर को Higher Secondary स्तर तक up grade करके साइंस बायलोजी के अध्यापन की व्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

श्री माथूलाल करोल (चाकसू) :

१७३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील, चाकसू, जिला जयपुर में ग्राम कादेड़ा, तितरिट्ठमली का वास में Higher Secondary न खोलने पर चर्चा के लिए) ।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) :

१७४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आदिवासी जन संख्या वाले क्षेत्रों में राजस्थान सरकार द्वारा रुपया जनता से लेकर माध्यमिक विद्यालय, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय व कॉलेज खोलने की शर्तों को दूर के बिना रुपया आवश्यकतानुसार शिक्षण संस्थायें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

१७५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आदिवासी व अन्य वर्गों के पिछड़े क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूल, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय व कालेज Rational basis पर नहीं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

१७६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया (कस्बा राजगढ़, जिला अलवर में जनता की कई वर्षों की मांग होने पर भी सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज खोले जाने की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

१७७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रु० कम कर दिया जाय (उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय रैनी, जिला अलवर जो आदिवासी बहुजन संख्या वाला क्षेत्र में एक ही विद्यालय है उसमें अब तक सरकार द्वार विज्ञान का विषय नहीं खोलने पर चर्चा के लिए) ।

१७८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजगढ़ कस्बा जिला अलवर में कन्या माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

(श्री हरिकिशन)

१७९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आदिवासी व अनुसूचित जाति के पिछड़े हुए क्षेत्रों में अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा प्रसार के लिए प्राथमिकता नहीं देकर उदासीनता दिखाने पर चर्चा के लिए)।

श्री जगनसिंह (दांतारामगढ़):
१८०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए विशेष भत्ता न देने व तनख्वाह समय पर न देने पर चर्चा के लिए)।

१८१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण में विभाग द्वारा मनमानी करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १३

श्री मालमसिंह (भीनमाल):

१८२. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय निकायों के सहायक संचालक के पद को हटाने पर चर्चा के लिए)।

श्री हरिराम घारू (सिवाना–सु०) :

१८३. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में १००) रु० कम कर दिया जाय (संचालक स्थानीय निकाय का म्यूनिसिपेलटियों में अव्यवस्थाओं पर नियंत्रण नहीं रखने पर चर्चा के लिये)।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के सम्बन्ध में मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन करता हूं कि शिक्षा का प्रसार, यह मैं मानकर चलता हूं कि एक द्रुत गति से, एक रेपिड पेस से हो रहा है। सन् १९५१–५२ में २१६ लाख रुपया इस महत्वपूर्ण विषय पर खर्च किया गया और अब १९६६–६७ में १९२७ लाख का प्रावधान रखा गया है, अर्थात् इन १५ वर्षों के अन्दर शिक्षा का व्यय नौ गुना बढ़ा दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार को बधाई दूंगा। किन्तु उसके साथ–साथ यह निवेदन अवश्य करूंगा कि जिस प्रोपोर्शन से, जिस अनुपात से, खर्च बढ़ा है उसी अनुपात से मेरी समझ में शिक्षा का गुण, शिक्षा की क्वालिटी नहीं बढ़ पाई है। यह निर्विवादित बात है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं है, शिक्षा का स्तर घटा है। किन्तु मैं यह मानने को तैयार हूं कि इतने रेपिड पेस से, इतनी द्रुत गति से आप शिक्षा का प्रसार करते हैं तो मेरे ख्याल से ऐफिशियेन्सी के सम्बन्ध में और क्वालिटी के सम्बन्ध में कुछ कमी होना स्वाभाविक है।

अब जो कुछ भी सरकार ने इस संबंध में प्रसार के रूप में कार्य किया है उसको सुदृढ़ता के साथ क्वालिटी के रूप में, उसके गुण के रूप में वृद्धि की जाय तो मेरे ख्याल में सोने में सुगन्ध होगी। यूनिवर्सिटीज़ के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी हैं वे मुख्यत: राज्य के वैभव की सूचक हैं। सन् १९५२ में हमारे राज्य में एक भी यूनि-

Page No. 51

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

र्वसिटी नहीं थी, आज तीन यूनिवर्सिटी हैं। अब सरकार यह विचार कर रही है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खोली जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे ख्याल में संस्कृत यूनिवर्सिटी एक अलग खोली जावे यह आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित नहीं होगा। यह मेरे ख्याल में एक अनुचित लक्जरी, एक अनुचित वैभव का द्योतक होगा, जोकि, संस्कृत के महत्व को मैं कम नहीं करना चाहता, साथ ही यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर संस्कृत यूनिवर्सिटी जुदा नहीं खोलेंगे और जयपुर की यूनिवर्सिटी के साथ ही कोई व्यवस्था कर पायेंगे तो ज्यादा उचित होगा। जयपुर एक शिक्षा की पीठ रही है और ज्योतिष के शोधन के सम्बन्ध में सैकड़ों वर्षों से मेरे ख्याल में जयपुर को राजस्थान की यदि एक छोटी काशी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसलिये मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि संस्कृत की कोई व्यवस्था की जाय तो उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ अगर कोई मिली–जुली व्यवस्था की जा सके तो आपका लक्ष्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा और यह व्यवस्था इकोनोमिक भी होगी।

जहां तक कॉलेजेज़ के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ में अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। प्रतापगढ़ में सन् १९२४ से हाई स्कूल स्थापित है। डूंगरपुर में सन् १९२६ में हाई स्कूल स्थापित हुई और बांसवाड़ा में सन् १९३९ में हाई स्कूल हुई और बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जगह कॉलेजेज़ हो गए लेकिन प्रतापगढ़ में अभी तक कॉलेज नहीं हुआ। कुल कॉलेजेज़ की संख्या, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ११० है उसमें से ५६ कॉलेजेज़ कला और विज्ञान के शिक्षण देते हैं। कला और विज्ञान के शिक्षण के सम्बन्ध में कॉलेजेज़ की जो संख्या है उसके सम्बन्ध में निवेदन करते हुए यदि मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूं कि यह जो ५६ का फीगर है, ५६ का आंकड़ा है, मेरे ख्याल में कुछ मनहूस आंकड़ा है, आप इसको बढ़ा कर ५७ कर दें और प्रतापगढ़ में यदि आप कॉलेज स्थापित कर दें तो वहां की एक आवश्यक मांग की पूर्ति आप अवश्यमेव करेंगे। इन ११० कॉलेजेज़ में ५६ कला और विज्ञान के कॉलेजेज़ हैं, तीन व्यवसायी, प्रोफेशनल एजूकेशन से सम्बन्धित कॉलेजेज़ हैं, २० संस्कृत कॉलेजेज़ हैं और चार अन्य प्रकार की विविध शिक्षा देने वाली संस्थाएं हैं। मैं यह भी मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि चितौड़ में कॉलेज हो गया, भीलवाड़ा में कॉलेज हो गया, बूंदी में कॉलेज है, धौलपुर में कॉलेज है, बांसवाड़ा और सिरोही में कॉलेजेज़ हैं, डूंगरपुर में कॉलेज है। तो ऐसी स्थिति में प्रतापगढ़ में कॉलिज नहीं होना मेरे ख्याल में एक बड़ी बुरी बात है, एक बड़ी भारी कमी है। विलिनीकरण के समय भी सब भूतपूर्व राज्यों के भूतपूर्व नरेशों को सरदार पटेल ने यह आश्वासन भी दिया था, गो कि यह बहुत पुरानी बात हो गयी, कि बैटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह विलिनीकरण मुख्यतः किया गया है। तो अगर आप शासन व्यवस्था और लोगों को सुविधाजनक शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल में यह अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में प्रतापगढ़ एक ऐसी भूतपूर्व राज्य की राजधानी है कि जिसको आप सौतेला व्यवहार दे रहे हैं। तो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप प्रतापगढ़ को कॉलेज दें। जहां तक मैंने सुना है, प्रतापगढ़ में थोड़े ही समय पूर्व मुख्य मंत्रीजी गए थे और उन्होंने वहां यह आश्वासन भी दिया है कि प्रतापगढ़ में कॉलेज अवश्य खोला जाएगा और इस आश्वासन के फलस्वरूप वहां के लोगों ने एक लाख रुपया इकट्ठा करके सुरक्षित रूप से रखा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में केटेगोरिकली जवाब चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में आप कॉलेज इस वर्ष जुलाई में खोलेंगे या नहीं। मेरे ख्याल से यह मितव्ययता का प्रश्न नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतापगढ़ को आप अगर प्राथमिकता देंगे तो मेरे ख्याल में यह प्रतापगढ़ निवानियों की बर्निंग ग्रिवेसेज़ को, उनकी शिकायत को आप हल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी समझता हूं कि आज की शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत मंहगी है। उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सत्तरह वर्ष से ऊपर के छात्र और छात्रायें केवल दस प्रतिशत ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसी तरह १४ और १७ वर्ष की एज ग्रुप के छात्र और छात्रायें केवल २२ प्रतिशत ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानि शिक्षा का लाभ जितना शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित है उतना नहीं मिल पाता है और इस सम्बन्ध में मेरा यह स्पष्टतया विश्वास है कि बहुत से लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था इतनी मंहगी हो चुकी है कि आर्थिक दृष्टि से वह अफोर्ड नहीं कर सकते, यह उनके बूते के बाहर है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि यथा–सम्भव आप शिक्षा व्यवस्था को सस्ती करने की कोशिश करें, आप टैक्स्ट बुक की कीमत को घटाने की कोशिश करें और आपके यह कोटा, परमिट, लाइसेंस राज्य के अन्दर जहां भी देखें वहां पर कालाबाजारी है। तो शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र के अन्दर टैक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों में भी काला बाजारी नजर आती है। मेरे ख्याल में यह एक बड़े शर्म की बात है, बड़ी भद्दी और बुरी बात है। सरकार को चाहिये कि पर्याप्त रूप में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करें और सस्ती करें और आपको यह भी चाहिये कि बार बार कोर्स में परिवर्तन न करें। एक कोर्स को कायम करके एक कोर्स के ऊपर चलें। ऐसे भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, हमारे मेयो कॉलेज के अन्दर जहां बाप ने पाठ्य पुस्तकें काम में लीं वही पुस्तकें बेटे के काम में आईं। यह आज के जमाने में तो नहीं हो सकता कि आप एक पुस्तक को लेकर ही स्टेटिक हो जायं, एक ही पाठ्यक्रम लेकर बैठ जायं लेकिन आप दो दो, तीन–तीन वर्ष के अन्दर जो परिवर्तन करते हैं पाठ्य पुस्तकों के अन्दर, यह बड़ी बुरी बात है, इसका मैं विरोध करता हूं और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह ऐसा न करे।

जहां तक डूंगरपुर कॉलेज का संबंध है वहां पर विज्ञानशाला गत वर्ष खोली गई है। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं, सरकार को धन्यवाद प्रेषित करते हुए यह निवेदन करता हूं कि पहले इस कॉलेज की व्यवस्था, गौशाला है वहां पर, उसके अन्दर थी। उस गौशाला के अन्दर पंचायत समिति का कार्यालय था, उसी गौशाला के अन्दर जिला परिषद का कार्यालय था। अभी यह व्यवस्था वहां जो अधूरा कॉलेज

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भवन बना है वहां शिक्षण की व्यवस्था होने लग गई है, यह ठीक है, किन्तु जिस हद तक बायोलॉजी और केमिस्ट्री का प्रश्न है वहां इन दो विषयों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। बाहर से प्रोफेसर्स इन दो विषयों को पढ़ाने के लिए आए और आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे आकर के और पन्द्रह दिन डूंगरपुर में रहे और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे एक वर्ष के कोर्स को पन्द्रह दिन के अन्दर पढ़ाकर वे वापस रिटर्न भी हो गए। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह तो एक मेरे ख्याल से मखौल सा है। इससे तो ठीक होता, इन प्रोफेसर्स को वहां पर नहीं बुलाया जाता, न ये विषय खोले जाते। आप यदि विषय को खोलें कहीं भी तो सोच समझ कर व्यवस्था सुचारू ढंग से करें और लड़कों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलावड़ नहीं करें। जहां तक लेबोरेटरी या प्रयोगशाला का प्रश्न है, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को प्रयोगशाला जल्दी स्थापित करने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय मैं समझता हूँ जो काफी महत्व का विषय है वह हायर सेकन्डरी और हाई स्कूल की परीक्षा के संबंध में इस बारे में, जो गड़बड़ी है, सरकार नहीं निर्णय ले पाती, इस संबंध में मैं कहने की चेष्टा करूंगा। यदि सरकार हायर सेकन्डरी स्कूल रखना चाहती है, उच्चतर माध्यमिक शाला को ठीक समझती है, तो फिर इस शिक्षा की प्रगति के लिए सारे राजस्थान में एकसी व्यवस्था कर दें। यदि यह कोई कारणवश सरकार ठीक नहीं समझती तो हाईस्कूल के संबंध में, माध्यमिक शाला के संबंध में एक यूनिफार्म पॉलिसी, एकसी नीति बरतें, तो ठीक होगा। जहां दोनों व्यवस्थाएं समानान्तर रूप से, पेरेलल रूप से राजस्थान में चल रही हैं उससे छात्रों में और अध्यापकों तक में बड़ी गड़बड़ी है, कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न को मेरे ख्याल से दूर करना आपके लिए परम आवश्यक है। इस कन्फ्यूज़न से विद्यार्थियों के ऊपर भी बड़ा भारी वजन पड़ता है और मैंने यह भी सुना है कि एक ही कक्षा के अन्दर दोनों कोर्स साथ-साथ पढ़ाये जाते हैं। अब यह कैसे हो सकता है यह भी मेरी समझ के बाहर है। हायर सेकन्डरी का कोर्स चल रहा है और हाई–स्कूल का कोर्स भी चल रहा है एक ही कक्षा में समानान्तर रूप से ऐसा यदि है किसी जगह तो बंद करना चाहिए। कहां तक यह सही है, डूंगरपुर हायर सेकन्डरी स्कूल का उदाहरण आपको सामने मिलेगा। इस तरह की फॉल्स पब्लिसिटी ऑफ एज्यूकेशन के नाम से कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। इस दुर्व्यवस्था को दूर करिये। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, यह पॉलिसी से संबद्ध है। इस सम्बन्ध में क्यों नहीं निर्णय लेते, दोनों हायर सेकन्डरी और हाई स्कूल साथ नहीं चलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, कॉलेज में प्रवेश करने की सुविधा के लिए मेरा यह निवेदन है कि आप आयु १५ वर्ष पर नियत करिये। मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र मेरे ख्याल से १५ वर्ष की आयु में कॉलेज में प्रवेश करेंगे तो इसमें समाज का कोई हर्ज नहीं है मेरा दृढ़ विश्वास है १८ वर्ष की आयु में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्नातक बन जायेंगे ग्रेज्युएट बन सकेंगे और इसके पश्चात् की शिक्षा प्रशासनिक हो, चाहे सैनिक हो चाहे तैक्निकि हो, प्राप्त कर सकेंगे। मैं इस संबंध में यह भी निवेदन कर देना चाहूँगा कि जो शीत देश हैं उनका मुकाबला भारत जो हॉट देश है उससे नहीं हो सकता। हॉट कंट्री, भारत जैसे देश में मेरे ख्याल से मस्तिष्क का विकास और शरीर का विकास इतना धीरे नहीं हो सकता जितना शीत देशों में होता है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा यदि १५ वर्ष की आयु कॉलेज में प्रवेश करने के लिए सरकार नियत करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि इससे समाज के लिए एक सुव्यवस्था और न्यायोचित व्यवस्था करेगी।

जैसे कॉलेज की अव्यवस्था है दूसरा विषय मैं निवेदन करूं वह यह है कि जिस तरह से कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर बनाया है उसी तरह आप के द्वारा मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हायर सेकन्डरी स्कूल हो चाहे हाई स्कूल हो हर तहसील हैड क्वार्टर पर कायम करने का यथा संभव निर्णय लें।

बहुत सी स्कूलों में, अध्यक्ष महोदय यह भी पाया गया है कि ग्रेज्युएट अध्यापक मिडिल स्कूलों में रख छोड़े हैं और नॉन ग्रेज्युएट्स हायर सेकन्डरी और हाईस्कूल्स में रख छोड़े हैं। जहां तक संभव हो, मैं यह नहीं कहता कि अनिवार्य रूप से किया जाय, सरकार को डिस्क्रीशन का अधिकार है, मैं निवेदन करूंगा कि ग्रेज्युएट को हायर सेकन्डरी या हाईस्कूल में रखें और नॉन ग्रेज्युएट्स को मिडिल स्कूलों में रखें। ग्रेज्युएट्स यदि मिडिल स्कूल्स में हैं तो उनको हाई स्कूल्स या हायर सेकन्डरी में भिजवादें। आप इस पर विचार अवश्य करें। इससे जो ग्रेज्युएट्स के मन में असन्तोष है वह दूर हो जायगा।

जहां तक ग्रामीण पाठशालाओं का प्रश्न है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ग्रामीण पाठशालाओं में सभी शिक्षा का प्रकरण है वह पंचायतों और पंचायत समितियों के आधीन रखा जाय। यदि कुछ अंश में आप यह रखते हैं तो मेरे ख्याल से ओवर ऑल सुपर-विजन स्टेट का होना परम आवश्यक है। और मेरे ख्याल से हमारी संस्कृति के अनु-सार यह भी परम आवश्यक है कि ग्रामीण पाठशालाओं के अध्यपकों का आदर बढ़ना चाहिए। अनादि काल से शिक्षक समाज में आदर पाते आये हैं। यदि आप उनका समाज के सामने निरादर करें या निरादर होते देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप शिक्षा का स्तर अनि-वार्यरूप से गिरायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उनको बी० डी० ओ० का टूल मत बनाइये, बी० डी० ओ० का पिछलग्गू मत बनाइये। उनसे बहुत से राजनैतिक काम लिए जाते हैं, इलेक्शन में काम करते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे तटस्थ रहें। यह पवित्र क्षेत्र है, यदि शिक्षकों का सम्मान नहीं है, राजनीति के अनुसार इधर-उधर डोलते हैं, बी० डी० ओ० की इच्छा के अनुसार, तो यह बहुत बुरा है। मैं पुरजोर से निवेदन करूंगा कि आप मत होने दें।

अध्यक्ष महोदय, १८,४६७ ग्रामों में आपने स्कूलें खोलीं और जो उस पर खर्चा किया कुछ हद तक मैं यह सरकार पर आरोप लगाऊं कि यह खर्चा अन्धा धुन्ध-रूप से किया

Page No. 55

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो यह बात गलत नहीं होगी । यदि आप शिक्षा का प्रसार करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी चाहिए और वह यह है कि शिक्षा और साक्षरता एक नहीं है । यदि आप साक्षरता के ऊपर बल दें, तो दें, अवश्य दें, यह महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन साक्षरता के साथ साथ शिक्षा भी है और उसके महत्व को समझ कर शिक्षा जैसी चीज को आप प्रसारित करिये और सच्चे रूप से आप शिक्षा के गुणों पर विचार करिये, इसमें प्रगति कर सके तो समाज को आगे लायेंगे और हर तरह से देश भी उन्नत होगा।

अध्यक्ष महोदय, साहित्य एकेडेमी, संगीत नाटक एकेडेमी, ललीत कला रंग-मंच इत्यादि पर आप लाखों रुपया खर्च करते हैं । मैं यह नहीं कहता कि मत खर्च करिये । यह आवश्यक वस्तु है, इनका भी समाज के अन्दर महत्व है, इनका भी समाज में स्थान है, किन्तु सरकार इस सम्बन्ध में रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश करती ? मैंने चेष्टा की रिपोर्ट देखने की और आप के द्वारा जो साहित्य वितरित हुआ है उसमें मैंने कहीं यह नहीं पाया कि महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में आपकी कोई रिपोर्ट छपी है । यदि मैंने जो कहा वह ठीक है, रिपोर्ट नहीं छप पाती तो सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूगा, आपको चाहिए कि इस संबंध में आप रिपोर्ट छापें।

जहां तक पुरातत्व विभाग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ, यह फाइनेंशियली स्टार्व्ड विभाग है । इसके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है ! बल्कि मैंने दो वर्ष पहले सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और अब भी आकर्षित करना मैं आवश्यक समझता हूँ, एक महाराणा सांगा की छतरी है, जो वसुआ के अन्दर है । महाराणा सांगा, मेरे ख्याल में यदि एक हजार वर्ष का इतिहास देखा जाय तो, एक महापुरुष थे, एक इतिहास-पुरुष थे और उनकी स्मृति का जो यह एक सिम्बल है वह छतरी है, वह अगर गिर पड़ती है और या टूट जाती है, तो मेरे ख्याल में यह इतिहास का महत्व लिये हुए है और इससे राजस्थान की हानि होती है । इसमें थोड़े हजार की बात है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बारे में वह विचार करे ।

प्राइवेट संस्थाओं के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें भी जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव डूंगरपुर जिले की इस तरह की संस्थाओं का है, वह संतोषजनक नहीं है । इसमें भी आपाधापी और बहुत सारी गड़बड़ी है । एक संस्था है बांगड़ विद्यापीठ के नाम से, वहां पर दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पता नहीं क्या क्या, वहां पर होता है । इसी तरह से गांधी आश्रम में यही का यही वतीरा है । छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें समय पर नहीं मिलती हैं । उनको खुराक नहीं मिलती है और रात को रोशनी की व्यवस्था भी सुचारु रूप से नहीं होती है । मेरे ख्याल में अकाउन्ट्स वगैरह का ऑडिट भी नहीं करा सके हैं । वहां पर गांधी आश्रम के एक शायद वार्डन साहब थे उन्होंने वहां की एक कर्मचारी से गड़बड़ी की । वह उसे लेकर भाग गये और वह गर्भवती भी हो गई और छः आठ महीने के बाद आये विवाह करके उस कर्मचारी महिला से और फिर शनैः शनैः वहां के जिलाध्यक्ष भी बन गये । तो मेरे ख्याल में यह आपकी पार्टी के लिए एक शोभनीय व्यवस्था नहीं है । इस बारे में आपका

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ऑडिट करना चाहिए और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।

जहां तक खेलों का सम्बन्ध है, एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए यह परम आवश्यक हैं। और खेलों के प्रसार का जहां तक सम्बन्ध है, मेरे ख्याल में इस सम्बन्ध में भी शिक्षा विभाग बिल्कुल आंख मींच कर नहीं बैठा है। इस सम्बन्ध में भी मेरे ख्याल में एक हद तक प्रगति हो पाई है। मैं आपको और भी यह निवेदन करूंगा कि इस पर और भी जोर दें। खेल चरित्र-निर्माण के लिए परम आवश्यक हैं। खेलों से चरित्र निर्माण होता है। व्यक्तिगत हितों को गौण रखते हुए आपको राष्ट्र-हित में प्राथमिकता देनी चाहिए खेल के विषय को। मैं निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स पर जितना आप खर्च करेंगे वह एक इन्वेस्टमेंट है, समाज के लिए आवश्यक है और इस विषय पर आप अवश्य और भी खर्च करें, जितना खर्चा करें और ज्यादा अच्छा है।

जिस हद तक मिल्क पाउडर और डेयरी का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं, इसमें भी भ्रष्टाचार है, इसमें भी कालाबाजारी हैं, इसमें भी कोटा-परमिट का सवाल चलता है। यहां तक स्थिति है कि छात्रों को मिल्क पाउडर भी नहीं मिलता है। उनके लिए डेयरी वगैरह चलती हैं, रन करती हैं, उसमें भी जो दूध होता है उसमें आपाधापी होती है और छात्रों को दूध नहीं मिलता है। इस बारे में मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि वह विचार करे।

राजस्थान में ३२२४१ तो विलेजेज़ हैं और शहर १४५ हैं, यानि साढ़े बत्तीस हजार गांव और शहर हैं उनके अन्दर आपकी ३२५५, सवा तीन हज़ार शिक्षा संस्थायें हैं। आप इन शिक्षा संस्थाओं को, जैसा मैंने निवेदन किया, केवल मात्र साक्षरता की शिक्षा संस्थाओं के रूप में मत बनाइये, साक्षर संस्थायें मत बनाइये–इसके अन्दर जो शिक्षा का महत्व है उसको लेकर शिक्षा ग्रहण करायें ताकि चरित्र निर्माण हो, ताकि हमारे में नियंत्रण आवे, ताकि राजस्थान प्रगति कर सके। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–श्री मोहनराज !

श्री मोहनराज (बाली) :अध्यक्ष महोदय, आज हम शिक्षा विभाग की मांग के बारे में विचार कर रहे हैं और जैसा कि कई बार इस सदन में कहा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत प्रगति की है, स्कूलों की संख्या बढ़ी हैं, कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, और पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस क्षेत्र में काफी पैसा भी खर्चा हुआ है और स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जो वास्तविक आंकड़े हैं उनकी ओर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर हमारे सामने आती है। शिक्षा विभाग ने जो प्रगति इस साक्षरता के बारे में राजस्थान में की है, उसके लिए उन्होंने यह बताया है–हमारे राजस्थान में सन १९२१ में पढ़े लिखे लोगों का परसेन्टेज था वह ४.२२ बताया है, फोर ट्वेन्टी टू, तो उस वक्त सन् १९३१ के अन्दर यह परसेन्टेज बढ़ कर ४.६५ हो गया। लेकिन अगर इस दरम्यान भी हम देखें तो जहां हमारी कुल आबादी ११८ लाख थी वहां पर सन् १९३१ के अन्दर अनपढ़ों की संख्या ११२ लाख ५१

(श्री मोहनराज)

हजार ६ सौ थी । खैर, २१, ३१, ४१– आजादी के पहले वर्ष थे उनके आंकड़ों को यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन १९५१ के आंकड़े लें जब से योजना शुरू की हैं। १९५१ में हमारी आबादी १६० लाख बताई गई है और पढ़े-लिखे लोगों का प्रतिशत ८.९५ बताया गया है। अब कुल आबादी में से अनपढ़ लोग १४५ लाख ७२ हजार होते हैं। सन् १९६१ के अन्दर जब कि हमारी आबादी २०२ लाख होती है और प्रतिशत शिक्षित वर्ग का १५.२१ है, आपको ताज्जुब होगा, इतना ज्यादा परसेन्टेज बढ़ने के बावजूद भी जहां १९५१ में अनपढ़ १४५ लाख ७२ हजार थे, १९६१ में अनपढ़ों की संख्या बढ़ कर १७१ लाख २७ हजार ५०० हो गई है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि बावजूद इन सारी तरक्कियों के । जो कि स्कूल, कॉलेज और हाई स्कूल के आंकड़े हमारे सामने पेश करते हैं, वास्तव में राजस्थान में अनपढ़ लोगों की कितनी संख्या बढ़ती जा रही है। हर दसवें साल गिनती होती है तब लाखों लोग अनपढ़ की संख्या में बढ़ोत्तरी करते जाते हैं–तो हम क्या उम्मीद करें कि हमारे यहां पर इस रफ्तार, और इस रफ्तार को भी थोड़ा बढ़ा दें, तो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं ? तो, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहां इस शिक्षा–प्रसार की जो योजना है उसमें हमें कुछ दूसरे तरीकों से सोचना पड़ेगा, हमारी योजनाओं में कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने पड़ेंगे ताकि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप नये स्कूल और नये कॉलेज जिस तरह से खोलते जा रहे हैं, इस तादाद से हमारी जो निरक्षरता मिटाने की समस्या है उसका कभी समाधान नहीं हो सकता है।

अब इसमें मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि कुछ अर्से से राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की ओर कम ध्यान दिया जाने लगा है और ज्यादा पैसा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज की शिक्षा की तरफ खर्च किया जाने लगा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि तकनीकी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा की बहुत जरूरत है और इसी से हम भारतीय स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि यदि हमने हमारे यहां पर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो आगे वह वक्त आवेगा कि हमारी नींव खोखली रह जावेगी और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ही तो नींव और जड़ है। आज हम यदि इनके आंकड़ों की ओर दृष्टि डालें तो मालूम होता है कि प्राथमिक शिक्षा और भर्ती होने का प्रश्न आता है वहां आपका परसेन्टेज फॉल हो जाता है। एक, दो या तीन साल बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और प्राथमिक शिक्षा के आगे माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं होने के कारण वे चले जाते हैं। जब वे दो-तीन साल पढ़ कर साक्षर हो जाते हैं तो चले जाते हैं और उनको शिक्षा नहीं मिलती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हम यह तय करके चलें कि कम से कम माध्यमिक शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिये ताकि आगे वे अपनी उन्नति के रास्ते पर चल सकें, अपने जीवन निर्वाह के रास्ते पर चल सकें, तो यह ज्यादा उपयोगी होगा। तो इतना परसेन्ट शिक्षा का प्रबन्ध तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा को प्लान में इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना दूसरे मदों को दिया जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि

(श्री मोहनराज)

पहले जो दूसरे काम हैं उनको करें और विभिन्न एक्टीविटीज़ में रूपया लगा दें और जब हमारा देश आगे बढ़ जावेगा और हमारे पास बढ़ा हुआ धन होगा उससे हम शिक्षा में खर्च करेंगे, उससे शिक्षा की उन्नति होगी। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में यह गलत इकोनोमी है।

इस विषय पर मैं कहूंगा कि अमेरिका के प्रेसिडेन्ट ने अभी अभी अपने भाषण में कहा है :

"If we try to save pennies by cutting educational expenses, we only loose dollars through the inevitable economical and social consequences of inferior or insufficient schooling. Failure to improve educational performance is not only poor social policy, it is poor economics."

उन्होंने यह क्यों कहा ? उन्होंने यह इसलिये कहा है कि वास्तव में हमारे समाज का लक्ष्य क्या है :

"Ultimate test of our civilisation is not in our goods or guns. It is in the quality of our people's lives and in the character of men and women our society produces."

क्योंकि आखिर जो भी देश की तरक्की या उन्नति होने जा रही है उसको हर क्षेत्र में संभालने वाला इन्सान होता है। अगर इन्सान में कमी रहती है तो आपके सभी कार्यों में कमी रह जाती है। रेलवे के इंजिन और हवाई जहाज के कारखानों में काम तो हमारे ही इन्सान करते हैं। अगर इन्सान ईमानदार है, राष्ट्र प्रेमी है, उसमें बहुत बड़ी जागृति है, वह सारा हमारे देश की तरक्की का सामान जुटाता है, ठीक बनाते हैं तो उससे देश की उन्नति होगी। इसलिये हर चीज को हैन्डल करने वाला आदमी है। इसलिये आपसे निवेदन करूंगा कि आप आदमी को ठीक बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिये मैं एक छोटी-सी बात अर्ज करूंगा कि आज हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की तनख्वाह बहुत ही कम है। क्या उनसे हम यह उम्मीद करें कि इतनी छोटी तनख्वाह पाने वाले अध्यापक राष्ट्र को बनाने वाले बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे ? इतनी छोटी सी तनख्वाह में जिनका भरण-पोषण नहीं हो सकता, उनसे हम यह उम्मीद करें कि देश को संभालने वाले बच्चे पैदा करेंगे ? यह संभव नहीं। आज हम देखते हैं कि पटवारी है जो गांव की जमीन को नापता है, मवेशियों की गिनती करता है, वह भी अध्यापकों से आज ज्यादा तनख्वाह पाता है। हमारे ग्राम सेवक हैं जिन पौधों की उम्र ४ या ६ महीने की होती है उन पौधों के लिये ग्राम सेवक रखे जाते हैं। उनको आज अध्यापकों से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। मगर आज जिन लोगों पर हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी का प्रश्न है उनको कम तनख्वाह मिलती है और अगर हम इसी दृष्टिकोण से अपना दृष्टिकोण रखेंगे तो हमको जिस प्रकार से देश का निर्माण करना चाहिये नहीं कर सकेंगे और हमारे देश निर्माण के जो स्वप्न थे वे अधूरे रह जावेंगे। हम देखते हैं कि आज शिक्षा का प्रसार दिनों-दिन गिरता जा रहा है जैसे कि मैंने आपको आंकड़े देकर बताया है।

(श्री मोहनराज)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कुछ न कुछ बुनियादी तौर से इनके लिये कुछ करना होगा कि अध्यापकों के लिये अच्छा वेतन दें और अच्छे अच्छे आदमियों को लें जिससे कि वे शिक्षा देने की कला से अच्छे अच्छे नागरिक बना सकें और मामूली पढ़े-लिखे बच्चों की पढ़ाई भी खराब नहीं होने पावे।

इसके अलावा एक और बात निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा देने के लिये कॉलिजेज हैं। मगर आज यह देखा जाता है कि हमारे यहां पर राजस्थान के बहुत सारे छात्र जो साइन्स में फर्स्ट क्लास पास होते हैं उनको भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती नहीं किया जाता है। हम देखते हैं कि खास तौर से पंजाब के स्टुडेन्ट्स ज्यादा यहां पर आ जाते हैं। वे इसलिये आ जाते हैं कि हमारे यहां पर पढ़ाई का स्तर है वह बहुत ऊंचा है और मार्किंग का स्तर है वह काफी ऊंचा है और पंजाब में मार्किंग सिस्टम नीचा है, इसलिये वे ऊंचे नम्बर प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर तो नम्बर के आंकड़े देखे जाते हैं और यहां के ६० परसेन्ट होते हुए भी उनको कॉलेज में स्थान नहीं मिलता है। पंजाब में कम योग्यता वालों को ऊंचे नम्बर मिल जाते हैं हमारे यहां से। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जिन लोगों को आप छात्रवृत्ति लाखों रुपयों की देते हैं और जिन पर लाखों रूपये खर्च करते हैं उन लोगों को कॉलिजेज़ में स्थान नहीं मिलता है तो उनकी बहुत दुर्दशा होती है और घर वालों का और उनका बुरा हाल होता है। आप यह बात कहेंगे कि मैंने यह बात कैसे कह दी कि पंजाब के नम्बर ऊंचे कैसे होते हैं और हमारे यहां के लड़के ज्यादा होशियार होते हैं। मैं इसके लिये कहूँगा कि हमारे यहां पर बाहर के आये हुए लड़के जो भर्ती होते हैं और जब उनको फर्स्ट और सेकिन्ड ईयर के इम्तिहान होते हैं तो हमारे यहां के छात्र फैल नहीं होते और वे फैल हो जाते हैं। यह इस बात का सबूत है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां छात्रों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसलिये इसकी ओर ध्यान दिया जावे और राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता दी जावे। दूसरे प्रांतों में जहां पर इस प्रकार का प्रश्न होता है वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिये सीटें रखी जाती हैं और बाकी प्राथमिकता अपने यहां के लोगों को दी जाती है। अगर हमारे यहां पर हम उन लोगों को प्राथमिकता नहीं देंगे तो मैं यही कहूँगा कि हमारी तरक्की रूक जावेगी और हम यह चाहते हैं कि वे लोग राजस्थान को संभालें तो वे नहीं संभाल सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि आप लड़कियों की स्कूलों को बढ़ाने से न रोकें। आप चाहे कॉलिजेज नहीं खोले, लग्ज़री के सामान यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज़ को न दें मगर लड़कियों के लिये जहां पर मिडिल स्कूल है वहां पर हाई स्कूल और हाइयर सेकन्ड्री स्कूल जरूर खोलें। अगर आप महिलाओं के लिये प्रबन्ध नहीं करेंगे तो उनकी प्रगति रुकी रहेगी और उनको साक्षरता नहीं मिलेगी यही मेरा निवेदन है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा पर मेरे कट मोशन्स इस प्रकार हैं :

(१) राजस्थान स्टेट स्पोर्टस कौन्सिल

(श्री अब्दुल जब्बार)

द्वारा खेल-कूद के लिए सहायता दिए जाने में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

(२) राजकीय गर्ल्स स्कूल, टोंक में फैली गड़बड़ियां तथा अध्यापिकाओं के संघर्ष पर चर्चा के लिये।

मैं अर्ज करूं कि राजस्थान की शिक्षा पूर्ति के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा प्रसार के लिए आवश्यकता महसूस की जाती है क्योंकि देश के निर्माण के लिये और देश को अग्रसर होने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि मैदान में आवें, चाहे प्रेक्टिकल साइड हो, चाहे कोई कॉमर्शियल साइड हो। मगर होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक टेक्निशियन अच्छे ढंग से एक चीज को तैयार करके निकालता है उसी प्रकार हमारे यहां से शिक्षा पाकर लोग निकलें और देश का निर्माण करने के लिए अच्छे इन्जिनियर्स और लॉइयर्स आदि को दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वे इसकी राजस्थान में सर्वे करवा कर देखें हर नगर में कि इसमें हम कहां तक प्रगति कर पाएं हैं। अगर इसकी सर्वे कराई जावे तो मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत पिछड़ा हुआ पाया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा प्रसार के लिए कुछ सिद्धान्त होते हैं लेकिन राज्य में यह देखा गया है कि सिद्धान्तों पर चलना अच्छा नहीं समझते। मैं आपको निवेदन करूं जब कि फोर्मर राजस्थान का २५–३–४८ को निर्माण हुआ उस समय निम्बाहेड़ा में, अध्यक्ष महोदय, एक हाईस्कूल थी और वह १९३६ की बनी हुई थी। अगर शिक्षा के आधार पर मैं बात करूं तो अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले से चित्तौड़ जिले में एक परसेन्ट शिक्षा सम्बन्धी प्रोग्रेस की है। लेकिन होता क्या है कि अगर उदयपुर में ७ या ८ कॉलेजेज चलते हैं तो वहां पर जिसकी आबादी ७ लाख ४८ हजार की है उस जिले में एक कॉलेज। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार, इस प्रकार के जो उसूल हैं, उन पर नहीं चलती है। आज सारे भारतवर्ष में और सारी दुनियां, गिरे हुए इन्सानों को ऊपर उठाना चाहती है, अनपढ़ लोगों को ऊंचा उठानी चाहती है, मगर आज हमारे यहां पर क्या होता है, हकीकत में जो उनके हैं और जिनके पास पैसा है वे आराम कर रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, पेट में खाने को नहीं है उनको किसी तरह की राहत नहीं पहुंचाई जाती।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं दावा नहीं कर सकता लेकिन शिक्षा की पद्धति की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एवरेज टीचर प्राइमरी में ५१, २६, ६१, ३६। मिडिल स्कूल में पर टीचर्स १८, २३; हाईस्कूल और हायर सेकन्डरी में १८ से २१, विद्यार्थी होते हैं। अब यहां देखने की बात यह है कि प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थी बढ़ते जा रहे हैं और मास्टर घटते जा रहे हैं, वहां कॉलेजेज, हाई स्कूल्स, हायर सेकन्डरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल में मास्टर बढ़ते जा रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि छोटे विद्यार्थियों की लोअर क्लासेज में, प्राइमरी स्कूल्स में एक टीचर को ज्यादा लेबर करना पड़ता है बनिस्पत कॉलेजेज,

(श्री अब्दुल जब्बार)

हाईस्कूल्स, हायर सेकन्डरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स के, पर हमारी सरकार ने कभी इस ओर गौर नहीं किया, प्राइमरी स्कूल्स में एक एक टीचर पर पचास पचास, साठ साठ विद्यार्थी छोड़ देती है। बच्चों की आदत होती है शोरगुल मचाने की तो आवश्यकता आज इस बात की है कि टीचर्स की संख्या के लिहाज से प्राइमरी स्कूल्स में विद्यार्थियों का लोड कम किया जाय और हायर क्लासेज़ में विद्यार्थियों का लोड बढ़ाया जाय। तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिये।

शिक्षा पर खर्च का परसेन्टेज देखें तो अध्यक्ष महोदय, बड़ा ताज्जुब होता है। ये विद्यार्थियों के आंकड़े बताते हैं ६०–६१ में १५२७६४० विद्यार्थी स्कूलों में जाते थे और ५१ में ४ लाख ४७ हजार और कुछ विद्यार्थी स्कूलों में जाते थे। ५१ में शिक्षा के बजट का खर्चा १५ परसेन्ट था और ६०–६१ में २२.३ परसेन्ट रखा गया है जबकि स्टूडेन्ट की पॉपुलेशन को लिहाज में रखा हुये यह खर्चा ४५ परसेन्ट चला जाना चाहिये था। जैसे कि कांग्रेस के माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किये कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये। मैं जिस समय पढ़ता था उस समय साइन्स ८ में पढ़ाते थे। आज दुनियां के निगाहें इस पर लगीं हुई हैं कि हिन्दुस्तान को कैसे हड़प किया जाय तो आज आवश्यकता इस बात की है कि साइन्स को अनिवार्य करके हमें अधिक से अधिक वैज्ञानिक तैयार करने चाहिये। हकीकत यह है कि राजस्थान की उन्नति और प्रगति की दृष्टि से, राजस्थान हिन्दुस्तान में अपना स्थान बना सके, इसके लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा टेक्निशियन्स पैदा किये जायं। टैक्निशियन्स ज्यादा से ज्यादा पैदा करने से हमारे यहां बेकारी कम हो सकती है बढ़ नहीं सकती। आज लड़के पढ़कर आते हैं और मास्टरी के लिये एप्लीकेशन्स देते हैं, बंडल के बंडल इनकी एप्लीकेशन्स के दफ्तरों में पड़े रहते हैं। राजस्थान सरकार ने कभी इस पर विचार नहीं किया। राजस्थान सरकार को चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निशियन्स पैदा करे, कोई भी टेक्निशियन दुकान लगाकर बैठ जायगा तो चार सौ, पांच सौ रुपया आसानी से कमा सकेगा। अगर इन्जीनियर्स पैदा करेंगे तो कोई भी फर्म उसे अपने यहां रख लेगी, फोरेन की फर्म्स तक हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों को इन्वाइट करती हैं, वहां जाकर हिन्दुस्तान के इन्जीनियर्स कार्य करते हैं और कर रहे हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि टेक्निशियन्स ज्यादा पैदा करें, मैं तो कहता हूं कि साइन्स को कम्पलसरी कर दिया जाय। अगर विद्यार्थियों की फिज़ीकल फिटनैस नहीं है तो उनके लिए ८ वीं में साइन्स कम्पलसरी कर दिया जाय।

फेमिली प्लानिंग चल रहा है, पढ़े–लिखे लोग फेमिली प्लानिंग में विश्वास करते हैं और इसका परिणाम यह होगा कि इन्टेलिजेन्शिया के लिहाज से हम दरिद्र हो जायेंगे। इसलिए इस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग को चाहिये, इस बात के लिए मन्त्री महोदय केबिनेट में झगड़ा करें कि जो बोगस डिपार्टमेंट्स हैं उनको बन्द कर देना चाहिये और शिक्षा का बजट ४५ परसेन्ट कर दिया जाना चाहिये।

श्री दयाचंद सोन (बारा–सु०) : ४ साल बाद तो वैसे ही मंत्रि–मण्डल में ग्राये हैं ।

(१.०० म.प.)

श्री ग्रब्दुल जब्बार : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सुपरवीजन इतनी थर्ड क्लास की है शिक्षा विभाग में कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती । राजस्थान की राजधानी जयपुर से ६० मील की दूरी पर ५५ हजार की ग्राबादी वाला टोंक शहर है वहां के स्कूलों की हालत यह है कि ग्रगर कोई भला ग्रादमी सुनले तो कोई भी भला ग्रादमी ग्रपनी बालिकाग्रों को स्कूल में नहीं भेजेगा । जवान बालिकाग्रों के दुपट्टे छीने जाते हैं, ग्रोढ़नी छीनी जाती हैं, बालिकाएं ग्रपने घर जाती हैं बगैर दुपट्टे के, ग्रध्यापिकाग्रों को सोचना चाहिए कि नौजवान बालिकाएं ग्रपने घर जायेंगी । ग्रगर यूनीफार्म पहनकर नहीं ग्राती हैं तो, गारजीन को लिखें कि ग्रापकी बच्ची स्कूल में प्रेस्क्राइब्ड यूनीफार्म पहनकर नहीं ग्राती लेकिन यह किसी भी ग्रध्यापिका का ग्रधिकार नहीं है कि वह उससे दुपट्टा छीन ले ग्रौर बालिका लज्जित होकर घर वापस ग्राए । समाज का ऐसा दूषित वातावरण हो गया है कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता । इसीलिए मंत्री महोदय से भी मैं इस संबंध में ग्रलग से बात कर चुका हूँ तो ग्राप वहां गर्ल्स स्कूल को सम्भालने की कोशिश करें ।

वहां हेडमिस्ट्रेस हैं उनका हाल यह है कि उनको लकवा मार गया, पेरेलिसिस हो गया ग्रौर पैरेलिसिस के कारण वह ग्रपने हाथ से लिख भी नहीं सकतीं । स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ठीक नहीं होता । इस कारण चैक्स ग्रौर बिल्स लौटकर ग्राते हैं ट्रेजरीज से । ६–६ महीने तक ग्रध्यापिकाग्रों को तनख्वाह नहीं मिलती हैं । मेरे पास ग्रोरिजनल सिग्नेचर मोहर लगा उसका मौजूद है, ग्राप देखें कि किस प्रकार वह ग्रपंग हो चुकी है, ग्राप उसको पेन्शन दें, मेरी उसके साथ पूरी हमदर्दी है, ६० साल में सरकार ने पेन्शन देने का तरीका निकाला है, उनको डिसेबिलिटी पेन्शन दी जाय लेकिन शिक्षण संस्थाग्रों पर रहम खाइए ।

ग्रखबार भरे पड़े हैं, इस गर्ल्स स्कूल के बारे में बड़ी-बड़ी हेडिंग्ज़ ग्राती हैं । मैं ग्रापको ग्रपने चेम्बर में बताऊंगा कि कैसे पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं । जी चाहता है कि चुल्लू भर पानी में या तो हम डूब मरें या सरकार को डूब मरना चाहिए । इस प्रकार के पोस्टर्स बाजारों में लगवाए जाते हैं ग्रौर संस्था में लगवाए जाते हैं जिसमें हमारी कुमारियां, बालिकाएं पढ़ती हैं जिनकी जिंदगी एक नरम पौधे की तरह होती है, इस व्यभिचार को खत्म करना चाहिए, उसको बढ़वा मिलता है, मैं इस सम्बन्ध में पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वहां की हैडमिस्ट्रेस को हटाया जाय ग्रौर जिन शिक्षिकाग्रों की वजह से दूषित वातावरण हो गया है उनको भी हटाना चाहिए । देश चरित्र निर्माण चाहता है, हमारे देश में न सोने की कमी है न चांदी की । ग्रगर कमी है तो चरित्र की कमी है । चरित्र निर्माण के लिए शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार हैं ग्रौर ग्रगर शिक्षण संस्थाएं ग्रपने ग्राप में भ्रष्ट हो गई, उनका स्तर नीचे हो गया तो वे डीमोरेलाइज्ड हो जायंगी । तो शिक्षण संस्थाएं ग्रौर शिक्षा विभाग

(श्री अब्दुल जब्बार)

किसी भी हालत में इन्टेलीजेन्शिया पैदा नहीं कर सकता, फिर तो चारों तरफ जहालियत के नक्कारे बजेंगे और राजस्थान एक कबैवर्ड स्टेट कहलाएगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस प्रकार मैंने शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में अर्ज किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रश्न का जवाब देंगे और साथ ही साथ पोइंट्स बतलाएं कि किस प्रकार खर्चा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लोअर और हायर क्लासेज में कमी होती जा रही है। बजट कम है, पहले ज्यादा था, पोपुलेशन को देखते हुए उस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल ने इतने खिलाड़ी पैदा किए। मैं भी २२ साल से खेल खेला हूँ और राजस्थान के अच्छे खिलाड़ियों से खेला हूँ.......

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : यहां भी खेलते हो।

श्री अब्दुल जब्बार : आज खेल का हाल यह है कि कोई भी नया खिलाड़ी स्टेट पैदा नहीं कर सकी क्योंकि नियंत्रण ठीक नहीं है। जिला फुटबाल एसोसिएशन चित्तौड़गढ़ है, निम्बाहेड़ा में फुटबाल टूर्नामेंट्स होते हैं, चित्तौड़गढ़ में कभी फुटबाल टूर्नामेंट नहीं हुआ। आप स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल को पैसा देते हैं। कितने खिलाड़ी हैं, फुटबाल टीम के कोई रिकार्ड नहीं, फर्जी तरीके से नाम आते हैं और पैसा वितरित होता है। अन्य स्थानों पर देखने से मालूम होता है कि स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल किसी हालत में खेल को प्रोत्साहन नहीं दे सकती है, खेल को प्रोत्साहन नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एम०एल० ए० क्लब के सम्बन्ध में पैसा पूरा न होने के कारण जो विधायक बैडमिंटन खेलते हैं उनको शट्लकॉक्स अच्छे नहीं मिलते हैं। कम से कम गवर्नमेंट हॉस्टिल में जो क्लब है उसको ठीक रखें ताकि जितने बाहर से आने वाले लोग हैं वे अंदाज लगा सकें कि वास्तव में राज्य सरकार खेलों के सम्बन्ध में जागरूक है।

क्या कभी राज्य सरकार ने इस बात की कोशिश की कि हम टीमों के द्वारा आपस में भाईचारा किस प्रकार से बढ़ाएं ? अक्सर सुना जाता है कि रेफरी पर प्लेयर ने हमला किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां जहां हमें स्पोर्ट्स के लिए पैसा देना है, सही ढंग से दिया जाय।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसी आधार पर मैं कटौती प्रस्ताव मूव करता हूँ, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल द्वारा खेल कूद के लिए सहायता दिये जाने में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय गर्ल्स स्कूल, टोंक में फैली गड़बड़ियां तथा अध्यापिकाओं के संघर्ष पर चर्चा के लिए)।

इन दोनों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय पूर्ण प्रकाश डालें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बजट पर विचार किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने एक मांग रखी। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां मनुष्य को मानवता का ज्ञान पर्याप्त रूप से मिलता है। शिक्षा में, जब से राजस्थान बना है, काफी तरक्की हुई है। लेकिन उसमें यह ख्याल नहीं रखा गया है कि किस जगह किस प्रकार शिक्षा दी जाय, किस जगह कितने स्कूल खोले जायं, इसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। जहां से जिस प्रकार की मांग आ गई, जहां से दबाव पड़ गया वहीं शिक्षा का प्रसार ज्यादा हुआ। कहने को कहा जा सकता है शिक्षा विभाग द्वारा कि जहां हमें ज्यादा पढ़ने वाले मिलेंगे तो पर-कैपिटा खर्चा कम होगा, वहां पर हम ज्यादा स्कूल खोल सकेंगे और खोलते भी हैं।

मैं निवेदन करूं कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दो जिलों को मिलाकर १६ लाख की आबादी होती है। लेकिन वहां एम.ए. की कोई क्लास नहीं है। एम० ए० के क्लास नहीं खोलने का मतलब यह समझा जाता है कि भीलवाड़ा और चित्तौड़ की १६ लाख जनता को, छात्रों को एम० ए० पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो बी० ए० पढ़ा कर नौकरी करनी है। वे तो बी० ए० पढ़ें और नौकरी करें। न एम० एस०सी० है और न ही एल० एल० बी० की व्यवस्था है। भीलवाड़ा माइनिंग का काफी क्षेत्र है। भीलवाड़ा में इन्जीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला जायगा। वह तो वहीं पर खोला जायेगा जहां माइनिंग नहीं है। भीलवाड़ा और चित्तौड़ माइनिंग से भरे हुए हैं लेकिन वह वहां नहीं खोला जावेगा। जहां सेक्रेटेरियट के बड़े बड़े लोग हों, जहां प्रभावशाली व्यक्ति हों वहीं पर सरकार उच्च स्तर की शिक्षा का प्रबन्ध करती है। यह अनियमितता बढ़ती जा रही है। उसमें सुधार करना चाहिए।

मैं बीकानेर में गया। राजस्थान बना था उस समय रियासतों में जो शिक्षा पर व्यय किया जाता था उनमें सबसे ज्यादा बीकानेर रियासत में शिक्षा पर व्यय किया जाता था। लेकिन वहां पर एम० कॉम० की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे बीकानेर डिवीजन भर में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। न गंगानगर में और न चूरू में। वहां के लोग यह सोचते हैं कि उच्च शिक्षा तो वहीं पर मिलेगी जहां के लोग यह सोचते हैं कि जहां के लोग प्रभावशाली होंगे और जो ऊपर तक जा सकेंगे। जहां के लोग ऊपर नहीं जा सकते वहां नहीं खुलेगी। यह आम भावना है। हालांकि मैं शिक्षा विभाग के बारे में कह सकता हूं कि शिक्षा विभाग में ज्यादा विद्वान लोग हैं। वे तहसीलदार वगैरह नहीं बन सकते हैं। यहां पर अच्छी पढ़ाई-लिखाई होने पर लिये जाते हैं। इसलिये मंत्री महोदय को इस ओर ज्यादा ध्यान देना है। बीकानेर में मेडीकल कॉलेज खोलेंगे नाम हो गया कि थर्ड फाइव ईअर प्लान में बहुत खर्च कर दिया। लेकिन बीकानेर में ५ सेकन्डरी स्कूल है वे आज तक हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं बन सके हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में बॉयलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। बाहर जहां ऑफिसर लोग रहते हैं वहां पर यह पढ़ाई जाती है। सारे डिस्ट्रिक्ट में यह नहीं है। बीकानेर के लोगों के लिए यह नहीं खोली गयी है। आप को इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि मेडिकल कॉलेज बीकानेर में खोलते हैं तो वहां पर स्कूलों में बॉयलॉजी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं खोलते हैं तो जावेंगे कैसे उसमें। वहां पर जो दो-तीन स्कूल हैं वहीं पर के लोग लिये जावेंगे और बीकानेर वालों को क्लर्क और मास्टर की जगह होगी वह मिल जावेगी। गत वर्ष मैं अतिरिक्त संचालक महोदय के पास गया तो उन्होंने हिम्मत करके एक बायॉलोजी और साइन्स की कक्षा खोल दी। यहां आकर बात की तो कहा कि टीचर्स नहीं मिलते। लेकिन आपको शहरों के लिए टीचर्स मिल जाते हैं। मैडीकल कॉलेज खोलने के लिए साधन नहीं मिले, लेकिन जिले भर में साइन्स, बायॉलोजी खोलने के लिए साधन नहीं मिले। बीकानेर में इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने का ध्यान नहीं गया, आपको तो वहीं पर खोलना है जहां कि प्रभावशाली लोग रहते हैं और उनके बच्चों को ही पढ़ाना है। बीकानेर जिले के अन्दर ४।। लाख आदमी रहते हैं। दो लाख से ऊपर शहर में रहने वाले हैं, जिनके पास न जमीन है और न पशु। और कोई रोजगार का साधन नहीं। वे लोग पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे। जिस जिले में पचास परसेन्ट लोग शहर में रहते हों वहां शिक्षा में कमी करेंगे तो जीवन स्तर वहां का नीचा ही रहेगा दूसरों के मुकाबले में। इसलिए इन्जीनिर्गरिंग कॉलेज वहां पर खोलना चाहिए। सेकन्डरी स्कूलों में बायॉलोजी हो, उनको हायर सेकेन्डरी तक बढादें। इस तरह से मैंने बीकानेर के लिए बताया कि जहां राजस्थान बनने के समय १९४८-४९ में सब रियासतों में बीकानेर में ही शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्चा होता था। वहां के लोग भी चाहते हैं कि वहां पर शिक्षा पर खर्चा बढ़े और वहां पर यूनिवर्सिटी हो। बीकानेर की स्थिति को देखकर आप शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं तो उस ओर भी अधिक ध्यान दीजिये। एल० एल० बी० वहां पढ़ाई जाती है एल.एल.एम. वहां पर नहीं है। वहां के लोग विचार करते हैं कि हमारे लिए उच्च शिक्षा क्यों नहीं है। यह ध्यान देने की स्थिति है और आप को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए।

मैडिकल कॉलेज में जैसा मैंने अभी बताया कि बाहर बाहर के ही छात्र पढ़ते हैं। २०–२५ सारे बीकानेर डिवीजन के मुश्किल से मिलेंगे। बायॉलोजी नहीं है तो पढ़ेंगे क्या उस कालेज में ? मैं ज्यादा निवेदन नहीं करके, शिक्षा के माने में यही निवेदन करता हूँ कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए इन इलाकों पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

(१. १२ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इसके साथ साथ मांग है विविध की। इसमें कई चीजें आ जाती हैं। कई मन्त्री महोदय तो नहीं हैं। कह देता हूँ उसके बारे में। छोटी सी बात है। राजकीय प्रवास भवन, गवर्नमेन्ट होस्टल जिसको कहते हैं, वहां पांच साल पहले सरकार की तरफ से केन्टीन चलायी गयी थी, उसमें जो स्टाफ था वह आज भी वहां के ठेकेदार के पास है, उनको उन दिनों का वेतन अब तक नहीं दिया गया है। पांच साल में उनका वेतन इसलिये नहीं दिया कि मैनेजर ने हिसाब नहीं रखा। मैनेजर ने हिसाब नहीं रखा होगा तो आपके सामान का नहीं रखा होगा, हाजरी तो उसने रखी होगी। लेकिन उनको वेतन क्यों नहीं देते ? मन्त्री महोदय से बात की तो कहा कि स्टाम्प पर लिख दें। स्टाम्प पर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लिख कर दे दिया लेकिन गरीबों को पांच साल से वेतन नहीं दिया जाता। काम करते रहे और वेतन नहीं देते। पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट में जायं तो कहां गरीब पेशियों पर जावेंगे। सरकार पर उनको भरोसा था उसको बेभरोसे में न बदलें। अब भी समय है कि उनको पेमेन्ट कर दें। नहीं तो तीन-चार माह और लगेंगे।

राजकीय प्रवास भवन में १०० कमरे हैं, वहां पर ज्यादा खर्चा नहीं होता है, जब कि दिल्ली में राजकीय भवन है वहां अधिक होता है, जहां पर केवल चार ही कमरे हैं। इस खर्चे में कमी करनी चाहिये। चार कमरों पर ज्यादा खर्चा किया जाय, जिनसे आय कुछ न हो और १०० कमरों पर कम खर्चा किया जाय जिनसे आय हो, फिर भी वहां सुविधायें नहीं। जहां इस प्रकार विशेष खर्चा किया जाता है उसको कम करके राजकीय प्रवास भवन में कुछ सुविधायें विशेष कर दी जायं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : खटमल की नहीं कहेंगे ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह आपका काम है। आपको तो वही दिखते हैं।

स्वायत्त शासन के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। मन्त्री महोदय नहीं हैं। बीकानेर नगरपालिका की स्थिति बड़ी बुरी है। शहर में गंदगी है, नालियां साफ नहीं हैं। बार-बार बीमारियां होती हैं। मैं समझता हूं यह सरकार ही की सारी की सारी जिम्मेदारी है। बीकानेर में चेचक के कारण हजारों लड़के मरे, सरकार को चेतना चाहिये था। गंदगी के कारण उनकी मृत्यु हुई। पोलिये की बीमारी से हजारों मरे फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यह क्यों ? कहने को तो कह दिया जाता है कि यह नगरपालिका के पास पैसा नहीं, हाउस टैक्स नहीं लगाती इसलिये अधिक खर्चा नहीं कर सकती। लेकिन इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। यह तो आपकी जिम्मेदारी है। हाउस टैक्स का जहां तक सवाल है वहां की नगरपालिका ने लिया है और धीरे २ वसूल होगा। लेकिन वहां के आमदनी के सोर्सेज मन्त्रि मण्डल का सेक्रेट-रियट और उनका डाइरेक्टोरेट समाप्त कर देता है। इससे वहां नुकसान होता है।

खादी प्रतिष्ठान एक संस्था वहां है, जो बहुत बड़ा ऊन का व्यापार करता है। आपने उसको ऑक्ट्राय की छूट दे दी। एक चिट्ठी लिख दी कि उनसे आक्ट्राय की वसूली न की जावे। तो मैं निवेदन कर दूं कि ऑक्ट्राय कोई टैक्स नहीं होता जिसे सरकार माफ कर दे। उसमें मजदूर काम करते हैं, लाखों मन ऊन आती है। उनका कचरा-कूड़ा होता है, जिसे नगरपालिका साफ करती है। उनके मकानों की सफाई करती है। मकानों के बाहर सफाई करती है, नाले साफ करती है, टट्टी-पेशाबघर, गन्दी नालियां साफ करती हैं। उसके लिये ऑक्ट्राय होती है। उसमें कौनसा टैक्स हो गया। एक लाख के लगभग की इसकी ऑक्ट्राय बनती है जो आपने छुडवा दी। आज बीकानेर की सड़कें इस-लिये टूटी पड़ी हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा जहां से आता है, उसे आप इस तरह से रोक देते हैं। अगर इस संस्था से ही ऑक्ट्राय का पैसा बराबर मिलता तो सड़के वहां की ठीक हो सकती थीं, टूटी नहीं होती आज।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

अगर आप इस तरह से दान, अनुदान या छूट खादी प्रतिष्ठान को इस तरह से देना चाहते हैं तो इसके बदले में नगरपालिका को आपको पैसा देना चाहिये। वह आपने नहीं दिया।

आपका वाटर वर्क्स है, इतने दिन पैसा नहीं देता था, अब देना शुरू किया है।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। सरकार का उस पर नियन्त्रण नहीं है, वह स्वायत्तशासी संस्था है। उसकी अपनी अलग कमाई है, उसका अपना अलग बजट है। सरकार से उसका ताल्लुक नहीं बताते आप। यहां सदन में उसके बजट पर विचार नहीं किया जा सकता। पर जहां ऑक्ट्राय वसूली का प्रश्न उससे भी आता है तो सरकार यहां भी बीच में इन्टरफियरेन्स करती है। वे बिजली का पैसा लेते हैं या नहीं, फिर ऑक्ट्राय देने में उनको क्यों एतराज है?

आप खादी प्रतिष्ठान को खादी के नाम से, गांधीजी के नाम से छूट देते हैं; ठीक है, आप दें, पर नगरपालिका के हरिजन कहां जावेंगे? वे भी तो सफाई करते हैं, उनको सफाई का पैसा कौन देगा? गांधीजी यह कभी नहीं कहते थे कि इस तरह करो। आप अनुदान दीजिये, सहायता दीजिये, कौन इन्कार करता है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है, आप देते हैं। पर नगरपालिका को यह अभिशाप क्यों कि लाखों रुपया उसका आप छुडा दें। मैं समझता हूँ कि यह सरकार ने गलती की है और इसे जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाना चाहिये। मन्त्री महोदय यह बतावें कि यह गलती कैसे हुई? नगरपालिका पर यह दण्ड क्यों थोपा गया? आप उस छूट को वापिस जल्दी से जल्दी ले लें। अगर वह नहीं दे सकता, तो आप आप अपने खजाने से दें। नगरपालिका इस घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बड़ा घाटा। एक लाख रुपया साल का।

वाटर वर्क्स आप चला रहे हैं, वह रेगिस्तानी इलाका है। वहां पर स्टेटों के वक्त से काफी स्टैण्ड्स पब्लिक के द्वारा लगवाये गये हैं। उस वक्त की सरकार के द्वारा कहा गया कि पब्लिक या मौहल्ले वाले अगर स्टैण्ड लगवा देंगे तो सरकार पानी मुफ्त देगी। इस तरह से सैंकड़ों की तादाद में वे स्टैण्ड आज वहां पर हैं। पर आज क्या होता है, उनको जितना पानी आज दिया जाता है, वह सब नगरपालिका के नाम लिखा जाता है। आपको याद होना चाहिये कि रियासत के समय से उनको पानी मुफ्त दिया जाता था। तो जो सुविधाएं उन रियासतों के वक्त पब्लिक को मिलती थीं उनसे आपको इन्कार नहीं करना चाहिये।

पर आज होता क्या है, नगरपालिका नहीं चुका पाती तो आप वाटर वर्क्स का यह पैसा नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान में से काट लेते हैं, ब्याज भी काट लेते हैं।

तो इस तरह से आप एक तरफ पैसा काट लेंगे और दूसरी तरफ खादी प्रतिष्ठान जैसी संस्थाओं को छूट दिलवा देंगे तो शहर के अन्दर सफाई के लिए नगरपालिका के पास पैसा कहां से आवेगा? और जब सफाई नहीं करा पावेगी नगरपालिका तो बच्चे क्यों नहीं मरेंगे? बीमारी क्यों नहीं फैलेगी? बच्चों को बीमार करने और

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बीमारी फैलाने का काम तो सरकार खुद इस तरह से करती है। आपको इस स्थिति पर सोचना चाहिये।

फिर बीकानेर शहर में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, पहले सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी थी। तो उस समय शहर की काफी जमीनें बेची गई और उसका पैसा सरकारी खजाने में जमा हुआ है, वह पैसा अभी तक नगर पालिका को वापिस नहीं लौटाया गया है। वह पैसा, पता नहीं, कहां खर्च हुआ है ? उस पैसे को शहर के डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिये था, वह नहीं लगाया गया।

सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शहर में बंगले बनाये, क्वार्टर्स बनाये। पर आज उन सबको पी० डब्लू० डी० ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसका न पैसा दिया जाता है नगरपालिका को, न किराया दिया जाता है। सागर रोड के पास बंगले हैं, सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी के हैं वे। शार्दूलगंज में अमरपुरा में हैं, सब पी० डब्लू० डी० ने ले लिये हैं। नगरपालिका के पुराने बनाये हुए हैं ये। इनका किराया भी नहीं देती। तो इससे आमदनी कम होती है। इस कारण नगरपालिका आज सड़कें, नालियां वगैरह साफ नहीं करा पाती। जमीन जो बेची गई उसका पैसा पड़ा है। आज अगर यह पैसा भी दे देते तो कई काम होते। नालियां शहर के चारों तरफ इतनी गन्दी हैं कि आदमी शहर में घुसता है तो अपनी नाक बन्द करके घुसता है, कुम्भक प्राणायाम करके घुस सकता है अगर उसने उस हवा में श्वांस ले लिया तो निश्चित रूप से बीमार होगा वह। इसका क्या कारण है ? नगरपालिका के पास सफाई के लिए, इन नालियों को ठीक करने के लिए पैसे की आमदनी के श्रोत नहीं बने। जो श्रोत थे वे सरकार ने अधिकार में ले लिए।

इधर जो सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया, उसका क्या हुआ ? उसने इन तीन–चार सालों में जितनी स्कीमें बनाई सरकार के द्वारा वे स्वीकार ही नहीं की गई। अगर स्वीकार होती तो प्लॉट बिकते, पैसे की आमदनी ट्रस्ट को होती और कुछ शहर का इम्प्रूवमेंट का काम होता।

फिर इसके ऊपर आप करते क्या हैं ? इधर पैसे की कमी, सफाई का प्रबन्ध पसे के अभाव में पूरा नहीं हो सकता, सफाई ठीक नहीं होती तो बीमारी फैलती है, पर आज बीकानेर में चैयरमैन साहब के लिए दफ्तर के लिए मकान बनेगा। मीटिंग में तै नहीं हुआ। कलेक्टर के ऑफिस में एक दो कमरे वे ले सकते थे। महकमा खास में सेक्रेटरियट में जो वहां पहले थे जगह मिल सकती थी।

एक माननीय सदस्य : आपको बीकानेर के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। आप भीलवाड़ा, मांडल के बारे में बोले।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। मैं राज–स्थान भर की बात कह सकता हूं। आप कूप-मंडूक हैं।

तो मैं कह रहा था कि आपने दो लाख रुपया लगाकर ऑफिस बनाने की इजाजत दे दी। मैं पूछता हूं मंत्री महोदय से कि अगर आप दो लाख का बंगला नहीं बनवा-कर इस रुपये से दो नालियां अगर बनवा

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

देते तो शहर की बदबू खत्म हो जाती, बीमारी का खतरा टल जाता, लोगों का स्वास्थ्य सुधरता । आप यह भी कैसे करते हैं यह भी मैं बताऊं । जब उस कमेटी के मेम्बर कहते हैं कि मीटिंग में यह दो लाख के बंगले की बात तय नहीं हुई । चैयरमैन ने एक पत्र लिख दिया, आपने इजाजत दे दी । मैं कहता हूं वहां पर नालियों की स्कीम भी आपके पास आई थी । उस स्कीम को आपने टच भी नहीं किया और चैयरमैन साहब के एक पत्र के ऊपर झट से बंगला बन गया दो लाख रुपये का । फिर बंगला ऐसा कि वहां तक जावें तो बदबू के मारे नाक बन्द हो जाती है । मुझे भी ले गये बंगला बताने को तो मकान तो वहां बहुत से मिल सकते थे, तीन रुपये महिने में भी मिलते हैं, बड़े बड़े मकान हैं वहां नगरपालिका का दफ्तर इतना बड़ा है कि दो-तीन कमरे वहां मिल सकते थे । कलेक्टरी में दो तीन कमरे ले रक्खे हैं । शहर के लोग बदबू के मारे बीमार होते रहें, उसके लिए स्कीम भेजी जावे उस पर विचार करने की फुर्सत नहीं, पर चैयर-मैन साहब के दफ्तर के लिए दो-तीन कमरे कहीं भी मिल सकते थे, उसके लिए नगर-पालिका के सदस्यों को पता नहीं, चैयरमैन एक पत्र लिख दे तो दो लाख रुपयों की स्वीकृति तुरन्त मिल जावे, यह है आज आपका काम करने का तरीका और आपका रवैया ।

तो मेरा निवेदन करना इतना ही है कि आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिये । जैसा मैंने बताया पी० डब्लू० डी० से उनके मकान वापिस दिलवा दीजिये, मकान नहीं देते तो उनका किराया दिलवाइये । जो सामान जितना लिया है वह वापिस करवाइये । जो जमीन वगैरह बेचकर ट्रेज़री में रुपया जमा करवाया था, उसे वापिस कर दीजिये ।

इसके अलावा कई नगरपालिकाओं के चुनाव बाकी हैं । आप उनको करवाइये । मई के लिए आपने कहा है, मुझे उम्मीद है आप आगे नहीं जावेंगे ।

मैं इसके बाद थोड़ा सा निवेदन और करूंगा पंचायत समिति जिला परिषद् सेवा आयोग आपने बना रखा है । यह सारा फिजूल खर्चा है । हर जिले में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स मास्टरों की भर्ती कर सकता है, पर जिला परिषद् का अध्यक्ष नहीं कर सकता ! यह इज्जत आपने इनकी की है । वहां आप ऐसा कर सकते थे, अगर अध्यक्ष पर आप भरोसा नहीं करते हैं तो फिर कलेक्टर और जिला परिषद् के प्रमुख बैठकर कर लें । इससे सहूलियत हो सकती थी, काम आसान हो सकता था, अब ये क्या करते हैं, दख्वास्तें मंगाते हैं, उनका निर्णय समय पर नहीं करते, अपनी मन–मरजी आवे उस टाइम पर आते हैं, नहीं आते । दो चार तारीखें देते जाते हैं । बाद में साल डेढ़ साल इस तरह निकाल देते हैं और कह दिया जाता है कभी कभी कि जाओ तुम्हारी २५ साल से ज्यादा की उम्र हो गई, तुम्हें जगह नहीं मिल सकती । घर जाओ । आप इस तरह एकीकरण सारे राजस्थान का करके करना क्या चाहते हैं ! इन छोटी–छोटी चीजों में आप ऐसा करते हैं । आप चाहते क्या हैं कि ये छोटे–मोटे मास्टरों के मामले भी आई. ए. एस. और आर. ए. एस. के इम्तिहान की तरह से हों । आप उनको

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

तरह से इनका इम्तिहान लेना चाहते हैं ! आप पंचायत समिति पर, बी. डी. ओ. पर और जिला प्रमुख पर विश्वास नहीं कर सकते, तो कलेक्टर पर तो कर सकते थे ।

मैं देवस्थान के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मिसलेनियस में यह देव स्थान भी आ जाता है ।

देवस्थान का हाल तो परम पिता परमात्मा ही जानता है । देवस्थान विभाग यह मानता है कि देवस्थान में तो देवता रहते हैं जो बोलते नहीं हैं, मूर्तिमान हैं, उनकी आवाज है ही नहीं, बोलेंगे क्या, पहुंचेगी क्या और यह समझकर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन देवस्थानों की तरफ, मन्दिरों की तरफ ।

मुस्लिम वक्फ कमेटी बनाई गई है । जितना इस वक्फ ने काम किया है वह प्रशंसनीय है । राजस्थान में वक्फ की जितनी सम्पत्ति है उन्होंने सबका पंजीकरण किया है । करोड़ों रुपयों की वह सम्पत्ति है । बहुत कम स्टाफ है उनके पास । उनको हर तरह की सुविधा दी गई है । राज्य सरकार के द्वारा और वक्फ कमिश्नर ने जो काम किया है वह प्रशंसनीय ही नहीं, आदरणीय भी है । मुस्लिम धर्म सम्पत्ति को जाया होने से रोका है उन्होंने ।

पर दूसरी तरफ देवस्थान में अन्धेरगर्दी छाई हुई है । अधिकारी गणों की सेना खड़ी है, फिर भी उसे वे दूर नहीं कर पा रहे हैं । वे देवस्थान की सम्पत्ति का पंजीकरण नहीं कर सके । यह नहीं कर सके कि कितने मन्दिर हैं । पूछते है तो कहते हैं हमें सौंपे गये इतने मन्दिर हैं और सेल्फ सपोर्टेड इतने हैं । पर पूछते हैं कि प्रान्त भर में कितने हैं, तो कहते हैं कि इसकी हमें जरूरत नहीं । हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है । मैं पूछता हूँ कि धर्म निरपेक्ष का यह अर्थ अगर आप लगाते हैं तो फिर इन मन्दिरों की भी क्या आवश्यकता है ?

इन मन्दिरों के साथ भूतपूर्व राजाओं ने भी दगा किया । मन्दिर बनाये, उनको कुछ प्रोपर्टी भी दी, पर बाद में इन मन्दिरों को आपको सौंप दिया । जो जिस धर्म को मानने वाले हैं वे मन्दिर उनके साथ हो जाते तो ज्यादा ठीक बात होती । अब जैन मिन्दर हैं । उनमें से कोई इनके साथ नहीं हैं सिवाय ऋषभदेवजी के ।

एक माननीय सदस्य : ऋषभदेव सिर्फ जैनियों का ही नहीं है; मीणों का भी है आदिवासियों का भी है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मीणों का भी है, आदिवासियों का भी है, जैनों का नहीं है अकेला, आदिवासियों का भी है । तो मैं निवेदन कर रहा था कि जैन मन्दिर जो हैं, वे आपके आधीन नहीं हैं । कोइ मस्जिद या मकबरा आप के साथ नहीं है; कोई गुरुद्वारा आपके पास नहीं है ।

आपके साथ तो हमारे सनातन धर्म के देवस्थान के मन्दिर हैं । उनकी हालत आपने क्या बना रक्खी है ? यह थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ । सभापति महोदय, देवस्थान के मन्त्री तो सदन में नहीं हैं, पर मैं आपके द्वारा सदन को निवेदन करूं कि मैं यहां एक मन्दिर है सिरेहड्योढी के सामने राम चन्द्रजी का । मैं वहां जाया नहीं करता था । मैं गोविन्ददेवजी के मन्दिर में जाया करता था ।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

यहां एक दिन चला गया तो मालूम पड़ा मूर्ति वहां माधव मोहन की है । फिर राम चन्द्रजी का मन्दिर कैसे कहलाता है ? तो इसके लिए मालूम हुआ कि चन्द्रावती के वंश में उनके एक लड़के का नाम था रामसिंह । तो रामसिंह जी के नाम पर उसका नाम पड़ गया रामचन्द्रजी का मन्दिर । यह एक विशाल मन्दिर है । एक करोड़ से कम लागत नहीं लगी होगी । सारा संगमरमर का बना है । करीब ६ बड़े बड़े आंगन हैं। मुझे वहां तीन आदमी मिले । हमने पूछा, तीन ही आदमी हैं ? पुजारी, चौकीदार और एक झाडे देने वाला । तो उत्तर मिला कि वैसे आदमी १७ हैं । पर बाकी के तो इधर उधर हो जाया करते हैं । पूछा हमने, कहां इधर-उधर हो जाते हैं ? तो उत्तर मिला एक चौकीदार असिस्टेन्ट कमिश्नर साहब के यहां ड्राइवरी करते हैं । ड्राइवरी आप करावें और उनकी तनख्वाह देवताओं के स्थान से दिलावें, तो देवताओं के साथ इस तरह की मजाक अच्छी नहीं । पूछा सदाव्रत तोलने वाले क्या करते हैं ? तो उसके लिए जवाब मिला कि वे भी किसी अफसर साहब के यहां चौकीदारी करते हैं, बगीचे में काम करते हैं ।

पूछा हमने, भगवान के बालभोग अभी तक क्यों नहीं लगा । उत्तर मिला, क्या करें साहब, बालभोग लगाने वाले इधर-उधर काम पर गये हैं, हम ही हैं, धीरे धीरे लगावेंगे । वे तो एक बड़े साहब के यहां रसोई करते हैं। यह ठीक नहीं है । यह बिलकुल गलत बात है । इस तरह देवस्थान के साथ मजाक करना शोभनीय नहीं है । और इस तरह से भगवान् की सेवा पूजा में विघ्न बाधा देरी होती है तो या तो इनको सम्भालना नहीं चाहिए, सम्भाल लिया तो उसकी बराबर व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था बराबर नहीं कर सकते तो इनको इनके मानने वालों के सुपुर्द कर दीजिये । आप का मन अगर इनके वित्त पर है, आपकी नजर अगर इनकी सम्पत्ति पर गड़ी हुई है तो वह आप ले लीजिये, पर प्रतिमाह तो उनके मानने वालों को आप सौंप दो । उनके साथ तो इस तरह से ज्यादती मत करो । जहां बालभोग बनानेवाला साहब के यहां रसोई बनाता है तो उसकी जांच की जावे । मैं उस अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहता । दो और चौकीदार दूसरे और छोटे साहबों के यहां काम करते हैं, तो १७ में से १४ तो साहब लोगों के यहां काम करते हैं, तो यह एक अच्छी बात नहीं है ।

१७ हजार स्टाफ का खर्चा है साल का और ६ हजार करीब वहां पर भोग का खर्चा है । अब मैंने पूछा तो पता लगा कि भोग–राग २१ छटांक का गौलक बनता है । पर वह भी लोगों के घर पर चला जाता है । उनकी स्टाफ की तनख्वाह भी खा जाते हैं । तो इस तरह से ये कितनी बुरी बातें हैं ।

इस तरह के किस्से पाये जाते हैं इन मन्दिरों में । जब जयपुर राजधानी में यह हाल है, तो दूसरी जगह क्या का कहना है ? मैंने कहा कि इसकी जांच नहीं करते कोई ? तो मालूम यह पड़ा कि जांच कौन करे ? नीचे से ऊपर तक सबका यही हाल है । कहीं पर ऑफिस में चौकीदार बुला लिया जावे घर पर काम करने को तो आफिस के दूसरे बाबू भी कह देंगे कि फलां साहब के यहां चला गया । तो वे भी घबराते हैं । सोचते हैं बुलाने से पहले मूर्तियां तो बोलती

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं। अब रहा सवाल पुजारी चौकीदारों का। तो वे बिचारे अफसरों के नाम से यों कांपते हैं जैसे बकरी शेर से कांपती है। डरते हैं कि कहीं अफसर थोड़ा सा भी नाराज हो गया तो नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ जावे। मन्दिर में मकान किराया दर्ज है।

यहां जयपुर में मानक चौक की चौपड़ पर एक माधव बिहारीजी का मन्दिर है। बाहर की उस मन्दिर की दुकानें किराये पर दे रक्खी हैं। अब किराया कितना है उनका ६६०) रुपया सालाना। आज जो पोजीशन उन दुकानों की है, उनमें से एक दुकान का किराया वे २००) रुपया ले सकते हैं। ऐसी १५ दुकानें होंगी। पर उन सबका किराया है ६६०)। गलत लोगों के हाथ में यह व्यवस्था है अपनी इच्छानुसार ये अधिकारी लोग जिसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं देवस्थान विभाग की सम्पत्ति आसानी से मनमाने भाव पर उसको सुपुर्द कर देते हैं। यह बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक एक रुपया महीने में बड़े बड़े कमरे जयपुर शहर में लोगों को इन्होंने दे रक्खें हैं। दस दस रुपयों में बंगले दे रक्खे हैं किराये पर इन्होंने। यह हाल है इन अधिकारियों का और इस देवस्थान विभाग का।

मैं दाद दूंगा और तारीफ करूंगा वक्फ विभाग के कमिश्नर की कि मुस्लिम धर्म सम्पत्ति जहां जहां पर भी हैं और जो पहले कम किराये पर थीं, उन सबका किराया उन्होंने बढ़वाया है। वे अपना पूरा समय इन कामों में ईमानदारी से दे रहे हैं और इसका फल यह हुआ है कि आज उनका वक्फ प्रान्त भर में सेल्फ सपोर्टेड हो गया है। जितनी आमदनी है उतना ही उनका खर्चा है। उनके नवाज पढ़ाने वाले, काजी मुल्ला को बराबर पे करते हैं, उनके मकतब जो उस पैसे से चलते हैं वे बराबर ठीक तरह से चलते हैं।

पर उससे सौ गुना ज्यादा सम्पत्ति होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने अपने आदमियों को हम नाजायज लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अपने मिलने-जुलने वालों को खूब नाजायज तौर से मालामाल करना चाहते हैं। देवताओं के साथ में यह खिलवाड़ नहीं होनी चाहिये।

देवस्थान मन्त्री आ गये हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तर मिलेगा और इसकी अच्छी व्यवस्था वे करेंगे। जिन बातों का जिक्र मैंने किया अगर उनमें उनको शक हो तो इसकी जांच वे आज ही कर लें।

एक बात और बड़ी भारी है, नाथद्वारा की जो हवेली है। वहां पर भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा विराजमान् है और महाराज श्री के आने के इन्तजाम के बारे में बड़े झगड़े चले। देवस्थान मंत्री महोदय ने अपने द्वारा–बिल तो अब आ रहा है–लेकिन यह इजाजत दे दी है कि महाराज श्री की अध्यक्षता में कमेटी चलेगी। तो श्रीनाथजी में भी कुछ लोगों ने सफाई वगैरह की है और ३० तारीख को महाराजश्री पधारेंगे। तो जैसे श्रीनाथजी के मन्दिर के लिए आपने ध्यान दिया? जयपुर के लिए क्यों नहीं दिया? कहीं कोतवाली में डंडे उड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि हमारे मन्दिरों को शुद्ध रखो, इनकी आमदनी बढ़ाओ। आप जहां नैतिकता के ऊपर इतना खर्च करते हैं।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

तो आप नैतिक धरातल ऊंचा करने के लिए इसमें से खर्च कीजिए। कोई भी मन्दिर, मस्जिद के अन्दर कोई मुल्ला या पंडित यह नहीं सिखाता है कि तुम किसी को मारो, तुम चोरी करो। वहां पर मानवता दिखाई जाती है। लेकिन मन्दिरों की आय से गुलछर्रे उड़ाये जाते हैं। इसकी आप एक कमेटी बना लें। आपने कमेटियां मनमानी बना रखी हैं मुझे एक डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि कमेटी बनी है लेकिन मीटिंग ४–४ और ५–५ साल भी नहीं होती है। यदि आप में से कोई धर्म को नहीं मानता है तो नहीं माने लेकिन जिनके मन्दिर हैं उनकी कमेटी बनी हुई है, उनको सौंप दीजिए। वैष्णव मन्दिरों का नियम है कि जब तक वैष्णव नहीं हो पूजा का अधिकार प्राप्त उसे नहीं हो सकता। आज इसी जयपुर शहर के अन्दर बीसियों मन्दिर ऐसे हैं कि जो अवैष्णव लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। यह परम्परागत बात है और उस सम्प्रदाय का अपमान मानता हूं। पूछा गया कि पुजारी कौन है, कथा बांचने वाला कौन है उनके लिए कहते हैं कि पंडित है। जब तक प्रथमा की परीक्षा कोई नहीं दे दे तब तक पूजा का अधिकारी नहीं होता है। तो इस तरह से आप देवस्थान के अन्दर थोड़ा सा ध्यान दें और जो अधिकारीगण हैं उनको तो मन्दिरों में प्रवेश करने दें और उनकी सम्पत्ति को नष्ट नहीं होने दें इस पर आप ध्यान दें। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। देवस्थान की जो आज हालत है वह अच्छी नहीं है, इसको सुधारेंगे तो मैं खुश होऊंगा और लोगों को भी खुशी होगी।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के हमारे शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी और हमारी मातृभाषा राजस्थानी की ओर खींचना चाहती हूं। इस सदन के प्रांगण पर शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं। क्या आप (श्री निरंजननाथ आचार्य) उत्तर देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : सभापति महोदय, बात आपसे करनी चाहिए और आप मुझ से कर रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, मैंने केवल यही निवेदन किया था कि शिक्षा मंत्रीजी आ जायें तो उचित हो, क्योंकि मैं पालिसी के ऊपर चर्चा करूंगी और कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहूंगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पालिसी की बात भी समझता हूं और शिक्षा के बारे में भी समझता हूं।

श्री सभापति : कुछ तो समझते ही हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इनका जवाब देने का अधिकार तो छीन लिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह हम समझे हुए है। आपके साथ छीनाझपटी हुई हो तो पता नहीं। मेरे यहां तो साफ मामला है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, पहले भी इस सदन के सामने

Page No. 74

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

मैंने राजस्थानी का प्रश्न उठाया था और उत्तर में एक आश्वासन भी दिया गया लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि जो आश्वासन हमें दिया गया उसके ऊपर आज तक कोई कभी कार्य नहीं किया गया। कार्य करना तो दूर रहा उसकी ओर ध्यान तक भी नहीं दिया गया है। शायद इस सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज से १।। साल पहले इसी सदन में राज्य सरकार की ओर से हमें यह विश्वास दिलाया गया था और एक वायदा किया गया था कि राज्य की नीति यह होगी कि जो प्रचारात्मक साहित्य राज्य से निकलता है और जिसका सीधा सम्पर्क और सम्बन्ध रहता है जन जाति और ग्रामीण जनता और किसानों से वह राजस्थानी भाषा में प्रसारित और प्रकाशित किया जायेगा। लेकिन क्या राज्य सरकार जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसके जवाब में एक नमूना भी ४–५ पंक्तियों का कोई छपा दिखा सकेगी कि उन्होंने राजस्थानी भाषा में किसी चीज को जो कि जन जाति के लिए या ग्रामीण जनता के लिए है आज तक कोई प्रकाशित किया हो तो बताये। हमारे मंत्री जी और सरकार बारबार यह जवाब देते रहे हैं कि राजस्थानी भाषा संविधान में स्वीकृत नहीं है इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। इस दलील को मैं मानती हूँ कि जब तक कोई भाषा संविधान में स्वीकृत नहीं होती इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके बारे में अब भी कुछ किया जा सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि राजस्थानी भाषा को साहित्यिक मान्यता दिलाने के लिये उसने क्या किया? मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से मिली थी और उन्होंने एक व्यक्तिगत पत्र साहित्य अकादमी को लिखा था लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका व्यक्तिगत पत्र लिखा जाना इस दिशा में काफी होता है। राज्य सरकार को वह लिखें और इसके लिए और भी ज्यादा ताकत के साथ काम करना चाहिए था। संविधान में नहीं आये तो कम से कम राज्य सरकार का फ़र्ज हो जाता है कि इसे साहित्यिक मान्यता दिलाये। हमारी भाषा का क्या रूप है, कितना बड़ा इसका खजाना है इसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं तो यही जोर दूंगी कि हमारी सरकार हमारी भाषा और संस्कृति की ओर, इतिहास की ओर आंख मूंदकर बैठी है जिसका एक नमूना माननीय विरोधी दल के नेता ने अभी अभी दिया था। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा का स्मारक क्षीण हो रहा है और उसे बनाया नहीं जा रहा है। यह एक नमूना है।

सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग का बजट लगभग १५ करोड़ रूपये है लेकिन हमारी मातृभाषा के लिए और साहित्य के लिए क्या खर्च किया जाता है? १५ करोड़ रूपये के बजट में १५ हजार रूपये की राशि राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए रखी गई है। इसका मतलब यह है कि .०१ परसेन्ट या यह कह दें कि १००) रूपये में से न ५ रू०, न १० रूपये खर्च किये जाते हैं बल्कि १०० रूपये के पीछे १ पैसा उन्होंने इसके लिए बजट में रखा है। लेकिन अफसोस यह है कि वह एक पैसा रखा गया है और वह भी तो खर्च नहीं किया गया है। यह हमारी राज्य सरकार का हमारी संस्कृति और साहित्य के लिए रवैया है। सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगी कि जो हमारी राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी साहित्य है

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

उसकी जितनी मिट्टी पलीद हमारे शिक्षा विभाग ने की शायद किसी ने इतना नहीं किया होगा। अगर आज सच्चे शब्दों में पूछा जाये तो राजस्थान बाहर के लोगों की एक कोलोनी बना हुआ है। मैं जोर देकर कहूंगी कि बाहर वालों की राजस्थान एक कोलोनी बना हुआ है, बाहर का साहित्यकार यहां से ले जायेगा, बाहर के लेखक और प्रकाशकों को प्रश्रय मिलेगा लेकिन इस राजस्थान की धर्ती में जन्मा हुआ यहां जो पैदा हुआ है उसको किसी प्रकार का लाभ न राज्य सरकार ने पहुंचाया है और न पहुंचाने की कोई उम्मीद नज़र आती है। मैं शिक्षा मंत्री जी की तारीफ जरूर करूंगी कि इन दिनों सार्वजनिक भाषणों में जोर देकर राजस्थानी के बारे में उन्होंने कहना आरम्भ किया है·······

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप भी तो राजस्थानी में भाषण दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मुझे दिक्कत यह होगी कि मैं जो कुछ कहूंगी वह पत्रों में नहीं आ सकता, इसलिए मैं राजस्थानी में नहीं बोलूंगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रेस का ख्याल है। प्रेस को अपील नहीं की जानी चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सरकार इसकी उपेक्षा करती है। अंग्रेजी के पत्रों में भी आये और विदेशी पत्रों में भी आये, मैं सभी भाषाओं का उत्थान और विकास चाहती हूं ··· ···

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उसका हम अनुवाद करा देंगे। आप तो रशियन में बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप बिराज जाओ।

आप कहने तो दीजिए, बात का सिलसिला टूट जाता है।

सभापति महोदय, तो मैं यह कहूंगी कि जो राजस्थानी भाषा के प्रति जितनी नेग्लीजेंस हमारी सरकार बरत रही है उसका दूसरा कोई उदाहरण नजर नहीं आता है। जो राजस्थानी भाषा के प्रकाशन हैं उनकी ओर हमारी सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्रीजी की एक तारीफ मैं जरूर करूंगी कि इन दिनों में इतनी हिम्मत उन्होंने जरूर की कि उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में जाकर राजस्थानी भाषा को एक पूरी भाषा माना और राजस्थानी को उन्होंने फली फूली भाषा के रूप में माना, एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में माना और उसके विकास की बातें भी कही। लेकिन सभापति महोदय, एक भाषण देना बात और होती है, काम को करके दिखाना कुछ और होता है। जहां तक उनकी वाक–वीरता का सवाल है मैं उनकी दाद देती हूं लेकिन जहां तक कर्मवीरता का सवाल है उन्होंने कोई कर्म करके नहीं दिखाया, इसके लिए मैं क्या कहूं। आज मैं बहुत संक्षेप में राज्य सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगी ज्यादा न कह कर। सभापति महोदय, हमारे राज्य सरकार की स्कूलों में, उनकी लाइब्रेरीज में जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं उसके बारे में मैं विशेष तौर से ध्यान खींचना चाहूंगी जब आज तक जो पुस्तकें

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

उनके द्वारा खरीदी जाती थी उनके न कोई नियम थे और न किसी प्रकार के नियमों की व्यवस्था थी और जिस तरह से इन पुस्तकों को खरीदने में घोटाले चलते रहे, गड़बड़ी चलती रही उससे सदन पूरी तरह से वाकिफ़ है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप नोट करिए (श्री आचार्य की ओर मुखापेक्ष)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप क्यों बीच में बोल रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : (श्री व्यास की ओर मुखापेक्ष) आप क्यों बीच में बोलते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, यह चाहते हैं कि इस तरह से मजाक के अन्दर इसको टाल दिया जाय, बोलने का सिलसिला टूट जाय और पूरी बात न कही जाय ।

तो सभापति महोदय, आज तक जो पुस्तकें खरीद की जाती रही हैं न तो वे ऊंचे स्टेंडर्ड की रही हैं, न सुरुचिपूर्ण रही हैं । अगर आप उनके साहित्य को देखें तो आपको मालूम होगा कि कई पुस्तकें तो अश्लील होती हैं सस्ती होती हैं, अरुचिपूर्ण होती हैं। इसका कारण यह है कि ये टेंडर से सस्ती मंगाई जाती हैं, इसके सस्ते टेंडर मंगाये जाते थे और उनके जो कृपा पात्र प्रकाशक होते हैं, दिल्ली में, इलाहबाद में, वहां से बड़ी मात्रा में पुस्तकें आती हैं । इसके पीछे क्या रहस्य है, इसको मैं अपनी जबान से किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी । मैं सिर्फ यह बताना चाहती हूं कि जो पुस्तकें खरीदने का तरीका है वह इस प्रकार का है कि जिससे अच्छी और ऊंची, सुरुचिपूर्ण पुस्तकें नहीं आ सकतीं । आप शिक्षा विभाग से कृपा करके पूछें कि उन्होंने आज तक जो सुन्दर प्रकाशक हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट दिल्ली वगैरह से और दूसरे दूसरे स्थानों से जो उच्च कोटि के प्रकाशक होते हैं वहां से हमारे यहां कोई पुस्तकें क्यों नहीं मंगाई जाती हैं ? सही है कि हमारे यहां पर भी कुछ प्रकाशक होते हैं जो सस्ते होते हैं, सुन्दर होते हैं लेकिन हमारे पुस्तकालयों में उन अच्छी किताबों का अभाव है । अभी कुछ महीने पहिले डायरेक्टर ऑफ कालेज एजूकेशन ने एक आज्ञा निकाली थी कि टेण्डर सिस्टम उचित नहीं है । इस टेण्डर सिस्टम को हटा दिया जाय और हैड मास्टर खुद पुस्तकों की खरीद करे । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने टेण्डर से किताबें न खरीदने की आज्ञा निकाल दी और उनके आज्ञा निकाल देने के बाद भी बराबर टेण्डर लिए जाते हैं । शिक्षा मंत्रीजी ने एक मीटिंग करके आज्ञा जारी कर दी फिर भी उनकी तामील नहीं होती है । सभापति महोदय, अभी महीने डेढ़ महीने पहले ही शिक्षा मंत्रीजी ने एक आज्ञा निकाली कि इंस्पेक्टरों के पास·······

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : यह आज्ञा है कि बिना टेण्डर के भी हैड मास्टर किताबें ले सकता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप बीच में बोल रहे हैं ।

श्री जेठमल बरवड़ : बीच में बोलने की क्या बात है ? मैं आपको सही बात बता रहा हूं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपको जो कुछ कहना है बाद में कह दीजिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको याददहानी कराते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अभी इसी महीने शिक्षा मंत्रीजी ने आज्ञा दी है कि इंस्पेक्टर्स के पास जितना बजट रह गया है उसको सरेंडर कर दिया जाय । मैं यह जानना चाहूंगी कि यह आज्ञा आपने किस मकसद से दी है कि जो बजट रह गया है उसको सरेंडर कर दिया जाय, कितनी राशि बची थी जिसके लिए आपने यह आज्ञा दी । आप उनको इस तरह की इजाजत भी एन वक्त पर देते हैं जबकि किताबें खरीद हो रही थी, यही आज्ञा वे पहले भी, महीने डेढ महीने पहले भी दे सकते थे । मैं उनसे यह पूछना चाहूंगी कि इसका क्या कारण था कि ऐन वक्त पर आपने यह आज्ञा दी, यह हम जानना चाहेंगे । दूसरी शिक्षा मंत्रीजी ने यह आज्ञा निकाली कि जो पुस्तकालय पुस्तकें खरीदें उनमें १५ प्रतिशत राजस्थान के लेखक या राजस्थानी भाषा या राजस्थान के प्रकाशकों की हो । उस आज्ञा पर अमल हुआ या नहीं, उन्होंने यह आज्ञा निकाली या नहीं । मैं संक्षेप में शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगी कि भविष्य में जो पुस्तकें खरीदी जावें वे इस तरह की हों कि जो सुन्दर हों, सुरुचि पूर्ण हों, अच्छे ढंग से बनी हुई हों और इस तरह से जो राजस्थान के प्रकासकों की लूट हो रही है, राजस्थान के प्रकाशकों और लेखकों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है उसको बन्द किया जाय । जो राजस्थान के लेखक हैं, जो राजस्थान के प्रकाशक हैं और राजस्थानी भाषा के लिखने वाले हैं उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए ।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, राष्ट्रभाषा हिन्दी की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । हमारी राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया था कि सन् १९६५ तक हमारे अपने राज्य का सब कामकाज हिन्दी के अन्दर करना शुरु कर देगें । लेकिन सन् १९६५ समाप्त हो चुका है हम कितनी प्रगति कर पाए हैं उसकी ओर भी हमें ध्यान देना है । यह मैं कहती हूं कि जो सलाहकार समिति है इसकी उसमें मेरा भी नाम है और उसके अन्दर जिस प्रकार की बातें होती हैं उन्हीं के आधार पर मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहूँगी । हिन्दी को जल्दी लागू करने के सिद्धान्त को सामने रखकर ही सरकार ने हिन्दी विभाग की अलग से स्थापना की थी । हिन्दी विभाग के मिनिस्टर अलग हैं, हिन्दी विभाग के डायरेक्टर अलग हैं, पूरा का पूरा विभाग है । लेकिन आज तक काम क्या किया है इस विभाग ने ? कुल ३५७ टाईपराईटर लाकर दिए हैं । इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमने ३५७ टाईप-राईटर लिए हैं जिनको सारे राज्य में, सारे विभागों में हमने वितरित कर दिया है और वह टाईपराईटर भी कितने हैं कि ३५७ । इन ३५७ टाईपराइटर्स को सारे राज्य में सारे विभागों में वितरित किया गया है । यह हमारे कार्य की प्रगति है । अभी तक हिन्दी विभाग ने कुल पांच प्रकाशन किए हैं । उनमें से तीन प्रकाशन तो केवल इस

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

बात के हैं कि उस मिनिस्टर ने यह आज्ञा दी, इस विभाग ने यह लिखा उसने यह लिखा, केवल तथ्यों की बातें हैं। केवल दो प्रकाशन ऐसे किए हैं जिनमें पद नाम सूची है। यह एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में है। इसका मतलब यह है कि जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और हिन्दी में क्या कहा जाएगा, केवल यही दिया हुआ है। जैसे यहां मिनिस्टर अंग्रेजी में कहते हैं उसी को हिन्दी में मंत्री कहा जाएगा। इस तरह की दो पुस्तकें छोटी छोटी निकाली हैं जिनमें एक तो करीब ६० पृष्ठ की और दूसरी और भी छोटी। एक और बड़ा काम उन्होंने किया है, जिसे वे स्वयं ही बड़ा काम मानते हैं, वह बड़ा काम यह किया है कि जो कॉन्फीडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है उसके अन्दर कौन से शब्द होने चाहिए। इतने दिनों के काम में यह कुल काम उन्होंने किया है। अंग्रेजी में पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है और उनको हिन्दी में क्या कहा जाएगा, इसके प्रकाशन का काम किया है। सभापति महोदय, यह आप स्वयं मुलाहिजा करके देखिए कि एक हिन्दी का पूरा विभाग इतने दिनों में यह काम करता है तो क्या यह यथेष्ट है ? मैं अपने मुंह से ज्यादा न कह कर अपने हिन्दी समिति के चैयरमैन सेठ गोविन्ददासजी जो अभी कुछ दिनों पहले यहां आए थे उन्होंने जो कुछ कहा है उसी को मैं आपके सामने रखती हूं। उन्होंने कहा कि यहां के कार्य को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी तक जितना सचिवालय में काम काज होता है उसका केवल १० प्रतिशत ही हिन्दी में कार्य होता है। यह सेठ गोविन्ददासजी के रिमार्क हैं। इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर खींचूं कि और विभागों में चाहे किसी भाषा में काम होता हो लेकिन आपके डायरेक्टर ऑफ कालेज एजूकेशन के यहां सारा का सारा काम अंग्रेजी में होता है। हिन्दी में नहीं होता है। इसका प्रश्न मैंने मंत्री महोदय से भी किया था तो उन्होंने मुझे जवाब जो दिया वह भी बड़ा बेतुका था। उन्होंने कहा कि चूंकि डाइरेक्टर हिन्दी नहीं जानते इसलिए काम अंग्रेजी में होता है। अगर वहां हिन्दी कर दें तो फिर काम कैसे होगा ? मैं यह कहती हूं कि जब हमारे लाखों–करोड़ों लोगों के पास जो ए० बी० सी० डी० भी नहीं जानते हैं उनको आप मजबूर करोगे कि तुम हमारे अंग्रेजी में लिखे हुए हुक्मों को पढ़ो तो फिर यह डाइरेक्टर साहब ही हिन्दी क्यों नहीं सीख सकते। हमारे डाइरेक्टर साहब हिन्दी नहीं सीख सकते, इस बात को मैं नहीं मानती।

(२.०० म. प.)

मेरा डाइरेक्टर साहब से व्यक्तिगत सम्बन्ध है। मैं जानती हूं कि वह ऐसी बात नहीं कर सकते। मैंने यह माना कि वह हिन्दी नहीं लिख सकते हैं लेकिन वह समझते जरूर हैं। चाहे अपनी आज्ञा वे हिन्दी में लिखकर अंग्रेजी में लिखावें लेकिन यह जरूरी होना चाहिए कि वहां का सारे का सारा काम हिन्दी में होना चाहिए। जब शिक्षा विभाग ही हिन्दी में काम नहीं करेगा तो दूसरे विभागों की तो बात ही क्या करें ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं केवल एक मिनट में आपकी आज्ञा के अनुसार समाप्त कर दूंगी।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

मैं जोधपुर युनिवर्सिटी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। राज्य सरकार ने हुक्म दिया कि रजिस्ट्रार अपने जिस पुराने पद पर थे उस पद पर चले जायं, लेकिन जो कुछ उनके बारे में सदन में बातें हुई वह सारा सदन जानता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उस हुक्म के बाद भी रजिस्ट्रार महोदय उसी पद पर आसीन हैं। जब सिन्डीकेट ने फैसला किया था और वाइस-चान्सलर से कहा गया था कि रजिस्ट्रार पद के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए एडवर्टाइज-मेंट निकाले उसमें दूसरी और युनिवर्सिटियों से यह आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि रजिस्ट्रार की योग्यता क्या होनी चाहिए, लेकिन वाइस चान्सलर ने एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला और उस सिन्डीकेट की आज्ञा के दूसरे दिन ही रजिस्ट्रार महोदय ने खुद विज्ञप्ति निकाली और उसमें उन्होंने वह योग्ताएं लिखी जो उन्हीं पर लागू होती हैं, यानी उनके अलावा दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्रार के पद के लिए नहीं आ सके। उन्होंने उसमें दिया कि डिप्टी इन्सपेक्टर होना जरूरी है, इन्सपेक्टर होना जरूरी है, यानि रजिस्ट्रार पद के लिए एक प्रोफेसर दर्ख्वास्त नही कर सकेगा। एक प्रिन्सीपल दर्ख्वास्त नहीं कर सकेगा, केवल डिप्टी इन्सपेक्टर या इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ही कर सके। इसका मतबब यह होता है कि नये एडवर्टाइजमेंट के रूल के बनने के बाद भी वही रजिस्ट्रार महोदय उस पद पर आयें जिनकी बातों को लेकर जो मामला हो चुका है वह सदन सब जानता है। जोधपुर में बम वर्षा हुई थी उस समय उन्होंने किस तरह से हो हल्ला फैलाया था, और किस तरह से युनिवर्सिटी को बन्द किया गया था और किस तरह से विद्यार्थियों में..........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कौनसी युनिवर्सिटी की बात है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जिसके कारण हमको शर्मिन्दा होना पड़ा था। इन सारी बातों को देखते हुए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं (मंत्री महोदय के आने पर) मंत्री महोदय अब आ गये हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि जो मैंने ५–४ प्रश्न पूछे थे आज के आपके उत्तर में उनका अलग अलग जवाब दें, विगतवार जवाब दें।

कुछ माननीय सदस्य : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : श्री गंगासिंह जायल !

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता के बाद हमारी सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में यह सोचा कि जो पहले शिक्षा मिल रही थी उस शिक्षा के अन्दर रद्दोबदल करना आवश्यक है, और उस ध्येय से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर जो विशेषज्ञ थे उनकी सलाह से शिक्षा किस तरह की राज्य के अन्दर हो इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिये। सभापति महोदय, अगर आप इस शिक्षा के सम्बन्ध में जो सरकार के द्वारा निर्णय लिये गये हैं इस सम्बन्ध में विचार रखें तो सब को महसूस होगा कि यह जो स्टेप जो कि स्वतन्त्रता के बाद के अन्दर सरकार ने लिया कि हमारी शिक्षा-पद्धति किस तरह की हो, और हमको इस राज्य के अन्दर

(श्री गंगासिंह राठौड़)

किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए इसके सम्बन्ध के अन्दर बारबार जो सोचा, उसको मैं एक एक्सपेरीमेंटल स्टेज की संज्ञा ही दे सकता हूँ।

सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इसके लिए यह जरूरी है कि जो कोई भी आप शिक्षा के सम्बन्ध में पालिसी निर्णय लें वह पालिसी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि साल, दो साल या तीन साल के बाद वह बदलती रहे। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान जो सेकेण्डरी और हायर सेकण्डरी के सम्बन्ध की शिक्षा है इस सम्बन्ध में आकर्षित करूंगा। सभापति महोदय, मेरे यह समझ में नहीं आता कि आपने अभी हायर सेकेण्डरी स्कूल के अन्तर्गत जो कोर्स रखा है और जो पहले कोर्स था उसमें जो यह भिन्नता रखी गई है वह क्यों रखी गई है ? क्या इससे फायदा हुआ है या होने वाला है, इसके सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि सरकार कुछ भी निर्णय नहीं ले सकी है। पहले हाई स्कूल एक्जामिनेशन होता था उसके बाद में इन्टरमीजियेट एक्जामिनेशन होता था, उसके बाद ग्रेजुएशन यानी बी० ए० की परीक्षाएं होती थीं। हाई स्कूल के दो साल के बाद इन्टरमीजियेट और उसके बाद दो साल के बाद में ग्रेजुएट। आपने जो नया कोर्स बनाया है उसके अन्दर आपने हाई स्कूल को भी रखा और इसके साथ-साथ एक सेकेण्डरी स्कूल और हायर सेकण्डरी क्लासेज इस तरह की शिक्षा पद्धत्ति और खोली, और उसके बाद में थी टी० डी० सी० कोर्स रखा, और इसके पहले कॉलेज में जाने के लिए हाई स्कूल के बाद पी० यू० सी की परीक्षा रखी।

यह हाई स्कूल, पी० यू० सी० व हायर सेकेण्डरी स्कूल के बीच के अन्दर जो शिक्षा प्रणाली रही है वह प्रणाली एक कन्फ्यूजन सी रही है जो निर्णय होना चाहिए था सरकार का उसके सम्बन्ध के अन्दर वह निर्देशक नहीं था। मैं यह समझता हूं, सभापति महोदय, कि सरकार को अपनी शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में दृढ़तापूर्वक पालिसी रखनी चाहिए। मैं नहीं समझ सकता कि एक तरफ तो हम हाई स्कूल की परीक्षा दिला रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हाई स्कूल का कोई विद्यार्थी कालेज में जाये तो पी० यू० सी० की परीक्षा दे। उसके साथ-साथ आपके सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी स्कूल्स चलते रहें इससे कन्फ्यूजन होता है। इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो आपकी पालिसी हो उसको स्पष्ट करें। यह जो सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल व पी० यू० सी० के जो कोर्सेज चल रहे हैं इनके सम्बन्ध में जो निर्णय हो वह एक सा हो, और इस तरह के अलग अलग कोर्सेज नहीं हों।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो आपकी शिक्षा-प्रणाली स्वतन्त्रता के बाद में चली, उसके बाद में शिक्षा-प्रणाली ने जो नया मोड़ लिया उसके बाद १३-१४-१५ साल का जो समय गुजरा है वह शिक्षा के एक्सपेरीमेंट के सम्बन्ध में गुजरा है। आप यह देखते रहें कि किस तरह की शिक्षा-प्रणाली अपनाई जाये। आपने देखा कि यह

(श्री गंगासिंह राठौड़)

ठीक नहीं तो फिर वे चैन्ज की और दूसरी प्रणाली को लाये, और इस तरह से नुकसान इस राष्ट्र का हुआ है उसका आप अन्दाज नहीं लगा सके। मैं यह समझता हूं कि यह जो १५ साल का जो समय गुजरा है उसमें शिक्षा का हनन हुआ है। इन १४–१५ सालों का जो विद्यार्थियों का स्टेण्डर्ड गुजरा है वह हिन्दुस्तान के इतिहास में स्टेण्डर्ड कभी नहीं गुजरा होगा और न गुजरेगा। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं और शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम शिक्षा के साथ में इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपकी एक पालिसी निर्धारित होनी चाहिए, यानी कोई बेस होना चाहिए उसके आधार पर शिक्षा-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बार-बार चैन्जेज नहीं आयें।

इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी के उपरान्त में प्राथमिक स्कूलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जहां तक प्राइमरी स्कूलों का सम्बन्ध है, सभापति महोदय, दूसरे देशों के अन्दर देखा जाता है कि एक विद्यार्थी की नींव अच्छी करने के लिए वे अच्छे टीचर्स रखते हैं, परन्तु आपके यहां जो शिक्षा प्रणाली का और जो शिक्षक रखते हैं उनका जो स्टेण्डर्ड आप देखें तो यह महसूस होगा कि वे शिक्षक कभी भी अच्छे शिष्य पैदा नहीं कर सकते। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम जो बेस है प्राइमरी स्कूल्स उनके अन्दर तो टीचर्स वैल-क्वालिफाइड हों, और बच्चों की साइकोलॉजी के मुताबिक किस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाय इस सम्बन्ध में ज्ञान रखने वाले टीचर्स हों जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वह किस तरह की होनी चाहिए, उनके दिमाग को किस तरह से मोल्ड किया जा सके यह उन्हें मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम प्राईमरी स्कूल जो कि एज्यूकेशन का बेस है उस बेस को आपको पक्का करना जरुरी है जिसके कारण से उस नींव पर जो इमारत खड़ी करें वह इमारत दृढ़ हो।

सभापति महोदय, जहां तक प्राइमरी एज्यूकेशन का सवाल है वह फिलहाल जो पंचायतों को दी गई हैं तो वहां का जो स्टेण्डर्ड वह देखा जाये तो गवर्नमेंट स्कूल जो म्युनिसिपल एरिया में हैं उनके स्टेण्डर्ड से भी नीचे गिरा हुआ है इसके सम्बन्ध में मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम चाहे प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों को दें, चाहे पंचायतों को दें, चाहे जिला-परिषद् को दें उनका स्टेण्डर्ड जो कि पहली से पांचवीं कक्षा तक का है वह आपके दूसरे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके स्टेण्डर्ड से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। फिलहाल यह देखा जाता है, सभापति महोदय, कि जो पांचवीं पढ़कर पंचायत समिति के स्कूलों से आते हैं और छठी में मिडिल स्कूल यां हाई स्कूल में भरती होते हैं। उनका स्टेन्डर्ड इतना नीचा होता है कि वे उसको समझते नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि कम से कम प्राईमरी स्कूलें जो आपने पंचायत समितियों के नीचे दी हैं उनका स्टेडर्ड बढ़ाने के लिये और ऊंचा

(श्री गंगासिंह राढौड़)

स्टेन्डर्ड कायम रखने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

इसके साथ साथ में आपका ध्यान ऐसे मुद्दों की ओर दिलाऊंगा जिससे बैसिकली एज्युकेशन में रिवोल्युशन लाना जरूरी हो जाता है। आपका अभी जो स्तर है उसमें बैसिकली कोई चेन्ज नहीं है। पहले जो एज्युकेशन का ढांचा था उसी माफिक चलाते रहे उसमें कुछ रद्दोबदल करने की कोशिश नहीं की। पहले के ढांचे में जहां पर आवश्–कता हो उसके अनुसार तब्दीली करके स्टेन्डर्ड ऊंचा उठाने के लिए किस तरह की एज्यु–केशन प्रान्त में होनी चाहिये इस ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय जो प्राईमरी स्कूल्स, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल्स या कालेज जैसे इन्स्टट्यिूशन्स है उनमें आपको पब्लिक स्कूल, जैसी कि पूना में क्रिश्चियन स्कूल है वहां पर क्या किया है कि वहां पर नौकर वगैरह कुछ नहीं है लड़कों को पेमेन्ट किया जाता है, सारा काम लड़के करते हैं, चपरासी का क्या, डाक लाने, ले जाने का क्या, सब काम लड़के ही करते हैं। इसलिये आपको कम से कम एक नयी लाइन एज्यु–केशन में देनी है तो इस तरह का ढांचा यदि इन स्कूलों मे हो तो एक एक लड़का २५.३० रुपया महावार इससे कमा कर अपनी एज्युकेशन का काफी खर्चा निकाल सकता है। इसके साथ साथ वहां पर उन्होने होस्टल रख छोड़ा है उसमें मेस सिस्टम नहीं है केन्टीन सिस्टम है। केन्टीन में सब तरह की चीजें रख दी जाती हैं और लड़के जो चीज लेना चाहते हैं वह ले लेते हैं और उसी के अनुसार उसका विल बन जाता है इसलिये में चाहूंगा कि जो एज्युकेशन आप दिलाना चाहतेहैं, एज्युकेशन दिलाना सरकार का कर्त्तव्य है, चाहे कोई भी सरकार हो लेकिन उसमें जमाने के साथ साथ चेन्जेज आनी आवश्यक है। वह चेन्ज स्वतन्त्रता के बाद आज तक नहीं आयी है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपकी इस तरह की एज्युकेशन होनी चाहिये प्रजेन्ट सिस्टम में कौनसी खराबियें है, खराबियां न भी हो तो भी चेन्जेज क्या करनी चाहिये इस ओर ध्यान जाना आवश्यक हो जाता है।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, इस राज्य में जो बहुत जनता गांवों में रहती है और गांवों में पढ़ाई का पूर्ण इन्तजाम नहीं है इसीलिए प्राईमरी स्कूलों की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वहां के लड़के शहरों में आते है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम शहरों में जो हाई स्कूल्स व हायर सेकेन्डरी या कॉलेजेज़ हैं उनमें होस्टल ज्यादा तादात में होने आवश्यक हैं पांचवी कक्षा तक तो लड़के किसी भी स्कूल में पढ़लें लेकिन पांचवी के बाद मिडिल स्कूल और हायर सैकेन्डरी में जब बहार के लड़के जाते है उस समय उनके लिये होस्टल की व्यवस्था नहीं होती है तो उनको शिक्षा नहीं मिल सकती और उनकी पढ़ाई कतई बन्द हो जाती है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा की होस्टल्स का प्रबन्ध ज्यादा से ज्यादा तादात में मिडिल स्कूल्स, हायर सेकेन्डरी स्कूल्स के अटेच्ड होना चाहिये और जो गरीब लड़के बाहर से आते हैं उनको फाइने–न्सियल हेल्प भी मिलना आवश्यक हो जाता है वर्ना होस्टल का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि आप यदि

(श्री गंगासिंह राठौड)

रूरल एरिया में एज्युकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो होस्टल का प्रबन्ध अधिक से अधिक होना चाहिये ।

सभापति महोदय, जहां तक एज्युकेशन का सम्बन्ध है यह देखा जा रहा है कि एज्युकेशन का स्तर बराबर नीचे आ रहा है । आप के जो कोर्सेज है वे कन्फयूज़न क्रियेट करते हैं । सैकन्डरी स्कूलों में जो कोर्सेज का ग्रुपिंग है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बीनेशन है वह अजीब तरह से किया गया है; सोशियल स्टेडी, जनरल साइन्स और मेथेमेटिक्स एक ग्रुप में रख दिये हैं । सभापति महोदय, मैं नहीं समझता सोशियल स्टेडी, और मैथेमेटिक्स का क्या संबंध है ? मैथेमेटिक्स जैसा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट जो कम्प्लसरी होना चाहिये वह कम्प्लसरी नहीं रखा गया है । इस सब्जेक्ट का अच्छा स्टेन्डर्ड होना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा लड़कों का ब्रेन बढ़ता है, फैकल्टी बढ़ती है लेकिन इसकी तरक्की की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । हाई स्कूल और हायर सेकन्डरीज़ में भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है । इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि सब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग ठीक ढंग से किया जाय । किस सब्जेक्ट के साथ कौनसा सब्जेक्ट हो, इस सम्बन्ध में आपकी नीति दूसरे, चौथे या पांचवे वर्ष में बदलती गई है, इस तरह से बदलना वाजिब नहीं होगा ।

सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान गर्ल्स एज्युकेशन की ओर दिलाऊंगा । हमारे प्रान्त में गर्ल्स एज्युकेशन बहुत कम है । हमारे गांवों में प्राइमरी स्कूलों तक मुश्किल से गर्ल्स पढ़ पाती हैं, आगे पढ़ने के चान्सेज़ नहीं हैं; गर्ल्स स्कूल की हमारे यहां बहुत कम तादाद है और उनके लिये होस्टल्स का प्रोविज़न नहीं है । यदि गर्ल्स एज्युकेशन को बढ़ोत्तरी देनी है तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम बड़े बड़े शहर हैं वहां पर जो मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल्स हैं उनके साथ साथ होस्टल का प्रबन्ध करना आवश्यक हो जाता है । इसके साथ साथ मैं यह देखता हूं कि गर्ल्स एज्यु-केशन की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के गर्ल्स एज्युकेशन की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । वहां पर दो साल पहले जो सैकन्डरी एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें सब की सब गर्ल्स फेल हुईं । यह आपका कौनसा स्टेन्डर्ड है ? यह नहीं हो सकता कि सारी ही गर्ल्स का दिमाग तेज नहीं है या वे पढ़ती नहीं हैं, बल्कि आप जो मास्टर रखते हैं वे ऐसी होती हैं कि या तो वे खुद नहीं जानती हैं या जानती है तो पढ़ाती नहीं हैं । आपने गर्ल्स एज्युकेशन के साथ इस तरह का बरताव किया है कि पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो भी चलेगा । गर्ल्स स्कूल के लिये आपका इस तरह का रवैया ठीक नहीं है ।

मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आपका ध्यान और आकर्षित करूंगा । राजस्थान के हर हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर कॉलेज होना जरूरी हो जाता है । करीब करीब काफी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर कॉलेज बन चुके हैं लेकिन नागौर में कॉलेज नहीं है जब कि आस-पास में फीडिंग हाई स्कूल्स या हायर सेकन्डरी की संख्या काफी है । लेकिन कॉलेज का प्रबन्ध अब तक नहीं हो सका है । वहां पर रहने वाले आदमियों ने पैसा भी कॉलेज बिल्डिंग के लिये इकट्ठा कर लिया है, वे

(श्री गंगासिंह राठौड़)

लोग बिल्डिंग बनाने को तैयार हैं। जब हम वहां पर बिल्डिंग बनवाने के लिये तैयार हैं और हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर कॉलेज होना भी आवश्यक हैं तो फिर १७-१८ वर्षों के बाद भी हमारे यहां पर कॉलेज क्यों नहीं खोला गया ? हमारे डिस्ट्रिक्ट में रूग्ण गांव है वहां पर मिडिल स्कूल है, आस पास के प्राइमरी स्कूलों से काफी लड़के आते हैं वहां पर हायर सैकन्डरी या हाई स्कूल खोलने के लिये प्रार्थना है। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि मूंडगा में गर्ल्स स्कूल है उसकी बिल्डिंग में काफी अर्से से तनाजा चल रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि वहां का पटवार खाना गर्ल्स स्कूल के लिये दे दिया है और दूसरी ओर कह दिया कि उसका पेमेन्ट करो। इस तरह के झगड़े वहां पर चल रहे हैं जिसके कारण बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह मसला तीन-चार साल से चल रहा है इसको तय कर दिया जाय जिससे वहां पर गर्ल्स स्कूल बने और गर्ल्स स्कूल की कमी है उसको पूरा किया जा सके।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल !

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि कुल मिला कर ६७ माननीय सदस्यों ने अपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं जिनमें से ३८ कांग्रेस पार्टी के हैं, १५ स्वतंत्र पार्टी के हैं, तेरह जनसंघ के हैं और एक निर्दलीय हैं। और साढ़े चार बजे मुख-बन्द का प्रयोग हो जायगा। मैं समझता हूँ कि अन्य माननीय सदस्यों के अलावा माननीय मन्त्री को भी उसके पूर्व उत्तर देना चाहिए जिससे मुख-बन्द प्रयोग का समय आगे न बढ़ाया जाय। अगर समय न बढ़ा तो सदन के पास समय कम है और बोलने वाले ज्यादा हैं। इसलिए माननीय सदस्य अपनी अपनी मुद्दे की बात कम से कम में, दस मिनिट में, रख दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को बोलने का मौका मिल जाय। मैं यह प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का समय दिया जाय। चूंकि समय कम है इसलिए समय के बारे में निवेदन है कि माननीय सदस्य समय का ध्यान ज्यादा रखें। इस दृष्टि से अब तक कांग्रेस के तीन माननीय सदस्य बोल चुके हैं, दो स्वतन्त्र पार्टी के बोल चुके है और एक जनसंघ के बोल चुके हैं, निर्दलीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं जो बोलना चाहते थे ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं हूँ।

श्री सभापति : आप निर्दलीय नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी हैं।

श्री सभापति : उनका कटौती का प्रस्ताव नहीं है। वह बोलना नहीं चाहते हैं। श्री कृष्णकुमार गोयल के बाद में कांग्रेस के माननीय सदस्य को समय दिया जायगा लेकिन उस तरह न करें जैसे श्री गोकुल प्रसादजी ने अधिक समय लिया और बरा-

(श्री सभापति)

वर शिकायत करते रहे कि सदन में कोई मंत्रीजी नहीं हैं। यदि मन्त्री सदन में नहीं हों तो बोलने से क्या लाभ है ? मैं मन्त्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि सदन में दो मन्त्री और दो उप मन्त्री रहें, और दो मन्त्री नहीं तो एक मन्त्री और दो उप मन्त्री सदन में उपस्थित रहें ताकि जो मुद्दे सदन में उठाये जाये उनको वह नोट करते रहें। तो कोई न कोई दो मन्त्री सदन में उपस्थित रहें, दोनों विभागों से सम्बन्ध रखने वाले दो मन्त्री हों तो अत्युत्तम है, और दो नहीं तो एक मन्त्री हों तो उत्तम है और वह भी नहीं हों तो कोई भी मन्त्री, दो मन्त्री यहां सदन में रहने चाहिए। यस !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): सभापति महोदय, मैं विविध विभाग की मांग पर स्थानीय निकाय के बारे में कुछ मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करके अपने विचार प्रगट करूंगा।

जहां तक डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ का सवाल है, मेरी मान्यता है, और मेरी ही नहीं बल्कि साधारण मान्यता यह है कि इस डी.एल.ओ. ऑफिस को यदि डेड लैटर ऑफिस कहा जाय तो कोई इसके अन्दर अत्युक्ति नहीं होगी ! आज इस डाइरेक्टोरेट का केवल काम एक रह गया है कि राजनैतिक आधार के ऊपर या स्वार्थों की पूर्ति के लिए कौनसी म्युनिसिपेलिटी को भंग किया जाय, किन का एक्सटेंशन किया जाय; इसी प्रकार से जो सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है उसके अन्दर पक्षपात करके, भाई-भतीजावाद को पनपाया है। इसके अलावा जो म्युनिसिपेलिटीज़ है, वह म्युनीसिपैलिटीज़ किस प्रकार बढ़ें और उनके अन्दर जो कुछ कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करके एक विकेन्द्रीकरण के रूप को सफल रूप से ला सकें–आज तक इस पर विचार करने की इस डाइरेक्टोरेट ने कोशिश नहीं की है। सभापति महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में विचार करने के लिए कई कमेटीज का निर्माण किया गया, इस सम्बन्ध में श्री मथुरादास माथुर कमेटी बनी, श्री बालकृष्ण कमेटी बनी, स्वायत शासन अध्ययन कमेटी बनी, टी.एन. चतुर्वेदी कमेटी बनी और एक स्टैफन पैटर्न का निर्माण करने के लिए कमेटियों में विचार हुआ। मैं समझता हूँ, इस प्रकार से लाखों रुपया खर्च किया गया, इन कमेटियों के आधार पर अध्ययन करने के लिये लोग पंजाब गये, आन्ध्र प्रदेश गये और उनके भत्तों के लिए लाखों रुपया खर्च हुआ। लेकिन आज तक इस विभाग ने उन कमेटीज़ की रिपोर्ट के आधार पर किस प्रकार इस विभाग को एफीशियेन्ट कर सकते हैं–कभी इस प्रकार का प्रयास नही किया गया। केवल एक बार जब इस विभाग के भूतपूर्व मन्त्री श्री सम्पतिरामजी थे तब स्वायत्त शासन अध्ययन दल की रिपोर्ट पर कुछ विचार करने का प्रयास किया गया।

उसके बाद में उसके अन्दर प्रोसीडिंग्स हुई लेकिन, सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि भूतपूर्व मंत्री के समय में इस अध्ययन दल की रिपोर्ट को लेकर उसको कार्यान्वित करने के लिए जो विचार-विमर्श किया गया, आज उसकी प्रोसीडिंग्स की फाइल गायब है, आज इस विभाग में उस प्रोसीडिंग्स का पता नहीं है।

Page No. 86

(श्रीकृष्ण कुमार गोयल)

आप अनुमान लगायें, एक अध्ययन दल बना और बनने के बाद में उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही हो और उसकी प्रोसीडिंग्स लिखी जायं लेकिन इस डाइरेक्टोरेट से वह प्रोसीडिंग्स की फाइल गायब हो जाय (विराम) मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं मंत्री के नाते, इस डाइरेक्टोरेट के मंत्री के नाते कि आपका डाइरेक्टर आज करता क्या है ? जो ये सारी कमेटीज़ बनी, उसके बाद भी उन कमेटीज़ की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की। और कभी एक रिपोर्ट पर विचार किया, और उसके बाद में उस पर जो कार्यवाही हुई, उस पर जो प्रोसीडिंग्स हुई-वह सारे के सारे कागज इस डाइरेक्टोरेट से गायब हैं। अगर गायब नहीं हैं तो आप खड़े होकर स्वीकार कीजिये कि वह मौजूद हैं, और उनको आप सदन के बीच में रखिये। मेरी निश्चित धारणा है कि सारी की सारी प्रोसीडिंग्ज़ इस डाइरेक्टोरेट से गायब कर दी गई हैं और उनके अन्दर जो विचार किया गया था कि किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन स्मुथली रन कर सकता है, किस प्रकार से म्युनिसिपेलिटीज़ प्रोपर्ली फंक्शन कर सकती हैं–लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं है। लेकिन सभापति जी, म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट के अन्दर यह प्रावधान है जिनका पालन करना इस डाइरेक्टोरेट का कर्त्तव्य है लेकिन आज उनका पालन नहीं किया जा रहा है। आज इस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं जिनको देख कर आपको ताज्जुब होगा। आखिर एक्ट बना क्यों ? इस एक्ट को बनाने की मन्शा क्या थी ? आज उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है।

आज राजस्थान के अन्दर जो ऑक्ट्राय की रेट्स हैं, वह राजस्थान की प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी में अलग अलग रेट्स चल रही हैं। और देखने को यहां तक मिला है कि किसी म्युनिसिपेलिटी के अन्दर तो भार के ऊपर ऑक्ट्राय लगती हैं, और किसी म्युनिसिपेलिटी के अन्दर कीमत के आधार पर ऑक्ट्राय लगती हैं। तो जो ऑक्ट्राय रेट्स हैं वह हर एक म्युनिसिपेलिटी की भिन्न भिन्न हैं। आखिर आप अनुमान लगायें, इस चुंगी के मामले में समान स्थिति म्युनिसिपेलिटीज़ में न होने के कारण आज इसका परिणाम व्यापार पर क्या पड़ रहा है ? आज एक म्युनिसिपेलिटी में रहने वाला व्यापारी दूसरी म्युनिसिपेलिटी के कारण व्यापार बन्द करता है या चालू करता है, लेकिन कभी राजस्थान सरकार इस ओर विचार नहीं करती कि इस बड़े विशाल राजस्थान के अन्दर, जहां इतनी सारी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, चुंगी के आधार पर कोई एक नीति बनाये, सारी राजस्थान की म्युनिसिपेलिटीज़ के लिए एक चुंगी दर निश्चित की जाय। लेकिन आज तक आपके डाइरेक्टोरेट को इसकी चिन्ता नहीं कभी; इससे अफसोसजनक क्या हो सकता है, या कहना चाहिए, आपके विभाग की इससे ज्यादा क्या लापरवाही हो सकती है ? राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट की धारा ४ की उप धारा (३) के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि जो म्युनिसिपेलिटीज़ है उनका सीमांकन किया जाय, उसके बाद उसकी फाइनल सेंक्शन कलेक्टर या जो ऑथोरिटी हो उसके द्वारा ली जाय। लेकिन कहीं म्युनिसिपेलिटीज़ के अन्दर इस प्रकार का डिमार्केशन नहीं हुआ है। आज स्थिति यह है कि एक म्युनिसिपेलिटी दूसरी म्युनिसिपेलिटी के क्षेत्र के अन्दर जाकर के चुंगी का नाका बनाती है। यह स्थिति बहुत स्पष्ट है

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज बीकानेर म्युनिसिपेलिटी की ऑक्ट्राय पोस्ट है उससे लगी हुई गंगाशहर में बैठी हुई है। आखिर आपका विभाग करता क्या है? आपके विभाग ने विचार क्या किया है, जो म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट में प्रावधान हैं, उनका स्ट्रिक्टली पालन हो और स्मूथली एड्मिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपेलिटीज़ का चले– उसकी उसे चिन्ता नहीं है। इससे अधिक खिलवाड़ पक्षपात करके किया गया है, केवल कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए राजस्थान म्युटिसिपेलिटी सर्विसेज़ के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं मंत्री महोदय, आपसे और आपके डाइरेक्टोरेट से पूछना चाहता हूं कि आज म्युनिसिपेलिटी सर्विसेज के साथ आपने क्या किया है? जो राजस्थान म्युनिसिपेलिटी सर्विस आपने बनाई है, उसकी क्या मान्यता है? क्या वह वैलिड है? कानून के अन्तर्गत उसकी कोई मान्यता है? आज एक्ट की ३०३ धारा के तहत म्युनिसिपेलिटीज़ सर्विस का क्रियेशन करना आवश्यक है, लेकिन वह नहीं किया है। मैं सभापतिजी, एक्ट की कुछ धाराओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज आपकी धारा ३०२ के तहत है :

"As soon as may be after the commencement of this Act, there shall be created and constituted by the State Government for the whole of the State a service designated as the Rajasthan Municipal Service and hereinafter referred to as the 'Service'."

Now ३०३:—

"For the purpose of creating and constituting the service, the State Government may, by notification in the Official Gazette--divide municipalities in the State into classes according to their income and other circumstances, and..."

अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो म्युनिसिपेलिटी सर्विस का क्रियेशन, इन सर्विसेज़ का क्रियेशन करने के लिए आमदनी के आधार पर या अन्य सरकम्स्टान्सेज़ के आधार पर होना चाहिये था, क्या वह किया है आपने? जो इसके अन्तर्गत एक नोटिफिकेशन निकला है, ७३६८१ (एफ. डी.)। एल. एस. जी. ५६ डेटेड २१ मई, ६०, जो आपने सर्विसेज़ बनाई हैं, उसके तहत है :

"Municipalities with a population of fifty thousand and about......"

आपने जो यह म्युनिसिपल सर्विसेज का क्रियेशन किया है, सर्विसेज़ के पर्पज के लिए, उसमें आपने आमदनी पर विचार नहीं किया, अदर सर्कम्स्टान्सेज पर विचार नहीं किया, जो रूल्स बनाये हैं जो म्युनिसिपल सर्विसेज़ को क्रियेट किया है वह नल एण्ड वॉइड है, उनकी कोई कीमत नहीं है। आपने म्युनिसिपेलिटीज के आधार पर तो विचार किया वह गलत सही पर म्युनिसिपल कौंसिल्स के अन्दर जो म्युनिसिपल सर्विसेज़ का जो क्रियेशन है इस पर विचार नहीं किया और नतीजा यह है कि जो रूल्स नल एण्ड वॉइड बनाये, जो सर्विसेज़ की लिस्टें बनाई हैं, वह नल एण्ड वॉइड हैं। आपका डायेरेक्टोरेट भाई-भतीजावाद, माथुर वाद लादना चाहता था। वह लाद दिया है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ऊपर से लेकर नीचे तक माथुर ही माथुर भर दिये हैं और मेहता भर दिए हैं। मैं इस पर अधिक समय न लेकर एक केस बताना चाहूंगा जिससे सदन को मालूम हो जायगा कि इससे ज्यादा पक्षपात और राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ और क्या हो सकता है। वह है श्री रामचंद्र माथुर । आज जोधपुर की म्युनिसिपेलिटी के अन्दर १४ साल से वह बिराजमान हैं और सबसे बड़ा ताज्जुब तो यह है कि इनका पोस्टिंग भी राजस्थान बनने से पहले का नहीं, राजस्थान बनने के बाद में इनका पोस्टिंग हुआ, राजस्थान बनने से पहली सर्विसेज के नहीं हैं, आर० ए० एस० के केडर के नहीं पर आर० ए० एस० से ज्यादा ग्रेड लेते हैं; २८५ से ८०० तक का ग्रेड उनको दिया है। इस पर भी स्पेशल पे १०० रुपया, कार अलाउन्स १५० रुपया, ७५ रुपया हवाई जहाज की सफाई का अलाउन्स और फिर डियरनैस अलाउन्स। और दूसरी सर्विसेज के साथ खिलवाड़ किया जाता है और एक को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं। यह एक ही केस नहीं मेरे पास पूरी लिस्ट है पर एक नाम देकर मैं यह बताना चाहता हूं कि यह पक्षपात क्यों? जिसकी नियुक्ति राजस्थान बनने के बाद हो, जो आर. ए. एस. नहीं पर उसको आर. ए. एस. से ज्यादा दिया जाय। आखिर क्या इसी पक्षपात के आधार पर आप राजस्थान की म्युनिसिपल सर्विसेज के अन्दर कांफिडेन्स क्रियेट करना चाहते हैं और उन सर्विसेज से आप यह आशा रखते हैं कि दूसरे ईमानदारी से कार्य करेंगे, किसी पार्टी पोलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे? आप तो चाहते हैं कि आपके दल विशेष के लिए, आपकी पार्टी के लिए सर्विसेज करें और विरोधी दल के आयें तो उनका गला घोंट दें, कांग्रेस की हों वे मनमाने ढंग से चलें।

डीडवाना म्युनिसिपेलिटी ने आखिर ऐसा कौनसा कुसूर किया, ऐसा कौनसा कार्य किया कि उसे आपने भंग कर दिया, केवल इसी चार्ज पर कि उसने कब्रों में प्लॉट अलॉट कर दिये और इससे मुसलमानों को आर्थिक लोस पहुंचाया। इससे मुसलमानों को कौनसा आर्थिक लॉस पहुंच गया? सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि डीडवाना के मुसलमानों ने रिप्रेजेन्टेशन किया कि इससे हमें कोई आर्थिक लॉस नहीं हुआ है। पर क्योंकि जनसंघ की म्युनिसिपेलिटी थी, इसलिए उसे भंग कर दिया।

दूसरी तरफ आज सीकर म्युनिसिपेलिटीज़ के खिलाफ कितने भयंकर चार्जेज हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स की वहां कितनी कम्प्लायेंस होती हैं? आये दिन ऑडिट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि कितने एम्बेज़लमेंट के केसेज वहां हुए हैं, पर आज तक कभी आपने उसके बारे में विचार किया है? सीकर म्युनिसिपेलिटी के लिए जीप ली गई, ट्रोली ली गई, पर आज तक इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिये वह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस म्युनिसिपेलिटी के पास नहीं है, न तो म्युनिसिपेलिटी के नाम जीप ट्रांसफर हुई है और न ट्रोली ही ट्रांसफर हुई है।

भीलवाड़ा म्युनिसिपेलिटी में इसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, पर आपकी म्युनिसिपेलिटीज़, कांग्रेस की म्युनिसिपेलिटीज़ मनमाने ढंग से कितनी ही नाजायज कार्य-

Page No. 89

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वाहियां करें आप उनकी पर्वाह नहीं करते, आपकी कांग्रेस म्युनिसिपैलिटीज के प्रेसिडेन्ट चाहे कितने ही करप्ट हों, कितने ही भ्रष्ट हों पर आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते ।

सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि सीकर की म्युनिसिपैलिटी का एग्जीक्युटिव ऑफीसर आपने किसको लाकर बैठाया है । वह वही साहब हैं जो कोटा में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में थे, जिनके ऊपर लाखों के घोटाले के चार्जेज़ लगे, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस चला और उसी व्यक्ति को आपने लाडले को सीकर म्युनिसिपैलिटी में एग्जीक्युटिव आफीसर बना दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि उसके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी चल रही थी, उसका क्या हुआ ? आप कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल केस उसके खिलाफ चल रहा था उसमें उसको डिस्चार्ज किया है पर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी में आपने क्या किया है ? वह ऐसा व्यक्ति जो म्युनिसिपल सर्विसेज का व्यक्ति नहीं सिम्पली सेनीटरी इंस्पेक्टर था, ऐसे व्यक्ति को ए. केटेगरी की सीकर म्युनिसिपैलिटी में एग्जीक्युटिव ऑफीसर बना कर रखा है । क्योंकि साहब मेहता साहब हैं, आपके और डायरेक्टर साहब के लाडले हैं । सीकर म्युनिसिपैलिटी की नजूल कमेटी के एक मेम्बर का दृष्टान्त दे कर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ आपने क्या किया ? एक सब कमेटी बनी हुई है नजूल कमेटी, उस नजूल कमेटी के एक सदस्य हैं श्री कालूलालजी, उन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड को लेकर किस प्रकार की कार्यवाही की । एक व्यक्ति थे श्री सीताराम, उसकी म्युनिसिपैलिटी की हद्द में काश्त की जमीन थी जो एग्रीकल्चर लैंड रेकॉर्ड में दर्ज थी, टीनेन्सी एक्ट के अन्दर श्री सीताराम को उस जमीन पर सारे हक़ूक प्राप्त हैं । उसी आधार पर श्री सीताराम ने उस जमीन के एक हिस्से में कन्स्ट्रक्शन जारी किया । आपके श्री कालूलालजी, जो नजूल लैंड के मेम्बर हैं, उन्होंने मौके पर जा कर उस कन्स्ट्रक्शन को तुड़वा डाला, कालूलालजी को उस जमीन का मालिक मान कर तोड़ने का ऑर्डर दे दिया । जब सीताराम को मालूम पड़ा तो उन्होंने सीकर के एडीशनल कलेक्टर के सामने अपील की । अपील पर एडीशनल कलेक्टर ने रिमार्कस दिये हैं सीताराम के पक्ष में । आपके विभाग ने रिकमण्डेशन करते हुए जो लिखा है उसको और इन रिमार्क्स को क्या कभी आपने पढ़ा है ? इस प्रकार के अगर रिमार्क्स किसी मेम्बर के खिलाफ दिये जाते तो दूसरी म्युनिसिपैलिटीज में उसे कहीं स्थान नहीं मिलता । जो रिमार्क्स दिये हैं वे यह हैं :

The building Inspector during the course of site inspection without recording any avidence or any other reason for his observation reported that the land is under occupation of Shri Kalu Ram and permission to construct a Lime kiln, compound wall and two Kothas may be accorded to him as plan submitted by Kalu Ram. The application of Kalu Ram after the aforesaid preliminaries was passed on by the President to Nazool Committee.

Page No. 90

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

The Nazool Committee deputed Revenue officer for site inspection. The Revenue officer after inspecting the site reported on 16th June, 1964 that he agrees totally with the report of building Inspector but further added that he could not say that whether the land was agricultural or not The Nazool Commitee after consid.ring the report of Revenue Officer granted permission to Kalu Ram for constracting two Kothas, compound wall and a lime kiln on the aforesaid land under the signatures of Sarvashri HiraRam, N K Sharma, Dhanna-Lal VaidKalu Ram Sharma. It is not befitting that Kalu Ram who was the applicant before the Nazool Committee in this case seeking permission for this construction was also member of Nazool Committee and signed the permission for himself in the capacity of the member. Thus he performed a dual role of both the petitioner and the Judge.'

इतना ही नहीं सभापतिजी, जो सीरियस रिमार्क दिया है। वह यह है।

"That the Nazool Committee without any title deed and without any evidence of possession admitted both the title and permission of Kalu Ram on the disputed land, Shri Kalu Ram was himself a member of the said committee and as such should not have participated in the deliberations of the said committee but on the contrary he not only participated but wielded his influence in full measure to achieve the object under Section 70, sub section (15) lays down that 'No member including the presiding authority shall vote on or take part in the discussion of any question coming up for consideration at a meeting of the Board if the question is one in which he has any direct or indirect pecuniary interest."

और इसके बाद :

The whole episode from beginning to end is a sad tale. It is indeed an ugly story. It required tobe undone.'

Further more he has written 'It is requested that the concerned person of the council may be asked to explain their conduct.'

मैं आज मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े भयंकर रिमार्क्स सीकर म्युनिसिपैलिटी के सदस्य श्री कालूलाल जो कि नजूल कमेटी के सदस्य थे और नजूल कमेटी के सदस्य होते हुए उन्होंने इस प्रकार नाजायज फायदा उठाया। यह मैं नहीं कहता, एडीशनल कलेक्टर सीकर ने कहा है। आपके डिपार्टमेंट ने, आपके डाइरेक्टर ने क्या कार्यवाही की उनके खिलाफ ? आप कोई कार्यवाही उनके खिलाफ करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सीकर म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों से प्रेसिडेन्ट से, सीकर म्युनिसिपैलिटी से आपको प्यार है। आपकी निगाह तो डीडवाना म्युनिसिपैलिटी पर जायगी क्योंकि वहां आपके

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

विरोधी म्युनिसिपैलिटी बना बैठे, आपकी निगाह उन म्युनिसिपैलिटियों पर जायगी जहां विरोधी म्युनिसिपैलिटियां बना बैठे हैं।

विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने से पहले आपने घोषणा कराई कि म्युनिसिपैलिटीज के मई में चुनाव करायेंगे। जैसे ही विधान सभा का सत्र बुलाया तो आप जानते थे कि यहां यह जरूर पूछा जायगा कि म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव कब करायेंगे, इसलिये उसके कुछ दिन पूर्व आपने राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज को विज्ञप्ति भेजी कि हम मई में म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव कराना चाहते हैं। आप अगर ईमानदारी से मई में म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराना चाहते हैं तो चाहे आप अपने लॉ डिपार्टमेंट से राय लें, आप सदन में केटेगोरिकली घोषणा करें कि मई में अमुक तारीख को सारे राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होंगे। आपको यह घोषणा करनी चाहिये अगर आपके इरादे पाक हैं।

आज हाउस टैक्स का प्रश्न है, उनको पूछिये कि जो स्वायत्त शासन में विश्वास करते हैं, वे यही राय देंगे कि स्वायत्त शासन संस्थाओं को बाध्य नहीं कर सकते कि वे अपने क्षेत्र के अन्दर हाउस टैक्स लगायें। आप यह मान कर चलते हैं कि लोकल बॉडीज सरकार पर आधारित नहीं हैं, उनको आजाद छोड़िये कि वे अपने क्षेत्र में हाउस टैक्स लगायें पर आपने हाउस टैक्स को ऑब्लीगेटरी टैक्स बना कर उनको बाध्य करने का प्रयास किया है हालां कि अधिकतर जगह नहीं लगाया जा रहा है। पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं जो कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको आप कोई नोटिस नहीं देते और जो विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको नोटिसेज चले जाते हैं। हाउस टैक्स के सवाल को लेकर आप और आपके अधिकारी जो नोटिस इश्यू करते हैं उसमें षड्यन्त्र हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको हाउस टैक्स का नोटिस इश्यू कर दिया है उनको कल चुनावों के वक्त में चुनाव लड़ने से डिबार कर सकते हैं, इस आधार पर कि उनमें हाउस टैक्स का बकाया है उनके नोमिनेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस प्रकार का षड्यन्त्र नहीं है तो आप हाउस में इस प्रकार की घोषणा करिये कि ऐसा नहीं होगा।

आज लाखेरी म्युनिसिपैलिटी में सारे व्यक्तियों को नोटिसेज इश्यू कर दिये गये हैं। हाउस टैक्स हम नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं हो कि हमारा मनोनयन-पत्र खारिज हो जाय।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डायरेक्टर इस प्रकार के हैं, उनको चाहिये कि वे सबसे ऊपर बन कर रहें, पर वास्तविकता यह है कि वे सबसे ऊपर नहीं। फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की स्ट्रेन्थ ज्यादा है, १२ डायरेक्टोरेट साहब का ड्राइवर है वह म्युनिसिपल कौंसिल जयपुर का है, डायरेक्टर साहब का सर्वेन्ट है वह जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल का है, इनको पेमेंट जयपुर कौंसिल से मिलता है और सेवा करते हैं डायरेक्टर साहब की। क्या इसी आधार पर आप कोई आदर्श पैदा करना चाहते हैं ? आज दूसरी म्युनिसिपैलिटियों से कैसे आस्था प्राप्त कर सकते हैं, जब कि आप इस प्रकार का रवैया अपना कर चल रहे हैं ?

सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं उन्होंने अपने भाई भतीजों को प्रोमोशन देने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के लिये क्या क्या नहीं किया। आप नाम जानना चाहते हैं ? मैं आपको उसका नाम बताता हूँ वशीर खां ड्राइवर है जो डाइरेक्टर के यहां है। एक अजीज खां हैं जो भी म्युनिसिपल कौंसिल का नौकर है मगर काम वहां कर रहा है। डाइरेक्टर साहब का भानजा है, प्रेमचन्द उन्होंने क्या नहीं किया ? आप शिक्षा विभाग से निकाले गये। जो व्यक्ति नौकरी से निकाला गया उसको आपने फिर से लिया। चूंकि आपको उन्हें लेना था, उनको उसे रखना था, उसको रखा। पहले ६२ में स्वायत्त शासन की जो परीक्षा होती है उसमें बिठाया और उसका कोई नतीजा निकले उससे पहले रेवेन्यू आफिसर बनाया। उस व्यक्ति को जिसको एज्युकेशन से निकाला गया था, उस व्यक्ति को एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलने के पहले सुजानगढ़ में रेवेन्यू आफिसर बनाया। जब नतीजा निकला उस पर उसको नोहर में एग्जिक्युटिव आफिसर बनाया। आप बताइये कितना पक्षपात किया गया है। सभापति महोदय, जिस समय एक्साइज डिपार्टमेंट में थे उनका एक साथी था श्री तलवार, उस व्यक्ति को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था मगर फिर भी उसको रायसिंह नगर में एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। जनता के पैसों पर भाई भतीजा वाद डाइरेक्टर साहब पनपाते हैं फिर इन्साफ की कैसे आशा की जा सकती है ? अंत में मैं केवल रूल्स के बारे में कहूंगा। रूल्स बनाये नहीं राजस्थान म्युनिसिपल सर्विसेज क्रियेट किये हैं वे नल एण्ड वाइड हैं इतना ही नहीं राजस्थान में म्युनिसिपल सबोर्डिनेट सर्विसेज रूल्स के रूल ३८ में प्रावधान रखा है कि किसी भी कर्मचारी को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने रूल्स बनाये, आपने ५ वर्षों का प्रोविजन रखा है कि वह प्रोविजन वेलिड है अगर ऐसा कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजमेर या जयपुर में ट्रान्सफर किया, उनको कह दिया कि आपको अब अधिकार नहीं है। यह तथ्य है कि आपको अधिकार नहीं है। जब तक आप इस प्रकार का क्लॉज लेकर नहीं आवेंगे तब तक आप रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी म्युनिसिपल सर्विसेज को ठीक करिये। एवब पार्टी पोलिटिक्स रह कर आप चलिये। अगर इस प्रकार से राजस्थान की जनता के साथ व्यवहार किया जावेगा तो आप ठीक नहीं कर पावेंगे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं बील बरोज के केस में क्या हुआ ? लाखों रुपयों का घोटाला है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि १५० का टेन्डर एक्सेप्ट किया गया जब कि दूसरी कम्पनी का ७५ रू० का टेन्डर था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : आप कौनसी सरकार के सामने कह रहे हैं, जो सरकार भंगियों के पैसे खा जाय जो टट्टी उठाने की बालटी में पैसे खा जावे, उसके सामने आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिसका मिनिमम कोटेशन ७५) रु० का था उनके पास इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट नहीं था। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस समय फाइनल टेन्डर आपने एक्सेप्ट किया उससे पहले

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिसका मिनिमम कोटेशन था उसको बुला कर भी डिपार्टमेंट ने पूछा कि आपने इतना कम कोटेशन दिया है, क्या आप इतने पर सप्लाई कर पावेंगे या नहीं ? कम से कम आपको उस कम्पनी को बुला कर पूछना तो चाहिये था कि आया आप यह माल सप्लाई कर पायेंगे या नहीं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, लाखों रुपये लूटे जा रहे हैं । आज आप राजनैतिक आधार पर म्युनिसिपेलिटीज को चला रहे हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय, मेरा पहला नम्बर है ।

श्री सभापति : आप गिरधारीलाल जी के बाद बोल लेना ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान में शिक्षा की प्रगति का प्रश्न है, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा, इन तीनों ने काफी प्रगति की है । टेक्निकल और कॉलेज शिक्षा के बारे में भी प्रगति की है । आज से १५ वर्ष पूर्व एक भी कॉलेज नहीं था वहां पर जगह-जगह कॉलेज का निर्माण किया गया है और दो तीन यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था भी हमारी राजस्थान सरकार ने की है ।

मगर सबसे ज्यादा जो आवश्यक बात हैं उस तरफ राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया । वह है कि हमने योजना बनाई थी कि तीसरी योजना तक हम शत प्रतिशत ६ से ११ साल तक के बच्चों को शिक्षित करेंगे लेकिन १९६६ के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वह बताते हैं कि उनमें सिर्फ ५४ प्रतिशत सफलता हमने प्राप्त की है । इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के संबंध में करीब २१ प्रतिशत व्यवस्था कर पाए हैं और इसी तरह से १४–१७ साल की उम्र के बच्चों की १० परसेंट शिक्षा बढ़ी है । इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं । जिस देश को हम प्रगतिशील देश कहते हैं और समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं उस देश में जब तक प्रारंभिक और उच्चतर शिक्षा में शत प्रतिशत नंबर तक नहीं ला पाएंगे तब तक हम प्रगतिशील देशों में नहीं गिने जा सकते । जैसा हमारा विचार है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार हो और शिक्षा का प्रसार तभी हो सकता है जब हम जिसको हायर सेकेन्ड्री शिक्षा बोलते हैं वह फ्री और कम्पलसरी हो । हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में ऐसे काफी लड़के हैं जो स्कूल फीज न देने की वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते । हम विदेशों में अगर जाकर देखें तो मालूम होगा कि विदेशों के अंदर दसवीं क्लास तक फ्री और कम्पलसरी शिक्षा दी जाती है और उसके आगे कॉलेज एजूकेशन के लिए उन्हीं बच्चों को शिक्षा अवश्य मिलती है जो वाकई काबिल हों । हमारे यहां उल्टी रिवाज है । यहां पर प्राइमरी एजूकेशन फ्री और कम्पलसरी बनाई गई है मगर जहां तक दसवीं ग्यारहवीं कक्षा का सवाल है वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । पैसे के अभाव में ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में ऐसे कदम उठाएं ताकि हायर सेकेन्ड्री एजुकेशन को फ्री और कम्पलसरी बना दें ताकि यहां से गरीब बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

Page No. 94

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इसी प्रकार पब्लिक स्कूल्स जो हमारे यहां पर राज्य में हैं, जहां जहां पर पब्लिक स्कूल्स आपने कायम किए हैं, वे हमारी फैली हुई गरीबी को देखते हुए हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। पता नहीं किसकी नकल की है या अंग्रेजों की नकल की है। कलंक की बात है कि एक गरीब लड़का जिसके बैठने के लिए चटाई नहीं, डेस्कें नहीं और दूसरी तरफ एक मालदार लड़का जो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है उसको सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छे अच्छे लेक्चरार्स है और परसेंटेज सरकार दे, इस प्रकार के भेदभाव की नीति मेरी समझ में नहीं आती।

अभी बीकानेर में राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया था कि पब्लिक स्कूल्स देश के लिए कलंक है और भेदभाव की नीति इससे प्रदर्शित होती है। इस प्रकार की भेदभाव की नीति हमारे प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां पर प्राइमरी क्लासेज के लिए अच्छे शिक्षक नहीं मिल सकते, हमारे यहां पर ठीक तरीके से पढ़ाई की बात नहीं होती, दूसरी तरफ आप पब्लिक स्कूल्स का नजारा देखिये। २००–२०० ४००–४०० वेतन पाने वाले अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं, काम्पिटीटिव एग्जैमिनेशन होते हैं, पब्लिक स्कूल्स के लड़के वहां काम्पिटीशन में आ सकते हैं, गरीबों की किसी प्रकार भी तरक्की नहीं हो सकती इसलिए शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि इस भेदभाव की नीति को मिटाया जाय।

आज एस० टी० सी० स्कूल की क्या हालत है, जहां पर हम लड़कों को प्रशिक्षित करके अध्यापक बनाते हैं, हमारे यहां एस० टी० सी० स्कूल्स हैं वहां गोयल साहब हैड-मास्टर थे उन्होंने कई लोगों के साथ चरित्र हीनता का परिचय दिया, शिकायत की गई, लोगों ने स्ट्राइक किया, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई तवज्जोह नहीं दी गई, इन्स-पेक्टर आॅफ स्कूल से निवेदन किया वहां के डिप्टी डाइरेक्टर से निवेदन किया, मैंने करीब करीब जितने मिनिस्टर थे उनको फोन किया कि यहां पर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर उदयपुर जो कि विराजमान रहते हैं, उनको ऐसे कामों के लिए बिल्कुल फुरसत नहीं है। इससे जाहिर है कि मास्टर्स और हेडमास्टर से उनकी मिलावट है, उन्होंने वहां पर आकर जांच तक नहीं की। जिन पांच विद्यार्थियों ने हेडमास्टर के खिलाफ बगावत की थी और हड़ताल की थी, उनको मनमाने तरीके से फेल कर दिया। इस पर शिक्षा मंत्री के पास बड़े डेपूटेशन ले आए, इन्होंने जांच करने का आश्वासन दिया मगर उनमें से दो लड़के पास कर दिए गए और तीन के सबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। जहां ट्रेनिंग स्कूल के शिक्षकों की ऐसी व्यवस्था हो तो हम उम्मीद करें कि स्तर बढ़ेगा तो यह किस प्रकार से हो सकेगा? हमारे शिक्षा मंत्री या उनके उच्च अधिकारी जो स्टैंडर्ड और करैक्टर और दूसरी बातों को पनपाना चाहते हैं वह किस प्रकार से पनपेगा, यह उनके सोचने का विषय है। आशा है कि इस प्रकार की व्यवस्था अगर हमारे स्कूलों में बनी रहेगी तो न तो किसी स्तर पर हम पहुंच सकते हैं, न चरित्र अच्छा हो सकता है।

इसी प्रकार टेक्नीकल स्कूल्स के संबंध में निवेदन है कि सबसे ज्यादा आवश्यक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बात है कि टेक्नीकल स्कूल्स द्वारा ही प्रगति हो सकती है। जब तक हाई स्कूल्स में विज्ञान, कृषि इत्यादि टेक्नीकल विषय एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक आगे टेक्नीकल एजूकेशन पाने वाले लोग हैं वे कॉलेज में अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच सकते। खास तौर से गांवों में हायर सैकन्डरी स्कूल्स बनाए गए हैं जिनमें टेक्नीकल एजूकेशन का समावेश नहीं है, वे लोग इस चीज से महरूम हो जायेंगे। इसलिए गांवों में जो हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं उनमें आप टेक्नीकल एजूकेशन का बढ़ावा दें और खास तौर से तहसील के हैडक्वार्टर्स, जिनमें सारी तहसील के लड़के पढ़ने आते हैं, उन तहसील हैडक्वार्टर्स में कम से कम इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए ताकि तहसील के सब लोग आकर विद्या ग्रहण कर सकें।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी क्षेत्रों के लिए तेज मजदूर, तेज कारीगर और तेज वैज्ञानिक प्राप्त करने हैं तो सभी जिला हैडक्वार्टर्स पर पॉलीटेक्नीक्स खोलने पड़ेंगे। आज ५–६ पॉलीटेक्नीक्स हैं लेकिन टेक्नीशियन्स के अभाव में दूसरे क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सकते। टेक्नीकल एजूकेशन के अभाव में आप यहां बड़े-बड़े कल-कारखाने नहीं खोल सकते। अगर अभाव की पूर्ति करनी है तो हर जिला हैडक्वार्टर पर पोलीटेक्नीक्स खोलने चाहिए।

इसी प्रकार मंदिरों के संबंध में निवेदन है कि आज मंदिरों के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है कि उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। वे कैसे पूजा करें, दीया-बत्ती करें, कैसे व्यवस्था करें? इसके संबंध में जल्दी से जल्दी विचार करके ईमानदारी से मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

लोकल फंड ऑडिट के संबंध में निवेदन करूं कि अजमेर में न मालूम कौनसा कृपा-पात्र एक विलायतखां बैठा हुआ है, उस आदमी ने जितनी अजमेर की पंचायत और पंचायत समितियां हैं, उनको पूरी तरह से परेशान कर रखा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : वे तो कॉम्पीटेंट ऑफीसर हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा तो अनुभव है कि कहीं से रुपया, कहीं से शक्कर, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। न मालूम वे किसके कृपा पात्र हैं? तो आप इस आदमी की तरफ ध्यान दें। या तो जांच कराई जाय कि किस किस पंचायत समिति में कितना घोटाला है,

(३.०० म० प०)

किन किन पंचायत सरपंचों से उसने क्या क्या लिया? मेरे पास कोई इन्क्वायरी ऑफिसर आवेगा तो मैं हर पंचायत में जाकर सुबूत दिलाऊंगा कि कितनों से घी लिया, कितनों से शक्कर ली, कितनों से क्या क्या लिया।...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री याज्ञिक।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : मैं यह कह रहा हूं कि आपने पहले जुबान से कह दिया।

श्री भैरोंसिंह : जुबान का पालन होना चाहिये।

श्री सभापति : श्री याज्ञनिक, उनके बाद श्री मुक्तिलाल, श्री जुझारसिंह। उनके बाद श्रीमती गौरी पूनिया।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिण्डवाड़ा) : सभापति महोदय, ...

श्री मुक्तिलाल मोदी : मुझे इजाजत दी है।

श्री सभापति : मैंने श्री याज्ञनिक को पहले इजाजत दी है। आपको भी मैंने इजाजत दी है, लेकिन "तत्पश्चात्" कहा है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : वैसे शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि गांवों के प्रति जो सरकार ने नीति अपनायी है वह ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होता है वह शहरों में ही होता है। गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। वहां पर खुलें भी कैसे ? एक प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये सरकार कहती है कि पहले आप भवन दो और फिर ही स्कूल खोल सकते हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं राजस्थान में जो बिल्कुल गरीब हैं, जहां बहुत ही हालत खराब है। मेरे एरिया की ही बात कहता हूँ। वहां आदिवासी लोग रहते हैं, उनके पास खाने के लिये दो वक्त का भोजन नहीं है। उनको दो वक्त भोजन खाने को नहीं मिलता है उनसे आप उम्मीद करो कि आपको वे भवन बना कर दें तो यह कतई उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। मेरा सरकार से आग्रह है, मेरा मतलब यह नहीं है कि सरकार शहरों पर खर्च न करे, स्कूल कॉलेज और युनिवर्सिटीज न बनाये, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है वह गांव हैं। वहां पर सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि प्राइमरी स्कूल भवन फ्री बना कर दे।

यही नहीं, गांवों में हाई स्कूल भी बहुत कम खोले जाते हैं। सिरोही जिले के जावाल गांव में हाई स्कूल की बिल्डिंग है। ६ वर्ष पूर्व हाई स्कूल बनाने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने कहा था लेकिन आज तक नहीं खोल पाये। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में पोसालिया गांव है वहां पर काफी बच्चे हैं, भवन भी है लेकिन वहां पर मांग करने पर हाई स्कूल नहीं खोल रहे हैं।

सभापति महोदय, आज एटोमिक इनर्जी का युग है, विज्ञान का युग है। जहां पर हाई स्कूल और खुले हुए हैं उन गांवों में यदि साइन्स की पढ़ाई नहीं होती है तो वह अधूरी पढ़ाई होती है आज शहरों के अन्दर कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां पर साइन्स की पढ़ाई न होती हो। गांव में देखिये कि जहां बहुत कम ऐसे स्कूल और हाई स्कूल हैं कि जहां पर साइन्स की पढ़ाई होती हो।

मैं मेरे गांव रोहेड़ा की बात कहता हूँ, कालिन्द्री मन्डोर में साइन्स नहीं है। यह जो गांवों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है वह नहीं होना चाहिये। और गांवों के प्रति बहुत बहुत ध्यान देना चाहिये।

सिरोही जिले के प्रति जो नीति अपनाई है वह ठीक नहीं है। सिरोही का कॉलेज आज से आठ साल पहले इन्टर कॉलेज से डिग्री कॉलेज बना। वहां पर पहले खेती की

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

पढ़ाई की क्लासेज चलती थीं लेकिन डिग्री कॉलेज बना तो उनको बन्द कर दिया। इम्पलीमेन्टस आदि सब चीजें पड़ी हुई हैं फिर क्या वजह है कि एग्रीकल्चर को वहां से खत्म कर दिया। वहां का इलाका खेती हर इलाका है। इसलिये यह जरूरी है कि वहां पर खेती के लिये क्लासेज खुलें।

सभापति महोदय, सन् १९५९ में सिरोही के कॉलेज के लिये छात्रावास बनाया जाय इसके लिये १,६४,५६८) की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन ६ वर्ष होने आये आज तक होस्टल नहीं खोल पा रहे हैं। सिरोही में एक कॉलेज हैं। पांच लाख की बस्ती वाला क्षेत्र है वहां पर तमाम बच्चे पढ़ने आते हैं। यदि उनको होस्टल की फेसिलिटी नहीं मिलती है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिये सरकार से आग्रह है कि सिरोही छात्रावास के लिये जो यह धनराशि स्वीकृत हुई थी उसको खर्च करके छात्रावास पूरा करे।

सभापति महोदय, इसके अलावा हर जिले के अन्दर एक पोलीटेक्निक स्कूल होना चाहिये। पंजाब के हर जिले में पोलिटेक्निक स्कूल है। जहां नहीं है वहां खोलते है और जहां हैं उनको बढ़ाते हैं। जयपुर में यूनिवर्सिटी है, इन्जीनियरिंग कॉलेज है, दूसरे कॉलेजेज हैं, हाई स्कूल और हायर सैकेन्डरी स्कूल हैं; लेकिन फिर भी यहां पर पोलिटेक्निक स्कूल खोल रहे हैं। सिरोही में यदि एक भी पोलिटेक्निक स्कूल नहीं होता है तो खतरा रहता है। सरकार से निवेदन है कि सरकार फैसला करे कि तमाम जिलों में पोलिटेक्निकल स्कूल खोले जायं।

सभापति महोदय, जितना पैसा सरकार शहरों पर खर्च करती है उसका दसवां भाग भी गांवों में खर्च नहीं करती है। मेरा आग्रह है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि तमाम गांवों में सरकार का यह फर्ज होना चाहिये कि भवन खुद सरकार बनाये। मेरे क्षेत्र में वीरवाड़ा जगह है। ग्रामीण स्कूल हैं, बच्चे भी काफी हैं। बिल्डिंग बना दी है। सरकार कहती है कि बिल्डिंग से क्या होता है। १३ हजार का रेकरिंग खर्चा दे दीजिये। ऐसे प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों के लिये किये जाते हैं, शहरों में कहां होते हैं? गांव वाले सब कुछ देते हैं। भवन देते हैं। फिर रेकरिंग खर्चा भी उनसे मांगते हैं। इस तरह की चीज गांवों के साथ नहीं बरती जानी चाहिये। तमाम गांवों में साइन्स स्कूल होने चाहिये वरना तो केवल मजदूर ही पैदा होंगे जो रोज मजदूरी करने के लिये फिरते फिरेंगे इसलिये यह मेरा खास तौर से आग्रह है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली): सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर इतनी बड़ी डिमान्ड शिक्षा पर है। मेरा इसमें कटौती प्रस्ताव है। राजस्थान में शिक्षा तो बढ़ी है यह हम सब मान कर चलते हैं परन्तु जिस तरह की शिक्षा राजस्थान में बढ़ी है वह शिक्षा पहले के मुकाबले में यदि देखा जाय, जबकि पहले लोगों में सभ्यता, ईमानदारी, सच्चाई थी, बेईमानी की भावना कम थी, आज की शिक्षा में बेईमानी, झूठ, चोरी और रिश्वत यह सबसे ज्यादा बढ़े हैं। माननीय सभापतिजी, शिक्षा की जो प्रणाली है वह गलत है और शिक्षा की उस गलत प्रणाली के कारण आज लोगों के अन्दर जो मानवता पैदा होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

Page No. 98

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इसलिये माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि जब तक मनुष्य में असली रूप में मनुष्यत्व की असली मानसिक भावना पैदा नहीं होगी तब तक जहां इस देश में समाजवाद लाने की बात कहते हैं, देश की उन्नति की बात कहते हैं, वह नहीं हो सकती। तो शिक्षा ही बड़ी चीज है देश के अन्दर। जितने स्कूल, कॉलिजेज, यूनिवर्सिटीज़ चलते हैं, क्या कॉलेज, क्या यूनिवर्सिटी और क्या स्कूल सब जगह, क्या मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल–सबके अन्दर इम्तिहानों में सिफारिशें चलती हैं। प्रोमोशन में सिफारिशें चलती हैं, ट्रांसफर में सिफारिशें चलती हैं। हर चीज के अन्दर सिफारिशें चलती हैं। उसके बगैर कोई काम नहीं होता। शिक्षा के अन्दर जो यह चीज है वह बहुत बुरी है।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो सिफारिश करते हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : आप जब सिफारिश से ट्रांसफर आदि कर देते हैं तो मजबूरन इनको भी करनी पड़ती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसका पापी मैं भी हूं।

आज शिक्षा के अन्दर हजारों गांवों के अन्दर लोगों ने भवन बनाये हैं यह समझ में नहीं आता कि सरकार किस प्रकार चल रही है अन्धी हो रही हैं जिसका कुछ पता नहीं। जो बाहर के लोग है जो भवन बनाकर दे देते हैं वे वेचारे शिक्षा के नाम काफी पैसा भी खर्च करने को तैयार हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप–मंत्री गृह) : नेपाल से।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नेपाल के लोग तो यहां पर खर्च नहीं करेंगे। मैंने राजस्थान सरकार को कई दफा चीफ मिनिस्टर को एज्यूकेशन मिनिस्टर को कहा, सौ पचास चिट्ठियां दीं उनसे मिला और कहा कि लाखों रुपयों की बिल्डिगें बनाकर दी हुई हैं। कोई आदमी एक बिल्डिग बनाकर मिडिल स्कूल के लिये देता है उसके बाद दूसरा हाई स्कूल बना देता है उन बिल्डिगों के बारे में राजस्थान सरकार को पता तक नहीं, उन बिल्डिगों का नक्शा तक नहीं, रेकार्ड नहीं। मालिक लोग यह समझते हैं वह बनाकर दे गये, उनके पीछे हम जैसे लोग उन पर कब्जा जमाकर बैठ गये। ऐसी हालत में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर वे उनको कहां ले जाना चाहते हैं समझ में नहीं आता। लाखों रुपयों की बिल्डिगें हैं जिनके किसी के पत्थर टूट गये, चूना गिर गया, पट्टियां टूट गई वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं।

एक आदमी ज्यों ज्यों बड़ा होता है वह तरक्की करता है नीचे नहीं गिरता यह नहीं होता कि टांग कहीं चली गई, हाथ कहीं चला गया आज उन बिल्डिगों की हालत इसी प्रकार की हो रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : थोड़ी रूस से मदद दिलाओ ना !

एक माननीय सदस्य : अन्धी सरकार को नहीं दिलाना चाहते।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वो तो क्या दे रखते हैं। इन बिल्डिगों के लिये सरकारक

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

चाहिये कि इनका मेन्टीनेन्स पी०डब्लू०डी० को सौंपा जाय। या एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट में नया विभाग बनाया जाय एक इन्जीनियर रखा जाय सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर रखा जाय, चीफ इन्जीनियर रखा जाय वह सारा इन्तजाम संभाले। आज एज्युकेशन विभाग में तीन तीन डायरेक्टर हैं कॉलेज एज्युकेशन के अलग, प्राइमरी और सेकेन्डरी एज्युकेशन के अलग संस्कृत के अलग, टेक्निकल एज्युकेशन के अलग, एक हिन्दी विभाग के हैं इस तरह से कई डाइरेक्टर हैं।

इस एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट के अन्दर जितना धर्मादा है उतना दूसरे डिपार्टमेन्ट में नहीं है। देवस्थान डिपार्टमेन्ट को धर्मादा का डिपार्टमेन्ट कह सकते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा यह शिक्षा विभाग है। यह इस कारण कि कोई भी प्राइवेट स्कूल खोल ले उसको ग्रान्ट इन एड देने लग जाते हैं चाहे उसमें चार पांच ही लड़के क्यों न हो, पैसा लेकर के बैठ जाते हैं। इसी तरह से एज्युकेशन के अन्दर हजारों लाखों रुपया ऐसे लोग ले जाते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने कई डिमांड्स पर कट मोशन रखे हैं। मेरा नम्बर आज ही आया है। अतः मुझे बोलने के लिये समय दिया जाय पांच पांच मिनिट भी एक पर दें तो बीस मिनिट होता है।

श्री सभापति : आपके कट मोशन्स केवल तीन है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो हुई एज्युकेशन की बात। अब मैं देवस्थान के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर साहब नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं तो नहीं सही डिप्टी मिनिस्टर आजायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैरिट स्कॉलरशिप के लिये रुपये बढ़ाने के लिये तो कहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एज्युकेशन पर तो मैंने कह दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब देवस्थान विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस डिपार्टमेन्ट द्वारा जब मंदिरों की जागीरें जप्त की गईं, इस पर गुजारा करके जो भोग लगता था वह भी अब बन्द हो गया है। इनकी जागीर खत्म करने के बाद कितने मन्दिर इस विभाग के पास आये हैं उसकी कोई लिस्ट नहीं है। सारे मन्दिरों की लिस्ट देवस्थान विभाग के पास होनी चाहिये। जिनकी प्रोपर्टी छीन ली गई उन पर मेरे जैसे लोग कब्जा करके बैठ गये हैं। वे नाजायज फायदा उठाते हैं, राज्य सरकार को इसका पता तक नहीं।

सभापति महोदय, इन मन्दिरों के नीचे हजारों लाखों रुपयों की प्रोपर्टी है। आप राजस्थान के किसी भी गांव में चले जाइये आपको हर जगह मन्दिर मिलेंगे शहरों में मिलेंगे। आज हालत यह है कि सरकार को पता नहीं कुल कितने मन्दिर हैं। रसिया

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जैसे देश में जहां धर्म को नहीं मानते । वहां पर भी पूजा स्थान बने हुए हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने खुद ने देखा है हजारों आदमी सुबह शाम एक जगह एकत्र होते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैन धर्म के कितने मन्दिर हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां जैन धर्म का मन्दिर नहीं है । मुसलमान और क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले वहां रहते हैं । क्रिश्चियन धर्म के ज्यादा मानने वाले हैं मुसलमान लोग वहां मस्जिद में जाते हैं । राजस्थान जहां की संस्कृति बहुत प्रसिद्ध थी यह संस्कृत के अन्दर, हिन्दी के अन्दर यह बहुत आगे था । राजस्थान बनने के बाद दिन प्रति दिन हम पीछे हट रहे हैं और राजस्थान के अन्दर हम एम०एल०ए० मिनिस्टिर हैं वे भी धर्म को नहीं मानते हैं तो दूसरे क्या मानेंगे । आज लोगों को दूसरे धन्धों से फुरसत नहीं ।

मन्दिरों की तरफ कौन ध्यान दे ? इन मन्दिरों के लिए जो एक्ट बनाया है उसकी पूरी पालना होनी चाहिये ।

उस एक्ट के आधार पर आज जो ट्रस्ट बने हुए हैं और जिनमें करोड़ों की सम्पत्ति है उनकी देखभाल करने के लिए हर ट्रस्ट में एक सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिये । इन ट्रस्टों की सम्पत्ति का सही उपयोग होता है या गलत, इस पर सरकार ने आज दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया । यह देना चाहिये ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तीन मिनिट ।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : चलो बाबा, तीन मिनिट के बजाय दो मिनिट दे दीजिये ।

सभापति महोदय, मैं लोकल बॉडीज के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं । सरकार ने तो शहरों को तो खराब किया ही था, अब यह बनाकर गांवों को भी खराब कर दिया ।

शहरों में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अलग और लोकल बॉडी अलग । सरकार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में नोमीनेटेड लोगों को रखती है, और लोकल बॉडीज में चुने हुये होते हैं । तो इस कारण इनमें मतभेद रहता है । राजस्थान सरकार हमारे पर करोड़ों रुपया टैक्स लगा रही है गलत लगा रही है । उनका मतभेद होने के कारण सही उपयोग नहीं होता । तो इन दोनों चीजों को अलग अलग कर देना चाहिये । लोकल बॉडीज में अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अलग बनाया है, वह हटाना चाहिये । इससे सारा सत्यानाश हो रहा है । सब परेशान हो रहे हैं । शहरों में इससे हालत खराब हो रही है । इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यह एक ही होना चाहिये ।

श्री सभापति : जैसा माननीय सदस्यों को विदित होगा ४।। बजे मुख बन्द का प्रयोग होना है । इसका अर्थ यह है कि सर-

(श्री सभापति)

कार की ओर से सम्भवतः दो या तीन मिनिस्टर उत्तर दें तो इसलिए ३।। बजे उत्तर देने की मांग की गई थी । ३।। में पांच मिनिट का समय बाकी है । इसके बाद सरकार का उत्तर प्रारम्भ होगा । तो पांच मिनिट में तो एक व्यक्ति कठिनाई से बोल सकेगा, जबकि आवाज बहुत आ रही है । तो क्या माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में हुई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं या जैसी व्यवस्था है वैसे ही चलाना चाहेंगे ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला कटौती प्रस्ताव पर बोलने का ।

कुछ माननीय सदस्य : हमें भी बोलना है ।

श्री सभापति : मैं इस व्यवस्था में परिवर्तन सदन की इच्छा जानकर ही कर सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ा दिया जावे ।

श्री सभापति : तो सरकार का उत्तर होगा और फिर सारी मांगों को पारित किया जावेगा, तदनन्तर डीडवाना के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी या उपमंत्री जी अपना वक्तव्य भी देना चाहेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, गृह) : आप आज्ञा देंगे तो ।

श्री सभापति : आप चाहेंगे तो इजाजत मिल जावेगी और आप उठना नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी । तो आपकी इच्छा है देने की कि नहीं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन की जैसी इच्छा होगी ।

श्री सभापति : आप देना चाहें तो अनुमति प्राप्त करलें । यह वाद की चीज है । आजकी कार्यसूचि में उल्लेख है इसका । नहीं देना चाहेंगे तो सदन विचार करेगा । तो लगभग मुखबन्द ४।। बजे के स्थान पर पांच बजे कर दिया जावे ।

श्री अब्दुल जब्बार : ५।। बजे ।

श्री सभापति : ५।। तो बहुत देर हो जावेगी । इसका मतलब यह है कि सरकार का उत्तर ४ बजे प्रारम्भ हो ।

What the Congress members say ? Yes, Yes; Congress members What do you say about it ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : ५। बजे ।

श्री सभापति : तो सदन की सर्व सामान्य राय यह है कि सरकार का उत्तर ठीक ४।। बजे प्रारम्भ हो जावेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि ५। बजे निश्चित रूप से गुलेटिन लग जावेगा । और इसके बाद मांगें पारित हो जावेंगी और जो भी कुछ होगा बिजनैस होगा ।

तो सारी कार्यसूची जबतक समाप्त नहीं होगी, समय बढ़ा हुआ समझा जावेगा ।

३।। से ४।। एक घण्टे में जो भी अपने विचार रखना चाहेंगे उनको अवसर दिया

(श्री सभापति)

जावेगा। कांग्रेस के पांच या छः बोल चुके स्वतन्त्र पार्टी के दो और जनसंघ के दो। अपनी बात अब आप थोड़े समय में समाप्त कर दें।

श्रीमती गौरी पूनिया बोलेंगी, फिर डूंगाराम बोलेंगे।

श्रीमती गौरी पूनिया।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : सभापति महोदय, मांग संख्या १५–मुख्य शीर्षक २८ पर मेरा भी एक कटौती का प्रस्ताव है।

यह तो हम मानकर चलते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ापन राजस्थान को विरासत में मिला है। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी हमारा राज्य शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर से बहुत पीछे है। फिर भी अगर बारीकी से देखा जावे तो पिछले दस वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। जिसे देखकर संतोष होता है।

लेकिन साथ ही सभापति महोदय, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर देखकर शहरी क्षेत्रों की ओर देखा जाता है तो मन को ठेस पहुंचती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अपनाई जाने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की नीति को देखकर दुख होता है अगर साफ शब्दों में कहा जावे तो इसे भेदभाव वाली नीति कहना ज्यादा ठीक होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। डेगाना तहसील में दो पंचायत समितियों के बीच में केवल मात्र एक हायर सेकण्डरी स्कूल है डेगाना में इसमें सन् ६० से कॉमर्स का विषय भी खोला गया। लेकिन छः वर्षों के बाद आज कॉमर्स विषय को उठा देने का हुक्म पहुंच गया। कारण इसका यह बताया गया कि पूरे टाईप राइटर्स नहीं हैं। तो मैं आपके द्वारा शिक्षामंत्री को बताना चाहूंगी कि अभी भी दस टाइप राइटर्स मौजूद हैं वहां पर, जबकि आप्शनल सब्जेक्ट्स बैंकिंग का है जिसमें टाइप राइटर्स की आवश्यकता नहीं होती। बिल्डिंग भी वहां के लोगों ने सवा लाख की बना दी है बच्चों की संख्या भी बहुत है यह सब होते हुए भी छोटी सी बात का बहाना लेकर कॉमर्स को वहां से उठा देना अन्याय होगा, पक्षपात की पराकाष्ठा होगी। मैं आपके द्वारा शिक्षामंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार से ग्रामीण विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित न किया जावे।

साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार की तरफ वे ध्यान देंगे।

अब सभापति महोदय, मैं स्त्री शिक्षा की ओर भी शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगी कि देहातों में इसकी क्या हालत है। तीन चार जिले जैसे–जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर ऐसे हैं जिनमें अगर ग्रामीण स्त्री शिक्षा का परसेन्टेज देखा जावे तो एक दो प्रतिशत से आज भी ज्यादा नहीं पावेंगे जबकि वहां लड़कों की शिक्षा का प्रतिशत १५ से २० तक पहुंच गया है।

सभापति महोदय, इस तरह का अन्तर अगर देहातों में रक्खा गया अगर यह रेशो

(श्रीमती गौरी पूनिया)

रखा गया तो हमारे सामने कुछ ही समय में एक सामाजिक समस्या पैदा हो जावेगी जिसका निराकरण समय रहते नहीं किया गया तो इस राज्य को आगे जाकर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

आज भी देखने में आता है कि अनपढ़ लड़कियों से पढ़े लिखे लड़के शादी करने से इन्कार कर देते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की सत्तर प्रतिशत जनता के शिक्षण और खास करके स्त्री–शिक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिये।

पक्षपातपूर्ण नीति का एक उदाहरण और देना चाहती हूं। मकराना में बीस हजार की आबादी है। बीस साल से वहां लड़कियों की प्राइमरी स्कूल है। बराबर १५ सालों से प्रयत्न हो रहा है कि उसको मिडल स्कूल में अपग्रेड कर दिया जावे, पर नहीं किया गया है अभी तक।

इसके साथ साथ मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार को अपनी यह भेद–भाव की नीति को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पक्षपात करने की नीति को बदल देना चाहिये।

सभापति महोदय, नीतियां और पॉलिसियां, ये सब जनता के हितों के लिए बनाई जाती हैं, न कि केवल मात्र राज्य सरकार के मार्गदर्शन के लिए।

इसलिए मेरा यही कहना है कि बड़े बड़े गांवों में जहां आज राज्य की नीति है कि गांवों में प्राईमरी स्कूलों में लड़के और लड़कियों को साथ पढ़ाया जाये लेकिन मैं इसका विरोध करती हूं क्योंकि मेरा १५ साल का अनुभव बताता है कि गांवों के अन्दर लोग इसको कतई पसन्द नहीं करते। इसलिए बड़े बड़े गांवों में जहां ७०, ८० लड़कियां हैं उनकी प्राईमरी स्कूल अलग होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़ सकें और उसके साथ ही साथ ८–१० प्राईमरी स्कूलों के ऊपर एक मिडिल स्कूल लड़कियों की अलग से होनी चाहिए। उसका होना ही पर्याप्त नहीं है मैं चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में मिडिल स्कूलों के साथ राजकीय छात्रावास का होना भी अति आवश्यक है। जब तक राजकीय छात्रावासों का मुफ्त प्रबंध नहीं किया जायेगा स्त्री शिक्षा पे और विशेषकर ग्रामीण स्त्री शिक्षा में कतई प्रगति नहीं हो सकेगी। सभापति महोदय, शिक्षा की दृष्टि से एक हरिजन की लड़की और एक ग्रामीण किसान की लड़की समान रूप से पिछड़ी हुई हैं। जहां हमने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियों के लिए जगह जगह छात्रावास खोले हैं तो उनका रिज़ल्ट यह है कि काफी लड़कियां उनकी पढ़ने लगी हैं, इसलिए शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगी कि मिडिल स्कूल के साथ कम से कम फ्री छात्रावास का इन्तजाम लड़कियों के लिए अवश्य होना चाहिए। अगर हम वास्तव में लड़कियों की शिक्षा चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि मेरे सुझावों पर गंभीरता से विचार करें।

इसी के साथ ही सभापति महोदय, जो प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में अपग्रेड करना और मिडिल स्कूल को हायर सेकन्डरी में बदलने का जो आपका क्राइटेरिया है

(श्रीमती गौरी पूनिया)

उसमें मेरी समझ में नहीं आता कि कहां दिक्कत आती है। जो स्कूल पुराने हैं, जहां छात्राओं की संख्या ज्यादा है, उनकी बिल्डिंग आपकी काईटेरिया के मुताबिक है वहां के लोग रेकरिंग और नान–रेकरिंग सभी चीजों को देने के लिए वायदा कर चुके हैं वहां न खोलकर मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कौनसी प्रणाली है पैरासूट वाली कि जिला परिषद और पंचायत समिति कहीं के लिए रिकमण्ड करके भेजती हैं और यहां न जाने कौनसी प्रणाली है कि पैरासूट से ऊपर से उतर आती है और वह अपग्रेड हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिला परिषदें और पंचायत समिति की तरह से जो भी रिकमन्डेशन आये उसके मुताबिक प्राथमिकता देनी चाहिये और ग्रामीण जनता के साथ इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति छोड़ देनी चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ) : सभापति महोदय, आज शिक्षा की डिमाण्ड के ऊपर वादविवाद चल रहा है। उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि जो मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाता है। हमारे भारत में वैसे शिक्षा की बहुत कमी है और उसके साथ ही राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है कि और राज्यों की तुलना में सबसे पीछे है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा को सरकार ज्यादा महत्व दे। इसके साथ ही दूसरी ओर यह भी निवेदन करूंगा कि शिक्षा देने का जो सरकारका तरीका है वह ऐसा है कि जिससे शिक्षा देने में जो प्राथमिक शिक्षा गांवों में पंचायत समितियों के तहत या पंचायतों के तहत दी जाती है वह शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नहीं बल्कि पीछे ले जाने वाली बात है। उसका स्पष्टीकरण मैं दूं कि जिन गांवों में स्कूलें होती हैं और जहां अध्यापक पढ़ाते हैं वह राजनीति का और सत्ताधारी सरकार का एक अड्डा बनी हुई हैं। इसलिए मैं इसके बारे में कहूं कि अध्यापक शिक्षा न देकर सरपंचों के ऐसे चक्कर में पड़े रहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिल सकता है। पहले तो अध्यापकों को सरपंचों से बनाकर रखनी पड़ती है और दूसरे अपोजीशन का कोई व्यक्ति होता है तो उसके कम्पीटीशन में चलता है क्योंकि वह राजनीति के आधार पर कभी इधर और कभी उधर सपोर्ट करते हैं और शिक्षा प्राथमिक पाठशालायें, आपने पंचायतों के तहत कर रखी हैं उसमें बहुत ही बुरी प्रणाली है और उसके नाते मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस तरह की नींव कच्ची रखेगी जिससे कि उन बच्चों को प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा नहीं मिल सके तो आगे जाकर वे क्या उन्नति कर सकते हैं ? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जो प्राथमिक पाठशालायें हैं उनको शिक्षा विभाग के नीचे दी जायें ताकि स्कूल सुचारू रूपसे चल सकें। और अध्यापक लोग स्वतंत्रता के साथ बच्चों को पढ़ा सकें।

दूसरी ओर इन्हीं पाठशालाओं के बारे में और छात्रवृत्ति के बारे में निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को पहले समाज कल्याण विभाग के थ्रू छात्रवृत्ति दी जाती थी। मैं उप मन्त्री जी से कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर जरा गौर करें। जो छात्रवृत्ति शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों को दिया करते थे वह गांवों में पंचा-

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

यत समितियों के तहत जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको वह छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि करीब ४ साल से मैं बराबर पुकार रहा हूं लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है जब कि प्राथमिक पाठशालाओं में शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं उनको अगर आप छात्रवृत्ति नहीं देवगे तो उनका विकास कैसे हो सकेगा ? इसके ऊपर सरकार को स्वयं ध्यान देना चाहिये।

दूसरी ओर इन्हीं पाठशालाओं के लिए निवेदन करूंगा कि जो पंचायतों के तहत स्कूल हैं वहां न तो भवन की व्यवस्था है और न बैठने की व्यवस्था है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जो शहरों में पाठशालाय हैं उनके लिए निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा विभाग के नीचे हैं उन शहरों में भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जयपुर में भी कई स्कूलों में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। एक स्कूल का उदाहरण दूं जो कि वार्ड नं० २४ में है जिसमें करीब १५० लड़के पढ़ते हैं उसमें एक बच्चे को भी ३ साल से छात्रवृति नहीं मिल रही है। इसलिए आपके जो छात्रवृत्ति के नियम हैं, उन बच्चों को कैसे मिल सके, समाज कल्याण से जो आप रुपया निकालते हैं और अगर आप रुपया लगाते हैं उसमें भी बचत कर लेते हैं और बच्चों को छात्रवृति नहीं पहुंचती है तो इसका क्या कारण है, यह अच्छी नीति नहीं है। इसके अलावा सरकार ने मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों के लिए व्यवस्था की है भवनों के बारे में उसके लिए सरकार ने कहा है कि गांव वाले स्कूल भवन बनाकर दे दें तो हम स्कूल खोल देंगे। भवन गांव वालों को क्यों बनाना पड़े और शहरों में स्कूल भवनों के लिए सरकार ही पैसा लगाये ऐसा भेद भाव क्यों ? किन्तु गांव वालों ने सरकार के रवैये के माफिक चलने की कोशिश की और भवन बनाकर दिया फिर भी सरकार ने गांव वालों पर तीसरा रोग और लगा दिया कि आप स्कूल भवन के साथ में कुछ पैसा भी दो। तो मैं कहूंगा कि जो ८० परसेन्ट जनता गांवों में रहती है उनके साथ इस प्रकार भेदभाव का रवैया क्यों कि गांव वाले पैसादेकर स्कूल खुलावें गांवों में पहले के जो स्कूल भवन बने पड़े हैं उनकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो पहले से मिडिल व हायर सैकन्डरी के भवन बने हुए हैं वहां तो मिडिल स्कूल और हायर सेकेंन्डरी स्कूल खोलने चाहिए। मेरे क्षेत्र में हाई स्कूल और मिडिल स्कूलों की बिल्डिंग बनी तैयार पड़ी हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यहां जरूर खोले जायें। एक गांव आंधी है वहां सरकार को पैसा नहीं लेकर हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने चाहिए वहां बिल्डिंग तैयार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसको खोला जाये। इसी प्रकारसे गठवाड़ी में एक बिल्डिंग बिलकुल तैयार है। इसके अलावा मिडिल स्कूल के लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि आज से तीन साल पहले नम्बर आ गया था लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां आज तक स्कूल क्यों नहीं खोला गया ? जहांकि स्कूल भवन तैयार है और एक बिल्डिंग थली में बिलकुल तैयार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कोई सही नीति निर्धारित करे और उसके ऊपर चले। ग्रामीण जनता को पैसे का सदुपयोग नहीं होकर वह पैसा

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

बेकार जाये तो उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

गांवों की हाईस्कूल और मिडिल स्कूलों में ऐसे विषय रखे जायं कि जो गांवों की जनता के लिए, गांवों के बच्चों के लिए वह काम में आ सके और इस तरह गांव में ऐसे विषय पढ़ायें जायं जैसे वैज्ञानिक कृषि का पाठ्यक्रम खोला जाय तथा दूसरे विज्ञान के विषय भी खोले जायें । जो गांवों के बच्चे हैं वे अगर कृषि और विज्ञान के विषय को पढ़ कर स्कूल में से निकलेंगे तो उसके बाद वे जो खेती करेंगे वह बड़े अच्छे ढंग से कर सकेंगे और आपकी सरकार की जो नीति है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है उसमें भी मदद मिल सकेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि सरकार का जो पढ़ाई का तरीका है यानि कम से कम इस तरह का तरीका सोचा जाय कि जिसमें जितने छात्र स्कूल से निकलें उनको नौकरी नहीं मांगनी पड़े आप शिक्षा का स्तर उस तरफ ले जायं ताकि वे बच्चे जब स्कूल से बाहर आवें तब उनको बेकार न रहना पड़े, वे कोई धन्धा, उद्योग धन्धा कर सकें । इस बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । आज तो इतने बच्चे नौकरी की फिराक में फिर रहे हैं कि उनको कहीं रोजगार नहीं मिलता है । इसलिए अगर सरकार ऐसी तकनीकी शिक्षा दे कि जिससे शिक्षित वर्ग को जल्दी रोजगार मिल सकें यह उनके लिए भी फायदे मन्द होगा और देश के लिए भी फायदा हो सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर दूगां । इसके अलावा मैं एक बात यह और कहूंगा कि सरकार कहती है कि पिछड़े वर्ग के बच्चे योग्य नहीं मिलते हैं इसी वजह से हमारे साढ़े बारह परसेंट की पूर्ति नहीं होती है । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो तरीका आपने पिछड़े वर्ग के लिए अपनाया है, शुरू में आपने संविधान में विशेष सुविधायें दी है, इन सुविधाओं का लाभ न देकर और सुविधाओं से वंचित रख कर जो तरीका आज चल रहा है उस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी में जो साढ़े बारह प्रतिशत स्थान का जो सुरक्षित रखने का जो सरकार का फैसला है उसके मुताबिक पूर्ति नहीं होने में सरकार बाधक है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं, उनके लिए जो भी सुविधा संविधान में दी है वह पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए, ताकि साढ़े बारह प्रतिशत की सरकार की मंशा वह पूरी हो सके और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का तबका भी ऊपर आ सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्र विदेशों में जाते हैं, राजस्थान से भी जाते हैं विदेशों में, सरकार उच्च शिक्षा पढ़ाने के लिए भेजती है तो उसमें भी राजस्थान से इन छोटी जाति के, छोटे वर्ग के, छोटे तबके के जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाय ताकि ये बच्चे भी आगे बढ़ सकें और समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, मेरा तो पहले से नाम दिया हुआ था ।

श्री सभापति : आप लोगों को समय देने के लिए ही सदन का समय बढ़ाया गया है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह समय कब मिले ।

श्री जुझारसिंह : मेरे लिए तो पहले भी अनाउंस किया था ।

श्री सभापति : ठीक है. आप सब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसको ध्यान में रख कर एक घण्टे का समय बढ़ाया है । प्रश्न इतना है कि किसको कब समय मिले, इस पर विचार करना है । अभी चार माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल चुके हैं और अब दूसरी पार्टी के माननीय सदस्यों को मौका मिलना चाहिए । लेकिन मेरे पास एक कांग्रेसी सदस्य श्री हरलाल मीणा ने लिख कर भेजा है कि वे पिछले चार वर्षों में बोले ही नहीं है इसलिए उनको पांच मिनट का समय मिलना चाहिए । तो जो सदस्य चार वर्षों में नहीं बोले हैं तो उनको समय पहले मिलना चाहिए ।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा पर चर्चा करना चाहता हूं । शिक्षा के बारे में, शिक्षा का प्रचार गांव २ और घर घर में जिस तरह से पहुंचा है वह ऐसा पहले कभी नहीं था । जहां तक मेरी जानकारी है, प्रतापगढ़ स्टेट में आठ दस प्राथमिक पाठशालाएं थीं और एक हाई स्कूल थी लेकिन आज उसी जगह, राजस्थान बनने के बाद इस प्रतापगढ़ में सब डिविजन में १६० प्राथमिक पाठशालाएं, ६६ मिडिल स्कूल, ३ हायर सेकेन्ड्री स्कूल हैं । साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि प्रतापगढ़ एक आदिवासी एरिया है और गरीब एरिया है वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे अपने लड़कों को कॉलेजों में पढ़ाई करा सकें इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रतापगढ़ में कॉलेज खोला जाय ।

प्रतापगढ़ में कालेज खोलने के लिए सरकार के आश्वासन पर प्रतापगढ़ की जनता ने एक लाख रुपया इकट्ठा कर रखा है लेकिन आज तक वहां पर कालेज नहीं खोला गया और सरकार ने भी यह आश्वासन दिया कि यहां कॉलेज खोला जायेगा लेकिन अभी तक नहीं खोला गया है । और मैंने तारांकित प्रश्न के द्वारा भी यह पूछा था कि प्रतापगढ़ में कब तक कॉलेज खोला जायगा लेकिन शिक्षा मंत्रीजी ने जो जवाब उसका दिया उससे मुझे संतोष नहीं मिला । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जब आज जवाब दें तो अपने भाषण के अन्दर संतोषप्रद जवाब देने का कष्ट करेंगे ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि प्राथमिक पाठशालाएं जो गांवों में खोली जाती हैं और उनमें जो अध्यापक पढ़ाने जाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है । उन अध्यापकों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में भी पूरा ध्यान दिया जाय और उनकी तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए क्योंकि वह गांवों में रहते हैं । एक बात और शिक्षा के सम्बन्ध में यह भी है कि इन प्राथमिक पाठशालाओं को पंचायत समिति में देने के बाद जो भाई

(श्री हरलाल)

भतीजावाद इनमें चल रहा है वह उचित नहीं है। कोई प्रधान का भाई है, या बी.डी. ओ. के नजदीक का रिश्तेदार है या एक्सटेंशन ऑफिसर के मिलने जुलने वाला है उनको तो पास के गांवों में और अच्छी जगह भेजा जाता है लेकिन जिनका कोई जरिया नहीं है उनको ऐसी काली जगह पर भेजा जाता है जहां पानी तक पीने को नहीं मिलता है। एक अध्यापक को आप जयपुर से प्रतापगढ़ में भेजते हैं और वहां से उसे पंडावा भेज दिया जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो शिक्षा विभाग की ओर से एवं बाहर से दूसरी जगहों से जाते हैं, उनको शहरों के पास में ही लगाना चाहिए और जो वहीं के आस पास के गांवों में रहने वाले हैं वे अगर और आगे गावों में चले जायं तो उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रतापगढ़ आदिवासी एरिया होने के कारण वहां पर पहले समाज कल्याण विभाग के १८ स्कूल थे। वे स्कूल जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाए जाते थे वे बहुत अच्छी तरह से चलते थे। जब अध्यापकों की आर्थिक स्थिति खराब रही तो उन्होंने कहा कि हम भी शिक्षाविभाग के अध्यापकों से कम क्यों रहें, हमें भी समाज कल्याण विभाग के जरिए पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना है लेकिन यह शिक्षा विभाग के अन्दर जाना चाहते थे लेकिन यह शिक्षा विभाग के अन्दर आने के बाद तो एक ऐसा घोटाला हो गया है कि यह पंचायत समिति इन अध्यापकों को ऐसे गहरे एरिया में भेजती है वह इसलिए भेजती है कि इनको सजा दी जाय, ये काम वगैरह नहीं करते हैं तो इनको सजा देने के लिए छोटे २ गांवों में भेज देते हैं लेकिन इससे इनको सजा तो मिलती नहीं है और उल्टे आजाद हो जाते हैं। वहां इनको कोई देखने वाला नहीं है, ये कोई काम वहां करते नहीं है और चार बजे ही स्कूल से निकल जाते हैं। इसलिए मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो बाहर के अध्यापक जाते हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जावे और समाज कल्याण विभाग ने जो स्कूलें शिक्षा विभाग को दी हैं इन स्कूलों को समाज कल्याण विभाग को वापस दे दिया जाय ताकि वह ढंग से चल सके। आज तक यह कोई ढंग से नहीं चल रही हैं। आदिवासी एरिया के अन्दर जाकर ये अध्यापक रहते नहीं हैं, वहां से भाग जाते हैं। इतना ही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री विजयपाल कटारा।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मुझे बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : लाचारी है आपको समय देने में।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु०): सभापति महोदय, यह बहुत महत्व की शिक्षा की डिमाण्ड पर हमारा वादविवाद चल रहा है। शिक्षा का यह सिद्धान्त है कि जो मनुष्य को एक मनुष्य बना देती है। इसलिए शिक्षा इस युग के अन्दर जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए

(श्री विजयपाल कटारा)

थी वह शिक्षा आज के युग में हमको नहीं मिल पा रही है। शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा से विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में जो सम्पर्क, जो व्यवहार होना चाहिए था वह आज नहीं हो सका है।

आज एक ही शाला में, एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं अगर उनके सामने कोई अध्यापक सिगरेट पीता हुआ या पान खाता हुआ पढ़ायेगा तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह अध्यापक सही शिक्षा दे सकेगा ? आज अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच कोई फर्क नहीं है। एक अध्यापक अगर खड़ा खड़ा पेशाब करता है और उसके सामने ही विद्यार्थी खड़े खड़े पेशाब करते हैं तो सोचिये कि आज हम इस युग के अन्दर किस ओर जा रहे हैं। यह सरकार जो कांग्रेस की है वह इस मानव को किस ओर ले जाना चाहती है ? हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह देश के लिए ही नहीं बल्कि मानव ढंग को ठीक चलाने के लिए भी होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो दूसरे देशों के सामने अपने कर्त्तव्य को बताती है। जब किसी मनुष्य के अन्दर ठीक ढंग की शिक्षा नहीं होगी तो क्या आगे बढ़ सकेगा और दूसरे देशों के सामने लड़ सकेगा? आज एक छोटा सा इंगलैण्ड एक बड़े राष्ट्र को झुका रहा है। यह क्यों झुक रहे हैं ? यह आप देख सकते हैं कि वहां की शिक्षा, वहां की संस्कृति, वहां की ईमानदारी, जो कि एक अध्यापक और जनता के बीच की भावना है उसके कारण यह ही आज एक छोटा सा देश बड़े बड़े राष्ट्रों को नीचे झुकाता है। आज हमारा एक बहुत बड़ा देश है, जो कि एशिया के अन्दर सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है, वह शिक्षा में सबसे पीछे माना जाता है। क्यों माना जाता है ? इसका मूल कारण यह है कि हमारे में शिक्षा नहीं है, हमारे देश के अन्दर शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अन्दर आपको बड़े बड़े परिवर्तन लाने होंगे। आपको अधिक से अधिक इस जनता के बीच में इस मनुष्य के बीच में टैक्निकल एज्यूकेशन लाना होगा।

आप अच्छी शिक्षा देकर अच्छे यौद्धा तैयार कर सकते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया शिक्षा की ओर तो दूसरे राष्ट्रों से पीछे हटना पड़ेगा। आप मन में सोचते हों कि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आन्तरिक स्थिति को देखें कि क्या पोजीशन है ? आपकी आन्तरिक स्थिति शिक्षा के मामले में बिल्कुल खोखली हो चुकी है। पहले जो पांचवी पढ़ने वाला आदमी प्रधान अध्यापक हो सकता था और आज पांचवी क्या मैट्रिक पढ़ने वाला उसकी भाषा का मुकाबला नहीं कर सकता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज के युग के अन्दर विद्यार्थियों के ऊपर कोर्स बहुत बड़ा लाद रखा है। हर साल आप कोर्स बदलते हैं जिससे विद्यार्थियों के बीच और गरीब जनता के बीच असन्तोष है। जिनके पास पैसा नहीं है वे हर साल किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। जिनके पास पैसे होंगे वे ही हर साल किताबें खरीद सकेंगे। मुझे मालूम है कि जब अंग्रेजों का

(श्री विजयपाल कटारा)

टाइम था, स्टेट का टाइम था तो एक पुस्तक लगातार १० साल तक चलती थी। जो मैन्टेलिटी एक पुस्तक के साथ बनी रहती थी वह आज नहीं है। आज जो किताबें छपती हैं वे किसी की सिफारिश के आधार पर छप जाती हैं, प्रमोशन के आधार पर किताबें छप जाती हैं। तो शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से शिक्षा के अन्दर आपने जो मखोल उड़ा रखा है। शिक्षा मानवता को प्रगति की ओर ले जाने वाली चीज है उसमें आपने एक गंदा वातावरण पैदा कर रखा है। उसको राजनैतिक षड़यन्त्रों के बीच में डाल रखा है। राजनैतिक षडयन्त्रों से अध्यापकों और विद्यार्थियों को दूर रखना चाहिए। जब चुनाव आता है तो अध्यापकों को प्रचार में रखा जाता है। विद्यार्थियों को प्रचार में रखा जाता है। उनको ५–१० रुपया देकर विद्यार्थियों को प्रचार में लगाया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का दिमाग जिस ढंग से लगना चाहिए, नहीं लग पाता है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी मैं अपने कट-मोशन के द्वारा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा एस० टी० सी० स्कूल डूंगरपुर के बारे में। वहां पर जाकर आप देखिये कि वहां पर कितना गंदा वातावरण पैदा कर रखा है। वहां का सारा स्टाफ प्रधान अध्यापक से नाराज है। इसके बारे में बार बार वहां की जनता ने एप्लीकेशन दी है और हम लोगों ने भी आगाह किया है, लेकिन उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया है। जब तक उनका ट्रान्सफर वहां से नहीं करेंगे तब तक वहां पर जो टेक्निकल एज्यूकेशन प्राप्त करने लोग आते हैं और जो वहां का स्टाफ है उनके अन्दर असन्तोष है वह दूर नहीं होगा। इससे वहां शिक्षा के अन्दर बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के एक अध्यापक के साथ जो वहां पर टेक्निकल शिक्षा लेना चाहता था, तो उसकी टेक्निकल (क्रियात्मक) परीक्षा तो हो चुकी थी लेकिन थ्योरिटिकल परीक्षा के लिए वहां आया था, जिसका कि नाम लक्ष्मीनारायण है, जो कि पैसा खर्च करके ट्रेनिंग लेने आया था, उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस अध्यापक के साथ जो आपके स्कूल ने अन्याय किया है उसकी जांच करना चाहिए कि उसका इतना खर्चा क्यों हुआ ?

दूसरा मेरा कटमोशन महाड़ा स्कूल के बारे में है। जब से मैं यहां आया हूँ उससे पहले से वह प्राइमरी स्कूल है। उसको माध्यमिक स्कूल में परिवर्तन कराने के लिए पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेजा था तीन साल पहले तो उसका इस साल आर्डर किया कि स्कूल महाड़ा में खोला जा रहा है, लेकिन इसके बाद राजनैतिक षडयन्त्र के कारण उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक बतलाकर उस स्कूल को महाड़ा से बदलकर बांसौर कर दिया। जो रूल्स बने हुए हैं, जो एक प्रोसीजर बना हुआ है कि इतनी संख्या के आधार पर, इतने कमरों के आधार पर इतने स्कूलों के आधार पर एक प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल होगा। जब राजनैतिक षडयंत्र का सवाल आता है तब उस मामले को छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस स्कूल के लिए पांच साल पहले प्रस्ताव आया है और वहां का आदिवासी एरिया है तो उसको प्राथमिकता देकर वहां

(श्री विजयपाल कटारा)

पर माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए आदेश दिलवायें। प्रस्ताव बदलने का मूल कारण यह है कि वहां पर जिला–परिषद नहीं है, पंचायत समिति नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को तोड़-मरोड़ कर दूसरी जगह बदला गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस स्कूल की सीनियोरिटी है, जहां पर विद्यार्थी ज्यादा हैं, कमरे ज्यादा हैं, जो कि आपके आधार हैं, उसका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहां आदिवासी एरिया है, जो बैक वर्ड एरिया है उस एरिया के अन्दर शिक्षा को बढ़ाने का आधार देखना चाहिए। जहां पर बिल्डिंग बनाने की जरूरत हो तो बिल्डिंग बनाने का काम सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए। आदिवासी ही उस एरिया में बिल्डिंग बनायें और विद्यार्थी भी तैयार करें, और पैसा स्टाफ के लिए भी दें, यह हमारे आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी खतरनाक वस्तु है। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जिस एरिया को शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया घोषित किया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

ऐसे एरिया में बिल्डिंग के लिए श्रमदान ले लिया जाये लेकिन बिल्डिंग तुरन्त गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाये। यदि गवर्नमेंट बिल्डिंग अपने हाथों से नहीं बनाती है और अपनी जनता के लिए शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं करती है तो वह सरकार सरकार नहीं है। इसलिए मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। कि

(४.०० म. प.)

हमारे डूंगरपुर में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल है उसमें कोओपरेटिव सोसाइटी खोल रखी है। उसके जरिये विद्यार्थियों पर दवाव डाला जाता है कि तुमको इस सोसाइटी का सदस्य बनना है और पैसा देना है, सारा धन्धा करना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोओरेटिव सोसाइटी एक तरह की दूकानदारी है। विद्यार्थियों पर दवाव डाला जाता है कि तुमको पुस्तकें इसी कोओपरेटिव से खरीदनी है। जब तक यहां से नहीं खरीदोगे तबतक पढ़ाई नहीं करायेंगे। सभापति महोदय, यह सरकार की खोटी नीति है। हमको सबसे ज्यादा दुख देखना पड़ता है।

इसी प्रकार सागवाड़ा में एक हाई स्कूल है और वहां पर उसमें विज्ञान का विषय खुला है। पुरा साल निकल गया लेकिन वहां पर अब तक विज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं पहुँचा है। बिना पढ़ाई के विद्यार्थी विज्ञान की क्या परीक्षा देंगे। वहां से गांव वालों ने दर्खवास्त लिख कर भेजी है जिस पर उनके दस्तख़ है। यही दर्खवास्त उन्होंने शिक्षा मंत्रीजी के पास भी भेजी है। इसमें कहा है कि हमको अध्यापक दीजिये, विज्ञान का अध्यापक दीजिये, फलां अध्यापक दीजिये लेकिन अब तक अध्यापक नहीं भेजा है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार आज तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं ला सकी है। मुझे उम्मीद नहीं है कि हमको शिक्षा में आगे बढ़ा सकेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री विजयपाल कटारा)

मैं एक मिनिट और कहना चाहूँगा। उदयपुर में गर्ल्स हाई स्कूल है। उसमें जो हैड मिस्ट्रेस है वह क्रिश्चियन है। वहां पर दो आदिवासी होस्टल है एक होस्टल तो वर्मा साहब का है और दूसरा सुखाड़िया साहब का है। उसमें जो आदिवासी लड़कियां पढ़ती हैं उन पर वह क्रिश्चियन हैड मिस्ट्रेस दबाव डालती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह अध्यापिका उन लड़कियों को क्रिश्चिन बनाना चाहती है और इसके लिए वह उन पर जबर्दस्ती से दबाव डालती है। परीक्षा में लड़कियों जो को नम्बर मिलते हैं उनको मिटा कर उनको फल किया जाता है। इस तरह से वह उन लड़कियों पर दबाव डालती है। इस हैड मिस्ट्रेस को वहां से फौरन हटाना चाहिए।

इसी प्रकार से कांग्रेस के राज्य में विद्यार्थियों के लिए अमेरिका से आया हुआ सड़े गेहूं का भड़ता खिलाकर हिन्दुस्तान में नमूना बनाना चाहते हैं। सड़ा हुआ दूध और सड़ा हुआ गेहूं खिलाकर हमारे देश को बेचना चाहते हैं। यह कौनसा भड़ता है जिसको खाकर हमारे विद्यार्थी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसकी जांच डाक्टर से करवाई जाये और उसके बाद विद्यार्थियों को खिलाया जाय। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस प्रकार शिक्षा के अंदर जो अन्धेर है उसको दूर करने का अधिकार होना चाहिए ....

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : यह 'भड़ता' क्या है ?

श्री सभापति : मंत्रीजी पूछना चाहते हैं कि 'भड़ता' क्या होता है ?

श्री विजयपाल कटारा : खाद्य समस्या हमारे यहां चल रही है, हमारे देश में खाना नहीं है इसलिए आपने अमेरिका से अनाज या गेहूं मंगाया है। चाहे यह सरकार के पास पड़ा है या पंचायत समिति में भरा हुआ है वह बिल्कुल सड़ा हुआ है। ५ रोज का पिसा हुआ आटा भी खराब हो जाता है तो जो लोग रोज पीस कर खाने वाले हैं उनको यह सड़ा हुआ आटा खिलाया जाता है। आप अपने विद्यार्थियों के लिए जिस तरह खाना खिलाते हो उस प्रकार की व्यवस्था हम गरीब आदमी भी चाहते हैं। उस युग में आप हमको आश्वासन देते थे और हमारी हिमायत करने को तैयार होते पर आज आप खुद पांच पांच दस दस गाड़िया लेकर घूमते हैं। उस समय जब राजा लोग एक गाड़ी लेकर निकलते थे तब आप लोग ही कहा करते थे कि राजा महाराजा बहुत खर्चा करते हैं, जनता का खून पीनेवाले हैं पर आप आज क्या करते हैं यह पूछना चाहता हूँ.... ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) ये चाटन करने वाले और झूठे आश्वासन देने वाले हैं।

श्री विजयपाल कटारा : चाटन करने वाले और भाषण देने वाले अध्यापकों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। वहां की जनता ने मांग की है कि हमको फलां अध्यापक दीजिए। आप अध्यापकों के बीच और हमारे बीच में आना चाहते हैं। उन्होंने जो दर्खास्त दी है वह मैं पेश करना चाहता हूँ जो

(श्री विजयपाल कटारा)

अध्यापक वहां नहीं जाना चाहता है उसको जबर्दस्ती भेजेंगे तो वह क्या पढायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने जो बातें कहीं उनकी ओर आप पूरा ध्यान दें।

(कुछ सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : कुमारी उमा माथुर।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ) : सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश आज तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है और शिक्षा में तो इसने विशेष तरक्की की है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एक के बाद एक विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, एक के बाद एक मैडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो कालेज डिग्री कॉलेज थे वे पोस्ट ग्रेजुएट हो गये और हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूलें खोली गई।

(४.०५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा विभाग की अलवर के प्रति हमेशा उपेक्षा की नीति रही। अलवर में एक कालेज जो पहले पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज था, एम.ए. क्लासेज़ थीं, एल. एल. बी. क्लासेज थीं उनको भी पता नहीं किस अपराध में सब को बंद कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर का राजश्री कॉलेज राजस्थान के सबसे बड़े डिग्री कॉलेजेज़ में से एक है। वहां करीब १४०० विद्यार्थी पढते हैं और इतने बड़े कॉलेज को अपग्रेड करने के बजाय और सुविधाएं देने के बजाय किया यह गया है कि जो वहां पहले क्लासेज थीं वे भी बंद कर दी। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करती हूँ कि हम कोई चीज आपसे मांग नहीं रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आपने जो हमारी चीजें छीनी हैं उनको ही कृपा करके वापिस करदें। दस साल में लगातार अलवर के लोग राज्य सरकार से यह निवेदन करते चले आ रहे हैं कि आप हमारे इतने बड़े कॉलेज को फिर से पोस्ट ग्रेज्युएट बनादें, एल. एल. बी. क्लासेज खोल दें लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। होना चाहिए यह था कि इतना बड़ा डिग्री कॉलेज है तो एक के बदले दो होने चाहिए थे, साइन्स कॉलेज अलग और आर्टस कॉलेज अलग होना चाहिए था किन्तु इसके स्थान पर हमें मिला यह कि जो कुछ कॉलेज में था वह भी बंद कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कॉलेज जिस भवन में चलता है वह महाराजा अलवर की निजी प्रोपर्टी में है और स्थिति यह है कि कॉलेज का जो बिल्डिंग या भवन है वह तो कॉलेज के अधिकार में है और उसके साथ लगा हुआ बाग या आज उसको जंगल कहिए या जो कहिए, महाराजा के अधिकार में है। महाराजा हर साल थोड़ी गायें, भैंसें चरने के लिए खेती पर देदेते हैं और परिणाम यह होता है कि गायें बैल, घोड़े क्लास रूमस में घुस आते हैं, शोर होता है, हर रोज गोबर, लीद पड़ी रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इस कॉलेज को ७५ हजार की ग्रान्ट युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से लाइब्रेरी की बिल्डिंग के लिए मिली थी, उसी कॉलेज में लाइब्रेरी की

(कुमारी उमा माथुर)

बिल्डिग बनाना शुरु भी किया गया, लेकिन महाराजा अलवर ने ऑब्जेक्शन किया कि यह मेरी प्राइवेट बिल्डिग है इसलिए बिल्डिग नहीं बना सकते। फिर वह बिल्डिग बनने से रोक दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज का पुराना भवन था जिसमें कई ब्लॉक बन चुके हैं और जब भी कोई ब्लॉक या बिल्डिग बनती है तो यह प्रश्न उठता है कि यह महाराजा की पर्सनल प्रापर्टी है इसलिए इसमें बिल्डिग बने या नहीं। उसके बाद कोई समझौता हो जाता है और फिर जब कोई काम प्रारम्भ होता है तो फिर वही परेशानी खड़ी हो जाती है। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि यह इतना बड़ा कॉलेज है, इसको इतनी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाय। और अलवर महाराजा से बात-चीत करके चाहे तो इस बिल्डिग को खरीदा जाय, चाहे उनसे इसे ले लिया जाय, या चाहे उनसे रिक्वेस्ट की जाय कि वह इस बिल्डिग को डोनेट कर दें। किसी भी तरह से इस तरह इस बिल्डिग की समस्या को हल करना चाहिए और जो बिल्डिग यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की ग्रान्ट के द्वारा लाइब्रेरी के लिए बन रही है, जिसे अभी रोक दिया गया है, उसे फौरन बनाना शुरू कर देना चाहिए ताकि ग्रान्ट लेप्स न हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि अलवर में इतना बड़ा कॉलेज है, जिसमें साइन्स भी है और जिसमें कॉमर्स भी है किन्तु अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में जो हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें न तो साइन्स है और न कॉमर्स है। अलवर में एक कॉलेज है जिसमें साइन्स है लेकिन प्रश्न यह है कि जब ग्रामों के विद्यार्थी शहर में कॉलेज में एड्मिशन लेने आते हैं और चाहते हैं कि हमें भी साइन्स सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाय और हम भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें तो उनको एड्मिशन नहीं मिलता है। होता तो यहां तक है कि जो विद्यार्थी प्रथम आते हैं उनका वहां या तो बड़ी मुश्किल से दाखिला होगा और अगर हो गया तो वह स्टेण्डर्ड मेन्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने साइन्स नहीं पढ़ी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अलवर के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में साइन्स क्लास खोलें।

मैं पहले निवेदन कर चुकी हूं कि हम समाजवादी समाज की नीति को धारण करने वाले हैं, हम उस आधार पर चलने वाले हैं लेकिन शिक्षा की नीति के अन्दर, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्यों इस आधार को अपनाया है कि जो आदमी बीस हजार जमा करादे उसके यहां हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दिया जायगा, जो दस हजार रुपये जमा करा दे उसके यहां यह कर दिया जायेगा, जो तेरह हजार रुपया जमा करा दे–रैकरिंग और नान रैकरिंग– उसके यहां यह कर देंगे। यह किस तरह की नीति राजस्थान सरकार की है–यह समझ में नहीं आता है। जहां पर विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में हैं, जहां पर मेरिट के आधार पर आपको स्कूलों को अपग्रेड करना चाहिए और जहां साइन्स क्लास खोलनी चाहिए– वहां इस तरह की डिमाण्ड करना शर्म की बात है। जिसके पास में रुपया है, जिस जिले के पास पैसा है, जो पैसा दे सकता है – वह तो इस लाभ को ले लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वह शिक्षा से वंचित रह जायं–

(कुमारी उमा माथुर)

यह अफसोस की बात है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इस आधार को बन्द करके मेरिट के आधार पर स्कूलों को अपग्रेड करें और साइन्स क्लास खोलें।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों से निरन्तर कोशिश कर रही हूँ कि रामगढ़ हाईस्कूल में साइन्स क्लास खोल दी जाय, यहां पर लड़के प्रचुर मात्रा में हैं और यहां तक स्थिति है कि वहां के निवासी बिल्डिंग के लिए और उसके लिए पैसा देने को तैयार है लेकिन जब भी मंत्री महोदय से निवेदन किया जाता है तो वह कहते हैं कि इस साल का तो कोटा पूरा हो गया है। उसके बाद जब दूसरी बार जाते हैं तो कहते हैं कि इतना पैसा दे दो तब खोल देंगे। और जब पैसा लेकर जाते हैं तो कह देते हैं कि अगली साल सोचेंगे। इस तरह निरन्तर तीन साल से यह बात चलती आ रही है

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसी प्रकार बहादुर पुर में एक मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने की बात चल रही है। जब मंत्री महोदय वहां पधारे थे तब उनसे निवेदन किया गया था। उसमें काफी मात्रा में विद्यार्थी मौजूद हैं, और यहां तक स्थिति है कि कहीं आस पास बीस–पच्चीस मील में कोई हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है– इसलिए निवेदन है कि उस स्कूल को फौरन अपग्रेड कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में एक हायर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल है। उसकी बिल्डिंग की वैसे ही समस्या है क्योंकि उसका अभाव है किन्तु फिर भी उसमें एक गर्ल्स होस्टल बनना शुरू हुआ था। आज पांच साल हो गये हैं, मैं नहीं जानती कि वह बिल्डिंग किस लिए अधूरी पड़ी हुई है और क्यों नहीं उसको पूरा किया जा रहा है ?

अलवर में एक हायर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल होने के कारण दूर दूर की लड़कियां भी वहां आकर पढ़ना चाहती हैं इसलिए उनके लिए एक होस्टल होना आवश्यक है। लेकिन बार बार मांग करने के बाद और बिल्डिंग बनना आरम्भ हो जाने के बाद, मैं नहीं जानती, ऐसा कौनसा कारण हुआ जिसके कारण वह बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस ओर ध्यान दें। इस तरह जो साल दर साल गुजर जाते हैं, विशेष कर लड़कियों के स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहां साइन्स टीचर आज तक नहीं पहुँचा है। पिछली साल लड़कियों ने स्ट्राइक की और आन्दोलन किया तब जाकर साइन्स टीचर भेजा गया। लेकिन अब फिर वहां साइन्स टीचर का अभाव है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें और स्कूलों को अपग्रेड विशेष रूप से मेरिट के आधार पर करें, इस तरीके से स्कूलों की बोली न लगाई जाय कि जो जो जिला पैसा दे देगा, जो लोग पैसा दे देंगे उनके लिए स्कूल खोल दिया जायगा और जो नहीं देंगे उनके लिए नहीं खोला जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—डॉक्टर पोहूमल।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू)—पन्द्रह मिनट और हैं, सरकारी पक्ष के काफी सदस्य बोल चुके हैं।

Page No. 116

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)—हमारे जन संघ से बोले नहीं हैं, साहब ।

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम) उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा प्रतीत होता है.......

श्री हरिप्रसाद शर्मा—दो मिनिट के लिए !

श्री पोहूमल ईसरदास—ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार क्वालिटी की बजाय क्वान्टिटी को ज्यादा पसन्द करती है । स्कूल तो वह ज्यादा खोल चुकी है– इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन जब कभी स्कूलों में जाना पड़ता है तो ऐसा ही देखने में आता है कि कहीं पूरी बैंचे नहीं हैं, तो कहीं मेज गायब है, कहीं बोर्ड नहीं है तो कहीं पर कुर्सी गायब है, और, उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कहीं तो मास्टर भी गायब मिलते हैं । यह भी सूचना दी जाती है, जैसा कि कहा जाता है इस सदन में कि कहीं पर स्कूल ऐसे हैं कि चोर लड़के हैं और पांच अध्यापक हैं, इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से नम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह की फिजूल खर्ची को बन्द करके जो और जरूरी चीजें हैं, बैंच वगैरह उनको लेकर दें और स्कूलों को आगे बढ़ायें ।

एक दूसरी बीमारी जो आज कल बढ़ रही है शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर वह यह है कि जहां हायर सैकेण्डरी स्कूल खोल रहे हैं और जहां पर हायर सैकेण्डरी स्कूल की स्वीकृति दे दी है वहां पर ग्यारहवीं क्लास खुलने से ही ऐसी हालत हो जाती है कि दुगुना खर्चा हो जाता है । पहले जो पुरानी व्यवस्था थी कि हाई स्कूल और उसके बाद में कॉलेज के चार साल थे वह मेरे ख्याल में ठीक था ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कल बच्चों के लिए भी जो किताबें प्रेस्क्राइब की गई हैं वह भी देख कर मैं हैरान हो जाता हूं । उनका इतना वजन और बोझ है जिसे बच्चे उठा नहीं सकते हैं । न जाने उनके दिमाग में उनको पढ़ने से क्या बैठता होगा ? यह भगवान ही जानता है !

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कहना है । इस विभाग के अन्दर लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । कोई भी चिट्ठी लिखें उसका जवाब नहीं आता है, कैसी भी शिकायत करें लेकिन उसकी जांच नहीं होती है और कागजों का निबटारा हो—यह पॉसिबल नहीं है । इसके अलावा एक जगह की चिट्ठी दूसरी जगह भेज देते हैं । मैंने अजमेर के पुरुषार्थी अध्यापकों के लिए उनके पेंशन के सवाल के लिए डाइरेक्टर को एक पत्र लिखा था । वह डाइरेक्टर जयपुर के थे । उसके बाद में मेरे पास एक चिट्ठी आई डाइरेक्टर साहब की कि आपके यह केसेज अजमेर के इन्सपेक्टर के पास भेज दिये हैं । फिर अजमेर के इन्सपेक्टर को इसके लिए चिट्ठी लिखी तो उसका जवाब आया कि कैसेज जयपुर वाले के पास भेज दिये हैं । फिर मैंने उन लोगों को यह लिखा कि जयपुर में इनका हवाला मिलेगा, इनका रिकार्ड वहां पर है । तो उसके बाद में चिट्ठी आती है कि पहिले भूल से ऐसा किया गया था । ऐसी स्थिति में, भगवान जाने, इस क्षेत्र में क्या होगा ?

(श्री पोहूमल ईसरदास)

इसके अलावा इनसे पूछा जाय कि जो रूल्स रेगुलेशन्स बनाये हैं, वह कहां हैं ? हम वर्षों से देख रहे हैं कि कहीं पर भी एजूकेशन कोड नहीं मिलता है। फिर जो संस्थाएं चलती हैं क्या वह कानून के आधार पर चलती हैं ? अगर कोड नहीं है तो फिर कानून क्या चलेगा.......

एक माननीय सदस्य : कोड समाप्त हो गया है !

श्री पोहूमल ईसरदास : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के लिए जो कानून बनाया जाता है वह एडेड स्कूलों के लिए अलग है और सरकारी स्कूलों के लिए अलग है। सर्विस रूल्स के अनुसार अगर कोई अध्यापक सरकारी स्कूल का सस्पेन्ड होता है तो उसको सब्सिस्टेन्स अलाउन्स मिलता है, हाफ आॅफ पेपलस अलाउन्स दिया जाता है। लेकिन एडेड स्कूल में उसी कैटेगरी का टीचर हो और वह सस्पेन्ड हो और अगर वह आदमी ग्रांट इन एड स्कूल में होता है तो उसको १/४ तनख्वाह दी जाती है और उसके अलाउन्सेसेज आदि का तो कोई पता ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि एडेड स्कूलों के टीचर्स को भी सरकारी स्कूलों के टीचर्स की तरह ऐसे मामलों में भी ऐसा ही बर्ताव बरताजा ना चाहिये। सरकारी स्कूलों के टीचर्स एडेड स्कूलों के टीचर्स में इतना फर्क नहीं होना चाहिये; उनको समान रखना चाहिये। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बनते हैं उनमें ऐसी व्यवस्था हो कि एडेड स्कूलों के अध्यापकों को भी वही कन्सेशन मिले जो सरकारी स्कूलों में मिलते है।

(समय मसाप्ति सूकच घण्टी)

एक बात और होती है वह यह कि टीचर्स के लिए जैसे भाषा के टीचर्स हैं, साइन्स के टीचर्स होते हैं उन्हें एडेड स्कूलों में एडवान्स इन्क्रीमेंट नहीं देते हैं, शिकायतें आती हैं और वह रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं और उनका कोई इलाज नहीं होता है। कहीं कहीं एडेड स्कूलों के अध्यापक हैं, जो पिछलग्गू होते हैं उनको एडवांस इन्क्रीमेंट दे दिया जाता है। जैसे अजमेर में आदर्श विद्यालय है वहां के प्राधानाध्यापक को चार एडवान्स इन्क्रीमेंट दिये गए। उसने वहां पर मेनेजमेंट चलाने वाली पार्टी में झगड़ा करा दिया। उसको बतौर इनाम के एडवान्स इन्क्रीमेंट दिए गये। चार एडवान्स इन्क्रीमेंट सरकारी स्कूलों में कहीं भी नहीं दिए गये हैं। मैंने जब इसके लिए निरीक्षक महोदय अजमेर को चिट्ठी लिखी तो वह चार इन्क्रीमेंट नहीं दिए गये और बाद में काट दिए गये। इससे आराम नहीं मिला और फिर उसने दरख्वास्त की और स्पेशल पेसेन्जर लेकर बीकानेर गया है; राम जाने उस हैडमास्टर का क्या जोर है ? पढ़ाता–लिखाता कुछ नहीं।

(समय–समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री पोहूमल ईसरदास : मुझे पांच मिनिट और दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट और नहीं दिए जा सकते। एक मिनिट और बोलने दिया जाता है।

श्री पोहूमल ईसरदास : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मुझे थोड़ा समय दिया गया मैं कुछ और ज्यादा बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जोधपुर के एक पुरुषार्थी अध्यापकों को अप्रेल ५१ से ५२ तक हाउस रेन्ट नहीं मिला। मैंने एज्युकेशन मिनिस्टर को लिखा और उन्होंने वायदा किया मगर अब तक वह वायदा खड्डे में पड़ा है, उन्हें मकान भत्ता नहीं मिला है। दूसरी मिसाल मैं जयपुर की बताना चाहता हूं कि कुछ प्राइमरी टीचर्स रिटायर हो चुके हैं जिनमें से कुछ मर भी चुके हैं मगर अभी तक उनकी पेन्शन का प्रश्न टिका हुआ है।

अजमेर की एक जेठी बाई बेवा है, उसका पति सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापक था। वर्ष हो गए। उसके बाद भारत सरकार ने फिर लिखा बीच का समय कन्डोन किया जाय, फिर भी कुछ नहीं हुआ।

इस प्रकार सुशीला केवलराम है जिसका पति गंगानगर अध्यापक में था, जिसके ४ २१) रु० उठाने का प्रश्न है उसको अभी तक रकम नहीं मिली है। उसके कागज मेरे पास हैं डाइरेक्टर साहब चाहें तो मैं बता सकता हूं। मगर उसका भी कुछ नहीं हुआ।

(समय–समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री चौसरसिंह बावेल (वैंगू) : उपाध्यक्ष महोदय,.........

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनिट में बोल लें।

श्री चौंसरसिंह बावेल : मेरे कट मोशन्स इस पर हैं। शिक्षा का स्तर काफी खर्चा करने पर भी दिनों दिन गिरता जा रहा है और यह सरकार शिक्षा के स्तर में उन्नति करने में असफल रही है।

सरकार ने ११,१४,००० रुपये बजट में रखे हैं। हमारे यहां ३७ स्कूलें सरकारी हैं और ८३ स्कूलों को सहायता मिलती हैं। इसमें मान्यता प्राप्ति और अन्य स्कूलों के ३।। लाख की सहायता दी जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सहायता बहुत कम है और जो सहायता दी जाती है वह काफी नहीं है इसलिए इसमें वृद्धि होनी चाहिये।

इसी तरह से सैनिक स्कूलों, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में हैं उनमें ३०० विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसलिए इनकी बहुत आवश्यकता है, जब तक हमारे यहां पर सैनिक स्कूलें नहीं बनेंगी तब तक हमारे बच्चे सीखने वाले तत्पर नहीं होंगे इसलिए इसका प्रबन्ध होना चाहिये क्योंकि अभी तक हमारे देश को कई समस्याओं का मुकाबला करना है। इसलिए मैं लम्बा समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करूंगा कि वीर रस के बारे में पुस्तकें बनाई जावें और उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौनसी बनाई जावें।

श्री चौसरसिंह बावेल : वीर रस की। तैयार हो जाओ लड़ने के लिए मुसीबत आ रही है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने किताबों में मुनाफा उठाया है। पुस्तकों जैसी चीज में मुनाफा सरकार को नहीं उठाना चाहिये। इसके लिये शर्म आने जैसी बात है।

चित्तौड़गढ़ में हाईस्कूलों की तादाद १८ है और उसी जगह भीलवाड़ा में इससे दुगनी

(श्री चौसरसिंह बावेल)

तादाद है। समझ में नहीं आता कि किस आधार पर सरकार स्कूलें खोलती है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि जहां पर ज्यादा हैं उनको कम कर दी जावें। मैं यही कहता हूँ कि ज्यादा हैं वह तो हैं ही और जहां पर कम हैं वहां पर खोल दी जावें।

शिक्षा में १५० और २५०) की छात्र–वृत्ति गणित के छात्रों को दीजाती है मगर यह ऐसे लोगों को मिलती है जिससे इसका दुरुपयोग होता है। इस बारे में सरकार ध्यान दे।

जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें ईश्वर और धर्म के प्रति श्रद्धा के पाठ भी पढ़ाये जाने चाहिये जिससे बच्चों में धर्म के प्रति श्रद्धा होगी और जब धर्म के प्रति श्रद्धा होगी तो शांति होगी और आज देश में शांति और वीर रस की जरूरत है। ये दोनों बातें नहीं हैं इसलिये पाठ्य पुस्तकों में यह होना चाहिये।

इसके अलावा पाठ्य पुस्तकें देरी से मिलती हैं, इससे शिक्षा पर खराब असर पड़ता है। इसलिये पाठ्य पुस्तकें जल्दी मिलनी चाहिये। इसके अतिरिक्त शिक्षा पढ़-लिख कर विद्यार्थी नौकरी के लिये इन्तजार करता है। इसलिये आपको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनको धन्धा मिले और नौकरी की फिक्र नहीं रहे। इसके अलावा आज छात्रों में अनुशासन नहीं है जिसका होना बहुत जरूरी है। इसी कारण सरकार को छात्रों पर गोलियें चलानी पड़ती हैं। ऐसे मौके सरकार को नहीं आने देने चाहिये। स्कूलों में राजनैतिक अड्डे बने हैं। सरकार को बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिये।

इसी तरह से एन. सी. सी. के अन्दर लोगों की भरती ज्यादा होनी चाहिये। कहीं पर ६० परसेन्ट है और कहीं पर ८० परसेन्ट है।

इसके अलावा छोटी-छोटी क्लासेज़ में योग्य मास्टर रखने चाहिये। मैट्रिक पास मास्टर को भेजने से वह उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। वह उनके चरित्रों को नहीं बना सकता है। मुझे और भी बहुत कुछ कहना था, मगर इतना ही निवेदन करूंगा कि बच्चों के भविष्य को बनाने वाले मास्टर हैं इसलिये अच्छे मास्टर रखे जावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वर्ना इससे देश को नुकसान होगा और आपको नीचा देखना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन करनी है। स्कूलों में अन्धे मास्टर रखे जाते हैं.......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये अन्धे नहीं बहरे मंत्री बैठे हैं।

अन्धे मास्टर इन्होंने रखे हैं।

श्री चौसरसिंह बावेल : मैं उनका नाम बताता हूँ। उनका नाम है द्वारकेश भट्ट उनको रख छोड़ा है। उसका डॉक्टरी सर्टि-फिकेट है उसको मैं मेज पर रखता हूं। वह पढ़ा नहीं सकता। वह नादिरजी का मन्दिर,

(श्र चौसरसिंह बावेल)

जयपुर में तैनात है। इस बारे में विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) एवं अन्य कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : केवल एक बोलिये।

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

केवल एक बोलिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा कट मोशन बहुत जरूरी है।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि जैसी हमारी शिक्षा होगी वैसा ही हमारा समाज बनता जायगा। घर में बच्चा माता–पिता से शिक्षा प्राप्त करता है और स्कूलों में मास्टरों से शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे शिक्षक होंगे वैसे ही आगे जाकर बच्चे निकलेंगे। आज विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी है, शिक्षा संस्था में कई प्रकार की खामियां हैं, मैं उन सारी कमियों के बारे में न कहकर शिक्षा विभाग में जिस प्रकार का पक्षपात चल रहा है, जिस प्रकार लाखों के घोटाले होते हैं, उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किताबों की खरीद में शिक्षा विभाग लाखों रुपयों का घोटाला करता है। मैं यह भी कहूंगा कि इस प्रकार के घोटालों में संचालक और उप-संचालक लाखों रुपया इसमें खाते हैं। जब राजस्थान में प्रकाशन विभाग है तो क्या कारण है कि दिल्ली जाकर, और दूसरी जगह जाकर किताबों की खरीद की जाती है ? दिल्ली से अभी १ लाख रुपयों की खरीद की गई जो किसी प्रकार काम में नहीं आती। इन किताबों की खरीद के बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन किताबों की खरीद के बारे में आपके नियम बने हुए हैं ? क्या आप टेन्डर लेते हैं, अगर टेन्डर लेते हैं तो किस प्रकार लेते हैं ? जितना शिक्षा विभाग में किताबों की खरीद में घोटाला होता है उतना शायद ही और किसी में होता होगा ! लाखों की किताबें बाहर से खरीद कर लाते हैं और उन किताबों का किसी प्रकार से उपयोग नहीं होता। कुछ दिनों पहले दिल्ली से किताबें खरीद कर लाये, जोधपुर से किताबें खरीद कर लाये, राजस्थान के प्रकाशकों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं देना चाहते; मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में राजस्थान के अन्दर के प्रकाशकों से कितने हजार रुपयों की किताबें खरीदी गई और कितने रुपयों की किताबों की बाहर से खरीद की गई ? शिक्षा विभाग में ही जब इस प्रकार के घोटाले हों तो हम नहीं कह सकते कि हमारा समाज, हमारा देश किस ओर जायगा।

शिक्षा विभाग में नियुक्तियां की जाती हैं तो पक्षपात के आधार पर की जाती हैं, ट्रान्सफर्स किए जाते हैं तो पक्षपात के आधार पर किये जाते हैं। केवल बड़ी जगहों पर ही नहीं छोटी जगहों पर तो इतनी पार्टीबाजी के आधार पर नियुक्तियां होती हैं कि वर्णन

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

नहीं किया जा सकता, ट्रान्सफर्स भी इसी आधार पर होते हैं। पंचायत समितियों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इसीलिए रिजल्ट्स गिरते जा रहे हैं और इसका परिणाम यह होगा कि विद्यार्थी आगे जाकर अपना भविष्य नहीं बना सकेंगे । मैं तो कहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी का भी पार्टी बाजी के आधार पर रवैया चलता है। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं । आप जहां भी जाते हैं तो पहले यह देखते हैं कि जनसंघ की विचारधारा के कितने हैं, कांग्रेसी विचार-धारा के कितने हैं, कम्युनिस्ट विचार-धारा के कोई हो तो उनको कोई चिन्ता नहीं। शिक्षा मंत्री जैसे वरिष्ट नेता के लिए यह देखना कि जनसंघ की विचारधारा के लोग कितने हैं, आर. एस. एस. की विचार-धारा के कितने हैं, यह इस तरह के पद के लिए शर्म की बात है। आपको उनकी कार्य-कुशलता, कर्त्तव्यपरायणता को देखना चाहिये कि आपके शिक्षक कितने कर्त्तव्य-परायण हैं। उनको प्रोमोशन, ट्रान्सफर्स नहीं मिले और जबरदस्ती जनसंघी बनाना चाहें तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। आपके आने के बाद तो हमें आशा थी कि आप स्तर सुधारेंगे।

हमारे बूंदी जिले में तो शिक्षा विभाग का काम बहुत बिगड़ा हुआ है और ये शिक्षा मंत्री आने से तो और भी हालत खराब हो गई है, क्योंकि इन्होंने वहां के होने के नाते बूंदी जिले पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लाखेरी देह, कापरेन, नैनवा में जाइये, तहसील हैड क्वार्टर्स में कोई हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं है, एक दूसरी जगह है वह भी अपर्याप्त और नहीं के बराबर है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बूंदी जिले के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने का क्या कारण है ? वहां डिप्टी इन्स्पेक्टर को तोड़ दिया और हजारों उलझनें हैं उनकी ओर ध्यान देकर उन उलझनों को खत्म करना चाहिये।

अब क्योंकि बरकत खांजी आ गए हैं तो म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में भी थोड़ा कहना चाहूंगा। सभी मेरे साथियों ने कहा कि म्युनिसिपेलिटीज़ आज राजस्थान में पार्टी-बाजी का अखाड़ा बनी हुई हैं। बूंदी जिले में म्युनिसिपेलिटी की क्या हालत है, मैं ज्यादा न कहकर पाटन, नैनवा और लाखेरी के बारे में कहूंगा; वहां म्युनिसिपेलिटीज़ खत्म कर दीं, लाखेरी की म्युनिसिपेलिटी को खत्म कर दिया। यहां से प्रशासक भेज दिया, उस प्रशासक ने वहां क्या क्या किया, यह आप सभी जानते हैं। तो हम आपसे क्या आशा कर सकते हैं ? जल–प्रदाय योजना के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि पाटन में ६ हजार की आबादी है, नैनवा में ६ हजार की आबादी है, लाखेरी में १३ हजार की आबादी है, आपने नल का प्रबन्ध वहां क्यों नहीं किया ? आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि आठ दिन पहले कटौती प्रस्ताव दिया था तो अध्यक्ष ने कहा था कि बहस के दौरान बात रख देना,

(श्री श्रवणलाल)

जवाब मिल जायगा। तो कम से कम ५ मिनिट का समय मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय आपकी राय से बढ़ाकर नियत किया गया था। इस विषय में कहना बाकी रह जाता है तो एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस के समय आपको अवसर मिल सकता है। मैंने हमेशा आपको अवसर दिया है।

श्री श्रवणलाल : मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, सिर्फ ५ मिनिट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे विनय करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के विषय को लेकर इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, बहुत सारे अच्छे सुझाव इस बहस के दौरान दिये गये हैं और मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने सुझाव दिये हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव अच्छे हैं उन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे, जो विचार करने योग्य हैं उन पर विचार कर के शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने की कोशिश करेंगे।

सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्तर की, कॉलेज स्तर की शिक्षा है उसके बारे में विचार आये हैं। उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस समय करीब करीब प्रत्येक जिले के अन्दर कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई है और कहीं कोई बाकी रह गये हैं, उनमें व्यवस्था किये जाने का प्रयत्न है। जो पुरानी रियासतें थीं, जहां बहुत पुराने हाई स्कूल चलते थे उन पुरानी रियासतों की भी वाजिब मांग है कि उनके यहां कॉलेज स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिये। केवल प्रतापगढ़ रियासत ऐसी रह जाती है जहां हम आज तक कॉलेज नहीं खोल पाये हैं। गत वर्ष भी यह विचारधीन था पर क्योंकि गत वर्ष कोई नई संस्था नहीं खोली गई, नया कॉलेज नहीं खोला गया इसलिए प्रतापगढ़ में नहीं खोला। आज प्रतापगढ़ में कॉलेज खोलने का प्रस्ताव उठाया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष राजस्थान में ३ डिग्री स्तर के कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई है और प्रतापगढ़ में भी आगामी सत्र से, जौलाई से, कॉलेज खोल दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि दिन प्रतिदिन शिक्षा के लिए अधिक खर्च करना आवश्यक महसूस होता है। राजस्थान में बहुत कुछ खर्चा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा है, पर इसके साथ ही साथ हमारी जरूरतें भी काफी बढ़गई हैं। आज के दिन जहां जहां बड़े हाई स्कूल्स हैं वहा कॉलेज खोलने हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की मांग आती है, जहां प्राइमरी स्कूल्स है वहां मिडल स्कूल्स खोलने की और जहां मिडल स्कूल्स हैं वहां हाई स्कूल्स और हायर सैकन्डरी स्कूल्स खोलने की मांग आती है। लेकिन सीमित साधनों के रहते हुए, वाजिब प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए, नई संस्थाओं के खोलने का विचार करना पड़ता है। गत वर्ष हमारी परिस्थिति ठीक न होने के कारण, हमने एक भी स्कूल और कॉलेज नहीं खोला और इस

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

वर्ष मैं यह आवश्यक समझता हूं कि अगर हम अब भी कोई नया स्कूल या कक्षा नहीं खोल पाए तो यह राजस्थान की उन्नति में बाधक होगा। गत वर्ष हमने कुल करीब ५७ जगहों पर विज्ञान की कक्षाएं खोलीं और उसके बाद हमारा अनुभव हुआ कि जहां जहां विज्ञान की कक्षाएं खुली वहां के लिए काफी तादाद में विज्ञान के टीचर्स नहीं मिल सके। कई दिनों तक नहीं मिल सके, आखरी दम तक इधर से उधर भेजकर हमें काम चलाना पड़ा। आज तक विज्ञान के अध्यापकों की कमी है। इसलिए जब मांग उठती है कि हरेक गांव में विज्ञान का विषय शुरू करें तो हमें यह देखना पड़ता है कि इतने अध्यापक भी मिल सकेंगे अथवा नहीं। इस लिए उसका ध्यान रखते हुए ही गत वर्ष जितनी भी हमने विज्ञान की कक्षाएं खोलीं इसमें थोड़ी कमी रखनी पड़ेगी और जहां जहां उपयुक्त होगा आवश्यकतानुसार वहां खोलेंगे।

आज के दिन स्थिति यह है कि कुल ४७ प्रतिशत सैकन्डरी और हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं, उनमें विज्ञान का विषय है और आशा है कि चौथी योजना के अंत तक करीब करीब सारे सैकन्डरी और हायर सैकन्डरी स्कूल्स में विज्ञान का विषय खोला जायगा। जहां विज्ञान का विषय खोला जाता है उसके साथ साथ आज जो आवश्यकता महसूस होती है वह है कृषि के विषय की, वहां पर कुछ न कुछ किया जाय लेकिन सीमित साधनों का ध्यान रखते हुए हमने यह ठीक समझा कि इस वर्ष हमें केवल ४ हायर सैकन्डरी स्कूलों में कृषि विज्ञान का विषय खोलना पड़ेगा।

कॉलेज एजुकेशन के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए गए है। हमारे भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भीलवाड़ा में पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज नहीं खुलती हैं। कहने का मतलब तो उनका बीकानेर से था कि वहां पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज नही हैं, एल. एल.एम. नहीं है और वहां पर विज्ञान के क्लासेज बीकानेर में मेडीकल कॉलेज होने के बाद बायोलाजी क्लासेज नहीं हैं। जहां तक पोस्ट-ग्रेजुएट स्टडीज का ताल्लुक है हम उचित समझते हैं कि पोस्ट–ग्रेजुएट प्रशिक्षण केवल विश्वविद्यालयों में ही रखा जाय क्योंकि वहां जितनी सुविधाए उपलब्ध हैं, उतनी सुविधाएं कॉलेजों में उपलब्ध नहीं कर सकते; इसलिए जो मौजूदा कॉलेजेज़ हैं, जिनमें पोस्ट-ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं, उनको कायम रखने के साथ साथ और आगे इच्छा नही है।

एल०एल०एम० के बारे में मेरा खुद का विचार है कि खाली एल०एल०एम० क्वालीफिकेशन लेने से कोई विशेष फायदा उस स्थान को नहीं होता है। जो एल०एल०एम० करना चाहते हैं वे तो वैसे भी विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेज़ में रहकर भी कर सकते हैं।

यहां यह भी प्रश्न उठाया गया कि जहां पर हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं वहां पर हाई स्कूल्स भी हैं, यह दुतरफा इंतजाम चलता जा रहा है, इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि एजूकेशन कमीशन इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और इस विषय में कि हमको कितने साल का सैकन्डरी स्कूल रखना चाहिए, डिग्री कोर्स का कितने साल का रखना चाहिए, इस विषय में मैं समझता हूं कि एजूकेशन कमीशन की जो कुछ राय होगी उसके अनुसार हम अपनी नीति निर्धारित करना चाहते हैं। अगर एजूकेशन कमीशन यह रिपोर्ट

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दे देता है और यह सिफारिश वह करता है कि वास्तव में पुराना तरीका ठीक था कि हाई स्कूल के दो साल बाद इंटरमीजिएट और उसके बाद दो साल का डिग्री कोर्स तो ज्यादा सहूलियत होगी या थ्री ईयर डिग्री कोर्स रखें या ११ साल का कोर्स करें तो मैं समझता हूं कि जो शिक्षाशास्त्री उस कमीशन में बैठे हैं उनको थोड़े दिनों के बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस विषय पर विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अपनी व्यक्तिगत राय से कोई चीज करूं और शिक्षा कमीशन कोई दूसरी राय दे तो गलत रास्ते पर लग जायेंगे। इसलिए मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस साल जितने भी स्कूल्स हम वे खोलें हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के खोलें और फिलहाल जूनियर सेकन्डरी स्कूलों का हायर सेकन्डरी स्कूलों में कन्वर्शन रोक दें, जब तक एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट आ जाय, क्योंकि मैं खुद मानता हूं कि यदि हम अपने यहां सारी हायर सेकन्डरी स्कीम कर दें तो तुरन्त एम०ए० पास मास्टर रखने पड़ते हैं और उनको सीनियर टीचर का ग्रेड देना पड़ता है और अगर जूनियर सेकन्डरी या हाई स्कूल्स रखते हैं तो ग्रेजुएट से ही अपना काम चला सकते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : पोइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। जैसा आपने फर–माया, हायर सैकन्डरी सिस्टम को रोक दिया तो मेरा मतलब है कि जब तक कमीशन का डिसीज़न जल्दी नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करेंगे और यदि जुलाई के बाद में आएगा तो जहां सैकन्डरी स्कूल्स हैं तो वहां क्या व्यवस्था चालू होगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह हाइपोथेटीकल सवाल है। कब एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है अगर आती है तो दूसरी तरह से विचार करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट आती है कि नहीं पुराना तरीका ठीक था हाई स्कूल्स और इंटरमीजिएट कॉलेजेज़ का, वह ज्यादा अच्छा है तो उस तरह से निर्णय लेना पड़ेगा।

श्री अब्दुल जब्बार : परीक्षाएं खत्म हो रही हैं, बच्चे छुट्टियों पर जायेंगे, उसके बाद स्कूल खुलेंगे, उस समय तक निर्णय नहीं लेते हैं तो लड़के अंधकार में हो गए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके कमीशन को प्रेस करें कि जल्दी रिपोर्ट दे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कमीशन भारत सरकार ने बिठाया है। राज्य सरकार का नहीं है। वह सारे ऑल इंडिया पॉलिसी पर विचार कर रहा है, वह अपना निर्णय देगा और उसके बाद सरकार फैसला करेगी, इस-लिए उसके निर्णय को हम अभी से अपने मन में विचार लें तो ठीक नहीं होगा।

श्री अब्दुल जब्बार : यह तो डीसेंट्र-लाइज्ड विषय है। सेन्टर का थोड़े ही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक हाई स्कूल्स का ताल्लुक है, हमारी नीति रही है कि अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर नए हाई स्कूल्स खोलें फिर भी मैं निश्चित तौर से मानता हूँ कि आज के दिन सबसे पहले तहसील हैड्क्वार्टर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। कम से कम सारे तहसील हैड क्वार्टर्स पर हम हाई स्कूल खोल सकेंगे, इसलिए जिन जिन तहसील हैडक्वार्टर्स पर हाई स्कूल्स नहीं हैं उनको हम प्राथमिकता देना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : तहसील या पंचायत समिति ? कहीं पंचायत समिति में नहीं हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर तहसील हैडक्वार्टर्स, पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स पर नहीं है तो फिर देखेंगे कि तहसील हैडक्वार्टर की संख्या ज्यादा है या पंचायत समिति हैडक्वाटर की संख्या ज्यादा है, हरेक तहसील में एक हाई स्कूल होना चाहिए, यह हमारी नीति होगी।

श्री मोतीलाल चौधरी : तहसील तो पुराना पेटर्न है, पंचायत समिति नया पैटर्न है। आज सारा प्लान का ढांचा पंचायत समिति स्तर पर चल रहा है। तहसीलें ११२ हैं और पंचायत समितियां २३२ हैं। कितने खोलेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : जहां पर पंचायत समिति हैडक्वार्टर है और तहसील हैडक्वार्टर है, दोनों हैडक्वार्टर्स हैं एक ही स्थान पर तो और भी विशेष कारण हैं कि हाई स्कूल खोला जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो है ही।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं अगर ऐसे स्थानों की आपको लिस्ट दूं.......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब लिस्ट देंगे तब विचार किया जायगा।

एक चीज माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर उठायी गयी कि ज्यादा क्वालिफाइड टीचर लोअर ग्रेड में और हाइली क्वालिफाइड टीचर्स हाई स्कूल में न होकर मिडल स्कूलों में काम करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें इतना ही है कि हाईलो क्वालिफाइड बाद में दाखिल हुआ और योग्य होते हुए भी थर्ड ग्रेड में मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में है, यदि थर्ड ग्रेड में होगा तो मिडिल स्कूल में ही रहेगा लेकिन जब प्रमोशन के चान्स आते है तो थर्ड ग्रेड में ज्यादा क्वालिफाइड हुआ तो उसको जल्दी स्थान हाई स्कूल में मिल सकेगा। जहां तक ग्रेजुएट टीचर्स का सवाल है हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों में पढ़ा सकते हैं।

हमने इस पर ज्यादा जोर दिया है, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, हमारा प्रशिक्षण का स्तर गिरता जा रहा है और इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। इसका मुख्य कारण यह मानते है कि आज के दिन जो प्रशिक्षित टीचर्स हैं उनकी कमी है और प्रशिक्षित टीचर नहीं हो जाते हैं तो उस वक्त तक उस टेक्नीकल को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, इसलिये हमने इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय और हर एक जिले में काफी तादाद में टीचर्स ट्रेन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल भी ज्यादा आवश्यकता थी, एस० टी० से ज्यादा कोर्स शुरू करके और इन सर्विस अध्यापकों को ट्रेनिंग दिलाकर आवश्यकता पूरी की। हम यह उम्मीद करते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारा जो बैक–लोग है, ७५ परसेन्ट टीचर्स हैं वे ट्रेनिंग यापता हो जावेंगे जिससे वे हमारे प्रशिक्षण में सुधार कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गर्ल्स एजूकेशन के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गर्ल्स एजूकेशन के बारे में हम बहुत काफी आगे बढ़ना चाहते हैं। जहां अच्छी तादाद में लड़कियां हैं वहां गर्ल्स स्कूल कायम करना

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चाहिये और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर पर जहां गर्ल्स की अधिक तादाद है वहां हम चाहते हैं कि गर्ल्स का एक स्कूल हो जहां पर आकर पढ़ सकें, गर्ल्स के लिये होस्टल की व्यवस्था प्राप्त कर सकें और व्यवस्था कर सकें, बशर्ते कि उतनी संख्या में बाहर से पढ़ने वाली छात्राएं वहां पर आ सकें।

इसके साथ साथ जो छात्रायें हैं उनको ज्यादा स्कोलरशिप देकर उनकी शिक्षा में रुचि पैदा करना चाहते हैं और उसमें अभिवृद्धि करना चाहते हैं।

जहां तक गांवों में स्त्री शिक्षा का सवाल है हम लेडी टीचर्स क्वार्टर्स गांव में बनाना चाहते हैं। हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि पंचायत समिति भी लैडी टीचर्स क्वार्टर्स के लिये पैसा दें लेकिन हमें वहां से कुछ उत्साह वैसा मिला नहीं कि वे पैसा इकट्ठा कर सकें इसलिये हमने व्यवस्था की है कि जितने फन्ड्स मौजूद हैं, अच्छे अच्छे गांव हैं, जहां पर लेडी टीचर्स क्वार्टर्स का निर्माण करेंगे।

श्री जेठमल बरबड़ : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि तीस साल से प्राइमरी स्कूल हैं उसको गर्ल्स मिडिल स्कूल नहीं बनाया है आपने अभी तक।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो लड़कियों की संख्या पर निर्भर करता है और जिला परिषद् और पंचायत समिति के प्रस्ताव पर निर्भर करता है कि वे चाहते हैं या नहीं। सबसे पुरानी स्कूल का सवाल नहीं है। जो स्कूल सबसे ज्यादा अहमियत रखती हों, छात्राओं की संख्या इतनी हो और जो मिडिल स्कूल हो जाने पर इतनी हो जायगी।

श्री जेठमल बरबड़ : लडकियों की संख्या ज्यादा है और तीस साल से प्राइमरी स्कूल चल रहा है मकराना में, आज तक आपने मिडिल स्कूल नहीं बनाया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज तक जितने कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं उन पर प्रयोरिटीज़ के आधार पर विचार किया जायगा। अगर मकराना की प्रायोरिटी आती है तो उसको मिडिल स्कूल किया जायगा और दूसरे की प्रायोरिटी आती है तो उसको किया जावेगा।

यहां पर यह बहुत ही ज्यादा कहा गया कि हम शर्तें लगाते हैं कि अमुक संख्या में बिल्डिंग तैयार हो जावेगी और रुपया देंगे तब ही स्कूल खोलेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि भवन बनायें या न बनायें, पैसा दें या न दें, इस प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे। प्रायोरिटीज़ और मेरिट के आधार पर यदि वहां स्कूल के लिये ऐसी जगह है तो वहां खोलेंगे।

हमारी पार्टी प्रायोरिटीज़ की बात, कोई कहता है कि बिल्डिंग होनी चाहिये और कुछ और होना चाहिये, दो-तीन जगह मुकाबले की आती हैं तो वहां जाकर यह सवाल आता है तो हम यह कहेंगे कि दो-तीन जगहों में से अच्छी बिल्डिंग बना कर देंगे वहां करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां बिल्डिंग बनाने की

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सुविधा होगी, बड़े-बड़े सेठ होंगे या जहां पैसा मिल सकता होगा वहां ज्यादा स्कूल खोले जावेंगे, जहां पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता होगा, स्थिति खराब होगी और आदिवासी क्षेत्र होगा यदि वहां पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं तो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे कि बिल्डिंग बना सकेंगे तो बिना लिहाज किये कि पॉपुलेशन ज्यादा हो, छात्रों की संख्या क्या है, २० मील के एरिया में स्कूल नहीं हैं तो हम वहां पर स्कूल खोल देंगे। चाहे घास के छप्पर में पढ़ायेंगे, चाहे केजू के टपरे में पढ़ायेंगे, वहां स्कूल खोलने में इस बात का भेदभाव नहीं करेंगे कि गरीबों के लिये स्कूल नहीं बन पाते हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्मा (बिलाडा) : क्वार्टर्स बनायेंगे ? डिस्टिक्ट हैडक्वार्टर्स पर स्कूल खोलने का विचार कर रहे हैं। जितने खुले हैं वहां सरकार ने खर्चा लगाया वहां चन्दा नहीं हुआ है और अब गांव से कहते हैं कि रुपया लगाओ, कहीं से लगायें ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : राजस्थान में फ्री एजूकेशन की आज घोषणा कर दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग का जिक्र कर रहा था। इस साल चूंकि बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आयीं कि जिसमें हमने यद्यपि ४० वर्ष तक की उम्र के शिक्षकों को लगाया जिनके लिये यह कोशिश की कि बी. एड. में जाकर ट्रेनिंग लें। जिनकी चालीस वर्ष की उम्र हो गयी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने यह कोशिश की है कि बी. एड. की ट्रेनिंग को कोरस्पोडेन्स से वे कर लें, इसकी वे व्यवस्था कर रहे हैं कि वे कोरस्पोन्डेन्स से ट्रेनिंग कर लें।

(५.०० म० प०)

शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये और साइन्स की शिक्षा के लिये अच्छे अध्यापक मिल सकें, इसलिये हमने इसी साल से राजस्थान में एक इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स की स्थापना की है जो साइन्स एजूकेशन में काम करेगी। टीचर्स को सेमीनार्स के द्वारा, कैम्प्स के द्वारा, समर कोर्सेज़ द्वारा इस इन्स्टीट्यूट द्वारा शिक्षा दी जायगी। उनको प्रतिक्षण देने का प्रयत्न इसके द्वारा होगा। इससे हमारे पास साइन्स के अध्यापकों की कमी की पूर्ति हो जायगी और इसके लिये प्रशिक्षित अध्यापक मिल सकेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पंचायत डिपार्टमेन्ट को यह सलाह दी है और उन्होंने मेहरबानी करके इसको स्वीकार भी कर लिया है कि पंचायत समितियों द्वारा या जिला परिषदों द्वारा जहां भी अध्यापक रखे जायं वे सब ट्रेन्ड अध्यापक होने चाहिये। जो ट्रेन्ड नहीं है उसको नहीं रखा जाय जब तक ट्रेन्ड की अवेलेबिलिटी है तब तक ट्रेन्ड को ही रखा जाय। जिन जिलों के अन्दर ट्रेन्ड टीचर्स अवेलेबल हों वहां पर ट्रेन्ड ही रखे जा सकेंगे। इससे मैं समझता हूं ट्रेन्ड टीचर्स की जो समस्या है उसका भी समाधान हो जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इससे तो बहुत से स्कूल खाली पड़े रहेंगे क्योंकि ट्रेन्ड टीचर दूर जाना नहीं चाहेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ट्रेन्ड जहां नहीं जाते हैं या जहां नहीं हों वहां की बात दूसरी है, जहां अवेलेबल हैं जैसे जयपुर, अजमेर, आदि जगहों पर जहां प्रशिक्षित अध्यापक मौजूद हैं वहां भी पंचायत समितियां अनट्रेन्ड रख लेती हैं वह नहीं रख सकेंगी, वहाँ पर ट्रेन्ड टीचर्स को ही रखना होगा।

इसके अलावा जैसा की सदन को मालूम होगा साइन्स टीचर्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमने यह किया है कि जो साइन्स टीचर्स में आना चाहेंगे उनको दो इन्क्रीमेन्ट की व्यवस्था की है। जो साइन्स टीचर सर्विस में आयगा उनको हम दो इन्क्रीमेन्ट ज्यादा देकर के ज्यादा साइन्स टीचर्स की व्यवस्था करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सवाल उठाया गया कि गरीब छात्रों को आगे की शिक्षा के लिये सुविधा नहीं होने से वे पढ़ नहीं पाते; मैं निवेदन करना चहाता हूँ हमने स्कॉलरशिप योजना के अन्तर्गत अनेक प्रकार की व्यवस्था की है, जैसे गरीब विद्यार्थी है और मेधावी है वह पढ़ने के लिए शहर में आता है उसको स्कॉलरशिप का परसेन्टज इस प्रकार मुकर्रर कर दिया है जिससे अमुक परसेन्टज पर आने पर उसे छात्रवृति मिल जायगी। इसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप का भी तरीका है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो विद्यार्थी स्कूल में फर्स्ट या सेकन्ड आता है उसको मेरिट-कम-नीड की स्कालरशिप मिलेगी। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की है कि जो मेधावी छात्र है, गरीब है पढ़ना चाहता है, तो उसको किसी भी तरह से इमदाद देकर, स्कॉलरशिप आदि देकर के उसको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जायगा। हर गरीब छात्र को अगर वह मेरिट के आधार पर आता है तो हर वर्ष को उसको वजीफा मिलेगा ताकि उसके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

महिला शिक्षा के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जैसी कि सरकार की नीति है कि स्त्री शिक्षा का प्रसार हो– स्त्री शिक्षा के लिए १३० छात्रवृति २५ रुपये मासिक की रखी गई हैं। ६०० छात्रवृति पांच-पांच रुपये; ७५० छात्रवृति १५ रुपये का स्त्री वर्ग को दी जायगी।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सवाल उठा था पाठ्य पुस्तकों के बारे में। हमने प्राइमरी क्लास तक की ६ लाख रुपये की पुस्तकें बाहर से कागज मंगवा कर पंचायत समिति को दी जाती हैं उस छः लाख रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष अधिक तदाद में पुस्तकें छपवा पायेंगे जो करीब दस लाख रुपये की होंगी। दस लाख रुपये की पुस्तकों का वितरण पंचायत समितियों के अंदर छठी क्लास तक में विद्यार्थियों को मुफ्त में देने की योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ हम किसी भी प्रकार यह नहीं चाहते हैं कि यहां अध्यापकों में किसी प्रकार असंतोष व्याप्त हो इसलिए हमने जैसा कि पहले निश्चय किया था और सदन में कहा था उनकी वीरष्ठता सूचियां प्रकाशित कर दी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

गई हैं। पहले सेकन्ड ग्रेड की प्रकाशित की थी जिस पर ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये गये थे वे आगये हैं। उनका फैसला कर दिया। अब थर्ड ग्रेड वालों की प्रकाशित कर दी उनके लिए ओब्जेक्शन इन्वाइट कर लिये, वे आगये हैं, उनका फैसला भी कर दिया जायगा, इसमें प्रोमोशन की व्यवस्था हो जायेगी। वरिष्ठता सूची के प्रकाशित होने पर जिन अध्यापकों को प्रोमोशन नहीं मिला उनको प्रोमोशन का अवसर मिल सकेगा।

इसके अलावा अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया था। कहा गया था कि हमारे यहां अध्यापकों का वेतन स्तर कम है। इसका जवाब एक प्रश्न के उत्तर में मैंने दिया है कि हमारे यहां के स्तर उत्तरप्रदेश, मद्रास से कम नहीं, मध्य प्रदेश से कम नहीं। हमने जो ट्रेन्ड टीचर्स के वेतन निर्धारित किये हैं उनसे अध्यापकोंको सन्तोष होना चाहिए। इसे किसी प्रकार भी असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, जहां तक प्रशासनीय मसलों का ताल्लुक है, वरिष्ठता सूचियों का ताल्लुक है; इसमें पहली चीज एरियर्स की, जिसका बहुत दफा सवाल उठता है कि, पुराने अध्यापकों के एरियर्स बिल्स पड़े हुए हैं उनको नहीं चुकाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सन् ६४ से अब तक ११८१ पुराने बिल, जिनका अमाउन्ट दस लाख रुपया होता है, का भुगतान कर दिया गया है। अब केवल २८३६ बिल शेष रहे हैं इनकी रकम ५ लाख ३३ हजार है, यह शेष है, इनको भी शीघ्र निपटाने की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक फिक्सेशन का ताल्लुक है इसकी काफी प्रगति हुई है; २८९३ का बाकी था इनका सारे का फिक्सेशन निबटाया जाकर सिर्फ ४१५ व्यक्तियों की बकाया है जो शीघ्रता से पूरा कर दिया जायगा।

इसके अलावा हमने राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कोष से अध्यापकों को अनुदान भी दिया है। जिन लोगों के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत थी, जैसे कोई काल के ग्रास हो गया, उसके पीछे पत्नी और उसके आश्रित बच्चे थे उनके लिए अनुदान दिया गया; तपेदिक से ग्रसित अध्यापकों को अनुदान दिया गया, किसी की टांग टूट गई, केन्सर हो गया ऐसे अध्यापकों को राष्ट्रीय कल्याण कोष से अनुदान दिया गया।

मृत अध्यापकों के पीछे उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए निम्न सहायता दी जाती है। पत्नी के लिए २५ रु०, आश्रित बच्चे के लिए प्रत्येक लिए २० रु० अनुदान की राशि १०० रुपया प्रतिमाह से अधिक न हो, १ जनवरी, १९६६ को एक वर्ष के लिए प्रत्येक मामले पर विचार करके स्वीकार की गई।

अपंग अध्यापकों को भी अनुवर्त्त अनुदान दिया गया है।

इसके अलावा यह व्यवस्था की गई है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों को, जिन्होंने ३० वर्ष तक सेवा करके निवृत्ति प्राप्त करली है, १५०० रुपया और १००० रुपया का अनुदान दिया जावे। और जिन लोगों के लिये हमने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये सिफारिश की थी और सूची में जिनका नाम नहीं आया तथा जो अपनी निवृत्ति से पूर्व ३० साल तक राज्य

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सेवा कर चुके हैं उन्हें भी एक हजार का अनुग्रह अनुदान देने का तै किया है ।

इसी तरह अध्यापकों की सुविधा के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास हम कर रहे हैं ।

इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अवार्ड मिलता है वह मिलता है। इसके अलावा यह व्यवस्था की है कि राज्य स्तर पर जो अध्यापक योग्य साबित होंगे उनको भी राज्य पुरस्कार दिया जाना चाहिये और एक राज्य पुरस्कार अध्यापकों को देने की योजना बनाई गई है । उसमें ऐसे अध्यापकों को, जिन्होंने अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में और कर रहे हैं, उनको प्रारम्भिक शालाओं में दस को और माध्यमिक शालाओं में दस को पुरस्कार दिये जावेंगे ।

यहां यह भी प्रश्न उठाया जाता है उपाध्यक्ष महोदय, कि जो एडेड संस्थाएं हैं उनके अध्यापकों के साथ इस तरह का समान बरताव नहीं किया जाता । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जितने इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके लिये ग्रान्ट-इन-एड के अन्तर्गत बने नियमों में प्रावधान है कि अपनी संस्थाओं के अध्यापकों को भी लाजिमी तौर से वही तनख्वाह दें और वही ग्रेड दें जो उस स्तर की सरकारी संस्था के अध्यापकों को मिलते हैं। यदि इस प्रकार से नहीं देते हैं तो उतनी रकम सरकार ग्रान्ट-इन-एड में से काट सकती है ।

इसके अलावा जहां पर भी ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें वहां के अध्यापकों के साथ अन्याय किया जाता हो या नाजायज तरीकों से निकाल दिया जाता हो तो उन मामलों में भी शिक्षा विभाग के पास वे अपील कर सकते हैं और शिक्षा विभाग के फैसले पर, अगर वह उसका पालन नहीं करते हैं, तो ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के तहत वह बन्द की जा सकती है । तो उनसे भी इन रूल्स के अन्तर्गत यह आशा और अपेक्षा की जावेगी कि वे अपनी हालतें सुधारें और अध्यापकों के साथ ठीक बरताव करें वरना आइन्दा वे इन ग्रान्ट-इन-एड की श्रेणी में से निकाल दिये जावेंगे ।

पुस्तकों के बारे में भी कई बातें कही गईं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक हमारी नीति है, जो टेन्डर सिस्टम इस समय है उसको बन्द करने पर हम विचार कर रहे हैं ।

इसके अलावा राजस्थान के लेखकों और राजस्थानी पुस्तकों के बारे में भी सरकार यह विचार करती है कि उनका एक निश्चित प्रतिशत मुकर्रर कर दिया जावे कि राजस्थानी लेखकों को पुरस्कार देने के लिये उनकी निश्चित पुस्तकें खरीदी जावें ।

इसके अलावा एक सदस्य कह रहे थे कि दिल्ली से नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से पुस्तकें खरीदी गईं, यह ठीक नहीं था । मैं निवेदन करदूं कि ये बड़े अच्छे प्रतिष्ठान हैं, अगर हम इनसे पुस्तकें नहीं खरीदते हैं तो हमसे ज्यादा और कोई बुरा काम नहीं करता है । नेशनल बुक ट्रस्ट इस लिये कायम किया गया है कि सरकार के नियन्त्रण में अच्छी पुस्तकें लिखी जावें और वे स्कूलों के लिये काम आवें । इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि प्राइवेट

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

संस्थाओं से न खरीद कर हम इनसे खरीदें और इनकी रचनाओं को और प्रकाशनों को महत्व दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थानी के बारे में माननीय सदस्या भीम से आने वाली ने सवाल उठाया । मैं समझता हूं कि जितनी राजस्थानी के बारे में माननीय सदस्या को चिन्ता है उससे अधिक मेरे को है । इस बारे में मैं बहुत प्रयत्नशील हूं कि राजस्थानी को कम से कम लिखने में और साहित्यिक भाषा के रूप में अंगीकार किया जावे । हम इस बारे में पूरे प्रयत्नशील हैं ।

हिन्दी भाषा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी प्रचार के बारे में, जो माननीय सदस्यों की सेवा में इस वर्ष की रिपोर्ट हमने पेश की है और यह सदन के समस्त सदस्यों को वितरित की गई है, अगर नहीं की गई है तो करदी जावेगी, उसको माननीय सदस्यगण देखें कि हमने भाषा के विकास के बारे में कितनी प्रगति की है ।

हमने जो अपना ध्येय रखा है कि तीन वर्षों में हम राजस्थान की भाषा हिन्दी के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे और राजकाज की भाषा हिन्दी होगी तो हम समझते हैं कि हम उस निश्चय पर आज भी दृढ़ हैं और इस साल काफी अनुवाद का काम इस हिन्दी विभाग ने किया है । उसकी हमने एक सूची भी निकाली है ।

तो इस वर्ष हमने जो प्रगति इस दिशा में की है उससे उम्मीद है, सदन के माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा । हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगली साल इस बारे में और ज्यादा प्रगति करने की हम कोशिश करेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या यह भी उठाई गई यहां पर कि राज्य सरकार को कई लोगों ने शिक्षालयों के लिये भवन बनाकर डोनेट किये, कई जगह जनता ने भी बनाये हैं, उन भवनों की मरम्मत कई वर्ष हो गये, सरकार ने तब से नहीं कराई है, उनकी हालत खराब हो रही है और न पी० डब्लू० डी० ने उनका चार्ज ही लिया है । यह किसी हद तक सही बात है । इस बारे में मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं पी,डब्ल्यू.डी. विभाग के मन्त्री महोदय से बातचीत करके शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करूंगा ताकि अनुपात के हिसाब से उन बिल्डिंगों की मेन्टीनेन्स और मरम्मत के लिये प्रबन्ध किया जा सके ।

साथ ही यह निवेदन कर दूं कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि जिससे हम हर कॉलेज और स्कूल बनाने के लिये बिल्डिंग बना सकें, इसलिये कुछ दानी सज्जनों और जनता से हम कन्ट्रीब्यूशन इसके लिये मांगते हैं । फिर भी इस बार जो एज्यूकेशनल ऑफिसर्स की मीटिंग नवलगढ़ में हुई थी उसमें हमने यह भी फैसला किया है कि हम अमुक प्रकार की ही बिल्डिंग स्कूल, कॉलेज के लिये हो, इस पर जोर नहीं देंगे । अगर हमें कच्चा भवन भी मिल जाता है और किसी तरह से सार्वजनिक भवन भी मिल जाता है तो हम उसे पर्याप्त मान लेंगे । फिर जब हमारी हैसियत उपयुक्त भवन बनाने की होगी तब बना लेंगे ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब शिक्षा में सुधार की बात जो कही गई इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा में हर प्रकार का सुधार सम्भव है। कई बातें आज की शिक्षा प्रणाली में ऐसी हैं जिन्हें हम हसन्द नहीं करते; पर उनको बदलने में, उनमें सुधार लाने में थोड़ा समय अपेक्षित है। मैंने कई बार निवेदन किया है कि जब हम क्वान्टिटी की तरफ ध्यान देते हैं तो क्वालिटि बाद में आती है और अण्डर डेवलप्ड कन्ट्री में सब लोगों को लिटरेट हम कम से कम बना सकें इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लिटरेट अगर बना देंगे तो बाद में क्वालिटी पर भी आसानी से ध्यान दे सकेंगे। वैसे आज भी दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब मुखबन्ध का समय हो गया। मुखबन्ध का प्रयोग किया जाता है।

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर और बोलने का आग्रह करने पर)

ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष से किये जाने वाले व्यय निमित्त राज्यपाल महोदय को १९,२७,४५,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९७,१०,०००) रुपये की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

(५.२० म० प०)

शेष मागों पर मुख-बंध

माग संख्या २–राजकीय आबकारी कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, ११, ७५, ००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २ स्वीकार की गई।

मांग सख्या ४–बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४९, ६०, ००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या ४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५—अन्य कर और महसूल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३—अन्य कर और महसूल के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,२८,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६—स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४-स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,५६,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७—पंजीयन शुल्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १५, पन्जीयन शुल्क के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४६,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८—संसदीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्य ८, मुख्य शीर्षक १८—संसद राज्य। संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६३, ६६,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १०—न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ —न्याय प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६३,२४,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ११—कारागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४२,६१,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या ११ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १२–पुलिस

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,२७,०६,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १७–जन–स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन–स्वास्थ्य के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,०२,६७,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १९–पशु-पालन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशु-पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६०,५४,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २३–श्रम और नियोजन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५२,१८,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २९–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक–६५–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, ७२–निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४९,६७,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३०–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ६६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रू० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३० स्वीकार की गई।

Page No. 135

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या ३१–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३४–विविध

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१–विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४६,२४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई

मांग संख्या ३५–अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७६–अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६७,३१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई

मांग संख्या ३६–राष्ट्रीय आपत्काल से संबंधित व्यय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७८–का–राष्ट्रीय आपत्काल से संबंधित व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३, ३०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३७–भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ९२–भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,४०,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३७ स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या ३८–जन–स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२९ ५६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३८ स्वीकार की गई

मांग संख्या ३९-कृषि उन्नत्ति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५–कृषि उन्नत्ति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८३,५०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४३-अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०९–अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४४-सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ११४–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,२०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४५–निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १२०–निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४६-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योज-

(श्री उपाध्यक्ष)

नाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २५,०५,१०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४७-राज्य संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था–राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,६६,६१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।

(५.३० म० प०)

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६६

(पुर: स्थापन)

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान विनियोग विधेयक, १९६६ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

(५.३१ म० प०)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल द्वारा स्थगन-प्रस्ताव की सूचना सम्बन्धी विवाद उपस्थित करना

श्री उपाध्यक्ष : Statement by Hon. Deputy Minister.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैंने अभी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, वह बहुत ही अहम् मसला है क्योंकि ..

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव कल आ सकता है, आज नहीं आ सकता। स्थगन-प्रस्ताव तो प्रश्नोत्तरकाल के बाद ही आते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, परन्तु स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मुझे इसे प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे।

(कांग्रेस पक्ष की ओर से 'नो' 'नो' की आवाजें)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्य के अन्दर जहां पर कि ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप स्थगन-प्रस्ताव पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके लिए अवसर कल मिल सकेगा और इस समय स्थगन-प्रस्ताव रखने का कायदा भी नहीं है। प्रश्नोत्तर के बाद ही स्थगन-प्रस्ताव लिए जाते हैं, उस समय आपको जो कुछ कहना हो आप कह सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :

× × ×

(उप-मंत्री, गृह ने भी अपका वक्तव्य पढ़ना प्रारम्भ किया – शोरगुल के कारण अश्रव्य)

× × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। Let there be a statement by Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपकी आज्ञा के बाद भी माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सब रिकार्ड से एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : That will be expunged.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × ×

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : जो कुछ बाद में बोलें उसको भी एक्सपंज किया जाय।

(भारी शोरगुल—अश्रव्य)

(श्री मुकुटबिहारीलाल एवं श्री निरंजन नाथ आचार्य दोनों के साथ-साथ बोलते रहने व शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीम सदस्य (श्री मुकुटबिहारीलाल की ओर मुखापेक्ष) मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह बिल्कुल गलत कार्यवाही है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को स्टेटमेंट देने का आदेश दे चुका हूं।

अगर आप स्टेटमेंट के बीच में बोलेंगे तो that will not be recorded.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × ×

श्री निरंजननाथ आचार्य उप-मंत्री गृह : यह जाना चाहते हैं, इनको जाने की इजाजत दे दी जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × ×

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब कौनसी व्यवस्था का सवाल है........

× × × × अध्यक्ष—पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री उपाध्यक्ष : I have ordered for the statement of Hon. minister. There will be no point of order.

व्यवस्था का सवाल है। मैं सुन चुका हूं। ऑर्डर प्लीज़।

श्री मुकुटबिहारीलाल एवं श्री आचार्य पुन: एक साथ बोलने लगे जो शोरगुल के कारण सुना नहीं जा सका। श्री आचार्य ने वक्तव्य पढ़ना प्रारम्भ किया)

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपरोक्त विषय में दिनांक २६–३–६६ को.......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × ×

श्री उपाध्यक्ष : You will please withdraw from the House.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, you will kindly withdraw from the House.

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल के पुन: बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं विक्षेप नहीं चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × ×

श्री उपाध्यक्ष : All this will be expunged.

(तत्पश्चात् श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल सदन से बहिर्गमन कर गए)

(५. ३६ म. प.)

डीडवाना की घटना से सम्बधित मामले पर शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : मैं अब आरम्भ करूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप आरम्भ करें।

श्री मानसिंह महार : (आमेर) माननीय उप मन्त्रीजी से कहें कि वे सभ्यता से बोलें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह आपकी सभ्यता होगी, मेरी नहीं है।

अब मैं शुरू से आरम्भ करता हूं।

डीडवाना में २३ व २४ मार्च को हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण :

उपरोक्त विषय में दिनांक २६–३–६६ को सदन को जितनी जानकारी उस समय तक उपलब्ध हो सकी थी वह दी गई थी। इसके पश्चात् निम्न सूचना और सदन की जानकारी के लिए प्रस्तुत है:—

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दिनांक २३-३-६६ की रात को खेताराम, जिसने कि एक महिला के साथ डीडवाना में छेड़-छाड़ की थी, उसको पकड़ कर कुछ व्यक्तियों द्वारा थाने पर लाया गया और वहां पर मौजूद संतरी के सुपुर्द किया गया। वह व्यक्ति, जैसा ज्ञात हुआ किसी प्रकार भाग निकला। इस मामले में सम्बन्धित सन्तरी श्री मोहनसिंह व हैड कॉन्स्टेबल श्री गुनाराम की गफलत प्रतीत हुई, अतः इन दोनों को मोअत्तिल किया जा चुका है और एस.पी., नागौर द्वारा जांच कराई जा रही है।

श्री खेताराम मुलजिम घटना के बाद से गायब था और कल सायं डीडवाना में गिरफ्तार किया जा चुका है।

दिनांक २४-३-६६ को पब्लिक, डीडवाना द्वारा जुलूस निकाला गया और थाने पर एकत्रित होकर नारे लगाये गये। भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया और समझाने के बावजूद भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ और भीड़ द्वारा भारी पथराव थाना पर किया गया।

इसके पश्चात् एस. डी. एम., डीडवाना द्वारा इस समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए मिलने को कहा गया। एस. डी. एम. कार्यालय में जन-समुदाय पहुँचा। हर प्रकार की समझाइश की गई जिससे सन्तुष्ट होकर यह भीड़ लौटने लगी। किन्तु कुछ असामाजिक तत्वों के प्रेरित करने से पुनः इस समुदाय ने उग्रता धारण की और थाने की ओर लगभग १२.३० बजे पहुंची। थाने को भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया व थानेदार व एच. सी. के मकान की खिड़कियां तोड़ दीं व घरेलू सामान इधर-उधर फेंक दिया व उठा ले गये।

एस.डी.एम. व सी.ओ. वाके की सूचना मिलते ही थाने पर पहुंचे व समझाने का प्रयत्न किया। इस पर सारी भीड़ थाने से, नारे लगाती हुई, नागौरी दरवाजे की ओर बढ़ी और रास्ते में टाउन आउट-पोस्ट पर पहुंची और फिर से उग्रता पूर्वक चौकी पर हमला कर दिया व जो भी कुछ सामान वहां पर बरांडे में पड़ा हुआ था उसे नष्ट किया। कपड़ों में आग लगा दी। भीड़ की कार्यवाही को देखते हुए वहां पर उपस्थित कॉन्सटेबल ने अपने आपको अकेला व निःसहाय समझ कर दरवाजा बन्द कर लिया, तो भीड़ ने उस दरवाजे को भी तोड़ना प्रारम्भ किया। इस पर हैड कॉस्टेबिल, श्री बाबूलाल, दरवाजा खोल कर बाहर निकला और अनियंत्रित भीड़ ने इस हैड कॉन्स्टेबल के साथ लात-मुक्का मारना शुरू कर दिया। किन्तु किसी प्रकार यह हैड कॉन्स्टेबल निकल कर आनन्द भवन की ओर बढ़ा कि भीड़ इसके पीछे दौड़ी और आनन्द भवन के चौक में व दूसरी मंजिल पर घुस गई। हैड कॉन्स्टेबल जिस कमरे में घुसा था उसे तोड़ कर बाहर लाया गया। उसके साथ मारपीट की जिसके फलस्वरूप श्री बाबूलाल के इस सारी घटना में ७ चोटें पहुंचीं।

ए.डी.एम. व सी. ओ., डीडवाना, जो थाने पर मौजूद थे, बाबूलाल की जान खतरे में होने की सूचना मिलते ही चार उपलब्ध कॉन्स्टेबिलों के साथ मौके पर पहुंचे। इन कनॅस्टेबिलों में से एक को राइफल, दो को

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मस्केट ४१० व एक को लाठी देकर साथ में लिया गया था ।

यह दल घटना—स्थल पर पहुंचा और उसमें से पुलिस कॉन्स्टेबल नीचे खडे रहे व एस.डी.ओ. व सी.ओ. आनन्द भवन के ऊपर, जहां बाबूलाल के साथ भीड़ ने मारपीट की थी, वहां पहुंचे और बाबूलाल को वहां से बीच-बचाव कर नीचे लाया गया और भीड़ को वहां से हटाया गया ।

नीचे जो कॉन्स्टेबल खड़े थे इन पर भीड़ ने हमला किया और उनके साथ मार-पीट करना प्रारम्भ किया और राइफल व मस्केट छीनने की कोशिश की । भीड़ भी ज्यादा थी, किन्तु कॉन्स्टेबल हर प्रकार से रक्षा करने में रहे, छीना-झपटी व मार पीट से कॉन्स्टेबल दीपसिंह, २६७, के पास से मस्केट गिर पड़ी । भीड़ ने हटाने की कोशिश की, किन्तु श्री दीपसिंह ने उसे छीनने की कोशिश की, वापिस उठाने में छीना—झपटी के बावजूद सफल हुए । किन्तु उत्तेजित भीड़ ने मस्केट फिर छीनने की कोशिश की और उसी धक्कमपेल में कॉन्स्टेबल दीपसिंह की बन्दूक, जो लोडेड थी, अचानक चल गई । यह बन्दूक कॉन्स्टेबल द्वारा नहीं चलाई पाई जाती है । इसके चल जाने से ५ व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं । आवाज सुनकर भीड़ बिखर गई ।

एस.डी एम. ने जिन व्यक्तियों के चोटें पहुंची थीं उनको तुरन्त अस्पताल भिजवाया ।

उक्त घटना के कारण थाना डीडवाना में मुकदमा हस्ब दफा १४७।१५०।४५२। ४४०।३५३।३३२। ३०७। ३४२। ३६५ दर्ज किया गया व तफतीश शुरू की गई । इस घटना में ८ पुलिस कर्मचारियों के चोटें पहुँची ।

जिलाधीश नागौर द्वारा सारी घटना की मजिस्ट्रीरिल जांच करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं और एस.डी.एम., नागौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : उपाध्यक्ष मैं इस सम्बन्ध में विशेष तो नहीं कहना चाहता लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय उपगृह मंत्री ने जो स्टेटमैंट दिया है वह १ परसेन्ट और २ पर्सेन्ट और १० परसेन्ट नहीं बल्कि १०० परसेन्ट असत्य है, और यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ मैं इस सदन के सामने मैंने जो कुछ कहा है इसके सबूत में एस. डी. एम. की रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिससे यह सिद्ध हो जायगा कि थाने पर पत्थर फेंके गये लेकिन कोई-लूट-पाट नहीं की गई । यह सिद्ध हो जायगा कि पुलिस ने फाइरिंग किया, यह सिद्ध हो जायगा कि फाइरिंग अननेसेसरी था, यह सिद्ध हो जायगा कि भीड़ पैसीफाइड थी, और यह सिद्ध हो जायगा कि पुलिस का व्यवहार बिल्कुल अनुचित था । और माननीय मंत्री महोदय ने सारी चीजों को इस ढंग से जस्टि-फाई करने की कोशिश की है कि जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने एफ० आई० आर० लिखी हो और उसमें सब—इन्सपेक्टर को इस मामले से मसलूब किया हो, उस सब—इन्सपेक्टर को जानबूझ कर बचाया है । एक सब—इन्सपेक्टर जिस तरह की एफ० आई० आर० लिखता है वह एफ० आई० आर०

(श्री भैरोंसिंह)

सदन में पढ़कर सदन में सुना दी । उस मौके पर एस० डी० एम० हर जगह पुलिस के साथ मौजूद थे, उनकी रिर्पोट सुना रहा हूँ । सदन उसको सुन कर अन्दाजा लगायेगा कि माननीय उपगृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट हाउस में दिया है वह किस सीमा तक गलत है । उन्होंने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को रिटन ऑर्डर दिया है एस० डी० एम० ने-

I have to make the following complaint against some of the police officers who, without my orders, fired shots injuring five persons, some of whom are reported to be in a serious condition. The facts are as follows;"

वह संकेत करता है कि वह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट.......

श्री उपाध्यक्ष : उसको आप सदन की मेज की पररख दें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । इसको सुनाया जाय तो अच्छा है ।

श्री भैरोंसिंह : तो पहले पैरेग्राफ से तो यह सिद्ध हो गया है कि पुलिस ने फाइरिंग किया है उस समय एस० डी० एम० मौके पर मौजूद थे । वे भीड़ में ऊपर गये थे, नीचे गये थे और भीड़ को पेसिफाइड किया, भीड़ ने लूट-पाट नही की । लोगों को हटाया तो एस० डी० एम० उस मौके पर मौजूद थे । वे मन्जूर करते हैं कि मेरे हुक्म के बिना फाइरिंग किया । उसका मतलब यह है कि पुलिस ने फाइरिंग किया है और एस० डी० एम० के बिना हुक्म के किया है और मंत्री महोदय कहते हैं कि बन्दूक अपने आप चली । माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि ४१० बोर में एक सेफ होता है वह लड़ाई के अन्दर ऐसे नहीं चलती है कि आदमी किसी से बन्दूक छीन रहा है तो चल जाये जब तक कि सेफ ऑफ नहीं किया जाये ।

आगे मैं निवेदन करता हूँ । उसमें लिखा है—

"Today on receiving this report that aggrieved by some events of last night, the public of Didwana was meeting in an open place near Nagori Gate, public feelings were reported to be high. Accordingly, I with C. O. proceeded to police station, Didwana. Certain person in the mob who were throwing stones were pacified and dispersed."

आगे वे लिखते हैं :-

"We were sitting in the police thana and there we were informed that some scuffle was going on between Babulal and the public and that the life of Babulal was in danger and he has taken shelter in Anand Bhawan surrounded by public. Along with C.O. and police party, I reached the spot. Some of the police officers were with pistols and rifles and others had lathis."

दूसरा वे लिखते हैं । :-

We were in the jeep. On reaching at Anand Bhawan, the jeep stop-

(श्री भैरोंसिंह)

ed and all got down. I and C. O immediately went up to rescue Babulal. As we cleared the mob and brought Babulal from the upper storey, I came to know that certain person were injured by shots fired by police officers and officials. Two injured persons were brought before me. One Suresh was very serious having received many injuries. He was rushed to hospital by jeep and other removed by Chakri as he did not perfer to go in my jeep.

I did not make any order for firing and whosoever fired, did it on his own responsibility. I have not been able to know exactly the names of the police officials who actually fired. I have no doubt examined three persons from whom I learnt that they had seen police officials firing whereby the persons had been injured. It is a very serious offence and I request you to kindly take legal proceedings against them as law provides. I am not in a position to give the names of the persons who have fired the shots."

एस० डी० एम० जो मौके पर थे और मंत्री महोदय मौके पर नहीं थे और बाकी का सदन मौके पर नहीं था और मौके पर हम भी नहीं थे, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है और एस० डी० एम० जो मौके पर थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है इन दोनों के अन्दर रात-दिन का अन्तर है। आप कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने फाइरिंग नहीं किया है, एस, डी. एम. ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स ने फाइरिंग किया है, लेकिन मेरी यह जानकारी में नहीं है कि फाइरिंग किसने किया है। आगे लिखा है :

"Presented before me today at 4.30 P. M. by Shri Bal Kishanji Bohra, S. D. M. Didwana."

उन्होंने आखिर में रिक्वेस्ट की है कि केस रजिस्टर किया जाये।

अब प्रश्न यह आता है कि इस सदन के अन्दर इस प्रकार की बात कहना कि वहां पर लूट मची और एस. डी. एम. कहता है कि वहां पर कोई लूट नहीं थी। लूट होती तो निश्चित रूप से एस० डी० एम० अपनी रिपोर्ट में लिखते। आप कहते हैं कि पुलिस ने फाइरिंग नहीं किया और एस० डी० एम० कहते हैं कि पुलिस ने फायर किया एस० डी० एम० ने मौके पर स्टेटमेंट लिखा है। उन्होंने इस मौके पर कभी नहीं कहा कि बन्दूक अपने आप चल गई थी। मैं समझता हूं कि सरकार थोड़ा बहुत इस डेमोक्रेसी के नाम पर, न्याय के नाम पर कुछ तो देखे। सरकारी अधिकारियों को बचाने का प्रश्न यदि है तो वह बात दूसरी है। लेकिन गलत बात को कह कर सदन के अन्दर माननीय सदस्यों को मिसगाइड करना यह कहां तक उचित है।

एस० डी० एम० की रिपोर्ट मैंने देखी है। सब-इन्सपेक्टर ने जो एफ० आई० आर० दर्ज की है उसकी कॉपी हमारे पास है। इसको हमने देखा है, मैडीकल रिपोर्ट को मैंने देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित

Page No. 144

(श्री भैरोंसिंह)

रूप से कह सकता हूं कि किसी भी बन्दूक चलाने वाले एक्सपर्ट से पूछ लें-यह कहते हैं कि ४१० बोर की लगी तो ४१० बोर से इस प्रकार की इन्जरीज नहीं आ सकती थी और यदि सेफ हट भी जाये तो यह नहीं हो सकता कि एक आदमी कहीं खड़ा है तो उसके ही लगेगी और एक आदमी दूसरी जगह खड़ा है तो उसके लग जाये । एक एक्सीडेन्ट से यदि बन्दूक चले तो कम से कम एक लाइन में जो व्यक्ति खड़े हैं उनके लगती एक रेन्ज के अन्दर लगती न कि जो रेन्ज के अन्दर नहीं उनके बन्दूक लगती । एक दिशा में जो खड़े हैं उनके बन्दूक लगती, अलग-अलग दिशा में जो खड़े हैं उनके बन्दूक नहीं लगती है । जो चोटें आई हैं तो जैसे ३०३ की लगती है जो ग्रूव्ज के कारण घाव को भारी बना देती है वैसी हैं । हड्डी उसने तोड़ी है । ये सारी चीजें हैं । आप इन्जरी रिपोर्ट देख लें । इनका सबका एक्स-रे करवा कर इस सदन के सामने लाने की चेष्टा की है । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उपमंत्री ने एक सब इन्सपेक्टर का रोल प्ले किया है मैं उनसे आशा तो यह करता था कि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान सरकार के उप-गृहमंत्री होने के नाते सदन को विश्वास लाने की भावना से इसमें सच्ची बातें कहते, और इस प्रकार की भावना लाने के लिए सब-इन्सपेक्टर गन्दा रोल प्ले नहीं करते,लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उप-गृहमंत्री ने, मुझे इस बात का खेद है कि केवल एक सब इन्सपेक्टर का रोल प्ले किया है, एक उस पुलिस ऑफीसर का रोल अदा किया है जो कि दोषी है और अपने दोष को छिपाना चाहता है । अपने उस सब-इन्सपेक्टर का रोल अदा किया है जो जान-बूझकर अपनी गलती, को अपने पाप को छिपाना चाहता है । आपने उस अधिकारी का रोल प्ले किया है जो शरीफ लोगों पर डाके डालने का इल्जाम लगा कर अपने पाप को छिपाना चाहता है । इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस मामले को गम्भीरता से देखें ।

मैं आपको यह और बताना चाहता हूं कि आपने जो एफ० आई० आर० दर्ज की है उसमें ऐसे भले आदमियों के नाम लिखे हैं कि जो कलकत्ता में बैठे हुए हैं, जो जोधपुर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं । एग्जामिनेशन देने वाला छात्र डीडवाने के अन्दर इस रॉयट में इन पर हमला करने के लिए नहीं आता । वह आदमी जोधपुर में इम्तिहान दे रहा है । कुछ आदमी कलकत्ते में बैठे हुए हैं और कुछ आदमी जयपुर में बैठे हुए हैं और एफ० आई० आर० में पुलिस के बनाये हुए गवाह यह कहते हैं कि यह भी मौके पर थे । इसके अलावा शहर के जो प्रतिष्ठित आदमी हैं जो लाठी उठाना तो क्या मुंह से गाली निकालना, किसी को अपशब्द कहना अनुचित समझते हैं आपके सब-इन्सपेक्टर ने उनका नाम लिखकर, एफ० आई० आर० में उन पर डकैती, चोरी और दुनियां भर के इल्जाम लगा कर उपद्रवकारियों में शामिल करने की कोशिश की है ।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो अव्वली आपने इस रिपोर्ट के अनुसार जो फाइरिंग की प्लेस बताई है वह भी गलत है । फाइरिंग जिस जगह पर हुआ था वह जगह नहीं है, बल्कि दूसरी जगह है । तो

(श्री भैरोंसिंह)

आवश्यकता इस बात की थी कि उस सब-इन्सपेक्टर को, जिसके थाने में मुल्जिम जाने के बाद भी फरार हो गया, आप तुरन्त सस्पेन्ड करते और उसके खिलाफ मुल्जिम को फरार करने का इल्जाम लगाते और उसके बाद में उस सब—इन्सपेक्टर और हैड कॉन्स्टेबल को जेल खाने में रखते। लेकिन आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती है कि सब-इन्सपेक्टर के थाने से एक मुल्जिम भाग जाय तो वह एक कॉग्नीजेबल ऑफेन्स होता है। इसलिए आपको चाहिए था कि यह केस रेजिस्टर होता और वह सब-इन्सपेक्टर और हैड-कॉन्स्टेबल, जो मुल्जिम को फरार करने के लिए जिम्मेदार थे, को आप गिरफ्तार करते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो मुल्जिम जिनकी कस्टडी से बचकर भाग गया उनकी गिरफ्तारी का सवाल नहीं है, जिसने निरीह जनता के ऊपर गोलियां चलाई हैं उनकी गिरफ्तारी का सवाल नहीं है, लेकिन आप गिरफ्तार उन लोगों को कर रहे हैं जिन्होंने एक महिला का शीलभंग करने के कारण एक मुल्जिम को पकड़ा और पकड़ कर पुलिस में ले गये और पुलिस के थाने से वह भाग गया तो उसका पीछा किया। ऐसे लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई और ऐसे लोगों को आपने गिरफ्तार किया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अन्याय इस डेमोक्रेसी के अन्दर और कोई हो नहीं सकता है। आज सरकार इस प्रकार का रवैया रख कर चलती है तो मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है।

जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अन्दर राजा भंजदेव को गोली से मार दिया, उसी तरह से राजस्थान की हुकूमत राजस्थान के अन्दर कर रही है। ठीक है, बहुमत आपके साथ है, आप करते जाइये। लेकिन जनता आपके इन कृत्यों का स्वागत नहीं करेगी। और अगर इस प्रकार की कार्यवाहियां बढ़ती हैं और सार्वजनिक हत्यायें होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं तो भले ही आप दफा १४४ लगायें और भले ही लोगों को डी० आई० आर० में पकड़ें तो वह इसका सही इलाज नहीं है। सही इलाज लोगों को सन्तोष कराने का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी से सन्तोष नहीं करें और मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी कराने के बजाय इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी करायें। इस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए, यह इतना कॉम्प्लीकेटेड मामला है कि इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्क्वायरी कराना काफी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि उस सब-इंसपेक्टर को, मुल्जिम को भगाने के अपराध के कारण मुअत्तिल किया जाकर उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री भैरोंसिंह : आप इसका जवाब नहीं दें और मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो अच्छा होगा। मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो हम सुनेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : हम उप—मंत्री को नहीं सुनना चाहते हैं। वे बातें को तोड़-मरोड़ कर रखने के आदी हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण के लिए मैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दो बातें पूछना चाहता हूं। मुझे इस संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी नहीं है। लेकिन जहां फाइरिंग होता है, यह निर्विवादित बात है कि एक बड़ी दुर्घटना की बात है, बड़े दुःख की बात है और बड़े खेद की बात है। किन्तु जो माननीय नेता जनसंघ ने बयान दिया है उस सम्बन्ध में चाहे मुख्य मंत्री और चाहे उप-गृह मंत्री को जो कुछ कहना हो वह अवश्य कहेंगे। मैं भी मेरी जानकारी के लिए एक-दो बातें पूछना चाहूंगा।

सबसे पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक ही गोली चली या एक से अधिक चलीं—इस बारे में प्रकाश डालें। आपने जो कुछ भी इन्क्वायरी की व्यवस्था की वह एक हद तक अनुचित नहीं मानी जाती है लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो जुडिशियल इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करवा कर जुडिशियल इन्क्वायरी को आपको फेस करना चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, वह यह है कि आप इस बारे में जानकारी कर सकते हैं कि जब बन्दूक चली तो बन्दूक से जो पांच आदमी घायल हुए वहां अगर मान लिया जाय कि बन्दूक चली और पूर्व दिशा में व्यक्ति घायल हुए, तो पूर्व में जब व्यक्ति घायल हुए तो क्या उत्तर और दक्षिण दिशा में भी घायल हुए और पूर्व में भी हुए। पूर्व में यदि घायल हुए, तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में बन्दूक चली, फिर पश्चिम के घायल हुए या नहीं। इस बारे में भी आप प्रकाश डालने की कृपा करें। इन तथ्यों के बारे में मैं जानकारी करना चाहूंगा, पहले इसके कि मैं और भी विचार इसके बारे में व्यक्त करूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री जोधसिंह चौहान : मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह : आप इनको नहीं बोलने दें। हम इनको नहीं सुनेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह झूठ बोलने के आदी हैं मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फेक्ट्स के पोइन्ट उठाये हैं उन पर उपगृह मंत्रीजी जो कुछ कहना चाहते हैं उसे शांति पूर्वक सुनलें। उसके बाद में अगर आवश्यकता होगी तो मैं भी इसके बारे में कह दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फेक्ट्स के सम्बन्ध में पोजीशन यह है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वह स्टेटमेंट फेक्ट्स पर ही दिया है और उसके बाद में श्री भैरोंसिंह ने जो कुछ कहा है वह एस. डी. एम. के स्टेटमेंट के आधार पर और जो उसने रिपोर्ट दी है उसके आधार पर फेक्ट्स को रिबट किया है। इसलिए उसके सम्बन्ध में कहने की जरूरत नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो कागज रखा है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस. डी. एम. का जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को दिया है, वह

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

एक मैरीटरियल पोइन्ट है। उसके बारे में मैं क्लेरीफिकेशन देना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उसकी क्या आवश्यकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो रिकॉर्ड पर हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप कह दीजिये कि वह सत्य है या असत्य है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कहता हूं कि इसमें सत्य या असत्य कहने का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके बारे में मुझे क्लेरीफिकेशन देने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें क्लेरीफिकेशन के लिए अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : क्यों नहीं करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : आप मान कर चलिए। मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं बोलेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े महत्व का डॉक्यूमेंट है। इसका असर पड़ता है और इसका असर प्रोसीक्यूशन और डिफेन्स के ऊपर पड़ सकता है, यदि इसे मैं एडमिट करूं या डिनाई करूं....

श्री भैरोंसिंह : आपके एडमिट करने से या डिनाई कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे क्लेरीफिकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में करना है। उसमें आपको हर्ज क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो डॉक्यूमेंट कोर्ट को, जुडिशियल कोर्ट को दे चुके हैं, जो पेश कर चुके हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिना क्लेरिफिकेशन दिए हुए आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसको डिनाई या एडमिट करके आप सब-जुडिस मामले में इन्टरफियरेन्स नहीं कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट जुडिशियल कोर्ट का है, आप जुडिशियल कोर्ट के डॉक्यूमेंट के बारे में कैसे कह सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब इस प्रकार का कोई लैटर इस सदन के समक्ष लाया जाता है तो यदि आप आदेश दें तो मैं उसके बारे मे कुछ क्लेरिफिकेशन के रूप में कह दूं। मैं इस लैटर का क्लेरिफिकेशन कर के बैठ जाऊंगा और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और इसका क्लेरिफिकेशन करना बहुत आवश्यक है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्टीफाइड कॉपी है।

श्री भैरोंसिंह : यह सर्टीफाइड कॉपी है और मोहर लगी हुई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी नोलेज में प्रश्न है।

Page No. 148

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की सर्टीफाइड कॉपी, जो एक दस्तावेज की है, को यहां पर पढ़ा और सदन की मेज पर भी रख रहे हैं। उसके सम्बन्ध में यह कहना कि यह जायज है या नाजायज है, इसको इस वक्त पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है, इसे एडमिट किया जासकता है या एडमिट नहीं किया जा सकता है—तो क्योंकि यह एक सर्टीफाइड कॉपी है, कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड कॉपी है, इसे जेनुआइन समझा जायगा और इसको रिबट करने का मौका नहीं है और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि एस. डी. एम. ने इसे पेश नहीं की या मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने इसे सर्टिफाइड किया या नहीं । ये दोनों बातें ये स्वीकार कर सकते हैं । और अगर अस्वीकार करते हैं तो भी इसके सम्बन्ध में कोई नुक्ता—चीनी करने का इनको अधिकार नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं दो बातें आपको कह दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है ....

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं फालतू विवाद न बढ़ा कर दो बातें कहना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि जब यह मान कर चलते हैं कि मुलजिम पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया और फिर पुलिस स्टेशन से गायब हो गया तो उस केअरलैस अधिकारी के खिलाफ धारा २२५ का केस दर्ज होकर उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करूंगा....

श्री राधाकृष्ण गोयल : दूसरे जो डकैती का मामला बनाया उसके सम्बन्ध में बताया कि सात चार्जेज़ डकैती के बनाये, यह कह कर कि मस्केट छीन कर ले गये । आप आज डकैती के चार्ज लगा कर टेरोराइज़ करना चाहते हैं ? जो आज पुलिस नाजायज तौर पर काम करती है और जो मुलजिम को फरार कराने की बात होती है उसमें मुलजिम फरार करने की बात होती है उसमें मुल्जिम को पकड़ने के लिए जनता ने उत्साह दिखाया उनको आप दबाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह असम्भव है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह डॉक्यूमेंट का मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : (श्री राधाकृष्ण गोयल से) आपने कह दिया ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप कहते हैं कि बन्दूक चल गई तो क्या बन्दूक अपने आप चल गई !

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप उप गृह मंत्री को सुन लीजिये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो ३०३ बोर का घाव है उसके लिए आप कहते हैं कि वह साधारण घाव है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह सत्य से गुमराह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप जो कह रहे हैं वह थानेदार की रिपोर्ट के आधार पर है, पुलिस के थानेदार की रिपोर्ट के आधार पर है जो अपराधी है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपका यह अधिकार है, जो सही रिपोर्ट है उसको सदन में पेश करें और सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं कि उप गृह मंत्री जो कुछ कहना चाहें वह सुन लें ।

श्री भैरोंसिह : इनको तो नहीं सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : और उसके बाद में और आवश्यकता होगी तो और कुछ कहें ।

श्री भैरोंसिह : हम मुख्य मंत्रीजी को सुनेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कुछ कहना चाहें वह मुख्य मंत्री कहें ।

(६.०० म० प०)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं सिर्फ डॉक्यूमेन्ट के बारे में कहूंगा ।

श्री भैरोंसिह : मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय उपाध्यक्ष रूलिंग दे रहे थे । उस समय आप कह रहे थे । छ : और छ : बारह ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप सुन रहे थे । भैरोंसिहजी ! मैं आपसे इस प्रकार का फैब्रीकेशन एक्सपेक्ट नहीं रहा था ।

श्री भैरोंसिह : जब आप छः और छः बारह कर रहे थे तब मैं सुन रहा था और आप उपाध्यक्ष महोदय, की मजाक कर रहे थे । आपको ऐसा नहीं करना चाहिये था । आप भी उपाध्यक्ष की पोस्ट पर रह चुके हैं । आपको इस तरह से उपाध्यक्ष की मजाक करना उचित नहीं था ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : भैरोंसिहजी, आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता था । अगर आप कुछ फेब्रीकेशन करें तो वह सब्सस्टेन्स पर तो कहें ।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपमन्त्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके पास गवर्नमेंट का रिकार्ड था जिस पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया । मैंने भी एस. डी. एम. के यहां से प्राप्त हुई कॉपी पढ़ कर सुनाई । मैं यह निवेदन करूंगा कि उप मन्त्री महोदय ने तथ्यों के आधार पर बिल्कुल गलत बातें सदन में कही हैं और ऐसी स्थिति में कल या परसों ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन लाकर बतलाया जायगा कि सदन में इस प्रकार गलत तथ्यों को बताने का क्या परिणाम होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हाउस की हालत ऐसी है कि उपाध्यक्ष को सुना जावे या जिसने गोली चलाई है उसको सुना जावे । इसमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिये उचित यह होगा कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी, जो उनकी जानकारी में हो, वे इस सदन में बतादें और सदन को विश्वास में लेने की कोशिश करें ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : मैं यह हाउस की टेबल पर रखता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने डॉक्यूमेन्ट का जिक्र किया, सरकार के पास इससे सम्बन्धित और डॉक्यूमेंट है, मैं समझता हूं कि सदन को इस सम्बन्ध में दिलचस्पी होगी कि उन चीजों को भी सामने रखा जावे और उसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त हो सके उसके लिये उचित होगा कि जो उप-मन्त्री सदन को जानकारी देना चाहते हैं उसे सुना जाय और उससे सदन को कई बातें स्पष्ट होंगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस सम्बन्ध में फाइल में जितने डॉक्यूमेन्ट थे उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने की कोशिश की और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फाइल में कुल तीन डॉक्यूमेन्ट्स तो हैं ही। एफ. आई. आर., इन्क्वायरी रिपोर्ट आदि। ये तीनों कागजात मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा माननीय उप-मन्त्री क्या बतायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपके इन तीनों डॉक्यूमेन्टों को छूऊंगा भी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप फिर कौन से डॉक्यूमेन्ट को रखना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपने जो दस्तावेज एस. डी. एम. साहब ने जो मुन्सिफ मेजिस्ट्रेट को खत लिखा उस पर आपने कहा..........

श्री भैरोंसिंह : आप कौनसा डाक्यूमेन्ट बता रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी इस सम्बन्ध में आपके डॉक्यूमेन्ट को कोन्ट्राडिक्ट करने का एस. डी. एम. ने मुन्सिफ मेजिस्ट्रेट को खत लिखा है उसको सदन की मेज पर (Table of the House) रखता हूं और जैसा आपने उसको पढ़ कर सुनाया, मैं भी उसे आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

"With reference to my previous report dated 24th March, 1966, which I sent to you against the police constables who fired shots at Anand Bhawan, I have made further enquiries and have come to the conclusion that the shots were fired because the police constable Jeet Singh tried to snatch the rifle and during the scuffle a shot went of quite accidently. I, therefore, request you that no action be taken in this matter. It is possible that the matter will be enquired by the Government and, therefore, the enquiry at this stage will prejudice the case."

यह टेबल ऑफ दी हाउस पर रखता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अब यह मामला बहुत साफ हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी डॉकूमेन्ट के संबंध में करना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे रिप्लाइ देने दो फिर आप कह देना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई है वह कौनसी तारीख की है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह २४-३-६६ की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह कोर्ट की फाइल पर है और यह सर्टीफाइड लैटर की कॉपी है ? बस मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बात लम्बी चौड़ी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इतना ही मुझे बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप मुझे कहने दें ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में कोई भी प्राइवेट कॉपी, या डॉक्यूमेन्ट जो ऑथेन्टिक नहीं हो न पढ़ा जा सकता है और न सदन की मेज पर रखा जा सकता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक यह नहीं बताया जावे तब तक इसको पढ़ने या सदन की मेज पर रखने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यह जुडिशियल केस फाइरिंग के सम्बन्ध में एस. डी. एम. की अदालत में रजिस्टर किया गया है। चूंकि यह केस रजिस्टर हो चुका है इसलिये यह केस सब-जुडिस है, गवर्नमेन्ट को यह नहीं भूलना चाहिये कि अगर ऐसे मसलों पर कोई स्टेट-मेन्ट दिया गया तो उससे इन्टरफियरेन्स होगा। इसलिये मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यही है कि यहां पर केवल ऑथेन्टिक डॉक्यूमेन्ट्स ही पढ़े जा सकते हैं या सदन की मेज पर रखे जा सकते हैं, दूसरे नहीं। आपने एस. डी. एम. का जो डॉक्यूमेन्ट अभी पढ़ा है वह कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है या नहीं, जिससे यह प्रिज्यूम किया जा सके कि यह ऑथेन्टिक है और ट्रू है। अगर ऐसा नहीं है तो यह पढ़ा हुआ डॉक्यूमेन्ट एक्सपंज किया जावे। आगे मैं यह कहूंगा कि आपने एस. डी. एम. को बाद में टोर्चर करके, उसको नौकरी की धमकी देकर, ऐसा करा लिया, तो मैं समझता हूं कि यह कोई न्यायसंगत नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This document is dated 24th March, 1966, On the same date.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am in possession of the floor of the House.

श्री निरंजननाथ आचार्य : जवाब मुझे देना है, उपाध्यक्ष महोदय, I was reading the document.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उप गृह मंत्री महोदय को नियम की एक किताब दे दी जावे। जब मुझे आसान से पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने की आज्ञा मिली है तो I am in possession of the floor, नियमों की यह सभ्यता आपको आनी चाहिये। आप बैठ जाइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे पुस्तक की जरूरत नहीं है। यह मेरे पास भी है। आप.....

Page No. 152

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बैठ जाइये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी मेरे बीच में जो कुछ भी डिबेट में आपने कहा है उसको सबको एक्सपंज कर दिया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एक स्टन्ट है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हंगामा करते हैं, हो-हुल्लड़ करते हैं, शोर मचाते हैं और ६ और ६, १२ का नारा लगाते हैं, जब उपाध्यक्ष रूलिंग देते हैं। इस तरह आप......

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आप डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। सर्टिफाइड कापी होगी। जो ऑथेन्टिक डॉक्यूमेंट नहीं है वह न तो पढ़ा जा सकता है और न सदन की मेज पर रखा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : I shall read out the relevant rule.

"Papers quoted to be laid on the table..........If a minister quote in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table.

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest."

तो इससे आप देख लें कि जो भी पेपर, जिसका रेफरेन्श किया है उसको ले करने का अधिकार है और इसको ले कर रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : पॉवर्स मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को दें और फाइल का मामला है...........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! जो भी पेपर गवर्नमेंट सदन की मेज पर ले ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गवर्नमेंट ने उसको विदड्रॉ नहीं किया है। एस. डी. एम. को चिट्ठी लिखने का हक नहीं है ? और न वह इस्तेमाल में आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी गवर्नमेंट पेपर ले करती है ऑथेन्टिकेट लेकर ले करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस डॉक्यूमेंट को क्वोट किया है वह क्या कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है, इसकी जानकारी सदन को दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने २४-३-६६ का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। यद्यपि आपने व्यवस्था दे दी है, फिर भी मैं सदन को सन्तुष्ट करना चाहता हूं। एस. डी. ओ. ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास भेजा। एस. डी. ओ. के ऑफिस से वह पेपर भेजा जाता है, कोई भी कागज during the course

Page No. 153

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

of business भेजा जाता है तो उसकी नकल वहां पर रहती है, Signed by the S. D. O. and in original the other counter-part is send to the Munsif Magistrate. इसलिए इसकी एड्मिसिबिलिटी का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : एड्मिसिबिलिटी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह सारी फर्जी कार्यवाही करके यहां सदन में यह डॉक्यूमेंट पेश किया गया है । एस. डी. ओ. को दबाया गया है, मुंसिफ को दबाया गया है, एस. डी. एम. के जरिये, और यह सब फर्जी कार्यवाही की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुंसिफ के कार्य में एस. डी. ओ. कितना इन्टरफियर करता है, और इससे साफ लगता है कि हमारी न्याय-व्यवस्था भी गवर्नमेंट के अण्डर में चली गई है । मुझे पूर्ण जानकारी है कि एस. डी. एम. ने २४ तारीख को कुछ नहीं लिखा । सारी फर्जी कार्यवाही की गई है और यह सारी फर्जी कार्यवाही आॅफ्टर थोट्स का परिणाम है । अगर ऐसा नहीं है तो आप एस. डी. एम. आॅफिस की फाइल का नम्बर बताइये ।

(शोरगुल)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा भी प्रिविलेज है जवाब देने का, या तो आप कह दीजिये कि जवाब मत दो........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब मजिस्ट्रेट ने........

(व्यवधान)

This letter has been got written by you.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और निरन्जननाथ आचार्य दोनों साथ साथ बोलने लगे)

(शोरगुल)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हमसे जवाब नहीं चाहते तो........

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : हम आपसे जवाब नहीं चाहते.......

(शोरगुल)

आप हाउस को धोखे में रखना चाहते हैं ।

(श्री कृष्णकुमार गोयल और अनेक माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे-शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : You are asking and not listening.

(श्री कृष्णकुमार गोयल और निरंजननाथ आचार्य दोनों साथ बोलते रहे-शोरगुल)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बन्दूक अकस्मात् चली है, बाई एक्सीडेन्ट चली है, इसलिए जो आरोप माननीय सदस्य ने यह लगाया है..........

Page No. 154

श्री भैरोंसिंह : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर,........

(श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य ग्रौर ग्रनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे शोर गुल)

श्री निरन्जनाथ ग्राचार्य : यही कारण है कि इस दस्तावेज को पेश करने में कई बाधायें उपस्थित की गई हैं। ग्रब मैं एक मुद्दा समाप्त हो जाने पर दूसरे मुद्दे पर ग्राता हूं।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सुना नहीं जा रहा है।

(शोरगुल)

(श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य ग्रौर ग्रनेक सदस्य एक साथ बोलते रहे शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर यह है कि सदन में कोई जेनुग्राइन डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया जा सकता है। मेरी जानकारी है कि यह फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट को सदन में पढ़कर सुनाया जा रहा है। जब तक सदन को इस डॉक्यूमेंट की जेनुग्राइननैस का यकीन नहीं हो जाय तब तक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट सदन की मेज पर नहीं रखने दें।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : मैंने तो सदन की मेज पर रखा है।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : सदन की मेज गन्दी हो जायेगी ग्रगर इस प्रकार का डॉक्यूमेंट सदन की मेज पर रखा गया।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : I stand risk for being tried for fabrication.

श्री उपाध्यक्ष : जो पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर उठाया गया है, मैंने रूल जो इससे सम्बन्धित है उसे सुनाया है ग्रौर उसकी लाइट में हर एक मेम्बर ग्रपनी जुम्मेवारी से ग्रपनी बोनेफाइड पर ही स्टेटमेंट देता है ग्रौर सम्बधित पेपर ग्रावश्यकतानुसार हाउस की टेबल पर ले करता। इसी तरह मिनिस्टर ग्रॉथेन्टिकेट करके हाउस की टेबल पर पेपर ले करते हैं तो एतराज नहीं होना चाहिये। ग्रब वह झूठा है, फर्जी है या सही है, यह ग्रागे देखने का सवाल है। पर इसको ले करने से डिबार नहीं किया जा सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, इस संबंध में कि गोली चल गई या गोली चलाई गई, इस पर मानीनय सदस्यों का कोई ऐसा ख्याल बनता है कि सरकार इस सम्बन्ध में वास्तविकता को छिपाना चाहती है या ग्रौर कोई बात करना चाहती है। मैं ग्रापके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की यह कतई मंशा नहीं है ग्रौर मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि जो वहां पर गोली चली उसके सम्बन्ध में मैं हाईकोर्ट से इस बात के लिये निवेदन करूंगा कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के सेन्शन्स जज इस फाइरिंग के बारे में जांच करें।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : यह तो कोई बात हुई।

Page No. 155

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल इतना कहना चाहूंगा कि इन्क्वायरी का ऑर्डर दिया है वह ठीक है, पर जो अधिकारी इसमें इन्वोल्व्ड हैं, उनको या तो सस्पेन्ड किया जाय या वहां से हटाया जाय। एस, डी. ओ. को जिससे ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट आचार्य महोदय की सेवा करने के लिये दिया है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे के तक के लिये स्थागित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६ बजकर १८ मिनट पर दिनांक २९ मार्च, १९६६ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थागित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ का उत्तर देखिये)

CENTRAL PUBLIC HELATH LABORATORY RAJASTHAN, JAIPUR

Report No. 2654 Dated 26-3-1966

I here by certify that I,Y.C. Hanif for Public Analyst for Rajasthan Jaipur duly appointed under the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, received on the 20th day of November, 1965, from the food Inspector Bhensrorgarh a sample of Groundnut oil S. No. MIG 20/Urban Shri Mohanlal s/o Gheesulal for analysis properly sealed and fastened and I found the seel intact and unbroken.

I further certify that I have caused to be analysed the afore mentioned sample and declare the result of the analysis to be as follow:—

The oil is clear, free from suspended matter, free from added colouring matter and mineral oil.

B.R. reading at 40C....................................56.5
Saponification Value....................................190.1
Lodine Value....................................92.26
Free fatty acid as oleic acid....................................0.46%
unsaponifiable matter....................................0.93%

Bellier test (turbidity temperature)..................39.C and am of the opinion that this sample of ground-nut oil was found to be genuine under the prescribed standards of purity.

———

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २८ मार्च, १९६६)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	३	जयपुर प्रारम्भ	जयपुर में प्रारम्भ
५	शीर्ष	(श्री तेजराम गहलोत)	(श्री तेजाराम गहलोत)
६	१	**श्री तेजराम गहलोत**	**श्री तेजाराम गहलोत**
,,	९	श्री **दिग्वजियसिंह**	**श्री दिग्विजयसिंह**
१५	१३	फरमाईये ?	फरमाईये :—
२२	अन्तिम से ५	पेन्डिग	पेन्डिग
२४	अन्तिम से ६	**श्री असृतलाल यादव**	**श्री अमृतलाल यादव**
२६	९	पंचालत	पंचायत
२७	२	सरोद्र	सरोद
२९	८	वालों गांव ने	गांव वालों ने
,,	१०	लिखत नहीं	लिखत में नहीं
३१	अन्तिम से २	**श्री असृतलाल यादव**	**श्री अमृतलाल यादव**
३२	१८	प्रश्न संख्यां ५२७	प्रश्न सख्या ५३७
,,	अन्तिम से २	चूडवत	चूडावत
३५	शीर्षक	तारांकित	तारांकित
३८	४	(**श्रीमती गोरी पुनिया**)	श्रीमती गौरी पूनिया।
३९	शीर्ष	(श्रीमती गौरी पूनियां)	(श्रीमती गौरी पूनिया)
४६	१०	**कु० श्री महेन्द्रसिंह (गांवडी)** (दोगोद)	**कु. श्री महेन्द्रसिंह गांवडी** (दीगोद) :
४७	११,१२	**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) (सदन में आते ही) :	**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : (सदन में आते ही)
४८	१४	**श्री भीमसेन** :	**श्री भीमसेन !**
५६	अन्तिम से २	व्यावस्था	व्यवस्था
५९	२०	नगर पालिक,ओं	नगर पालिकाओं
,,	अन्तिम से ६	बक	बैंक
६०	८	**श्री जौधसिंह चौहान**	**श्री जोधसिंह चौहान**
६१	अन्तिम से ७	रविवार	परिवार

१	२	३	४
६४	१७	वक्तव्य	वक्तव्य
७१	शीर्ष	(श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
७८ से ८८ तक	शीर्षक	२८ मार्च, २६	२८ मार्च, ६६
७६	शीर्षक	मांग संख्या १५ व १०-	मांग संख्या १५ व १३-
८३	२०	**श्री मोतीलाल चौधरी**	**श्री मोतीलाल चौधरी**
८४	५	१००(रू० कम	१००) रू० कम
८५	शीर्षक	मांग संख्या १५ व १२-	मांग संख्या १५ व १३
,,	१२	**श्री तेजराम गहलोत**	**श्री तेजाराम गहलोत**
८७	१	**कंवर श्री महेन्द्रसिंह**	**कुंवर श्री महेन्द्रसिंह**
८८	शीर्षक	शिक्षा व विविध	शिक्षा व विविध
९२	२०	**श्री दिग्विजयसिंह — —**	**श्री दिग्विजयसिंह**
९७	अन्तिम से ५	शीषंक	शीर्षक
९९	अन्तिम	के लिये) ।	के लिये) ।]
१०२	१३	विज्ञान	विज्ञान के
१०७	३	तैकिनकि	तकिनकी
१०८	६	प्रम्न	प्रश्न
,,	१५	अध्यपकों	अध्यापकों
१०९	अन्तिम से ८	करूगा	करूंगा
११३	७	आबादी	आबादी
,,	१४	बढ	बढ़
,,	१७	के । जो	के जो
,,	१८	आंकडे	आंकड़े
११४	शीर्षक	विभाव	विभाग
११५	,,	म.र्च	मार्च
११६	,,	विविय	विविध
११८	अन्तिम से ४	(निम्बाहैडा)	(निम्बाहेड़ा)
१२०	१६	हकीकत	हकीकत
१२३	१३	भो	भी
,,	अन्तिम	सकर्ती	सकती
१२४	१३	बडो-बड़ी	बड़ी-बड़ी

१	२	३	४
१२४	अन्तिम	क्षिण संस्थ शाच	शिक्षण संस्थाए
१२८	,,	बॉ लॉजी	बॉयलॉजी
१३० से १४४	शीर्षक	विविद	विविध
१३२	शीर्षक	२८ मार्च, ६१	२८ मार्च, ६६
,,	१३	वेता	देता
,,	१७	ग्राक्ट्राय	ऑक्ट्रोय
१३३	अन्तिम से ५	छुडा	छुडा
१३५	शीर्षक	२७ मार्च, ६६	२८ मार्च, ६६
१३६	१३	पसे	पैसे
१५०	अन्तिम से ३	लाइव्रे रीज	लाइब्रे रीज
१५१	१०	**श्रीमती लक्ष कुमारी चूंडावत**	**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत**
१५७	शीर्षक	मांग संख्या १५ व १२	मांग संख्या १५ व १३
१६१,१६३, १६५व१६७	शीर्ष	राढौड़)	राठौड़)
१६२	अन्तिम से ५	में	मैं
१६३	३	में	मैं
,,	४	ग्रोर	ग्रोर
,,	१३	ग्रोर	ग्रोर
,,	अन्तिम	में	मैं
१६४	१०	ग्रोर	ग्रोर
,,	२० व २६	तादात	तादाद
,,	२४	बहार	बाहर
,,	२८	की	कि
१६५	शीर्षक	२८ माच	२८ मार्च,
१६६	अन्तिम से ६,१०	हर हर डिस्ट्रिक्ट	हर डिस्ट्रिक्ट
१७०	२	कुज	कुछ
१७७से२३५	शीर्षक	मांग संख्या १३ व १५	मांग संख्या १५ व १३
१८४	शीर्षक	शिक्षा	शिक्षा
१९६	अन्तिम	सरकारक	सरकार को

१	२	३	४
१६८	अन्तिम	रसिया	रशिया
२०१	१५	सभाति	सभापति
२०६	१६	वे	में
२१६	१५	सक	संके
२२२	अन्तिम से १२	दर्खवास्त	दर्ख्वास्त
२२३	१	में	मैं
,,	१३	फल	फेल
२२६	१५	आटंस	आर्ट्स
२३१	अन्तिम से १२	नम्र	नम्र
२३३	अन्तिम से ७	बरताजा ना	बरता जाना
२३४	३	(समय मसार्णत सूकच	(समय-समाप्ति सूचक-
२३५	अन्तिम से १२	अध्यापक में था	में अध्यापक था
२३६	शीर्ष	(श्र	(श्री
२४१से२५५	शीर्षक	माग संख्या १३ व १५	मांग संख्या १५ व १३
२४५,२४७, २४६	,,	१८ मार्च	२८ मार्च
२४५	६	आखरी	आखिरी
२४६	७	मडीकल	मेडीकल
२४६	४	हैडक्वाटर	हैडक्वार्टर
२५०	११	मुत्रय	मुख्य
२५२	अन्तिम से १४	बनायें	बनायें
२५३	,, १६	डिस्टिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
,,	,, १२	कहीं से	कहां से
२५४	,, ४	अधेलेबल	अवेलेबल
२५५	,, १२	की	कि
,,	अन्तिम से ५ व७	परसेन्टज	परसेन्टेज
२५६	,, १२	तदाद	तादाद
,,	,, ३	त्यात	व्याप्त
,,	,, १	वीष्रठता	वरिष्ठता
२५८व२६१	शीर्षक	मांग संख्वा	मांग संख्या
२६१	२२	वषों	वर्षो

१	२	३	४
२६३	६	हसन्द	पसन्द
२६४	११	माग	मांग
२६५	११	समांग	सांग
,,	अन्तिम से ४	जाने व्यय	जाने वाले व्यय
२६८	अन्तित से ६	सख्या	संख्या
,,	,, ८	वे:न	वेतन
२७२	१६	शीषंक	शीर्षक
२७३	शीर्० कि	मांगों पर मुख्य बंध	शेष मांगों पर मुख बंध
२७५	१	श्री मुकुटबहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
,,	१४	आपका	अपना
,,	अन्तिभ से २	मै	में
२७६	१३	माननीम	माननीय
,,	अन्तिम से ६ व ५	उप–मंत्री गृह	(उप-मंत्री, गृह)
२७५-२७६	अन्तिम	आवेशानुसार	आदेशानुसार
२७७	७	श्री मुकुटबिहारी	(श्री मुकुटबिहारी
,,	११	श्री निरंजनमाथ	श्री निरंजननाथ
२७८	१२	महार : (आमेर) मान-	महार (आमेर) : मान-
२८०	१८	कॉस्टेबल	कॉन्स्टेबिल
,,	अन्तिम से ५	ए. डी. एम. व	एस० डी० एम० व
२८२	६	श्री भै रोंसिह	श्री भैरोंसिह
२८३	शीर्षक	डीउवाना	डीडवाना
,,	१६	की पररख	पर रख
२८६	२०	नौके	मौके
२८७	शीर्षक	डीडवॉना की घटना–२८मार्च, २६-	डीडवाना की घटना–२८ मार्च, ६६
२८६	,,	घटना	घटना
२६२	८	भुठ मै ·······	झूठ ···· ···· में
,,	११	मत्री):	मंत्री) :
२६३	स्कम्भ	१६३)	२६३]
,,	अन्तिम से ३	करू ········	करू
२६८	शीर्षक	वत्यव्व	वक्तव्य

१	२	३	४
२६८	अन्तिम से ७	उपाध्यक्ष	उप मन्त्री
३०१	१२	श्री सनीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	१४	प्राचार्य :	ग्राचार्य :
३०२	२२	श्री उपध्यक्ष :	श्री उपाध्यक्ष :
३०५	शीर्षक	डीडंवाना	डीडवाना
३०५	अन्तिम से ७-	निरंजन	निरंजन—
,,	,, ४	श्री निरन्जननाथ	श्री निरंजननाथ
३०७	शीर्षक	२८ मार्थं	२८ मार्च,
३०६	,,	डीडवाना की घटना-२८ मार्च, ३६-	डीडवाना की घटना—२८ मार्च, ६६—